षोडश माला, खंड 7, अंक 8

मंगलवार, 3 मार्च 2015
12 फाल्गुन 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 7 में 1 से 9 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिये इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 7, चौथा सत्र, 2015 / 1936 (शक)

अंक 8, मंगलवार, 3 मार्च, 2015 / 12 फाल्गुन,1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिये पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना किये जाने के बारे में	16-19
(दो) जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा उस राज्य के विधानसभा चुनावों के संचालन के बारे में दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मांगने के बारे में	19-24
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या.101 और 102	25-28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न सं.103 से 120	38
अतारांकित प्रश्न सं.1151 से 1380	38

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिह्न + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 39

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन 50

नियम समिति

पहला प्रतिवेदन 50

मंत्री द्वारा वक्तव्य

देश में आपदा प्रबंधन के बारे में गृह मंत्रालय से संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति की 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री किरेन रिजीजू 51

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल),2014-15 51

गोदाम निगम (संशोधन) प्रस्ताव, 2015 52

नियम 377 के अधीन मामले 53-70

(एक) झारखंड में डाल्टेनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदनीनगर रेलवे स्टेशन किये जाने और इसको आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन किये जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम 53

(दो) भारत में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध आप्रवासन को रोकने के लिये कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अनिल शिरोले 55

(तीन) सुपारी के आयात पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता

कुमारी शोभा कारान्दलाजे 56

(चार) "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर पीपोदरा, हजीरा, उम्मेल, धोरणा पारड़ी और चालथान पर ऊपरि पुरों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा 57

(पाँच) बिहार में बागमती के बाढ़ के नियंत्रण हेतु नियत निधियों के वर्ष 2005 के दौरान कथित दुर्विनियोग की जांच किये जाने की आवश्यकता।

श्रीमती रमा देवी 58

(छह) उत्तर प्रदेश के चन्दौली में उर्वरकों की शीघ्र ढुलाई हेतु राज्य में मुगलसराय में एक रेक प्वाइंट बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय 58

(सात) महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सूची की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डॉ. सुनील बलिराम गायकवाड़ 59

(आठ) बिहार के भागलपुर के प्राचीन 'कर्णगढ़ किले' का पुरातात्विक खुदाई, उसके समुचित संरक्षण और रख-रखाव की आवश्यकता

श्री अश्विनी कुमार चौबे 60

(नौ) मध्य प्रदेश के मंडला,डिडोरी,शिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों में ओला वृष्टि के कारण जिन पीड़ित किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, ऐसे पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते 61

(दस) देश के शुष्क और अर्ध-शुष्क भूमि क्षेत्रों में शुष्क कृषि में लगे किसानों के कल्याण के लिये विशेष कार्यक्रम और नीतियां बनाये जाने की आवश्यकता

श्री डी.के. सुरेश 62

(ग्यारह) कोयम्बतूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विशेषकर मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हवाई सेवा संपर्क में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. नागराजन 63

(बारह) एरियूर,अय्यान पेरीयूर, थिरुमंदुरई और पेन्ना कोणम गांव में अर्जित भूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र की शीघ्र स्थापना किये जाने की आवश्यकता

श्री आर.पी. मरुथाराजा 64

(तेरह) पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में गुप्तीपारा को पर्यटन स्थल रूप में घोषित किये जाने की आवश्यकता।

डॉ. रत्ना दे (नाग) 65

(चौदह) भुवनेश्वर और कटक के बीच प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना के काम में तेजी लाये जाने और इस परियोजना को ओडिशा में जतना और खुर्दा होते हुये पुरी और कोणार्क तक विस्तार किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी 66

(पंद्रह) लक्षद्वीप के मछुआरा समुदायों को पर्याप्त मत्स्यन आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी दिये जाने की आवश्यकता

मोहम्मद फैज़ल 67

(सोलह) बिहार के भागलपुर संसदीय क्षेत्र में कोसी और गंगा नदियों के कारण होने वाले भू-कटाव को रोकने हेतु अविलंब उपचरात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री शैलेश कुमार 68

(सत्रह) नशाखोरी के संबंध में ताजा सर्वेक्षण किए जाने और युवकों में नशाखोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिये नेशनल पॉलिसी फॉर ड्रग डिमान्ड रिडक्शन -2014 की पुनः समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला 69

(अठारह) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और समझौतों में भारत के लोगों की विकास से संबंधित आकांक्षाओं की सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता

एडवोकेट जोइस जॉर्ज 70

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश का **निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प, 2015** 71

और

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

विचार करने के लिए प्रस्ताव	71
श्री भीमराव बी. पाटिल	71-74
डॉ. ए. संपत	75-80
श्री कड़िया मुंडा	80-81
श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी	82-83
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा	84-85
श्री विजय कुमार हंसदक	86-87
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल	88-90
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	91-92
श्री हुकुम सिंह	93-94
श्री सी. एन. जयदेवन	95-124
श्री प्रह्लाद जोशी	125-127
श्री भगवंत मान	128-129
श्रीमती मौसम नूर	129-130

श्री विद्युत बरन महतो	131-132
श्रीमती बुत्ता रेणुका	133
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	135-142
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन	143
खंड 2 से 25 और 1	146
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
बीमा कानून (संशोधन) विधेयक,2015	96-122
बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश,2015 के बारे में वक्तव्य	123
मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प, 2015	125
और	
मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	125-360
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन	305
श्रीमती मीनाक्षी लेखी	309,

	328
कुमारी सुष्मिता देव	314
श्री के. अशोक कुमार	318
डॉ. रत्ना दे (नाग)	320
डॉ प्रभास कुमार सिंह	321
श्री पी. के. बीजू	323
माननीय योगी आदित्यनाथ जी	325
डॉ. रविन्द्र बाबू	329
डॉ. अरुण कुमार	331,
	337
श्री भगवंत मान	334
श्री रमेश बिधूड़ी	338
श्री जोस के. मणि	340
श्री पी.पी. चौधरी	343
श्री अभिजीत मुखर्जी	344
डॉ. उदित राज	345

श्री वीरेन्द्र सिंह 346

श्रीमती रंजीत रंजना 347

श्री नितिन गडकरी 349

खंड 2 से 6 और 1 360

पारित करने के लिए प्रस्ताव 360

कोयला खदानों (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प, 2015

और

कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश,2015

विचार करने के लिए प्रस्ताव 361

श्री भर्तृहरि महताब 361

श्री पीयूष गोयल 362

श्री रवीन्द्र कुमार राय 370

श्री विनसेंट एच. पाला 375

श्री ए. अरुणमोज़थेवन 378

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 380

श्री अरविंद सावंत	382
श्री एम. मुरली मोहन	385
श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी	387
श्री ताम्रध्वज साहू	389
श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान	392
श्री पशुपति नाथ सिंह	396

लोकसभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. थम्बीदुरई

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना दे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्रा

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 3 मार्च 2015/12 फाल्गुन, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*]

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिये पृथक उच्च न्यायालयों की
स्थापना किये जाने के बारे में

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी से प्रश्नकाल स्थगित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नकाल का कोई निलंबन नहीं है। लेकिन आज 'शून्य काल' नहीं है। 6 बजे के बाद 'शून्य काल' लिया जाएगा। इसलिये मैं श्री जितेन्द्र रेडी जी को एक मिनट बोलने की अनुमति देता हूँ।

श्री ए.पी.**जितेन्द्र** रेड्डी (महाबूबनगर):महोदया,राज्य पुनर्गठन अधिनियम,जो पारित किया गया है,में यह बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिये विभाजित किया जाना है। लेकिन लगभग साढ़े नौ महीने होते हैं कि हम एक-एक डिपार्टमेंट में दर-दर भटक रहे हैं। इस संबंध में हमारे मुख्यमंत्री तीन बार प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी मुलाकात की और अनुरोध किया कि द्विभाजन होना चाहिए। उन्होंने हमें फिर से उच्च न्यायालय में भेजा है। हमने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी मुलाकात की है। दोनों राज्यों की बार काउंसिल्स ने श्री सदानन्द गौड़ा से मिलकर उनसे अनुरोध किया है कि शीघ्र ही विभाजन हो क्योंकि बहुत सारे मामले निर्विवाद रूप से न्यायालय में लंबित हैं। यह केवल इतना ही नहीं है बल्कि नए ूजूनियर जजों की भर्ती के लिये एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके द्वारा तेलंगाना के अधिवक्ताओं की नई पीढ़ी प्रभावित होगी। हम उन्हें ऐसा नहीं करने के लिये कह रहे हैं। इस प्रकार की भर्ती विभाजन के बाद ही होनी चाहिए लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं ने इसका बहिष्कार किया है। न्यायपालिका में कोई काम नहीं चल रहा है। मैं आपसे इसमें हस्तक्षेप करने और यह देखने का अनुरोध करता हूँ कि विभाजन तत्काल प्रभाव से किया जाए। इस संबंध में हम पहले ही पत्र लिख चुके हैं।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम.वेंकैया नायडू): एक असाधारण स्थिति में,माननीय सदस्य, प्रो.मनोज कुमार झा:मैं इस विधेयक के पक्ष में हूँ। अपना मुद्दा उठाने

के लिए सदस्य। मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिये अलग उच्च न्यायालयों की आवश्यकता के बारे में श्री जितेन्द्र रेडी द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को पूरी तरह से साझा करता हूँ। मेरे सहयोगी श्री सदानन्द गौड़ा पहले से ही इस विषय को निपट रहे हैं। इस पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय को भी सहमति देनी होगी। इसमें थोड़ी संवेदनशीलता भी होती है। लेकिन मैं इस मुद्दे पर व्यक्त भावनाओं को पूरी तरह से साझा करता हूँ। मैं इसे माननीय मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा। (अनेक माननीय सदस्यों ने स्वयं को संबद्ध किया।

जैसा कि मैंने बताया,माननीय सदस्य जी। इसमें वक्ता,राज्य और उच्च न्यायालय भी शामिल हैं। हम किसी भी तरह से अधिनियम के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएंगे। यह अधिनियम में बहुत कुछ है। इसलिये,हम इसे आगे बढ़ाएंगे। … *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: जितेन्द्र रेड्डी जी, अब यह समाप्त हो गया है।

… *(व्यवधान)*

श्री बी.विनोद कुमार (करीमनगर):कृपया मुझे बोलने के लिये एक मिनट दें। … *(व्यवधान)* मुद्दा यह है कि मैंने इस मामले को नियम 377 के अधीन उठाया है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और हमारे सदन के अध्यक्ष श्री एम.कानून मंत्री जी ने मुझे विस्तार से उत्तर देने की कृपा की।

माननीय कानून मंत्री जी ने कहा था कि आंध्र प्रदेश सरकार और सामान्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। वे जवाब नहीं दे रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. दो दिन पहले हमने कानून मंत्री जी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वह आगे कुछ नहीं कर सकते। … *(व्यवधान)*

श्री एम.वेंकैया नायडू:आपने अपनी बात रखी है। मंत्री जी पहले ही इस मामले की जांच कर चुके हैं। आपको कानून मंत्री जी का पत्र भी मिल गया है। हमें मुद्दे को जटिल नहीं करना चाहिए। हम निश्चित रूप से इसे हल करने की कोशिश करेंगे। आइए हम इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करें।

माननीय अध्यक्ष : अब, यह खत्म हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष: अन्य विषय पर एक और सूचना है। प्रश्नकाल और स्थगन प्रस्ताव के स्थगन के लिये सूचनाएं प्रो. सौगात राय द्वारा दी गई हैं। निस्संदेह,श्री दीपेन्द्र हुड्डा और श्री के.सी.वेणुगोपाल द्वारा भी नोटिस दिए गए थे।

…*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कृपया मेरी बात सुनें।

…*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। नहीं,सब कुछ नहीं बोलेंगे।

श्री गुथा सुकेन्द्र रेड्डी (नलगोन्डा):मैडम,मैं श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी के साथ जुड़ रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

लेकिन श्री दीपेन्द्र हुड्डा और श्री के.सी.वेणुगोपाल के नोटिस समय-सीमा के भीतर भेज दिए गए हैं। फिर भी, मैं आप में से किसी को प्रो. सौगत राय के कुछ कहने के बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

<u>पूर्वाह्न अपराह्न 11.05 बजे।</u>

<u>सदस्यों द्वारा निवेदन-जारी</u>

(दो) जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा उस राज्य के विधानसभा चुनावों के संचालन के बारे में दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मांगने के बारे में

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया,मुझे अनुमति देने के लिये धन्यवाद।

मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य से उत्पन्न मामले पर स्थगन प्रस्ताव के लिये नोटिस दिया था। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री।

माननीय अध्यक्ष: मैं आपके स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूँ।

प्रो. सौगत राय: जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के बयान पर,जिसमें उन्होंने कल जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनावों के दौरान बनाए गए अनुकूल वातावरण के लिये पाकिस्तान,आतंकवादियों और हुर्रियत को धन्यवाद दिया था। गृह मंत्री जी यह स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त थे कि भारत सरकार जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्त किये गए विचारों से सहमत नहीं थी। लेकिन जहां उनका मतभेद था,गृह मंत्री जी ने उल्लेख किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की थी और प्रधानमंत्री ने उन्हें सूचित किया था कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने उन्हें पाकिस्तान के बारे में इन विचारों के बारे में नहीं बताया था। गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि चुनाव के लिये अनुकूल माहौल सशस्त्र बलों द्वारा,चुनाव आयोग द्वारा और जम्मू और कश्मीर के लोगों द्वारा बनाया गया था। स्पष्ट रूप से,माननीय सदस्य का वक्तव्य। मंत्री जी जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ भिन्नता में हैं। इसके सामने हम गृह मंत्री जी के विचारों को स्वीकार करेंगे और ऐसा लगता है कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री सच नहीं कह रहे हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि... *(व्यवधान)*

मैं एक संक्षिप्त निवेदन श्री जावड़ेकर कर रहा हूँ,आप अब मंत्री हैं। महोदया,मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को पुरःस्थापित करें। प्रधानमंत्री जम्मू और कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री,जो एक सीमा और संवेदनशील राज्य है,और सभी के लिये एक बार राज्य से आने वाले ऐसे संवेदनशील मुद्दे के बारे में हवा साफ करें कि क्या उनके विचारों का प्रधानमंत्री द्वारा समर्थन किया जाता है या क्या प्रधानमंत्री को निर्णय लेने से पहले जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के विचारों से अवगत कराया गया था।

महोदया, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

माननीय अध्यक्षः श्री दीपेन्द्र हुड्डा, मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूँ, लेकिन आपके नोटिस की समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

[हिन्दी]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदया, कल माननीय गृह मंत्री जी का बहुत ही संवेदनशील बयान पर वक्तव्य आया। जैसा कि अभी सौगत जी ने बताया कि उसमें एक कोन्ट्राडिक्शन आयी और जम्मू-कश्मीर के नवनिवारचित मुख्यमंत्री ने कल शाम को भी यह कहा कि वह अपने बयान पर कायम है, जिस बयान में जम्मू-कश्मीर के चुनाव के लिये पाकिस्तान मिलिटेंट्स और हुर्रियत की भूमिका का सराहा गया था। वे अपनी उस स्टेटमेंट पर कायम हैं। हिन्दुस्तान के एक राज्य के मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की, हुर्रियत की और मिलिटेंट्स की भूमिका चुनाव कराने में अच्छी रही है। जिस चुनाव को जम्मू-कश्मीर की जनता ने इतनी बहादुरी से प्रजातंत्र का साथ देते हुए सम्पन्न कराया, उसका श्रेय पाकिस्तान को दिया जा रहा है। उसके बाद एक कोन्ट्राडिक्शन है कि वह कह रहे हैं कि यह बात उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कही, जबकि गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री जी को इसका ज्ञान नहीं था। इसके अलावा अफ़ज़ल गुरू का स्मारक बनाने की बात चल रही है। जम्मू-कश्मीर में यह कैसी सरकार आयी है?

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि केवल उनके बयान से दूरी बनाने से नहीं चलेगा और जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारा इस बयान से कोई वास्ता नहीं है। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना स्टैंड भी इस पर ठीक है। ...*(व्यवधान)* मगर केवल दूरी बनाने से काम नहीं चलेगा। इस पर निन्दा प्रस्ताव आना चाहिए। हमारे देश की संसद को इस पर निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए। हमारे देश का कोई मुख्य मंत्री पाकिस्तान की सराहना करें, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी सरकार इस पर निंदा प्रस्ताव पास करें और अपने मुख्य मंत्री, क्योंकि इनकी अब गठबंधन की सरकार है, अपने मुख्य मंत्री जी के वक्तव्यों पर सरकार लगाम लगाने का काम करें, नियंत्रण लगाने का काम करें, ऐसी मांग हम अपनी सरकार से करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : यह कोई डिसकशन नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया। जवाब दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

(डा.वक्ताः मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि मैं किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। मैं किसी और को बोलने नहीं दूंगा।

… *(व्यवधान)*

श्री पी.करुणाकरन (कासरगोड):मैडम, मैं भी विचारों को साझा करता हूँ...

माननीय अध्यक्ष महोदया: यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान) ... *

माननीय अध्यक्ष (लोकसभा): यह तरीका नहीं है।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष **:** आप रूल नहीं करेंगे।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा):हम प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं? प्रधानमंत्री आकर जवाब क्यों नहीं दे सकते? … *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदय: गृह मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

… *(व्यवधान)*

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, जब कल जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री जी के स्टेटमेंट का सवाल यहां पर खड़ा किया गया था, ...*(व्यवधान)* उस समय भी केन्द्रीय सरकार का क्या व्यू-प्वाइंट है, उसे मैंने पूरी तरह से क्लिअर कर दिया था।...*(व्यवधान)* मैंने कल स्पष्ट किया था कि हमारी सरकार और हमारा दल दोनों जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री जी के इस स्टेटमेंट से अपने को पूरी तरह से डिसएसोशिएट करते हैं।...*(व्यवधान)* हम डिसएसोशिएट करते हैं, कल मैंने इसको स्पष्ट कर दिया था और किसी ने, न तो हमारे दल और न हमारी सरकार द्वारा उनके स्टेटमेंट का स्वागत किया गया था। ...*(व्यवधान)* ये चीजें पूरी तरह से क्लेरिफाइ हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि पुन: इस मुद्दे को उठाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष **:** नहीं, मैं सबको एलाउ नहीं करूंगी। मुझे खेद है। खड़गे जी, उत्तर दे दिया गया है।

... *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, हमने कल भी यहां पर विनती की थी ...*(व्यवधान)* गृह मंत्री जी का बयान आने के बाद हम यही चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी यहां आकर स्टेटमेंट दें जिससे सारे देश को यह मालूम होगा कि सरकार की इच्छा क्या है और वह किस ढंग से इसको कंडैम करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : वह देश के गृह मंत्री जी हैं और सदन के नेता भी हैं।

... *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्ष जी, नये-नये इश्यूज आ रहें हैं। ...*(व्यवधान)* प्राइम मिनिस्टर साहब आकर यदि स्टेटमेंट दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ...*(व्यवधान)* क्या आकाश गिर जाएगा? ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मगर वह गृह मंत्री भी हैं और सदन के नेता भी हैं। क्या उनकी हैसियत कुछ नहीं है?

... *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्ष जी, देखिए, हम उनके स्टेटमेंट के ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* हम यही चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी यहां आकर यह कहें कि हम इसकी निन्दा करते हैं या एक रिजोल्यूशन लाइए। ...*(व्यवधान)* अगर वह नहीं लाते हैं तो आप भी एक रिजोल्यूशन लाइए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया है।

... *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न11.12 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

(**प्रश्न संख्या**101)

[हिन्दी]

श्री ए.टी.नाना पाटील: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.13 बजे।

इस समय श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री भगवंत मान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ए.टी.नाना पाटील : माननीय अध्यक्ष जी, इसलिये विभिन्न राज्यों की मांगों के अनुरूप इन सुविधाओं की उपलब्धता को और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)* मैं जिस महाराष्ट्र राज्य से आता हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ...*(व्यवधान)* मेरे जलगांव ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य कबड्डी और कुश्ती जैसे बहुत सारे खेलों में हमेशा अग्रणी रहा है।...*(व्यवधान)* मैं भी इस खेल का एक खिलाड़ी रह

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

चुका हूँ परंतु जलगांव जैसे अनेक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेल केवल मनोरंजन की सुविधा है और इसमें बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। ...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि नयी राजीव गांधी खेल अभियान योजना बनाई गई है।...*(व्यवधान)* उस खेल योजना के अंदर पंचायत, युवा और खेल अभियान का नया रूप क्या है और उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं तथा यह पुरानी योजना से किस प्रकार से भिन्न है; इसके बारे में माननीय मंत्री जी अपना जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सर्बानंद सोनोवाल:माननीय अध्यक्ष महोदया,पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान का उद्देश्य पंचायत के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर खेल अवसंरचना का निर्माण करना और मास्टर ट्रेनर की सेवाओं को रु 1,000 और क्रीड़ा श्रीस रु.ब्लॉक स्तर पर पंचायत द्वारा प्रति माह 500 … *(व्यवधान)* यह पिक्का योजना का उद्देश्य था। लेकिन फिर इसे राजीव गांधी खेल अभियान योजना ने बदल दिया। आरजीके के तहत हमारा मुख्य उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर खेल अवसंरचना का निर्माण करना है। जब योजना शुरू की गई थी तो देश में ब्लॉकों की कुल संख्या 6,545 थी और चरणबद्ध तरीके से योजना को पूरा करने का लक्ष्य था। नियमित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की सेवाएं इस योजना के तहत लगी हुई हैं - रु.पर एक मास्टर ट्रेनर। 3,500 प्रति माह और दो खेल प्रशिक्षक रु.2,500 उनके नियमित वेतन के अलावा। यही उद्देश्य था। … *(व्यवधान)*

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और हमारे सदन के अध्यक्ष श्री एम.संसद सदस्य ने पूछा कि महाराष्ट्र राज्य में इस विशेष योजना को कैसे लागू किया जा सकता है। इस संबंध में,मैं उन्हें सूचित करना चाहूँगा कि यह विशेष योजना तब लागू की जाएगी जब हमें संबंधित राज्य सरकार से प्रस्ताव मिलेगा,और उनके प्रस्ताव में उन्हें भूमि के एक उपयुक्त भूखंड की पहचान करनी होगी ताकि हमारी योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सके। … *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ए.टी. नाना पाटील : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राजीव गांधी खेल अभियान के माध्यम से जो फंडिंग होने वाली है, उस फंडिंग का पैटर्न क्या है, उस फंडिंग के अंदर केन्द्र तथा राज्य सरकारों की भागीदारी रहेगी और महाराष्ट्र विशेषकर जलगांव क्षेत्र के लिये इस योजना के तहत क्या कोई रोडमैप तैयार किया गया है तथा जलगांव संसदीय क्षेत्र सहित पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के लिये इस योजना के कार्यान्वयन एवं लागू करने का विवरण क्या है? … *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: अध्यक्ष महोदया, मैं सभा को आरजीकेए के वित्तपोषण पद्धति से अवगत कराना चाहता हूँ। मेरे मंत्रालय से हम लियेरुपये लियेलिये देते हैं। एक इनडोर हॉल के निर्माण के लिए 80 लाख रुपये। 15 लाख मूल्य के खेल उपकरण,रु। वित्त के लिए 1.5 लाख,और रु। 3,500 और रु.2,500 उनके नियमित वेतन के अलावा प्रति माह एक मास्टर और दो स्पोर्ट्स ट्रेनर के लिए। … *(व्यवधान)*

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और हमारे सदन के अध्यक्ष श्री एम.सदस्य जलगांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मैं उन्हें सूचित करना चाहूँगा कि निकट भविष्य में यदि हमें महाराष्ट्र की राज्य सरकार से पर्याप्त जानकारी के साथ एक प्रस्ताव प्राप्त होता है,तो निश्चित रूप से मेरा मंत्रालय इसे हमारी चिंता के विषय के रूप में लेगा। … *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीस मिनट तक के लिये स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीस मिनट *तक के लिये स्थगित हुई।*

<u>पूर्वाह्न 11.30 बजे।</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष: श्री जी. हरि, आप जारी रख सकते हैं। … *(व्यवधान)*

<u>पूर्वाह्न 11.31 बजे</u>

इस चरण में,श्री के.एच.मुनियप्पा,श्री सुब्रत बख्शी और कुछ अन्य माननीय सदस्य हैं। सदस्य टेबल के पास फर्श पर आकर खड़े हो गए।

माननीय उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न ग्यारह बजकर पैंतालीस मिनटस्थगित होती है 11.45घंटे।

<u>पूर्वाह्न 11.32 बजे</u>

लोक सभा पुनः पूर्वाह्न ग्यारह बजकर पैंतालीस मिनट तक के लिये स्थगित हुई

<u>पूर्वाह्न 11.45 बजे।</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर पैंतालीस मिनट पर पुनः समवेत हुई

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए)*

<u>सदस्यों द्वारा निवेदन --जारी</u>

(दो**)** जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा उस राज्य के विधानसभा चुनावों के संचालन के बारे में दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मांगने के बारे में

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री, **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री** (**श्री एम**. **वैंकैय्या नायडू**) **:** महोदया, जो चर्चा हुई, उस परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

गृह मंत्री (**श्री राजनाथ सिंह**) **:** महोदया, जम्मू-कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उस सम्बन्ध में इस संसद में कई हमारे सम्मानित सदस्यों के द्वारा प्रश्न खड़े किये गए और उस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है। मैं कल ही यह स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमारा दल और हमारी सरकार पूरी तरह से जम्मू-कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट से अपने आपको डिस्सोशिएट करती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : इस प्रकार के स्टेटमेंट का स्वागत करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। मैंने यह भी स्पष्ट किया था कि जम्मू-कश्मीर में जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न हुए हैं, उसका श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो इलेक्शन कमीशन को उसका श्रेय देना चाहिए, हमारे देश की सेना को इसका श्रेय मिलना चाहिए, हमारे देश की पैरा-मिलिट्री फोर्सेज को इसका श्रेय मिलना चाहिए और जम्मू-कश्मीर की जनता को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी इस बात से पूरा का पूरा सदन सहमत होगा। जम्मू-कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को इन्डॉर्र्स करने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई.अहमद (मल्लपुरम):जम्मू और कश्मीर हमारे देश का एक अपरिहार्य हिस्सा है। हम सभी लोकतंत्र को बनाए रखने के लिये राज्य के लोगों का समर्थन और सलाम करते हैं। हम इसका श्रेय किसी को नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को देते हैं। … *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : पूरे सदन ने जो बात कही है, सदन की और आप सबकी भी वही इच्छा है, आप सभी ने भी वही मंशा प्रकट की है और माननीय गृह मंत्री जी भी उसी बात को कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम.वेंकैया नायडू:यह घर की भावना है। चलिये आगे बढ़ते हैं। … *(व्यवधान)*

___

पूर्वाह्न 11.48 बजे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर. . .जारी

(प्रश्न संख्या 101)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रो. के.वी. थॉमस जी। क्वेश्चन नम्बर 101, एक्चुअली मैं आगे जा रही थी।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री जी. हरी खड़े थे। मैं उसके बाद आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.हरि: धन्यवाद,माननीय। वक्ता,मैडम। ... *(व्यवधान)*

स्मार्ट शहरों में खेल अवसंरचना का निर्माण एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मैंने श्री जी. हरी को बुलाया है। आप खड़े क्यों हो रहे हैं? प्रथम, मैंने श्री जी. हरी को अनुमति दी है, आपको नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.हरि: धन्यवाद,माननीय। वक्ता,मैडम। स्मार्ट शहरों में खेल अवसंरचना का निर्माण एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे और उपकरणों सहित हर चीज की कमी है। सरकार के बाद देश में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है,लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम खेलों में अपनी युवा प्रतिभा का दोहन नहीं कर पा रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार ने हमारे नेता पुराची थलाइवी अम्मा के मार्गदर्शन में खेलों को बढ़ावा देने के लिये सबसे आगे रही

है और यहां तक कि खिलाड़ियों को उपयुक्त रूप से सम्मानित भी किया जाता है। इसलिये,मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिये तत्काल कार्रवाई की जाए। क्या सरकार की राज्य सरकारों को अनुदान देकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना प्रदान करने की कोई योजना है?

श्री सर्बानंद सोनोवाल:आदरणीय वक्ता महोदया,मैं माननीय वित्त मंत्री जी को अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं सदस्य को यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास राजीव गांधी खेल अभियान नामक एक योजना है जिससे न केवल खेल परिसर विकसित किये जा सकें बल्कि देश में रहने वाले लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता भी पैदा हो सके। इस विशेष योजना के तहत यदि हमें तमिलनाडु की संबंधित राज्य सरकार से तकनीकी रूप से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होता है,तो मेरे मंत्रालय को इस संबंध में पूर्ण सहयोग देने में निश्चित रूप से खुशी होगी।

प्रो. के.वी.थोमस: मैडम,हाल ही में केरल में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। (डा.संसदीय कार्य मंत्री और माननीय मंत्री। इस मौके पर खेल मंत्री भी मौजूद थे। मंत्री जी मंत्री जी लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च करके केरल ने ग्रीन-फील्ड स्टेडियम, शूटिंग रेंज बनाए हैं और आधुनिक उपकरण भी खरीदे हैं। अब महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जो बनाया गया है उसे बनाए रखना है। केरल सरकार ने मुख्यमंत्री श्री ओमेन चांडी के नेतृत्व में कुछ प्रतिनिधित्व दिया है कि केरल को पर्याप्त रूप से मदद की जानी चाहिए क्योंकि यह अकेले इसकी रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिये,जो बनाया गया है,उसके रखरखाव के लिये भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए।

श्री सर्बानंद सोनोवाल:मैं माननीय वित्त मंत्री जी को सूचित करना चाहता हूँ कि इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है और इसे पारित कर दिया गया है। सदस्यगण,केरल की राज्य सरकार से हमें जो भी प्रस्ताव मिले हैं,हम उन पर जरूर गौर करेंगे। आपकी जानकारी के लिये,राष्ट्रीय खेलों के दौरान निर्मित स्टेडियम को बनाए रखना राज्य सरकार का एकमात्र कर्तव्य है। उन्हें कुछ उपयोग की विरासत विकसित करनी चाहिए। एक बार कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद,राज्य सरकार के पास इसे बनाए रखने और इसका सही उपयोग करने की

नीति होनी चाहिए। इस संबंध में,मुझे विनम्र निवेदन करना है। यदि कुछ प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं और उनका मार्गदर्शन मांगा जाता है,तो निश्चित रूप से वे इस संबंध में बहुत मददगार होंगे।

[हिन्दी]

प्रो.ए.एस.आर. नायक: अध्यक्ष जी, आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप माइक का बटन प्रैस कीजिए।

प्रो.ए.एस.आर.नायक : महोदया, मैंने माइक ऑन किया है, लेकिन मेरी टर्न आते ही कोई प्राब्लम हो जाती है।

माननीय अध्यक्ष : आप चिंता मत कीजिए।

आप प्रश्न पूछिए, बहुत समय हो गया है।

प्रो.ए.एस.आर. नायक: महोदया, जितने भी ग्रामीण आदिवासी मंडल और तहसील क्षेत्र हैं, वहां के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। वे तभी खेलते हैं जब उनके लिये कोई स्पोंसर करता है। वहां अब तक कोई मिनी स्टेडियम नहीं बना है। उन बच्चों का टेलेंट देश के काम आ सकता है, लेकिन उनके लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों में,स्कूलों और अन्य युवा केंद्रों में,यह माना जाता है कि ग्रामीण खेलों,खेल और ऐसी अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा का दोहन करने के लिये कोई प्रभावी नीति या योजना है।

श्री सर्बानंद सोनोवाल:आदरणीय वक्ता महोदया,पिछड़े क्षेत्रों में और विशेष रूप से देश में *आदिवासी* निवास क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिये,हमारी एक योजना है जिसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र विकास निधि कहा जाता है। हम उन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और खेल परिसरों के लिये जगह बनाते रहे हैं। हमने देश में बहुत से जिलों की पहचान की है और उसी के तदनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भी समर्थन दिया जाता है। हम इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्रीय सरकार की आर.जी.के.ए. स्कीम के तहत देश के प्रत्येक विकास खण्ड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना है, जिसके लिये धन मनरेगा, बी.आर.जी.एफ., एल.डब्ल्यू.ई. तथा एन.एल.सी.पी. आर. द्वारा उपलब्ध कराया जाना था। परन्तु, अभी किसी भी एजेंसी द्वारा फण्ड उपलब्ध न कराए जाने के कारण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में उक्त योजना को पूरा करने हेतु क्या सरकार धन की अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कराएगी या पूर्व निधाररित एजेंसियों से ही धन उपलब्ध कराएगी? दोनों परिस्थितियों में कैसे व कब तक धन उपलब्ध कराकर काम को पूरा कराया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: आदरणीय वक्ता महोदया,जहां तक आरजीके के कार्यान्वयन का संबंध है,जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। सदस्य,यह पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, योजना आयोग और एन.एल.सी.पी.आर. (केंद्रीय) के परामर्श से किया जाता है। इन विभागों की मदद से हम राजीव गांधी खेल अभियान नामक परियोजना को लागू करते हैं।

इस संबंध में,मैं सभी माननीयों सदस्यों के समक्ष एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। घर के सदस्य। यदि राजीव गांधी खेल अभियान योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जाना है,तो संबंधित राज्य सरकार और डीएम स्तर के अधिकारियों,मुख्य सचिव,आयुक्त (खेल) और जिला खेल अधिकारियों को अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए आगे आना चाहिए। लिये

इस संबंध में,मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्थानीय डीएम और मुख्य सचिव के साथ इस मामले को उठाएं और आगे बढ़ाएं ताकि धन का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। इस मामले को सही समय पर और सही स्थान पर उठाया जाना चाहिए ताकि इस योजना को लागू किया जा सके। हमने इनडोर हॉल के निर्माण के लिये 80 लाख रुपये, उपकरणों के लिये 15 लाख रुपये और फर्नीचर के लिये 1.5 लाख रुपये

आबंटित किये हैं। इसलिये, हमारे मंत्रालय में यह सीमा है। सामान्य श्रेणी के राज्यों को 25 प्रतिशत हिस्सा देना होगा,पिछड़े राज्यों को 10 प्रतिशत हिस्सा देना होगा और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मामले में,एनएलसीपीआर के तहत,यह मुफ्त है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बहुत सारे सदस्य इस विषय पर प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। मैं मानती हूँ कि सबकी चिंता ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों की सुविधा देने की है। माननीय मंत्री जी, आप सभी स्टेट्स के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स को बुला कर इस पर चिंता कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सर्बानंद सोनोवाल:मैडम,क्या मैं सभा को सूचित कर सकता हूँ कि हम 20 और 21 मार्च,2015 को खेल मंत्रियों का सम्मेलन करने जा रहे हैं,ताकि उनके सुझाव प्राप्त कर सकें और उनके सामने आने वाली समस्याओं को भी जान सकें?

माननीय अध्यक्ष : बहुत अच्छा।

(प्रश्न संख्या 102)

[अनुवाद]

श्री एम.बी.राजेश:महोदया,माननीय सदस्य द्वारा दिया गया उत्तर। मंत्री ने राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत आठ राष्ट्रीय योजनाओं के वित्तपोषण,खर्च और कार्यान्वयन की खराब स्थिति को उजागर किया है। मंत्री जी पिछले चार वर्षों में,इन आठ राष्ट्रीय मिशनों के तहत केवल 7 प्रतिशत से कम धन खर्च किया गया है और दो मिशनों ने कुछ भी खर्च नहीं किया है।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे।</u>

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि देश भर के बहु-राज्य सहकारी बैंकों के पंजीकरण की अनुमति चाहता हूँ। जाँन ब्रिटास:मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि कैसे सरकार विकसित देशों से धन और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ-साथ प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने जा रही है।हूँ

श्री प्रकाश जावडेकर:माननीय सदस्य द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। सदस्य। यह एक तथ्य है कि पिछले चार वर्षों में,सभी मिशनों से जो प्रगति की अपेक्षा थी वह नहीं हुई है। पिछले नौ महीनों में हमने प्रगति की समीक्षा की है और इसे गति दी है। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद ने भी इसकी समीक्षा की। हमने छह और नई पहलें जोड़ी हैं,अर्थात्, ग्रीनहाउस गैस शमन,नवीकरणीय आपदा प्रबंधन,तटीय क्षेत्र की सुरक्षा,स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण। सभी 14 पहलों में - 8 मिशनों और 6 पहलों - को फास्ट ट्रैक पर रखा गया है।

निष्पक्षता के लिए, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि 36,625करोड़ रुपये की इस योजना के लिए ईएफसी सिर्फ दो महीने पहले ही हुआ है। efc प्रदान किया गया है और यह अब गति बढ़ाएगा और इसे फास्ट ट्रैक पर भी रखा गया है।हूँहूँलिये मैं आपको यह भी सूचित कर सकता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम उत्सर्जन अंतर प्रतिवेदन लेकर आया है। क्योटो प्रोटोकॉल में हमें कार्रवाई करने के लिये

बाध्य नहीं किया गया था लेकिन हम अपने दम पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन कार्यों की सराहना की गई है और प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा है।

श्री एम.बी. राजेश: माननीय मंत्री जी ने बताया कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार हमें एकतरफा कार्रवाई करने का आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी हमने एकतरफा कार्रवाई की। क्या यह विकसित और विकासशील देशों के बीच सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों की हमारी स्थिति से विचलन नहीं है?

श्री प्रकाश जावडेकर: नहीं, ऐसा नहीं है। वैचारिक स्तर पर हमने हमेशा यह कहा है कि हमारी एक सामान्य लेकिन अलग जिम्मेदारी है। कार्बन स्पेस पर कब्जा करने वाली विकसित दुनिया को पहले और आक्रामक रूप से अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यह सही है कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है। हर राष्ट्र को कार्रवाई करनी होगी। हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस मंत्रालय को पहले पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम दिया गया था,उसका नाम बदलकर अब पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। विश्व मंच पर,गुजरात के अनुभव पर अपने बारह वर्षों के हाथों के साथ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, अर्थात् 'सुविधाजनक कार्रवाई के लिए रोड मैप'। इसलिए,हम इसे अपनी प्रतिबद्धता पर कर रहे हैं - सौर ऊर्जा का एक लाख मेगावाट; 60,000 मेगावाट पवन ऊर्जा,10,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा,5,000 मेगावाट जल ऊर्जा और 15,000 मेगावाट बायोमास ऊर्जा। ये अपनी पहलें हैं। हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि माननीय सदस्य श्री के.प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हमारे यहां जलवायु परिवर्तन का दबाव है और आने वाली पीढ़ियों का दबाव है। लियेलिये

---

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 103 से 120
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.03 बजे।</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष महोदया: अब, सदन की पटल पर कागजात रखे जाने हैं।

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर):मैडम,मैं भीख मांगता हूं टेबल पर बिछाने के लिए:-

(1) (एक) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1849/16/15]

(3) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 40 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 3232(अ) जो 18 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो खाद्य और कृषि के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पादप जीनिशिय संसाधन संधि जिसका अभिकल्प कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा तैयार किया गया है, के अपबंध 1 में सूचीबद्ध फसलों की प्राप्ति से छूट प्रदान किये जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1850/16/15]

(4) जैव विवधता अधिनियम,2002 की धारा 62 की उपधारा (2) के अंतर्गत जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान प्राप्ति तथा प्रसुविधा साझा विनियम, 2014 संबंधी दिशानिर्देश जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 827 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1851/16/15]

(5) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की धारा 38ठ की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2721(अअ) जो 20 अक्तूबर,2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1852/16/15]

(6) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 12-7/2010/एनटीसीए जो 15 जुलाई,2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बाघ आरक्षित के बफर और प्रमुख क्षेत्र में बाघ संरक्षण के प्रयोजनार्थ अनुपालन किये जाने वाले मार्ग निर्देश जारी किये जाने और और बाघ आरक्षितियों में पर्यटन क्रियाकलापों के लिये प्रतिमान्यजन्य मानक निर्धारित किये जाने के बारे में है,की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1853/16/15]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 2014 जो 23 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 3254(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 298(अ) जो 31 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ.3058(अ) में कतिपय संशोधन किये गए हैं।

(तीन) का.आ.299(अ) जो 31 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1909 (अ) में कतिपय संशोधन किये गए हैं।

(चार) का.आ. 301(अ) जो 31 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1535 (अ) में कतिपय संशोधन किये गए हैं।

(पांच) का.आ.306(अ) जो 31 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ.2592 (अ) में कतिपय संशोधन किये गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1854/16/15]

[हिन्दी]

(2) (एक) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1855/16/15]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू):मैडम,मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014, के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेज़ी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1856/16/15]

(3) संघ सरकार के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रसार और विकास तथा इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये तथा वर्ष 2013-2014 के लिये इसके कार्यान्वियन हेतु कार्यक्रम के बारे में 45वां वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1857/16/15]

(4) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(i) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, वेटेरीनरी कैडर, (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम,2014 जो 2 दिसम्बर,2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 860 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर मैकेनिक कैडर, समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम,2014 जो 15 दिसम्बर,2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 893 (अई) में प्रकाशित हुए थे

(iii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल,असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर) और हेड कांस्टेबल (कम्बैटाइज्ड मिनिस्टीरियल),समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम,2015 जो 23 जनवरी,2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यासा.का.नि.50(अई) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1858/16/15]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं श्री कृष्ण पाल जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1859/16/15]

[हिन्दी]

(3) (एक) महात्मा गाँधी सेवा संघ, परभनी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी सेवा संघ, परभनी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1860/16/15]

(5) (एक) इंडियन स्पाइनल इंज्यूरिज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्पाइनल इंज्यूरिज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1861/16/15]

(7) (एक) रीजनल रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेंटर, राउरकेला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेंटर, राउरकेला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1862/16/15]

[हिन्दी]

(9) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1863/16/15]

(11) (एक) भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1864/16/15]

(13) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1865/16/15]

(15) (एक) राष्ट्रीय सेवा समिति, चित्तूर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सेवा समिति, चित्तूर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1866/16/15]

(17) (एक) सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेस एण्ड रिसर्च, भद्रक के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेस एण्ड रिसर्च, भद्रक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1867/16/15]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान):मैडम,मैं सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड,कावरत्ती के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड,कावरत्ती का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन,लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1868/16/15]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): महोदया, मैं श्री रावसाहेब दानवे पाटील की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1869/16/15]

(2) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (अभिकर्ताओं अथवा प्रतिनिधियों या आधिवक्ता से इतर व्यक्तियों या स्वैच्छिक संगठनों को उपभोक्ता फोरम के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दिए जाने को विनियमित किये जाने की प्रक्रिया) विनियम, 2014 जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 89(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1870/16/15]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) नागरिक अधिकार संरक्षण (पी.सी.आर.) अधिनियम, 1955 की धारा 15क(4) के अंतर्गत वर्ष 2013 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1871/16/15]

(3) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21(4) के अंतर्गत वर्ष 2013 के लिये प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1872/16/15]

<u>अपराह्न अपराह्न 12.05 बजे</u>

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

6वां प्रतिवेदन

डॉ. एम.त**म्बि**दुरै (करूर):मैं निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

<u>अपराह्न</u> <u>अपराह्न 12.06 बजे।</u>

नियम समिति

पहलावां प्रतिवेदन

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य - संचालन नियम के नियम 331के उपनियम (1) के अन्तर्गत नियम समिति की प्रथम प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

<u>अपराह्न पूर्वाह्न 12.06 ½ बजे</u>

<u>मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>

गृह मंत्रालय से संबंधित देश में आपदा प्रबंधन पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति की 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू):मैं गृह मंत्रालय से संबंधित देश में आपदा प्रबंधन पर गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति की 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

<u>अपराह्न अपराह्न 12.06 3⁄4 बजे</u>

<u>अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल),2014-15</u>

रेल मंत्री (श्री सुरेश प्रभु):मैं 2014-15 के लिये बजट (रेलवे) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 1874/16/15]

[हिन्दी]
माननीय अध्यक्ष : हम आइटम नम्बर - 13 और 14 एक बजे ले लेंगे, क्योंकि, मंत्री जी राज्य सभा में हैं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 1873/16/14।

<u>अपराह्न अपराह्न 12.07 बजे।</u>

गोदाम निगम (संशोधन) विधेयक,2015 *

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

> "कि भण्डारण निगम अधिनियम,1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूँ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, धारा- 2, दिनांक 03.03.2015 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

नियम 377के अधीन मामले*

माननीय अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सदन के पटल पर रखा गया। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और वे इसे सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के अंदर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा के पटल पर सौंप सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जो निर्धारित समय के भीतर लिखित रूप में पटल पर प्राप्त होंगे। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) झारखंड में डाल्टेनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन किये जाने और इसको आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन किये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : झारखण्ड राज्य के पलामू जिला के डाल्टेनगंज रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन घोषित किया गया है परंतु स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं का नितान्त अभाव है। उदाहरण के तौर पर यात्रियों को बैठने के लिये न कोई बैंच है और न ही कुर्सियां हैं। पंखे खराब पड़े हुए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के टिकट कटाने के लिये कोई अलग खिड़की (काउंटर) नहीं है। इसी प्रकार शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये न रैम्प बना हुआ है न ही उनको टिकट कटाने के लिये कोई अलग सुविधा प्रदान की गयी है।

इतना ही नहीं झारखण्ड सरकार ने पलामू जिला मुख्यालय का नाम डाल्टेनगंज से बदल कर मेदिनी नगर कर दिया है परंतु रेलवे स्टेशन का नाम डाल्टेनगंज बना हुआ है।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि डाल्टेनगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलकर मेदिनी नगर कर दिया जाए तथा इसे 'मॉडल स्टेशन' बना दिया जाए।

---

* सभा पटल पर रखे माने गए

(दो) भारत में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध अप्रवासन को रोकने के लिये कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री आनिल शिरोले **(पुणे) :** लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिए बिना किसी रूकावट के सीमा पार कर भारत में रहने के लिये आते हैं। इसलिये भारत के सीमा क्षेत्रों में उनकी संख्या अधिक है। असम में ढाई लाख बोडो लोगों पर देशद्रोही शक्तियों ने आक्रमण कर उन्हें पूर्णतः दूर किया है और अब वे अत्यंत दयनीय स्थिति में निवारसित जीवन जी रहे हैं। असम के बोडो लोगों पर बांग्लादेशी घुसपैठिए और स्थानीय देश विरोधी संगठन निरन्तर आक्रमण कर उन्हें वहाँ से भगा रहे हैं। असम को भारत से अलग करने के धर्मान्धों के षडयंत्र का यह एक भाग है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या लगभग प्रत्येक राज्य में है। अतः भारत में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं, इसकी राज्यवार जानकारी मिलनी चाहिए।

इन घुसैपठियों को खोजकर उन्हें पुनः बांग्लादेश भेजना अत्यावश्यक होने पर भी भारत सरकार के पास ऐसा करने के लिये कोई ठोस नीति नहीं है। लाखों की संख्या में रहने वाले इन घुसपैठियों को पुनः बांग्लादेश भेजने के लिये भारत सरकार को व्यापक उपाय करने होंगे। इसके लिये अब तक कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को गत पाँच वर्ष में उनके देश भेजा गया, इसकी वार्षिक संख्या मिले।

गत पाँच वर्षों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढने के लिये कितना ध्यान दिया गया, उन पर चलाए जाने वाले अभियोगों पर कितना धन व्यय किया गया, इसकी प्रत्येक वर्ष की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। क्या सरकार ऐसे राष्ट्र विरोधी स्थानीय लोगों के विरूद्ध राष्ट्रद्रोह का अभियोग शीघ्रगति से न्यायालयों में चलाकर देश के साथ न्याय करेगी।

(तीन) सुपारी के आयात पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता।

कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उडुपी चिकमंगलूर): कम गुणवत्ता वाले सुपारी के आयात के कारण सुपारी की कीमत में कमी आई है। सुपारी के आयात पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने इसका न्यूनतम आयात मूल्य बढ़ाया था। हालांकि इस आदेश को लागू नहीं किया गया। उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये सुपारी के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना आवश्यक था।

सरकार को सुपारी उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में गोरख सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए,जो पीले पत्ते की बीमारी (पुराना) और फल की सड़न रोगों के कारण वित्तीय संकट में थे। समिति ने सरकार से सुपारी उत्पादकों को ऋण देने की सिफारिश की थी,जो वृक्षारोपण में कीट और फंगल संक्रमण के कारण वित्तीय संकट में थे। फलों की सड़न बीमारी के कारण उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है और इससे सुपारी की खेती को व्यापक नुकसान हुआ है।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि सभी संबंधित विभाग (वाणिज्य, स्वास्थ्य, राजस्व और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय करें (i) शुल्क मुक्त आयात से बचने के लिये सुपारी को वस्तुओं की प्रतिबंधित सूची में शामिल करें; (ii) सुपारी को आयातित वस्तुओं की नकारात्मक सूची में डालें और (iii) सीएफटीआरआई में आयातित खेप की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह मानव उपभोग के लिये उपयुक्त है - ताकि देश में सुपारी उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं को कम किया जा सके।

(चार) गुजरात के सूरत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर पिपोदरा,हजीरा,उम्मेल,धोरणा पारड़ी और चलथान पर ऊपरि पुलों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदोली): गुजरात में अहमदाबाद से मुम्बई को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर सूरत जिले में पीपोदरा क्रासिंग, हजीरा क्रासिंग, उम्मेल क्रासिंग, धोरणा पारड़ी क्रासिंग और चलथान क्रासिंग पर ओवर ब्रिज न होने के कारण अक्सर हो रही सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल का नुकसान हो रहा है और कई लोगों की जानें चली गई हैं। यहाँ पर लगातार ट्रेफिक जाम लगा रहता है जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों को भारी समस्या से जूझना पड़ता है।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त स्थलों पर जल्द से जल्द ओवर ब्रिज बनवाने की कृपा करें।

(पाँच) बिहार में बागमती के बाढ़ नियंत्रण हेतु नियत निधियों के वर्ष 2005 के दौरान कथित दुर्विनियोग की जांच किये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मेरे प्रदेश बिहार में बागमती नदी के बाढ़ नियंत्रण के नाम पर कई सौ करोड़ का घपला किया गया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान वर्ष 2005 में बना टेंडर के नॉमिनेशन/एम.ओ.यू. के आधार पर एक ऐसी कंपनी को बाढ़ नियंत्रण का काम दिया गया जिसे बाढ़ नियंत्रण का काम दिया गया जिसे बाढ़ नियंत्रण का कोई अनुभव या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एचएससीएल ने 19 दिसम्बर 2005 को जब संसाधन विभाग से सैंकड़ों करोड़ का काम लेकर चार दिन बाद एक कंपनी को काम दे दिया और अब तक बिना टेंडर के हज़ारों करोड़ रुपए निकासी करा लिये। मैं इस पूरे प्रकरण की जांच और श्वेत पत्र की मांग करती हूँ।

(छह) उत्तर प्रदेश के चन्दौली में उर्वरकों की शीघ्र ढुलाई हेतु राज्य के मुगलसराय में रेक प्वाइंट बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : मेरा संसदीय क्षेत्र चंदौली एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पर धान की बहुतायत खेती होती है तथा गेहूँ के साथ ही अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि उर्वरकों की उपलब्धता इन सभी फसलों के लिये अत्यावश्यक है लेकिन उर्वरक समय से तथा समुचित मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पाता है। इसके मुख्य कारणों में एक 'रेक प्वाइंट' बनारस में होना है और बनारस से चंदौली की तरफ जाने के लिये गंगा के ऊपर दो पुल हैं जिनमें एक पुराना मालवीय पुल है जिस पर ट्रकों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है और मात्र एक ही पुल राष्ट्रीय राजमार्ग-2 गंगा पर उपलब्ध है और इस पर भी लगातार जाम की समस्या बनी रहती है तथा 'नो एन्ट्री' की कठिनाइयों से हफ्तों-हफ्तों तक रैक उतरने के बाद भी उर्वरक की बोरियाँ चंदौली नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में किसानों को फसलों के लिये बहुत कठिनाई होती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मुगलसराय जो मुख्यालय भी है और चन्दौली के निकट भी है, यहाँ पर रैक प्वाइंट स्थापित किया जाए जिससे चंदौली के किसानों को ठीक प्रकार से खाद मिल सके साथ ही बनारस के किसानों को भी समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके, यह सुनिश्चित कराया जाए।

(सात) महाराष्ट्र में बीपीएल सूची की समीक्षा करने की आवश्यकता है

[हिन्दी]

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर) : 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में कुल अनुसूचित जाति की लोग संख्या 98,61,656 है जिनमें अनुसूचित जाति के कुल कुटुम्ब 20,60,443 हैं और इनमें से सिर्फ 10,12,000 कुटुम्ब जो करीब 49 प्रतिशत हैं, वे गरीबी रेखा के नीचे दर्शाये गए हैं। ये आंकड़ें सत्य से एकदम विपरीत हैं।

इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति के 51 प्रतिशत कुटुम्ब गरीबी रेखा से ऊपर सबल जीवन जी रहे हैं जो गलत हैं। 2011 की यह जनगणना ठीक से नहीं की गई और त्रुटियों से भरपूर है। असल में यह जनगणना बिना गाँवों में घूमे की गई है और वहाँ की यथार्थ स्थितियों से भिन्न है जो लोग सबल और आर्थिक दृष्टि से अच्छे हैं, उन्होंने भी अपना नाम बी.पी.एल. सूची में सम्मिलित करवा लिया है। वे करोड़ों रूपये की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं जो वाकई गरीबी रेखा से नीचे हैं, दयनीय जीवन जी रहे हैं, उन्हें सरकार योजनाओ से वंचित रखा गया है। बड़े अधिकारियों को भी सच्चाई ज्ञात है लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस बी.पी.एल. सूची को निरस्त किया जाए और ठीक जनगणना करके नई सूची तैयार की जाए ताकि जो परिवार गरीबी रेखा से वाकई नीचे हैं, उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जा सके।

(आठ) बिहार के भागलपुर के प्राचीन 'कर्णगढ़ किले' का पुरातात्विक खुदाई,उसके समुचित संरक्षण और रख-रखाव की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : बिहार के रेशमी शहर भागलपुर नगर स्थित चम्पानगर, नाथनगर जो इतिहास में 'चम्पा' अंगदेश की प्राचीन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ महाभारतकालीन अप्रतिम योद्धा कुन्ती पुत्र अंगराज दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध 'कर्णगढ़' का किला स्थित है। इसकी प्राचीनता के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार फ्रांसिस बुकानन एव चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा संस्मरणों में वर्णन किया है।

इसी कर्णगढ़ की पुरातात्विकता का सच टटोलने हेतु सन् 1970 में पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. बी.पी. सिन्हा की देखरेख में 'कर्णगढ़' के एक छोर पर आंशिक रूप से खुदाई की गयी, जिसमें कई महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए, किंतु बाद में अर्थाभाव के कारण खुदाई रोक दी गयी, जो दोबारा शुरू नहीं की गयी। खुदाई में मिले सुरक्षा मीनार के अवशेष, प्रवेश द्वारा, ठीक इससे सटे हथियार घर, अनेक प्राचीन सामग्रियाँ, बर्तन, चूड़ियाँ, टेराकोटा की बनी चिड़िया, पशुओं की आकृति तथा मानव मुखवाले नाग-नागिन की टेराकोटा मूर्तियाँ चम्पा सभ्यता की समृद्धि की कहानी कहती हैं। खुदाई का खास आकर्षण टेराकोटा और हाथी दाँत की बनी वे नारी प्रतिमाएँ हैं, जिनकी पहचान पुराविदों ने चम्पा की मातृदेवी के रूप में की है और जिसकी प्रामाणिक व्याख्या डॉ. रामचन्द्र प्रसाद ने अपनी शोध पुस्तक 'आर्कियोलॉजी ऑफ चम्पा एंड विक्रमशिला' में की है, जिसे आदि शत्ति का आदिरूप बताया गया है। अपने शीर्ष के चारों ओर अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित यही कल्पना बाद में देवी दुर्गा के आधुनिक अष्टभुजा रूप में साकार हुई।

विस्तृत और सम्पूर्ण खुदाई होती तो 'कर्णगढ़' के गर्भ से निश्चित तौर पर महाभारतकालीन सभ्यता के ध्वांसावशेष बाहर आ जाते और तब देश अपने अतीत पर गौरवान्वित होता और दुनिया विस्फारित नेत्रों से उस सच का देखने दौड़ पड़ती।

अतः केन्द्र सरकार इस ऐतिहासिक कर्णगढ़ की आविलम्ब सुध ले और सर्वेक्षण कराकर विस्तृत चतुर्दिक खुदाई का निर्देश ए.एस.आई. (आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया) को देकर विरासत संरक्षण का ठोस प्रबंध करें जिससे विश्वभर में इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में पुनः स्थापित किया जा सके। साथ ही दानवीर कर्ण की स्मृति में 'कर्णगढ़ पर एक लंबा कर्णस्तूप' जो देश-दुनिया के लिये अनूठा हो, स्थापित किया जाए। वहाँ वर्तमान सी.टी.एस. मैदान के सटे दक्षिणी छोर पर स्थित मैदान के शेष भाग को स्थानीय लोगों/पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के लिये 'कर्ण उद्यान' के रूप में तथा प्राचीन 'मनसकामना मन्दिर जो उसके निकट स्थित है, के बगल में शिवगंगा' का सौन्दर्यीकरण कर विकसित किया जाए।

(नौ) **मध्य प्रदेश के मंडला,डिडोरी,शिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों में ओला वृष्टि के कारण जिन पीड़ित किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, ऐसे पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता**

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) :, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्री जिला मंडला एवं मध्य प्रदेश के डिडोरी, शिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों में हुई भारी ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान की ओर दिलाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में अभी 9-10 तारीख को भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने ब्याज पर पैसा लेकर जो फसल उगाई, वह अब नष्ट हो गई है। किसान परिवारों के लिये बहुत कठिन समय है।

अतः मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि मध्य प्रदेश में केन्द्रीय समिति भेजकर किसानों को हुए नुकसान का सर्वे कराया जाए तथा किसानों के लिये शीघ्र सहायता धनराशि जारी की जाए।

(दस) देश के शुष्क और अर्ध-शुष्क भूमि क्षेत्रों में शुष्क कृषि में लगे किसानों के कल्याण के लिये विशेष कार्यक्रम और नीतियां बनाये जाने की आवश्यकता

श्री डी.के.सुरेश (बंगलौर ग्रामीण): भारत में शुष्क भूमि खेती पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। लगभग 85 मिलियन हेक्टेयर भूमि भारत में शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत आती है और कुल खाद्य उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देती है। लगातार वर्षों की कम बारिश के कारण,कई शुष्क भूमि के किसानों को उनकी आजीविका के लिये खतरा पैदा हो गया है। उत्पादकता में कमी से अन्नदाताओं की आय में कमी आई है,जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी और शहरों की ओर पलायन हुआ है। सूखी भूमि खेती से उपज में सुधार पर जोर देने के साथ कृषि उत्पादन में सुधार के लिये एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है। शुष्क भूमि, मृदा संरक्षण में नमी को संरक्षित करने और किसानों को बेहतर उपज प्राप्त करने में मदद करने के लिये गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करने के लिये नई प्रौद्योगिकियों और तंत्र को अपनाया जाना चाहिए। सरकारी नीतियों और प्रथाओं के माध्यम से सूखी भूमि खेती को फिर से विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। सरकार द्वारा वैज्ञानिक खोज के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किये जाने की आवश्यकता है। किसानों को खेती से पर्याप्त आय मिलना तो दूर,मजदूरों की मजदूरी का समर्थन करने के लिये उनकी उपज के लिये अभी बुनियादी मूल्य भी नहीं मिलते। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर गौर करें जो शुष्क भूमि खेती को बढ़ावा दे सकता है।

(ग्यारह) कोयम्बतूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विशेषकर मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हवाई सेवा संपर्क में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.नागराजन (कोयम्बटूर): औद्योगिक शहर और आसपास के शहरों जैसे इरोड, तिरूप्पुर, करूर, पोलाची, सलेम और ऊटी को विनिर्माण और निर्यात क्लस्टर मिले हैं जो हजारों करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा का योगदान देते हैं। मेक इन इंडिया' अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिये,2012 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कोयम्बटूर हवाई अड्डे को अधिक हवाई कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। जब हमारे देश ने आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया, तो हो सकता है कि पर्यवेक्षण द्वारा,कोयम्बटूर को उन 18 हवाई अड्डों की सूची में शामिल नहीं किया गया था, जिन्हें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों को जोड़ने वाले विमानों की आवृत्ति और प्रकार पर बिना किसी प्रतिबंध के संचालित करने के लिये चिह्नित किया गया था। अब तक केवल रेशम हवा और हवाई अरेबिया सप्ताह में पाँच उड़ानें संचालित कर रहे हैं। वस्त्र और बुनाई औद्योगिक इकाइयां और फूल,फल और सब्जियां जैसे खराब होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले किसान अब चेन्नई,बेंगलुरु और कोचीन जैसे दूर के हवाई अड्डों पर निर्यात के लिये अपने माल को स्थानांतरित करने के लिये मजबूर हैं जिसके परिणामस्वरूप अक्सर भारी नुकसान होता है। विदेशी एयरलाइन ऑपरेटरों के कोयम्बटूर को गंतव्य के रूप में रखने के लंबित अनुरोध को ध्यान में रखते हुए,मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया को सीधे कोयम्बटूर हवाई अड्डे को जोड़ने के लिये विशेष दर्जे के साथ बेहतर हवाई संपर्क प्रदान किया जा सकता है।

(बारह) एरियूर,आय्यन पेरीयूर,थिरुमंदुरई और पेन्ना कोणम गांव में अर्जित भूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र की शीघ्र स्थापना किये जाने की आवश्यकता

श्री आर.पी.मारुथराजा (पेरम्बलुर): तमिलनाडु के मध्य जिले में स्थित हमारे पेरम्बलुर निर्वाचन क्षेत्र को आर्थिक विकास के लिये सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस अन्यथा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में पिछली उप-शासन द्वारा एक बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की मांग की गई थी। सेज़ को अनुमोदित करने और स्थापित करने के कदम के हिस्से के रूप में,लगभग 3000 एकड़ भूमि को निजी खिलाड़ी द्वारा नीचे की दर का भुगतान किया गया था। इरेयूर,आयन पेरेयूर,तिरुमंडुरई और पेन्ना कोनाम गांवों के किसानों ने नौकरी के अवसर और समृद्धि प्राप्त करने की उम्मीद के साथ दूर मूल्य पर अपनी भूमि दी। अधिग्रहित भूमि का अधिकांश हिस्सा पड़ोसी राज्य के एक निजी खिलाड़ी के पास है और अधिग्रहित भूमि में कोई औद्योगिक इकाई नहीं बन रही है। उस क्षेत्र के किसानों और कृषि श्रमिकों के पास उम्मीद के मुताबिक रोज़गार का कोई अवसर नहीं है। इसलिये, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह उस क्षेत्र में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करे, ताकि आर्थिक गतिविधि और समृद्धि को बढ़ावा मिले और लोगों को अभाव और हताशा से बचाया जा सके।

(तेरह) पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में गुप्तीपारा को पर्यटन स्थल रूप में घोषित किये जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना दे (नाग) (हुगली): गुप्तीपारा, जिसे आमतौर पर पश्चिम बंगाल में गुप्त वृंदावन के रूप में जाना जाता है,कई शताब्दियों से उत्कृष्टता का केंद्र रहा है,शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों का जन्म स्थान है और इसने कई आध्यात्मिक व्यक्तियों का उत्पादन किया है। इसलिये,गुप्तीपारा को पर्यटन स्थल घोषित किया जाना चाहिए। गुप्तीपारा पुलिस स्टेशन बालागढ़,जिला हुगली,पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। आप सदियों पुराने मंदिरों और समृद्ध संस्कृति विरासत को देख सकते हैं। रथयात्रा उत्सव गुप्तीपारा के आकर्षणों में से एक है। हमें गुप्तीपारा से संबंधित असंख्य दृष्टांत और लोक कथाएं मिलती हैं। गुप्तीपारा के आसपास समृद्धता है। गुप्तीपारा में एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनने की क्षमता है। दुर्भाग्य से अब तक,इसे राष्ट्रीय पर्यटन स्थल तक नहीं माना गया और न ही घोषित किया गया। उपरोक्त कुछ कारणों से गुप्तीपारा को पर्यटन स्थल घोषित करने का समय आ गया है। आंख से मिलने की तुलना में गुप्तीपारा के लिये बहुत कुछ है। इसलिये,मैं सरकार और पर्यटन मंत्री जी से पश्चिमी बंगाल में गुप्तीपाड़ा को बिना किसी और देरी के पर्यटन स्थल घोषित करने का पुरजोर अनुरोध करना चाहता हूँ।

(चौदह) भुवनेश्वर और कटटैक के बीच प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना के काम में तेजी लाये जाने और इस परियोजना को ओडिशा में जतना और खुर्दा होते हुये पुरी और कोणार्क तक विस्तार किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न कुमार पटसानी (भुवनेश्वर):अगस्त, 2014 में ओडिशा के आवास एवं शहरी विकास निगम और सिकंदराबाद स्थित बालाजी रेलरोड सिस्टम लिमिटेड के बीच कटक और भुवनेश्वर के बीच 30किलोमीटर की मेट्रो रेल सेवा के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे। इस संबंध में,पचास प्रतिशत व्यय राज्य द्वारा और शेष 50 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि समझौता अगस्त,2014 में किया गया था,लेकिन पूर्ण गतिशीलता योजनाओं की तैयारी के लिये अब तक कोई पहल नहीं की गई है। मैं ओडिशा में पर्यटन उद्योग के विकास की दृष्टि से भी सुझाव देना चाहता हूँ कि कट टैक और भुवनेश्वर के बीच प्रस्तावित मेट्रो रेल मार्ग को जटनी और खुर्दा के रास्ते पूरी और कोणार्क तक बढ़ाया जाए।

इसलिये, मैं सरकार से इस परियोजना में तेजी लाने और इसके विस्तार को मंजूरी देने का आग्रह करना चाहता हूँ।

(पंद्रह) लक्षद्वीप के मछुआरा समुदायों को पर्याप्त मत्स्य आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी दिए जाने की आवश्यकता

मोहम्मद फ़ैजल (लक्षद्वीप):मैं केंद्र सरकार का ध्यान लक्षद्वीप के मछुआरा समुदायों से संबंधित मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

मैं सरकार और कृषि मंत्रालय विशेष रूप से राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडा) के साथ संशोधित शिल्प और उन्नत मछली पकड़ने के उपकरण जैसी बेहतर प्रौद्योगिकी शुरू करने का आग्रह करता हूँ ताकि मछुआरा समुदायों को गहरे समुद्र में मछलियों का दोहन करने में सक्षम बनाया जा सके जिनका अब तक दोहन नहीं किया गया है और भूमि आधारित अवसंरचनाएं जैसे बर्फ कारखाने,मछली लैंडिंग केंद्र,दोनों द्वीपों में से किसी भी में प्रसंस्करण इकाइयां,सुरंग फ्रीजर आदि विकसित की जा सके। इस तथ्य को देखते हुए कि लक्षद्वीप का एक सक्रिय मछुआरा दिन में केवल 8 घंटे से अधिक समय तक शामिल हो सकता है। यह मछली की अनुपलब्धता के कारण नहीं है,बल्कि भूमि पर उनके कैच को संरक्षित करने के लिये सीमित बुनियादी ढांचे के कारण है।

दूसरा,भारत में मछली पकड़ने के लिये समग्र प्रतिबंध अवधि एक वर्ष में 40 से 50 दिनों तक भिन्न होती है,लेकिन लक्षद्वीप के मामले में दक्षिण पूर्व मानसून,खुरदरा और अशांत समुद्र के कारण 4 महीनों का प्राकृतिक प्रतिबंध है और इन अवधि के दौरान मछुआरे अपने शिल्प के सक्रिय रखरखाव में शामिल होते हैं। कृषि मंत्रालय की इन कम अवधि की कल्याणकारी योजनाओं के दौरान,कृपया उन्हें अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए बढ़ाया जा सकता है।लिये

(सोलह) बिहार के भागलपुर संसदीय क्षेत्र में कोसी नदी और गंगा नदियों के कारण होने वाले भूमि-कटाव को रोकने हेतु अविलंब उपचरात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर के विक्रमशिला के अप एवं डाउन स्ट्रीम क्रमशः काजी-कोरैया से राघोपुर तथा इस्माइलपुर से बिन्द टोली तक भारी कटाव हुआ है साथ ही कोसी नदी के कटाव से ग्राम सहौड़ा तथा मदरौनी गाँव का आस्तित्व समाप्त हो गया है जिससे हज़ारों परिवार बेघर हो चुके हैं तथा बाँध कोसी नदी में समा गया है। इसके पास ही रेलवे लाइन है जिस पर भी खतरा हो सकता है। पिछले वर्ष 2014 में बाढ़ निरोधात्मक कार्य होना था जो अभी भी शुरू नहीं किया गया है। इसी तरह विक्रमशिला सेतु के एप्रोच रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग) एवं खरीफ प्रखण्ड के दर्जनों गाँव जो विक्रमशिला के अप स्ट्रीम में अवस्थित हैं, गंगा नदी के तीव्र कटाव के चलते गंगा में विलीन हो जायंेगे। आगामी वर्ष के दिनों में इन दोनों नदियों की बाढ़ से पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा कटाव होने का खतरा है। अगर त्वरित गति से कार्य आरंभ नहीं किया गया तो वर्षा के दिनों में कटाव को रोकना असंभव है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि भागलपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोसी नदी तथा गंगा नदी से होने वाले कटाव को रोकने लिये जल संसाधन मंत्रालय से कटाव विशेष को भेजकर स्थल निरीक्षण कराकर यथाशीघ्र बिन्द टोलों से इस्माइलपुर काजी-कोरैया से राघोपुर तथा कोसी नदी से ग्राम सहौड़ा, मदरौनी सहित अन्य सभी चिन्हित कटाव स्थल को सुरक्षित करने हेतु कार्य आरम्भ करने के लिये निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(सत्रह) नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर एक नया सर्वेक्षण करने और युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिये नशीली दवाओं की मांग में कमी,2014 की राष्ट्रीय नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार):मैं मजबूत नीति के अभाव में देश भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिये सबसे अधिक संवेदनशील युवाओं की स्थिति के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। सरकार ने देश में मादक पदार्थों के दुरुपयोग में कमी लाने के लिये मादक पदार्थों की मांग में कमी,2014 के लिये राष्ट्रीय नीति बनाई है। इस हालिया मसौदा नीति में,यह सूचित किया जाता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 8.7 मिलियन भांग के उपयोगकर्ता और 2 मिलियन ओपिएट उपयोगकर्ता थे। अब कुछ राज्य सरकारें भी राजस्व बढ़ाने के लिये शराब की बिक्री को प्रोत्साहित कर रही हैं। इसलिये,मैं सरकार से नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर तत्काल नया सर्वेक्षण करने का अनुरोध करता हूँ और देश के युवाओं की सुरक्षा के लिये प्रभावी पुनर्वास कार्यक्रमों के अनुसार राष्ट्रीय नीति को फिर से तैयार किया जा सकता है। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि वह राज्य सरकारों को भी निर्देश दे कि वे अपने-अपने राज्यों में शराब की बिक्री को बढ़ावा देना बंद करें।

(अठारह) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और समझौतों में भारत के लोगों की विकास आकांक्षाओं की रक्षा करने की आवश्यकता है

एडवोकेट जोइस जॉर्ज (इडुक्की):लीमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 194 देशों के बीच समझौता हुआ जो पेरिस में जलवायु परिवर्तन समझौते की नींव प्रदान करते हैं। देशों ने नुकसान और क्षति पर एक नए तंत्र के लिये संस्थागत वास्तुकला को भी अंतिम रूप दिया,जो उन देशों के लिये बहुत महत्व का मुद्दा है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। भाग लेने वाले देश विकसित और विकासशील देशों के लिये दायित्वों और जिम्मेदारियों को अलग करने पर ठोकर खा गए। एक विकासशील देश के रूप में,भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि निर्णय यहां रहने वाले लोगों की विकास आकांक्षाओं को बाधित नहीं करेंगे। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और कम करने के लिये अनसीसी,जीईएफ और हरित जलवायु कोष के माध्यम से अधिशेष निधि प्रवाह पर्यावरण उपनिवेशवाद का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिये,मैं सरकार से हमारे लोगों के सपनों और विकास की आकांक्षाओं की रक्षा करने और मुझे लीमा सम्मेलन के बाद उठाए गए निम्नलिखित कदमों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताने का आग्रह करता हूँ।

<u>अपराह्न 12.08 बजे।</u>

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प, 2015

और

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

श्री भीमराव बी.पाटिल (ज़हीराबाद):माननीय सदस्यगण,जैसा कि मैं मुद्दों को उठाने के लिये दी जाती हूँ। वक्ता महोदय,आज आपने मुझे इस गरिमामयी सभा में बोलने का मौका दिया,इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

जैसा कि सभा को जानकारी है,खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक,2015 नामक कानून खनन उद्योग को एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने का इरादा रखता है जो एक स्वागत योग्य कदम है और यह समय की आवश्यकता है।

आम तौर पर,मानव जीवन चक्र और मानव के वैश्विक समाज का पालन करने वाली आधुनिक सभ्यता के उपयोग के लिये 40 सामान्य खनिज हैं।

सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि देश में प्रदत्त खनन पट्टों की संख्या में भारी गिरावट आई है और दूसरे और उसके बाद के नवीकरण पर भी विभिन्न कारणों से प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप,खनन क्षेत्र का उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष कम होता जा रहा है जिसके कारण आयात होता है जो हमारे देश के लिये एक महंगा मामला बन गया है।

कानून के अनुसार, राज्य सरकारें ई-नीलामी के माध्यम से खनिज रियायतें प्रदान करेंगी, जिसके माध्यम से वह इस क्षेत्र से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित एवं गैर-अधिसूचित खनिजों की एक सूची होनी चाहिए। कैप्टिव खानों के लिये न्यूनतम 15 वर्ष और अन्य खानों के लिये पांच वर्ष की संक्रमण अवधि होनी चाहिए और अचानक ठहराव नहीं होना चाहिए। खान एवं खनिज (विकास एवं

विनियमन) अधिनियम,1957 की धारा 8a(5) और 8a(6) के संशोधन के अनुसार,केंद्र सरकार को विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये समय सीमा निर्धारित करने और धारा 20a के अनुसार राज्यों को बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार है। परिणामों की जमीनी स्तर पर जांच की जानी है। यह उम्मीद की जाती है कि इससे ऐसी बंद खदानों को तुरंत अपना परिचालन शुरू करने की अनुमति मिलेगी।

<u>अपराह्न 12.09 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

इसमें कोई संदेह नहीं है कि खानों की खोज को प्रोत्साहित करने के लिये,जो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास स्थापित किया गया है,उसे खनन पट्टा धारकों द्वारा किये गए योगदान में से समर्थन सृजित करना होगा और खदान अन्वेषण करने के लिये इस प्रकार की समर्पित निधि से सरकार लाभान्वित होगी। जिला खनिज फाउंडेशन को नागरिक समाज की लंबे समय की शिकायतों,खनन से प्रभावित लोगों और उन लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिये डिज़ाइन किया गया है जिनकी देखभाल नहीं की जाती है। जिला खनिज फाउंडेशन के माध्यम से प्रभावित व्यक्ति को राहत मिलना एक अच्छा संकेत है।

विभिन्न प्रकार की खदानों को देने के लिये असामान्य देरी को कम किया जाना चाहिए,जिसके लिये नोक ग्राम पंचायत के सरपंच के स्तर से जिला कलेक्टर तक शुरू होता है। सरकार को नवीनतम तकनीक को अपनाते हुए और प्रशासन में देरी को पूरी तरह से समाप्त करते हुए निजी निवेश को आकर्षित करने पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि देश के खनिज संसाधनों का तेजी से और इष्टतम विकास हो सके।

सरकार यह सुनिश्चित करे कि खानों की नीलामी से खनन उद्योग की मौत हो जाए। यह एक ज्ञात तथ्य है कि किसी भी संसाधन समृद्ध देश में नीलामी का मार्ग नहीं अपनाया गया था और वे 'पहले आओ पहले पाओ' के समय-परीक्षित सिद्धांत का पालन करते हैं। प्रथम अनुसूची के भाग 'सी' के खनिजों के अलावा लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, सोना और चांदी, सड़क निर्माण के लिये महत्व, समृद्ध सिलिका क्वार्टजाइट, रत्न, लघु खनिज बोल्डर, अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, ज्वालामुखी चट्टानें, स्लेट चट्टानें,

बेसाल्ट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शीट चट्टानें, स्पाल, कंकड़, बजरी, जाल, समुच्चय, मोटे और महीन नदी तल का उत्पादन पुनः शुरू किया जाएगा। ... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में आदेश दीजिए

श्री भीमराव बी.पाटिल: इसलिये,ठेकेदारों को होने वाले नुकसान से बचने के लिये,केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके छोटी अवधि में काम शुरू करने की प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाना चाहिए। उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,पर्यावरण और वन मंत्रालय, वन्य जीवन के साथ खनन आदि की अनुमति मांगने वाले ठेकेदारों को एनओसी जारी करने के स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए। ... *(व्यवधान)*

माननीय. उपाध्यक्ष: माननीय. सदस्य, कृपया संक्षिप्त रहें।

श्री भीमराव बी.पाटिल:सरकार देश भर में हज़ारों किलोमीटर सड़कों के निर्माण की योजना बना रही है। इसे प्राप्त करने के लिये हमें सड़कों के निर्माण के लिये आवश्यक सामग्रियों के लिये खनन में छूट देनी होगी। राजस्व विभाग,प्रदूषण विभाग,पर्यावरण विभाग और वन विभाग से अनुमति के अभाव में सरकार की सड़क परियोजनाओं में देरी हो रही है। इसके कारण दरों में संशोधन करके और कुछ मामलों में माध्यस्थम देने के कारण परियोजना की लागत बढ़ रही है।

सड़क सामग्री खदानें सामान्य रूप से,वन क्षेत्रों में स्थित हैं जहां वन विभाग द्वारा खनन की अनुमति नहीं है,भले ही इन खदानों की पहचान सरकारी विभागों द्वारा खनन के लिये की जाती है। लेकिन खनन के लिये जंगल और पर्यावरण की अनुमति नहीं दी जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियों को सड़क सामग्री की खरीद में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और वे दूर-दराज के स्थानों से सामग्री ला रहे हैं और घाटा हो रहा है अन्यथा इसका दावा माध्यस्थम के माध्यम से किया जाएगा,जिससे परियोजना की लागत बढ़ रही है। ... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: मैं माननीय महोदय से अनुरोध करूंगा। सदस्य मौन रहें. कई सदस्य बोल रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। सदस्य बोल रहे हैं। कृपया सभा में व्यवस्था बनी रहे।

...*(व्यवधान)*

श्री भीमराव बी.पाटिल: क्षेत्र का विकास मुख्य रूप से सड़कों के माध्यम से परिवहन प्रणाली पर निर्भर करता है। खनन की अनुमति में देरी से औद्योगिक विकास,कृषि विकास,रोजगार सृजन और संचार प्रणाली पर रोक लगेगी। सड़कों से आवागमन की सुविधाओं को भी जनता तक पहुंचाना होगा। कभी-कभी बेरोजगार युवा असामाजिक गतिविधियों की ओर रुख कर सकते हैं,जिससे समाज पर बोझ पड़ सकता है।

सरकार को जनता की भलाई के लिये सरकारी सड़क कार्यों के निर्माण के लिये आवश्यक सामग्रियों से संबंधित खनन में छूट पर ध्यान देना होगा।

सरकार को उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कार्यों के लिये आवश्यक निर्माण सामग्री के लिये कम-से-कम एकल खिड़की प्रणाली विकसित करनी होगी।

राज्य सरकारों को खनिज रियायतें देने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है। कुछ बार नीलामी मार्ग से भूमि में निम्न श्रेणी के खनिजों को छोड़कर चयनात्मक खनन भी हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों की बर्बादी होती है और अंतिम उत्पाद की लागत बढ़ती है,जिससे यह आयात की तुलना में अप्रतिस्पर्धी हो जाता है।

साथ ही,सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके परिणामस्वरूप गुटबंदी और एकाधिकार की प्रथाएं न हों।

मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि भविष्य में किसी भी खनन पट्टाधारक को किसी भी नुकसानदायक स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिए।

तेलंगाना राष्ट्र समिति की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं आपको यह अवसर देने के लिये धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : श्रीमती के. गीता – उपस्थित नहीं।

डॉ. ए संपत (अट्टिंगल): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपके पास समय की कमी है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक,2015 एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मुझे विधेयक के संबंध में कुछ आपत्तियां हैं। नंबर एक भारत सरकार है, जिसका मतलब है कि केंद्र सरकार को खनिजों के व्यवस्थित विकास के लिये शक्ति और ज़िम्मेदारी प्रदान की जाती है।

महोदय,आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत,सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 54,संघ सूची की सूची-i,स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को शक्ति देता है। यदि यह संशोधन अधिनियमित किया जा रहा है,तो हमारे खनिजों की लूट होगी। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ।

मेरे कई मित्रों ने राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर,जिन्होंने कल चर्चा में भाग लिया, विचार करने के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की ओर इंगित किया है। हमें उस पहलू पर गौर करना होगा। हम आज कल की दया पर जी रहे हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम कुछ ऐसा आनंद ले रहे हैं जिसका आनंद हमारे बच्चों और भव्य बच्चों को लेना चाहिए।

खान और खनिज (विकास और विनियमन अधिनियम,1957) खानों के भारतीय ब्यूरो की परिकल्पना की गई थी। खानों के भारतीय ब्यूरो को कुछ कर्तव्यों का दायित्व सौंपा गया है। इसे कुछ कार्यों का निर्वहन करना होता है,जिन्हें केंद्र सरकार समय-समय पर आईबीएम को सौंप सकती है। अब, यदि यह संशोधन किया जा रहा है तो क्या होगा? बेशक, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार की मंशा इसे जल्द से जल्द पारित कराने की है। ऐसा क्यों? मेरा प्रश्न यह है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो आईबीएम को दरकिनार कर दिया जाएगा। इसे दरकिनार किया जाएगा। आईबीएम की शक्तियां एक बलि का बकरा होंगी। मैं जो समझता हूँ वह यह है कि 60,000 से अधिक आवेदन लंबित हैं। साथ ही,भारत सरकार ने 31 खनिजों को लघु खनिजों की सूची में डाल दिया है। वे खनिज जो पहले प्रमुख खनिज थे,10 फरवरी,2015 के असाधारण राजपत्र में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, जो इस संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले है, लघु खनिजों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो, अभिप्राय क्या है? जैसा कि मैंने अभी कहा कि उन खनिजों को,जो पहले प्रमुख

खनिज थे, गौण खनिजों में परिवर्तित किया गया है। क्या होता है? आईबीएम के पास नियंत्रण करने और वहां जो हो रहा है उसकी निगरानी करने का अधिकार नहीं होगा।

मैंने विधेयक में कुछ संशोधन पेश किये हैं। मैं अभी उनके बारे में उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। खंड 5 द्वारा,पृष्ठ 3 पर,भारत सरकार राज्य सरकार के कंधों पर बोझ डालना चाहती है। यह निश्चित रूप से होगा। भविष्य में इसका बोझ सभी राज्य सरकारें उठायेंगी। लोगों द्वारा उनकी आलोचना की जाएगी। मेरा निवेदन है कि ऐसी योजना की तैयारी,प्रमाणन और निगरानी के लिये, यह केंद्र सरकार होनी चाहिए जिसे ऐसा करना चाहिए; यह भारतीय खान ब्यूरो के परामर्श और मंजूरी के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन के साथ होना चाहिए।

खंड 8 में,धारा 8a (2),रेखा 33 में,यह कहा गया है

"खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम,2015 के प्रारंभ होने की तारीख से,सभी खनन पट्टे पचास वर्षों की अवधि के लिये प्रदान किये जाएंगे।"

एक पुरुष की,एक महिला की जीवन प्रत्याशा क्या है? इन न्यायिक व्यक्तित्वों,कॉरपोरेट्स के पास खानें होंगी। हम कॉरपोरेट्स की दया पर निर्भर होंगे। वे मात्रा तय करेंगे,वे कीमत तय करेंगे,वे कार्यबल तय करेंगे और वे *मोडस ऑपरेंडी तय करेंगे।* सरकार अपनी संप्रभुता खो देगी। हम सब जानते हैं कि सरकार की संप्रभुता महत्वपूर्ण है। मुझे डर है कि सरकार की संप्रभुता का बलिदान हो जाएगा। यह खतरे में है। जब हम राज्य पर विचार करते हैं तो सरकार की संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" से हमारा क्या तात्पर्य है? यह न केवल क्षेत्र है बल्कि जनसंख्या भी है; यह न केवल सरकार बल्कि इसकी संप्रभुता है। यहाँ संप्रभुता के तत्व का बलिदान किया जा रहा है।

यहाँ यह 50 साल है। यह 50 वर्ष क्यों है? कल,कई दोस्तों ने बताया है कि मौजूदा कॉर्पोरेट और फर्म या व्यक्ति जो अब अपनी खानों का आनंद ले रहे हैं,उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा; वे खानों के फलों का आनंद लेंगे। मुझे इस तरह की शब्दावली का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। इसे स्वचालित रूप

से बढ़ाया जाएगा। फिर से,यह 50 वर्ष है। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इसे कम से कम 25 साल किया जाना चाहिए।

हम सब एक उदाहरण जानते हैं। जब दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निजीकरण किया गया तो क्या हुआ? सबसे पहले,यह दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सीमित हो गया। यह एक संयुक्त उद्यम था। फिर, क्या हुआ? सरकार का हिस्सा कम हो गया था; और निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाया गया था। वहां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट थी और उसे इस महती सभा में रखा गया था। हम सभी ने इस पर चर्चा की। तब वे वहाँ थे; और आप यहाँ थे। हम जानते हैं कि क्या हुआ है। हमारे पास यहां एक उदाहरण है। जब उन्होंने मालदीव में प्रतिकृति बनाने की कोशिश की,तो मालदीव की सरकार ने इसका विरोध किया। कम-से-कम हमें अपने कुछ पड़ोसियों से कुछ अच्छे उदाहरण लेने चाहिए। जब कोई देश को लूटता है; जब वे कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं।

मैं खंड 19 का उल्लेख करता हूँ। उपधारा (1) और (2) के लिये मूल अधिनियम की धारा 21 में, निम्नलिखित उपधाराओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा। पैराग्राफ 2 में,इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के तहत किए गए किसी भी नियम में यह उपबंध किया जा सकता है कि उसका कोई भी उल्लंघन उस अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो दो वर्ष तक या जुर्माने के साथ हो सकता है,जो रुपये तक हो सकता है। 5 लाख। यह क्या है? ऐसे लोग हैं जिनका आकलन आयकर अधिकारियों द्वारा रुपये का भुगतान करने के लिए किया गया है। कर के रूप में 90 करोड़। वे अभी भी एक तिहाई का भुगतान करके विवाद कर रहे हैं। यहां,कारावास को दो साल से बढ़ाकर 10 साल किया जाना चाहिए,और जुर्माने को रु। 5 लाख रुपये से कम से कम रु। 50 लाख।

मैं भारत सरकार से और विशेषकर से माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूँ। मंत्री जी, एक बात। हम सभी मंत्री का सम्मान करते हैं; वे बहुत वरिष्ठ नेता हैं; और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। क्या हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया गया है? मेरा मतलब न केवल खदान मालिकों,बल्कि खदान श्रमिकों,खानों के भारतीय ब्यूरो,विशेषज्ञ,विशेषज्ञ,वैज्ञानिक भी हैं।

सुबह भी,जब एक मंत्री जी ने उत्तर दिया,तो वह वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख कर रहे थे। इसलिये,हम सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्र की 40,000 वर्ग किलो मीटर से अधिक कीमती भूमि में कोई सरकार नहीं है; सरकार का कोई संकेत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? जब लोगों को लगता है कि हमारी ज़मीन ली जा रही है,हमारी ज़मीन लूटी जा रही है,हमारी ज़मीन छीनी जा रही है,सभी खनिज लूटे गए हैं; हम लूटे गए हैं; हम छीने गए हैं,लोग कुछ और विकल्प खोजने के लिये मजबूर होंगे। यदि ऐसा होता है,तो यह भारत सरकार के लिये शर्म की बात होगी; यह भारत की संसद के लिये शर्म की बात होगी। यह लोकतंत्र का मंदिर है; आप हमारे अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं। यह केवल इस महती सभा में है हम लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जनता ने हमें चुना है। हम यहां उनकी भावनाओं,उनकी पीड़ाओं को व्यक्त करने के लिये हैं।

जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में एक खंड है और कल्याणजिला खनिज फाउंडेशन के बारे में एक खंड है और कल्याणकारी उपाय करने हैं लेकिन उन खनन क्षेत्रों के आसपास काम करने वाले, रहने वाले और उनके आसपास के लोगों के कल्याण के लिए जो राशि खर्च करनी है, वह राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए।कारी उपाय करने हैं लेकिन उन खनन क्षेत्रों के आसपास काम करने वाले, रहने वाले और उनके आसपास के लोगों के कल्याण के लिए जो राशि खर्च करनी है, वह राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए।कियेलिये धनराशि धनराशि

अंतिम किंतु कम-से-कम,मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमने अन्य राष्ट्रों के अनुभव को ध्यान में रखा है। मैं माननीय वित्त मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूँ कि देश भर के बहु-राज्य सहकारी बैंकों के पंजीकरण की अनुमति दे। जाँन ब्रिटास:मैं माननीय मंत्री जी को दो पुस्तकें पढ़नी चाहिए - एक आर्थिक हिटमैन के इकबालिया बयान। आप कृपया पुस्तक के माध्यम से यह जानने के लिए जाएं कि कैसे बहुराष्ट्रीय कम विकसित देशों को लूटते हैं। उन्होंने अब कम विकसित देशों - विकासशील देशों को एक शब्दावली दी है। दूसरी पुस्तक 'एक साम्राज्य की तरह पुराना खेल' है।हूँहूँ

मैं भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन- दादाभाई नौरोजी को श्रद्धांजलि देता हूँ,जिन्होंने एक बार 'ड्रेन' का सिद्धांत रखा था। अब, इस नव-उदारवादी शासन-काल में,फिर से,हमारा देश अपने बहुमूल्य खनिजों, धातुओं और

प्राकृतिक संसाधनों का 'नाला' अनुभव कर रहा है। मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूँ; मैं इस विधेयक का बहुत पुरजोर विरोध करता हूँ। यह एक जनविरोधी विधेयक है; यह असंवैधानिक है; यह अनुचित है; यह अनावश्यक है। मेरा विनम्र आग्रह है कि इस महती सभा में इस विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुंडा (खूँटी): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक में जितनी बातें कही गई हैं, मुझे सरकार से इनमें से एक बिंदु पर जानकारी लेनी है। इसे भाग्य या सौभाग्य कहिए कि भारत के मध्य भाग में जनजातियां बहुत आधिक संख्या में रहती हैं। यह जनजाति बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत से खनिज पदार्थ हैं। आज तक का इतिहास है कि जब भी इस क्षेत्र में विकास का काम हुआ है, चाहे माइनिंग का हो या इंडस्ट्री का हो, इस क्षेत्र की जनजातीय आबादी को विस्थापित किया गया है। इनकी चिंता न तो राज्य सरकार करती है और न केंद्र सरकार करती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि कल तक जो जमीन का मालिक था, वह विस्थापित होकर रास्ते पर घूम रहा है। इस कारण उस क्षेत्र में असंतोष बहुत बढ़ा है। इस क्षेत्र में माओवादियों का प्रभाव बढ़ा है और इसका एक कारण है कि लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

महोदय इस बिल में लिखा गया है , - पुनर्वास को निपटाने और मुद्दों का तेजी से दावा करने के लिये ताकि खनन क्षेत्रों के बाहर की भूमि का स्थानीय आबादी के लिये लाभकारी रूप से उपयोग किया जा सके।" यह अच्छी बात है, लेकिन आज तक इस दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ है। मैं उदाहरण दूंगा, चाहे भिलाई हो, राउरकेला हो या बोकारो हो, वहां 70 के दशक में काम शुरु हुआ, यहां से विस्थापित लोगों की स्थिति यह हो गई है कि वे दर-दर काम के लिये भटक रहे हैं। इस समय चूंकि निजी क्षेत्र के ऑक्शन के आधार पर लोग भी आएंगे, वे कितनी चिंता करेंगे, गरीब लोगों की भलाई की बात करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें अभी शंका है। जब सरकार ही चिंता नहीं कर सकी तो ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र के लोग आएंगे, वे कितनी चिंता करेंगे? मेरा प्रश्न है कि इनके लिये क्या कोई प्रावधान होगा या नहीं होगा? जब तक यह नहीं होगा तब तक उस क्षेत्र के लोग विस्थापित होते जाएंगे, धीरे-धीरे आदिवासियों की संख्या भी घटती जाएगी, वे कहां जाएंगे, पता नहीं है। दुर्भाग्यवश देश में यह स्थिति है कि एक राज्य में जो लोग जनजाति वर्ग में जाने जाते हैं, उनको दूसरे राज्य में जनजातीय सूची में नहीं रखा जाता है। इस कारण धीरे-धीरे इनकी संख्या घट रही है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सरकार से पूछना करता हूँ कि जो लोग विस्थापित होंगे, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिये सरकार विशेष रूप से किस तरह का प्रावधान करने वाली है? जब तक यह नहीं होगा तक तक समस्या का समाधान नहीं

होगा। ये लोग उजड़ते जाएंगे, गरीबी बढ़ती जाएगी, अशांति बढ़ती जाएगी। कहीं ऐसा न हो कि स्थिति इतनी विस्फोटक हो जाए कि उस क्षेत्र में काम करना कठिन हो जाए। आज भी इस क्षेत्र में काम करना कठिन है।

महोदय, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में लोहे की बहुत बड़ी खानें हैं। यहां की स्थिति क्या है, सब जानते हैं। सदन में कल उड़ीसा के माननीय सांसद सत्पथी जी ने कंधमाल की बात बताई थी कि जब घटना हुई तब कंधमाल चित्र में आया था। इससे पहले कंधमाल उड़ीसा में है या नहीं, यहां जनजाति रहती है या नहीं, इसके बारे में किसी को पता नहीं था।इसलिये आदिवासियों को अपनी जमीन के एवज़ में कुछ अधिकार मिलना चाहिए। क्या इसके लिये उन्हें लाठी-डंडा निकालना पड़ेगा? यह एक विकट परिस्थिति पैदा हो रही है। इस विकट परिस्थिति पर भारत सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। जब उस क्षेत्र के लोग विस्थापित होंगे, तो उनके पुनर्वास की दृष्टि से विशेष रूप से कोई ठोस योजना बनानी चाहिए, तब इस समस्या का समाधान होगा, अन्यथा अशांति बढ़ेगी, लोग असंतुष्ट होंगे। इस प्रकार से अशांति बढ़ेगी तो जैसा कि हम लोग कहते हैं कि आगे विकास करना है तो वह विकास अवरुद्ध हो जाएगा। 'सबका साथ-सबका विकास' नारा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन, जिनकी जमीन जाएगी, जो लोग विस्थापित होंगे, उनका विकास होगा या नहीं? उनके लिये क्या व्यवस्था है, आपने उनके लिये क्या प्रावधान किया है, उनकी समस्या के समाधान के लिये आपके पास कोई ब्लू प्रिंट है, ताकि सबका विकास हो तो बाकी लोगों का भी विकास हो, इसलिये इन विस्थापित लोगों का भी विकास कैसे हो सकता है, इस विधेयक के साथ ही सरकार को इसकी भी चिन्ता करनी चाहिए। आज तक इतिहास में जो घटनाएँ घटी हैं, उनसे सरकार को कुछ नये अनुभव प्राप्त करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। जनजातियों की आबादी लगभग साढ़े दस करोड़ तक है, जो मूलतः इसी क्षेत्र में असम से कच्छ तक फैली है और इसी क्षेत्र में सबसे आधिक खनिज पदार्थ भी हैं, ऐसी स्थिति में उनकी विशेष चिन्ता करनी चाहिए, मेरा सरकार से यह आग्रह है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर):माननीय मंत्री महोदय,धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक,2015 में लाए गए विभिन्न प्रस्तावों का स्वागत करता हूँ।

कोयला ब्लॉकों और स्पेक्ट्रम आदि के आबंटन में हालिया विवादों को देखते हुए,जिन्होंने पूरे देश में बदनामी लाने के अलावा कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की है,एक प्रतिस्पर्धी बोली पर सभी अधिसूचित और गैर-अधिसूचित खनिजों की नीलामी का वर्तमान निर्णय विवादों,मुकदमेबाजी और देरी से बचने का एकमात्र विकल्प प्रतीत होता है। मुझे खुशी है कि खनिज से पूर्ण राज्यों को नियमित रॉयल्टी के अलावा नीलामी की कार्यवाही में बड़ा हिस्सा मिलेगा।

यह विधेयक एक जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) और एक राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के निर्माण का प्रावधान करता है। डीएमएफ राज्य सरकार द्वारा खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित जिलों में व्यक्तियों के लाभ के लिये स्थापित किया जाना है।

क्षेत्रीय और विस्तृत खदान अन्वेषण के लिये केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास स्थापित किया जाएगा। लाइसेंसधारी और पट्टाधारक डीएमएफ को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास द्वारा निर्धारित रॉयल्टी के एक तिहाई से अधिक धनराशि का भुगतान करेंगे।

दुनिया भर के आदिवासी और स्वदेशी समुदाय अक्सर उस भूमि के तहत पाए जाने वाले खनिज संपदा के लिये अपने अधिकारों का दावा करते रहे हैं जिसका वे स्वामित्व रखते हैं या उसके पास पारंपरिक अधिकार हैं। उन्हें ऐतिहासिक रूप से उस विशाल संपत्ति के एक हिस्से से भी वंचित कर दिया गया है। बड़ी कंपनियों द्वारा खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधनों की खोज और लूट तेज हो गई है। राज्यों में अधिकांश खनन पट्टों में अधिकतम भूमि निजी कंपनियों को दी जाती है। आदिवासियों को मुनाफे,मुआवजे और प्रतिपूरक नौकरियों में पर्याप्त हिस्सा दिया जाना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि आदिवासी क्षेत्रों में खनन के मामले में इस राशि में काफी वृद्धि की जाए ताकि उन क्षेत्रों में प्रभावी विकास कार्य किए जा सकें। सरकार उन क्षेत्रों में प्रभावी विकास को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में खनन में मुनाफे का एक हिस्सा कोटा जैसी संस्थाओं को देने पर भी विचार कर सकती है धनराशि किये।

विधेयक में कहा गया है कि खनन पट्टे या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे का धारक राज्य सरकार की मंजूरी और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट के साथ किसी भी पात्र व्यक्ति को पट्टे को हस्तांतरित कर सकता है। यदि राज्य सरकार नोटिस प्राप्त करने के 90 दिनों के भीतर अपनी मंजूरी नहीं देती है,तो स्थानांतरण को अनुमोदित माना जाएगा।

यह सुनिश्चित करने के लिये पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए कि खनन पट्टों,उनकी मुक्त हस्तांतरणीयता के साथ,जमाखोरी और अटकलें न पैदा हों क्योंकि यह राष्ट्रीय हित को नकार देगा। पिछले नौ महीनों में भारतीय शेयर बाजारों में धन के असामान्य प्रवाह को देखते हुए,विदेशी वित्त द्वारा समर्थित हमारे कॉरपोरेट्स के लिये हमारी सभी राष्ट्रीय खनिज संपदा को हथियाना मुश्किल नहीं होना चाहिए।

खनन क्षेत्र के सामने कई समस्याएं हैं जैसे परियोजना प्रभावित लोगों और जिलों को राहत, अन्वेषण को बढ़ावा,मामलों का समय पर निपटान और अवैध खनन के खिलाफ निवारक।

खनन क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिये,पारदर्शिता और दक्षता के मजबूत सिद्धांतों पर आधारित एक सक्षम वातावरण को घरेलू और विदेशी दोनों निवेशों को उचित स्तर पर भुगतान क्षेत्र प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री एस.पी.मुदाहनुमेगौड़ा (तुमकुर):मुझे इस खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक,2015 पर हो रही इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारे राष्ट्रपिता महान महात्मा गांधी ने एक बार कहा था: "पृथ्वी हर आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त प्रदान करती है,लेकिन हर आदमी के लालच को पूरा नहीं करती है। दोहराने और किसी भी कोण से देखने की कीमत पर भी,मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिये यह उपयुक्त मामला नहीं है। इस कानून को लाने के लिये अध्यादेश को लागू करने की कोई आवश्यकता या तात्कालिकता नहीं थी। मेरे विचार से इस अध्यादेश को लागू करके संविधान के तहत निहित शक्तियों का इस मामले में दुरुपयोग किया जाता है।

दूसरा,खान और खनिज का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। खनिज हमारा खजाना है। वे पृथ्वी के नीचे छिपे हुए हैं। आप खनिजों का विकास या विकास नहीं कर सकते। अगर हम गन्ने की फसल को काट कर निकाल दें,तो यह एक बार फिर से बढ़ेगी। जबकि खानों के मामले में,यदि आप उन्हें एक बार हटा देते हैं,तो बात समाप्त हो जाती है। आप उन्हें फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिये खनिजों का संरक्षण सर्वोपरि विचार होना चाहिए। मेरे एक विद्वान साथी कल बता रहे थे कि हमें अपने देश की आने वाली पीढ़ी के हित को ध्यान में रखना होगा। हम सब कुछ नहीं हटा सकते। हमें संरक्षित रखना होगा। संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अब,हम अपनी खानों का अति शोषण देखते रहे हैं। मैं भी खनिज समृद्ध राज्य से आ रहा हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में,मैं देख रहा हूँ कि लौह अयस्क खानों का अत्यधिक दोहन हुआ है। हम उन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दुर्दशा भी देखते रहे हैं। इसलिये मैं इस सरकार से संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर देता हूँ।

इस नए संशोधित विधेयक में, सरकार के अनुसार,खनिजों के आबंटन में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। यही मापदंड है। साथ ही,वे यह भी बता रहे हैं कि वे आबंटन को सरल बनाना चाहते हैं। अगर आप आबंटन को सरल बनाना चाहते हैं,तो आप यह नहीं कह सकते कि पारदर्शिता बनी हुई है। इसीलिये एक विरोधाभास

है। इसका मतलब है कि वे अपने अंत में पंडोरा के बॉक्स को खुला रख रहे हैं। खानों का आबंटन करते समय उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि इस राष्ट्र के हित में कुछ न्यूनतम खनन गतिविधियों की आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता की आड़ में,उन्हें अति शोषण की अनुमति नहीं देनी चाहिए। धारा 8(a) के तहत,उन्होंने कुछ मामलों में 50 वर्ष और 30 वर्ष के लिये न्यूनतम पट्टे की अवधि में वृद्धि की है। यह बहुत बुरा है। यदि आप 50 से अधिक वर्षों के लिये लीज अवधि की अनुमति देकर इन खानों को संरक्षित करना चाहते हैं,तो यह सही नहीं है। यह गैरकानूनी है। इस पर भी कोई स्पष्टता नहीं है। यह न्यायालय द्वारा वाद और हस्तक्षेप की ओर ले जाता है।

अंत में,धारा 9(ख) के तहत,उन्होंने एक गैर-लाभकारी निकाय 'जिला खनिज फाउंडेशन' नाम प्रदान करने के लिये एक प्रावधान पेश किया है। मैं सहमत हूँ। मैं इस शरीर के महत्व को समझ सकता हूँ। लेकिन,इसके लिये तौर-तरीके और दिशा-निर्देश क्या हैं? लाभार्थी की ज़िम्मेदारी और दायित्व तय करने के लिये किस तरह के प्रावधान हैं? हम खान प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को पेश आ रही समस्याओं को दिन-प्रतिदिन देखते रहे हैं। इसीलिये मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि कुछ कड़े या दंडात्मक प्रावधान होने चाहिए,ताकि लाभार्थी,जिनको पट्टा दिया जाता है,वे इस जिला खनिज फाउंडेशन में अधिक योगदान दे सकें। यह राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए।

इसलिये मैं जोर देकर कहता हूँ कि खनन प्रभावित लोगों को अधिक धन दिया जाना चाहिए। उन्हें ऐसी चीजें प्रदान की जानी चाहिए। इन अवलोकनों के साथ,मैं समाप्त करता हूँ।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी जे.एम. एम. की ओर से इस विधेयक पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक के कुछ बिंदुओं का हमारी पार्टी विरोध करती है। माइंस और मिनरल्स बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। कहीं न कहीं हमारे देश को भी जरूरत है और हमारे राज्य को भी जरूरत है कि माइंस एंड मिनरल्स को एक्सप्लायट करके देश और राज्यों को संसाधन मुहैया कराए जाएं। लेकिन जिस तरह से लैंड एक्वीजिशन बिल हो या माइंस एंड मिनरल्स बिल हो, उसे हम एक्सप्लायट कर रहे हैं, क्या आने वाले वर्षों में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिये कुछ छोड़ कर जाने वाले हैं? माइंस एंड मिनरल्स जिन राज्यों में उपलब्ध हैं, ज्यादातर वह एरिया आदिवासी बाहुल्य है। अभी कड़िया मुंडा जी ने भी इस बात का जिक्र किया था। आदिवासी जहां रहते हैं, आधिकांशतः वहीं पर माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन वहां रहने वाले आदिवासियों और अन्य लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता है।

जब माइंस एंड मिनरल्स के खनन की बात आती है, तो कम्पनीज को ज्यादा से ज्यादा इसका दोहन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन उस क्षेत्र के जो असली हकदार हैं, मालिक हैं, जिनके क्षेत्र में माइंस एंड मिनरल्स हैं, उनके हितों की रक्षा कभी नहीं की जाती है। इसका परिणाम है कि आज बहुत से क्षेत्रों में इस वजह से नक्सलवाद की समस्या पैदा हुई है। हमारे राज्य झारखंड में और मेरे क्षेत्र में भी इस तरह की समस्या है। इसके अलावा अन्य राज्य भी नक्सलवाद से प्रभावित हैं। हमारे देश के लोग ही क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए।

इस मुद्दे को लेकर इस तरह के कानून बनें, जिससे हमारे लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो नक्सलवाद की समस्या गम्भीर रूप ले सकती है। जैसा कहा जा रहा था कि हमारे देश में 4,000 एकड़ ऐसा एरिया है जहां कोई सरकार ही नहीं चलती है। कहीं ऐसा न हो कि जिन क्षेत्रों की वजह से हम देश का विकास कर सकते हैं, वहां सरकार नाम की कोई चीज ही न रहे।

मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे यहां मसानजोड़ एरिया है, जहां हाइड्रो पावर के लिये काफी जमीन का आधिग्रहण किया गया। वहां से जो आदिवासी विस्थापित हुए, वे आज कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। आखिर में जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी, तो क्यों कोई व्यक्ति विद्रोह नहीं करेगा, क्यों कोई व्यक्ति चाहेगा कि वहां आकर खनन करे। मेरे साथ अगर ऐसा होगा, तो मैं भी शायद यही करूंगा। इसलिये इस बात को भी देखने की जरूरत है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिये क्या छोड़ने वाले हैं। पांच साल, दस साल या 15 साल तक अगर ऐसे अधिनियम बनेंगे और इसी अवधि में ही सारा खनिज निकालकर चाहे अपने यहां रखें या विदेश भेज दें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिये कुछ नहीं रहेगा। इसलिये यह काफी गम्भीर मसला है।

मैं इस बारे में पर्यावरण की बात भी कहना चाहूँगा। जहां पर भी माइंस एंड मिनरल्स की बात होती है, वहां बहुत से पेड़ काटे जाते हैं। सिर्फ कागजों में ही दर्शाया जाता है कि हमने इसके बदले ये-ये कार्य किये, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। पेड़ काटने के बदले वृक्षारोपण करना, यह देखने में नहीं आता है। इन आदिवासी क्षेत्रों में जो हरियाली वाली जमीन ली जाती है, वहां पेड़ों की कटाई के कारण धूल और प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाती है। अगर हमें किसानों और आदिवासियों के हित की बात करनी है, तो इन्हें हरियाली को बढ़ावा देने की जरूरत है। माइंस एंड मिनरल्स का जिस तरह से दोहन हो रहा है, आने वाले समय में वे इलाके धूल और प्रदूषण से ग्रसित रहेंगे और फिर यहां हम उस विषय पर चर्चा करेंगे।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष जी, मैं खान और खनिज विकास विनिमय संशोधन विधेयक, 2015 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि कई सांसदों ने इस पर अपनी चिंता और शंकाएं प्रकट की हैं। लेकिन एक बात सही है कि हम गति को धीमा क्यों करना चाहते हैं। हम विधान पर बात करें, जो नए क्लॉज़ आए हैं।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उसने जिला स्तर पर जो समिति बनाई है और इस बात का उसमें प्रावधान किया है कि जो भी रॉयल्टी आएगी, उसका एक तिहाई वहां के विकास कार्यों के लिये दिया जाएगा। शायद ऐसा संशोधन देश में पहली बार किया जा रहा है, जिसके लिये सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। रिसर्च के बारे में बहुत से लोगों ने कहा है, मैं भी जिओलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, कुछ समय के लिये कोल मंत्रालय में भी रहा हूँ। अगर हम तमाम अनुसंधान संस्थानों की बात करें, जो माइनिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, इस सब के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अनुसंधान की आवश्यकता है और जिसके बारे में देश को जानकारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं तमिलनाडु से आते हैं, मैं एक रेयर मिनरल की बात करना चाहूँगा, जिसके बारे में सभी को पता है कि दुनिया में सवारधिक थोरियम हमारे पास है। हम रेत की माइनिंग को गौण खनिज में मानते हैं, लेकिन जो रेयर मिनिरल्स से तत्व निकल कर आते हैं, उस रेत में सात प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो आण्विक ऊर्जा के काम में आती हैं, जिनमें इलमेनाइट, लिकोजिन, रूटाईल, जिर्कान मोनोजाइट, सिल्मेनाइट और गॉर्नेट हैं। मैं इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड की रिपोर्ट पढ़ रहा था। जो हमारे देश के लिये सबसे जरूरी है, हम उस थोरियम की सप्लाई पूरी दुनिया में कर सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण मिनिरल के बारे में पूरे दक्षिण कोस्ट पर सरकार ने अलग से कोई क्लॉज बनाया है, तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि, राज्य सरकार के हित सर्वोपरि हैं। वहां रहने वाले लोगों के लिये रोजगार जरूरी है, उन्हें नौकरियां मिलनी चाहिए, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। जहां तक केरल का सवाल है, जहां आबादी का घनत्व ज्यादा है, वहां ये समस्याएं हो सकती हैं कि जब हमें जमीन की जरूरत पड़े तो आबादी का घनत्व निश्चित रूप से तकलीफ दे। इसलिये जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर उसका रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा

जरूरी यह भी है कि जो भी आण्विक ऊर्जा के लिये जरूरी तत्व हैं और जो सिर्फ और सिर्फ वहीं उपलबध हैं, उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। इसलिये जो क्लाज़ सरकार ले कर आई है, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और मैं यह भी चाहता हूँ कि इन बातों को बैठ कर निपटाना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी चिंता की जानी चाहिए, लेकिन जैसा कड़िया मुंडा जी कह रहे थे, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। यह सच है कि चाहे हमारा कोस्टल एरिया हो या हमारा पहाड़ी एरिया हो, मिनिरल्स वहीं हैं। लेकिन हमें विस्थापन के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। आपने एक क्लाज रखी है कि जहां अवैध खनन होगा, वहां हम पांच लाख रुपये प्रति हैक्टेयर जुर्माना करेंगे और उसमें पांच साल के कारावास का प्रावधान किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस धनराशि को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि, जो माइनिंग एरिया है, उसके पर हेक्टेयर की कीमत ज्यादा है। अगर आप इस क्लाज़ को भी साथ में रख दें कि आदिवासी क्षेत्र के किसी व्यक्ति की जमीन सरकारी जमीन को छोड़ कर हम लेंगे। विस्थापन में हम अगर उसे मुआवजा देना चाहें, तो मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा कि इस क्लाज को भी इसके साथ रखना चाहिए। एक तरफ अवैध खनन वालों पर जुर्माना बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए कि गरीब आदिवासी, जो कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में जीवन यापन करते हैं, उसको मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिए।

जहां तक कैटेगिरी का सवाल है, इसमें तीन कैटेगिरीज़ हैं, चौथी कैटेगिरी इसमें अलग से नहीं है। हमारे मित्र कह रहे थे कि चौथी कैटेगिरी बना दी गई है। अभी सौगत राय जी यहां नहीं हैं, ऐसे विद्वान व्यक्ति ने भी गलत व्याख्या कर दी। वास्तव में भाग-क में जो क्लॉज है, उसमें आण्विक मिनरल्स की सूची है। भाग-ख में वह है, जिसमें कोयला और लिग्नाइट हैं। बाद में बाक्साइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर और मैंगनीज़ को आधिसूचित किया गया है। ये वे खनिज हैं, जो जमीन के ऊपर दिख रहे हैं, जबकि सोना जमीन के भीतर है।

महोदय, मैं दो या तीन मिनट लूंगा, आपको दोबारा घंटी बजानी नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जहां तक ऊपर दिखने वाले खनिजों का सवाल है, मैं बालाघाट का सांसद था, मैंगनीज़ ऊपर साफ दिखता है, लेकिन नक्सलवाद के कारण उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकारें उस बारे में अनावश्यक विलम्ब करती हैं, इसलिये चौथी सूची बनायी गई है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में सीमेंट

फैक्ट्रिज़ हैं। वहां चूना पत्थर निकलता है और इसके लिये हजारों हेक्टेयर जमीन है। इसके लिये उन्हें 90 साल की लीज़ मिली हुई है, लेकिन हमने 50 साल के लिये प्रावधान किया हुआ है। ऐसे में उनका क्या होगा? यह एक शंका की स्थिति है। इतने बड़े भू-भाग का यदि वह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिये भी हमें प्रावधान करने की जरूरत है। हमने चूना पत्थर को चूंकि अपनी आनिवार्य सूची में रखा हुआ है तो इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए।

मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ। माइनिंग प्लान के बारे में कहूँगा कि जो समयावधि हम बढ़ाने जा रहे हैं, उसमें पूरा माइनिंग प्लान एग्ज़िक्यूट करने में कम से कम पांच साल लगते हैं और वाइंड-अप करने में भी कम से कम पांच साल लगते हैं। इसलिये मुझे लगता है कि हमें इस टाइम पीरियड को कहीं न कहीं स्पष्ट करना चाहिए कि जब समय पूरा होगा तो उसके पांच या सात साल पहले, उस माइनिंग लीज़ वाले को बताया जाना चाहिए कि आपका माइनिंग प्लान कब पूरा होगा।

अंत में, मैं कहूँगा कि जो राज्य सरकार की बात कही गई है, जिस प्रकार से राज्य सरकारों की गलती के कारण जो कम खनन हुआ है, उसके कारण राज्य को भी नुकसान हुआ है और और देश को भी नुकसान हुआ है, इसलिये इस पूरे विधेयक में गति बढ़ाने का काम किया गया है, ताकि यानी जो अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, वह न हो। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि अमरकंटक, जिसको लेकर कई बार विवाद खड़े होते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि नदी के जो उद्गम के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को भी कहीं न कहीं सैटेलाइट सर्वे से तय किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं कहूँगा कि सैटेलाइट सर्वे में इस क्लॉज़ को डालना चाहिए कि प्रतिवर्ष यह नियमित रूप से हो ताकि सैटेलाइट सर्वे से आपको जानकारी आ सके कि वास्तव में माइनिंग प्लान में लोगों ने कितना दोहन किया है, यह चित्र अपने आप लोगों के सामने आ जाएगा तथा जो हमारे मित्रों ने अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं, वे दूर हो जाएंगी। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ई.टी.मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उपसभाध्यक्ष महोदय,मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक की चर्चा में भाग लेना का अवसर देने के लिये। समय की कमी को देखते हुए,मैं अध्यादेश प्रक्रिया के माध्यम से इस तरह का कानून बनाने की अनियमितता के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे विद्वान दोस्तों ने पहले ही इन सभी चीजों को समझाया है। मैं उनके दृष्टिकोणों का समर्थन करता हूँ।

महोदय,तथ्य यह है कि प्राकृतिक संसाधन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यह आने वाली पीढ़ी और पीढ़ियों के लिये संपत्ति और धन बनाता है। लेकिन इस पर कानून बनाते समय,हमें बुद्धिमान और जागरूक होना होगा। हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए कि निरंतर संसाधन का उपयोग पर्यावरण को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है और बढ़े हुए ग्रीनहाउस प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। हमें इस *मंत्र* को अपने दिमाग में रखना चाहिए जबकि हम इस तरह की चीजों का विधान बना रहे हैं।

महोदय, इस विधान में कुछ सकारात्मक पहलू हैं। यह कानून खनिज संसाधनों के आबंटन में पारदर्शिता में सुधार से संबंधित मुद्दे का समाधान कर रहा है। अवैध खनन की जांच के लिये एक मजबूत प्रावधान है,जिसका मैं स्वागत करता हूँ। एक और स्वागत योग्य सुझाव जिला खनिज फाउंडेशन का गठन है। इसी तरह,राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण विश्वास भी एक अच्छा कदम है। फिर,प्रक्रिया का सरलीकरण भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सभी सुझाव बहुत अच्छे हैं।

महोदय,हमें एक बात स्वीकार करनी होगी। अन्वेषण गतिविधियों पर पर्याप्त सर्वेक्षण का अभाव है,जो जोरों पर है। इस बिंदु पर अभी चर्चा होनी है क्योंकि हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारे सभी संसाधन क्या हैं? हम इसे कितनी दूर ले जा सकते हैं? इन सभी चीजों का विस्तार से अध्ययन करना होगा।

महोदय,एक और बिंदु जो मैं उठाना चाहता हूँ वह इस निर्णय लेने की प्रक्रिया में पंचायत की भागीदारी के बारे में है। इस मुद्दे पर स्थायी समिति में पहले ही बहस हो चुकी थी, चाहे यह सहमति हो या परामर्श हो। मेरा

दृढ़ मत है कि यह सहमति होनी चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय निकायों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इसी प्रकार जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा करनी होगी। स्थायी समिति ने यह कहते हुए भी सिफारिश की है:समिति चाहती है कि अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये,उन्हें निजी उपयोग के लिये खनिजों का परिवहन और भंडारण करने की अनुमति दी जाए,लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिये निर्धारित और अधिसूचित किसी भी वाणिज्यिक उपयोग के लिये नहीं।

इस खंड को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है। यह स्थायी समिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है।

इसी तरह,हम सब चाहते हैं कि यह स्थानीय लोगों के अनुकूल हो। मेरे विद्वान दोस्त इसके बारे में कह रहे थे। इसका स्थानीय लोगों के लिये लाभ होना चाहिए।

फिर,महोदय,एक और महत्वपूर्ण बिंदु मुआवजे के बारे में है। भूमि मालिकों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी।

इसी तरह,लोगों को प्रभावित करने वाला स्वास्थ्य संबंधी खतरा भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है,जिसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुरक्षा का सवाल भी कोई छोटी बात नहीं है। इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। संपत्तियों और अन्य संबंधित चीजों के नुकसान और क्षति के लिये मुआवजे के संबंध में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए।

अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि खनिज फाउंडेशन में एमपीएस, एमएलए और पंचायत सरपंच जैसे स्थानीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

इन कुछ सुझावों के साथ,मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

इस बिल के बारे में जो स्टेटमैन्ट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एंड रीजन्स हैं, उसमें विस्तार से दिया हुआ है कि यह बिल आया, ऑक्शन का प्रोविजन 1957 के एक्ट में नहीं था, इसलिये ऑक्शन का प्रोविजन लाने के लिये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आई है। मैं बहुत गम्भीरता के साथ विचार कर रहा था कि आखिर ऑक्शन की बात क्यों आई, ट्रांसपेरेन्सी के लिये, ताकि सबको पता लगे कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। यह शुरूआत कहां से हुई। मन में तकलीफ इस बात की है कि जनप्रतिनिधि जो इतने बहुमत से चुनकर यहां आते हैं, कहीं न कहीं जनता के विश्वास को उन्होंने धक्का पहुंचाया है, 1957 के एक्ट में जो विवेक उन्हें दिया गया था, उस विवेक का दुरुपयोग हुआ। यदि दुरुपयोग न हुआ होता तो शायद आज इस विधेयक की आवश्यकता न पड़ती। मैं चाहता हूँ कि हर काम केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक न जाए और उसकी प्रतिकूल टिप्पणी के बाद में हम लोग जागना न शुरू करें और फिर कहें कि नहीं पारदर्शिता आयेगी, हम ऑक्शन का प्रोविजन कर रहे हैं। यह ऑक्शन का प्रोविजन करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया होता और ईमानदारी के साथ अपना काम किया होता।

अब यह विधेयक आज संशोधन के लिये आया है, मैं इसका स्वागत भी करता हूँ और मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई भी देता हूँ कि कम से कम पारदर्शिता के क्षेत्र में उन्होंने यह बहुत अच्छा काम किया है। मैं एक-दो सुझाव दूंगा। यह बात ठीक है कि ऑक्शन होगा, लेकिन ऑक्शन में भाग कौन लेगा, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, मजबूत होगी, जिसके पास एक निश्चित धनराशि की व्यवस्था होगी। जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो वहां के मूल निवासी हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि मूल निवासियों में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वे ऑक्शन में भाग ले सकें, क्योंकि जो व्यवस्था की गई है, उसमें वे हिस्सेदार हो ही नहीं सकते। फिर क्या जीवन भर के लिये उनकी किस्मत में मजदूरी लिख दी गई है? वहां पूंजीपति जायेंगे, बड़े-बड़े लोग

वहां जायेंगे और वहां के मूल निवासी, जो जन्म-जन्मांतर से मजदूरी करते आ रहे हैं, वे वही करते रहेंगे। भविष्य में उनकी नस्लों में सुधार करने के बारे में भी हमें सोचना चाहिए था।

मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वह इस बारे में भी विचार करें कि क्या कोई सहकारी समिति बनाकर हम स्थानीय व्यक्ति, जो वहां बसे हुए हैं, उन्हें एक मौका ओनरशिप का दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि यह एक प्राकृतिक असैट है, जो हमें दिया हुआ है। मैं इस बात के लिये आग्रह करता हूँ कि इसका भी प्रोविजन होना चाहिए और ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अगर इस रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो भविष्य के लिये क्या बचेगा। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिये पानी कितना आवश्यक है और पानी से आधिक जरूरी चीज दूसरी कोई नहीं है, लेकिन हमारे ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण आज पानी का भी संकट पैदा होता जा रहा है, चिंता पैदा होती जा रही है। अगर इसी प्रकार से हम मिनरल्स का भी एक्सप्लॉयटेशन करते रहे और उसमें हमने कोई कंडीशन न रखी, शर्त न रखी तो आगे भविष्य के लिये क्या बचेगा। इसलिये मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये कुछ मौलिक बिन्दु हैं, इन मौलिक बिन्दुओं के ऊपर विचार होना चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सी. एन.जयादेवन (त्रिस्सूर):मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अध्यादेश,2015 का विरोध करने के लिये खड़ा हूँ। यह मुख्य रूप से इसलिये है क्योंकि हम संसद में उन्हें पारित करके अध्यादेशों के अलोकतांत्रिक मार्ग से कानून बनाने के खिलाफ हैं। मोदी जी के नेतृत्व वाली नंदा सरकार ने 26 मई,2014 को पदभार ग्रहण करने के बाद से नौ अध्यादेशों को प्रख्यापित किया है। यद्यपि पहले की सरकारों ने भी अध्यादेशों को प्रख्यापित किया है,यह अभूतपूर्व है कि एक सत्र में छह अध्यादेश जारी किये गए थे, जिनमें से दो अध्यादेशों को दोनों सदनों में पारित करने के लिये पुनः प्रख्यापित किया गया था।

दूसरा,वर्तमान अध्यादेशों में खदान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 में संशोधन करना है ताकि थोक खनिजों और अधिसूचित खनिजों दोनों के लिये बाध्यकारी पट्टों के अनुदान में नीलामी नीति की अनुमति दी जा सके और निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके।

अपराह्न 01.00 बजे।

लेकिन कुछ राज्य सरकारें जैसे ओडिशा,गोवा और कर्नाटक अध्यादेश में कई प्रावधानों को लेकर संशय में हैं। उन्हें डर है कि अध्यादेश से राज्यों के अधिकारों को कमजोर कर दिया गया है और उन्होंने केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में सवाल उठाए हैं। अध्यादेश ने आबद्ध खानों के मामले में नवीकरण के लिये लंबित खानों के लिये पट्टे को 15 वर्ष और अन्य के लिये पांच वर्ष तक बढ़ा दिया है। पट्टे के विस्तार का मतलब है कि राज्यों ने वह पैसा खो दिया है जो उन्होंने अन्यथा सामान्य पाठ्यक्रम में इसकी समाप्ति के बाद अनुबंध को फिर से बोली लगाकर किया होगा। उनका कहना है कि ये प्रावधान राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना अंतिम अध्यादेश में शामिल किये गए थे। राज्यों के साथ एक और खट्टा बिंदु रियायतें देने की विधि में संशोधन है। अध्यादेश में इस क्षेत्र के लिये नए नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्तियों में 12 नए खंड जोड़े गए हैं,उदाहरण

के लिये,सभी खनिज रियायतें अब केवल नीलामी के माध्यम से दी जा सकती हैं। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है।

<u>अपराह्न 01.02 बजे</u>

बीमा कानून (संशोधन) विधेयक,2015*

माननीय उपाध्यक्ष:अब,हम आइटम नंबर .13 ले रहे हैं। तत्पश्चात हम फिर से चर्चा शुरू करेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा):श्री उपाध्यक्ष महोदय,मैं बीमा अधिनियम,1938 और सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम,1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम,1999 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि बीमा अधिनियम,1938 और सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम,1972 का और संशोधन करने और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम,1999 में संशोधन करने के लिये विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

...*(व्यवधान)*

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2, दिनांक 03.03.2015 में प्रकाशित।

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे नोटिस मिला है। मैं हर एक को बुलाऊंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठें। अब,श्री पी.करुणाकरन।

श्री पी.करुणाकरन (कासरगोड):महोदय,मैं नियम 72 (1) के तहत विधेयक को पुरजोर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

मेरी आपत्ति का कारण यह है कि विधेयक अभी राज्य सभा के समक्ष लंबित है। लोक सभा में या राज्य सभा में प्रक्रिया के नियमों के अनुसार,यदि कोई विधेयक लोक सभा के समक्ष रखा जाता है,तो उसे पारित करना होता है। फिर यह राज्य सभा में जाता है। यह राज्य सभा के मामले में भी सच है। इसलिये,यह विधेयक राज्य सभा के समक्ष लंबित है; यह पराजित नहीं है; इसे स्थगित नहीं किया गया है और इसे वापस भी नहीं लिया गया है। हमें राज्य सभा से कोई संदेश नहीं मिला है। बेशक,महासचिव को यह संदेश देना होगा कि राज्य सभा में इसकी क्या स्थिति है। इसलिये,इसी समान चरित्र वाला यह विधेयक इस सदन में नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिये,इस विधेयक को रखने की सरकार की ओर से कोई विधायी क्षमता नहीं है।

फिर से,यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि सरकार कुल मिलाकर बीमा कंपनी का निजीकरण करने जा रही है। वे सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाने जा रहे हैं। पश्चिमी देशों में निजीकरण के गलत होने के पर्याप्त उदाहरण हैं। अमेरिका और अन्य देशों जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति क्या है? हम जानते हैं कि अमेरिका में पांच प्रमुख बैंक ध्वस्त हो गए,और यह अन्य मामलों में भी सच है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय: आप बिल की योग्यता पर मत जाइये। आप लम्बा भाषण देने के बजाय यह कहते हैं कि आपकी क्या आपत्तियाँ हैं, क्योंकि किसी भी तरह से हम इस विधेयक पर बाद में चर्चा करने जा रहे हैं। उस समय,आप अपने पूरे विचार दे सकते हैं।

श्री पी.करुणाकरण:मैं इस आधार पर विरोध करता हूँ कि सरकार को इस विधेयक को इस सभा के सामने रखने का कोई अधिकार नहीं है,क्योंकि यह विधेयक राज्य सभा के समक्ष लंबित है। इसलिये मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूँ।

डॉ. ए. संपत (अटींगल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति दो बिंदुओं के संबंध में है। एक तो यह है कि उच्च सदन में इस तरह का विधेयक लाया गया था। उच्च सदन, राज्य सभा ने एक प्रवर समिति का गठन किया और विधेयक को चयन समिति को सबूत लेने के लिये और उनकी राय के लिये भी भेजा गया था। जबकि यह ऊपरी सदन के समक्ष लंबित था,इस सत्र के दौरान कार्यपालिका ने एक प्रस्ताव पेश किया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और हमारे सदन के अध्यक्ष श्री एम.मंत्री ने ऊपरी सदन में उस विधेयक को वापस लेने के लिए राज्य सभा में प्रस्ताव पेश किया। फिर,फिर से ऊपरी सभा ने उस प्रस्ताव को स्थगित करने का फैसला किया। मंत्री जी इसलिये,मेरा निवेदन है,पहले,विधेयक अब ऊपरी सदन की संपत्ति है। दूसरा, यदि इसे वापस लेना है,तो उस गति को आस्थगित रखा जाता है, अर्थात इसे स्थगित कर दिया जाता है।

महोदय, भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है:"संघ के लिये एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सभा होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोक सभा के रूप में जाना जाएगा। इसलिये,पहले राज्यों की परिषद का जिक्र किया गया है।

यह विधेयक उच्च सभा में लाया गया है और उन्होंने एक प्रवर समिति का गठन किया है। जबकि यह उस घर की संपत्ति है,सरकार इसे यहां पेश करने की कोशिश कर रही है। मैं सरकार के किसी भी माला फ़िडई इरादे का आरोप नहीं लगा रहा हूं,लेकिन किसी तरह वे इस धारणा में थे कि इसे वापस लिया जाना है और एक प्रस्ताव रखा गया था। हूँलेकिन उस हाउस ने फ़ैसला किया कि उसको टाल दिया जाए। वैसे भी,मैंने अपनी आपत्तियां रखीं। ये बहुत गंभीर आपत्तियां हैं। मैं विधेयक के गुणों और खामियों में नहीं जा रहा हूँ,जो मैं बाद में करूंगा। किंतु मेरा विनम्र निवेदन है कि इस सभा में कोई औचित्य नहीं है,उसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है,कोई अधिकार नहीं है,कोई शक्ति नहीं है,उस पर कोई विशेषाधिकार है जब ऐसा कोई विधेयक उस सभा के समक्ष लंबित हो। इसलिये, इस समय इस सभा में इसे पेश नहीं किया जाना चाहिए।

प्रो. सौगत राय (दमदम): कार्यविधि नियम के नियम72 (1) के तहत, मैं बीमा अधिनियम, 1958 और सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972में और संशोधन करने तथा

आईआरडीए प्राधिकरण अधिनियम, 1999में "के संशोध्नार्थ बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2015 को पेश किये जाने का विरोध करता हूँ।

मेरे सम्मानित सहयोगियों ने पहले ही कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया है। विधेयक का इतिहास इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया है। सबसे पहले,प्रवर समिति,जिसे अगस्त 2014 में नियुक्त किया गया था,ने 99 आधिकारिक संशोधनों के साथ बीमा कानूनों में संशोधन शामिल किये। कैबिनेट ने प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन किये गए विधेयक को विचार और पारित करने के लिये विधेयक को सक्षम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

तदनुसार,वित्त मंत्री,जो यहां नहीं हैं और राज्यों में गए थे,ने राज्य सभा में एक प्रस्ताव का नोटिस दिया कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन किये गए विधेयक पर विचार किया जाए और पारित किया जाए। हालांकि,2014 के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सभा में विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका। फिर से,सरकार ने किसी कारण से महसूस किया कि मामले में कुछ तात्कालिकता है। इसलिये,कैबिनेट ने 24 दिसंबर को बीमा कानूनों (संशोधन) अध्यादेश 2014 की घोषणा को मंजूरी दी और इसे 26 दिसंबर,2014 को जारी किया गया था। चालू सत्र में अध्यादेश जारी होने के बाद सरकार ने राज्य सभा में बीमा कानून (संशोधन) विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया। हालांकि,सरकार के प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सका। अतः तथ्य यह है कि राज्य सभा द्वारा नियुक्त प्रवर समिति की प्रतिवेदन के अनुसार बीमा कानून (संशोधन) विधेयक राज्य सभा में ही रहता है और राज्य सभा की सम्पत्ति है।

आप मुझे भारत के संविधान के संचालन के पिछले 65 वर्षों में एक उदाहरण दिखाते हैं कि एक विधेयक जबकि यह अभी भी एक सभा में लंबित है,दूसरे सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यह पूरा संविधान जैसा कि द्विसदनीय व्यवस्था की डॉ. संपत की बातों से इंगित हुआ था। जहां तक वित्तीय मामलों का संबंध है,राज्य सभा के पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जहां तक विधायी मामलों का सवाल है, राज्य सभा के पास लोक सभा जैसी समान शक्तियां हैं। इसलिये,जबकि विधेयक राज्य सभा में ही रहता है,हमें विधेयक पर आपत्ति है।

हम बीमा में इस 49 प्रतिशत एफडीआई से सहमत नहीं हैं लेकिन यह बिल का सार है और मैं इसमें नहीं जाऊंगा।

महोदय, मैं प्रक्रियात्मक बिंदु की बात कर रहा हूँ कि जब यह विधेयक संसद के दूसरे सभा की संपत्ति बना हुआ है,तो क्या लोक सभा इसे नजरअंदाज कर सकती है और पहले अध्यादेश ला सकती है और फिर विधेयक पेश कर सकती है? क्या हम एक अध्यादेश राज के अधीन हैं? क्या हम एक ऐसी प्रणाली के अधीन हैं जहां संवैधानिक इम्ब्रोग्लियो हो? इन प्रश्नों का उत्तर और स्पष्टीकरण केवल इस विधेयक के लिये ही नहीं,बल्कि भावी पीढ़ियों के लिये भी देना होगा कि क्या एक सभा में लंबित रहने वाला और उस सभा द्वारा वापस लेने की अनुमति न देने वाला विधेयक दूसरे सभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है। वही बिल एक घर से दूसरे घर में जा रहा है,फिर दूसरे घर में और फिर बीच में एक अध्यादेश आ रहा है। सरकार को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए।

मेरे आदेश पर पूरे बल के साथ,मैं बीमा कानूनों (संशोधन) विधेयक को पेश करने का विरोध करता हूँ। हम बीमा कानून (संशोधन) विधेयक को पेश करने के विरोध में इस प्रस्ताव पर एक मत विभाजन की मांग करेंगे।

श्री एम.बी.राजेश (पालक्काड़): महोदय, मैं इस विधेयक के प्राक्कथन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के विरोध में मेरे कई साथियों ने पहले ही मुद्दे उठाए हैं। मैं मुख्य रूप से इस सभा की विधायी क्षमता के सवाल पर इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूँ क्योंकि अन्य माननीय सदस्यों के रूप में। सदस्यों ने बताया है,यह विधेयक अभी भी दूसरे सभा के समक्ष लंबित है और सरकार दूसरे सभा में लंबित विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कराने में विफल रही है।हूँलिये इसलिये,जब विधेयक अभी भी दूसरे सदन में लंबित है,तो सरकार के पास इस विधेयक को इस सभा में पुरःस्थापित करने का कोई अधिकार और कोई अधिकार नहीं है।

महोदय,सरकार शॉर्ट-कट ले रही है। सरकार संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। सरकार भी अपनी सुविधा के अनुसार प्रक्रिया के नियमों को झुका रही है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। 65 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। सरकार एक नई मिसाल कायम कर रही है। यह हमारे लोकतंत्र और हमारी संसद के कामकाज को प्रभावित करेगा। इसलिये,ऐसा नहीं होने देना चाहिए। चूंकि यह बिल दूसरे सदन में लंबित है,इसलिये मैं इस बिल को इस सदन में लाने का विरोध करता हूँ।

श्रीमती पी.के.श्रीमती शिक्षक (कन्नूर):महोदय,मैं इस विधेयक के पुरजोर विरोध करती हूँ। मेरे विद्वान और वरिष्ठ सहयोगी पहले ही यहां बोल चुके हैं। वास्तव में,सरकार एक बुरी मिसाल बना रही है। यह उनके भाषणों से साबित होता है। इसलिये,हम एक बुरी मिसाल नहीं बनाना चाहते हैं। वास्तव में,यह विधेयक जनविरोधी और राष्ट्र विरोधी है। इसलिये,मैं इस विधेयक के पुरजोर विरोध करती हूँ। मैं सरकार से इस विधेयक को पुरःस्थापित न करने का आग्रह करती हूँ।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):श्री अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 72 के तहत विधेयक को पुरःस्थापित करने और निम्नलिखित आधारों पर लोक सभा की सरकारी विधायी प्रक्रिया के संबंध में संसदीय प्रक्रिया अमूर्त श्रृंखला 7 के खंड 6 का भी विरोध करना चाहूँगा। सबसे पहले,कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाता है क्योंकि वही विधेयक दूसरे सदन में लंबित है। इसे मेरे माननीय मित्रों ने पहले ही उद्धृत किया है। इस मामले में,मैं एक अलग बिंदु पर हूँ। मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 24.12.14 पर,अगले ही

दिन सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई,अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। हूँलियेआप कृपया देख सकते हैं कि विधेयक क्या है। विधेयक में 99 संशोधन हो रहे हैं। उनमें से 88 संशोधन वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर हैं जो वर्ष 2008 में गठित की गई थी और श्री यशवंत सिंहा की अध्यक्षता में हुई थी। श्री यशवंत सिन्हा,स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में,वर्ष 2011 में प्रतिवेदन प्रस्तुत की, और 88 सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और संशोधन के रूप में विधेयक में शामिल किया गया है।

दूसरे,उसके बाद,विधेयक को 2014 के बीमा कानूनों (संशोधन) विधेयक के रूप में लौटा दिया गया था,और फिर से इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया है और 11 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इन्हें भी विधेयक में शामिल किया गया। इसका मतलब है कि 99 संशोधन हैं।

महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि तत्पश्चात जब यह स्थायी समिति की जांच के पास चला गया, तो इसकी प्रवर समिति द्वारा जांच की गई; और उसके बाद विधेयक का नाम पुनः रखा गया और इसे सभा में पुरःस्थापित किया गया। तो,यह घर की संपत्ति है,जो पहले ही कहा जा चुका है। तत्पश्चात उन्होंने विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया। इसे टाल दिया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि विधेयक और विधायी प्रक्रिया अभी भी ऊपरी सदन में है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। संसद के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। इसलिये,निश्चित रूप से हम सभापीठ से भी व्यवस्था चाहते हैं।

मेरा कहना यह है कि मान लीजिए कि राज्य सभा या ऊपरी सभा कल या दिन-पर-कल विधेयक पारित करती है... *(व्यवधान)*

श्री शिवकुमार उदासी (हावेरी):यह एक काल्पनिक प्रश्न है।

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन:नहीं,यह काल्पनिक नहीं है। यह बिल... *(व्यवधान)* नहीं,सरकार को मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : हस्तक्षेप न करें। वह जो कहना चाहता है उसे कहने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन: महोदय, मैं केवल अपने कानूनी बिंदुओं पर हूँ। मान लीजिए कि हम विधेयक को पारित करते हैं। आगे की कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई यह है कि इसे राज्य सभा में प्रेषित किया जाना है। अगर यह राज्य सभा में जाता है तो क्या होगा? राज्य सभा में, एक समान विधेयक है। राज्य राज्य सभा में इसे कैसे बनाया जा सकता है? इसलिये, मेरा कहना है कि इस सभा की विधायी क्षमता पर रोक लगा दी गई है क्योंकि एक समान विधेयक है जिसमें विधायी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और 99 संशोधन शामिल किये जा चुके हैं। इसलिये, हमें उस सदन का सम्मान करना चाहिए।

महोदय, विधायी अभ्यास के लिये, में दूसरा बिंदु अलग है। यह सभी रीति-रिवाजों, अभिसमयों और विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध है कि हम ये सभी काम कर रहे हैं।

महोदय, एक और आपत्ति यह है कि उद्देश्यों और कारणों का कथन में तथ्यात्मक त्रुटि है। यदि आप वस्तुओं और कारणों के कथन के पैराग्राफ 2 को देखते हैं, तो इसमें कहा गया है कि:"विधेयक के.पी.नरसिम्हन समिति और विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है। मेरा कहना है कि के.पी.नरसिम्हन समिति या विधि आयोग ने कभी सिफारिश नहीं की है कि 29 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया जाना चाहिए,जो कि बिल्कुल त्रुटि है... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : आप इसके गुण-दोष पर विचार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन:नहीं,यह मामले की योग्यता नहीं है। वस्तुओं और कारणों के कथन में एक तथ्यात्मक त्रुटि है।

माननीय उपाध्यक्ष: आप इस विधेयक पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन: महोदय,मेरे पास नियम 67 के तहत एक और बिंदु है।

माननीय उपाध्यक्ष: सबसे पहले आप नियम का हवाला दीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: नियम 67 के तहत भी,जैसा कि मैं समान विधेयकों के बारे में कह रहा था,और इस सभा में भी एक विशिष्ट नियम है, यानी नियम 67,जिसमें कहा गया है कि:

"जब कोई विधेयक सदन के समक्ष लंबित है,तो एक समान विधेयक की सूचना,चाहे वह लंबित विधेयक के लागू होने से पहले या बाद में प्राप्त हो, यथास्थिति,लंबित सूचनाओं की सूची से हटा दी जाएगी,या दर्ज नहीं की जाएगी,जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे।"

इसका अर्थ यह है कि एक समान विधेयक, जो दूसरे सभा में लंबित है,को व्यवसाय की सूची में नहीं लिया जा सकता और इसे एजेंडे में भी नहीं रखा जा सकता। इसलिये,हम एक नई मिसाल बना रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया विधेयक को पुरःस्थापित न करें क्योंकि हम विधायी परिपाटी के सभी सिद्धांतों और संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध एक नई मिसाल कायम करेंगे। इसलिये,मैं इस विधेयक के पुरजोर विरोध करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष: क्या माननीय? संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे?

प्रो. सौगत राय: महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी को इसका उत्तर देना है।

माननीय उपाध्यक्ष : नहीं, जवाब तो मंत्री जी देंगे, लेकिन वह इस पर हस्तक्षेप कर कुछ कहना चाहते हैं.

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): मैं विधेयक पर उत्तर नहीं दे रहा हूँ। मैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते एक प्रक्रियात्मक मुद्दे पर बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि नियम 72 या नियम 67,जो भी उन्होंने उद्धृत किया है,वह भारतीय संसद और लोक सभा की विधायी क्षमता पर सवाल उठा रहा है,जिसे भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है।

महोदय,इस सभा का अधिकार क्षेत्र है। इस संबंध में,नियम 112 और 67 को भी संदर्भित किया जा सकता है। नियम 67 कहता है कि यदि स्पीकर इसकी अनुमति देता है,तो इसे पेश किया जा सकता है। स्पीकर ने अनुमति दे दी है और इसीलिये इसे पेश किया जा रहा है। तीसरा,जिस क्षण एक अध्यादेश जारी किया जाता है,वह कानून है। अब हम कोशिश कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

प्रो. सौगत रायः केवल कुछ समय के लिये,यानी छह सप्ताह तक।

श्री एम.वेंकैया नायडू: अध्यादेश के जीवनकाल में की गई कार्रवाई छह सप्ताह तक वैध है। तो,यह अध्यादेश अप्रैल के 5वें या 6वें तक मान्य है।

प्रो. सौगत रायः यह अप्रैल के पहले सप्ताह तक वैध है।

श्री एम.वेंकैया नायडू:मैं यह कहकर अधिक विशिष्ट हूं कि यह अप्रैल के 5वें तक मान्य है।हूँ संसद अपने विवेक से अध्यादेश को कानून में बदलकर कानून बनाने की कोशिश कर रही है। सभा को चर्चा करने,बहस करने और फिर निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। स्पीकर ने इसकी अनुमति दे दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा,'यह जनविरोधी है' और 'यह इस समिति के खिलाफ है और सभी के खिलाफ है' जैसे सभी बिंदुओं पर बहस के दौरान चर्चा की जा सकती है.... *(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय:आप राज्य सभा के सदस्य थे। ... *(व्यवधान)*

श्री एम.वेंकैया नायडू: श्री प्रेमचन्द्रन, जब मैं धैर्य रखूंगा तो आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिएप्रेमचन्द्रन। ... *(व्यवधान)*

माननीय. उपाध्यक्ष: मंत्री जी अपने पैरों पर खड़े हैं और वह जो कह रहे हैं उन्हें पूरा करने दीजिए।

श्री एम.वेंकैया नायडू:जब मैं जवाब दे रहा हूँ,तो इसे मुझ पर छोड़ दें। मेरा कहना यह है कि माननीय सदस्य श्री के.सदस्य ने कुछ नियमों का हवाला दिया है। मैं नियम 112 के खंड (2) से स्पष्ट रूप से उद्धृत कर रहा हूँ जो दो विधेयकों के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करता है,जो पर्याप्त रूप से समान हैं। यह एक सुस्थापित प्रथा है और सरकार को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी भी सभा में विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। इस सरकार ने अध्यादेश को लोक सभा में कानून में बदलने के लिये इस विधेयक को लाने का काम किया है। तो, उस खाते में कोई समस्या नहीं है। विधेयक पर विचार किये जाने के बाद हम गुणों पर चर्चा करते हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज):संसद में दो सदन होते हैं। ... *(व्यवधान)*

माननीय. उपाध्यक्ष : आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं और मंत्री जी अब जवाब देने जा रहे हैं। कृपया उसे पहले सुनें। मंत्री महोदय:

...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : मैंने मंत्री जी से जवाब देने को कहा था, दूसरों से नहीं।

श्री जयंत सिन्हा:महोदय,मैं माननीय उपसभापति महोदय से अनुरोध करूंगा। जिन सदस्यों ने बारी-बारी से इसका पालन करने के लिये संसदीय प्रोटोकॉल का पालन करने की हमारी इच्छा का लाभ उठाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्ष को संबोधित करें।

श्री जयंत सिन्हा: श्री उपसभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी संसदीय नयाचार प्रस्तुत करने में बहुत स्पष्ट रहे हैं। हम विधेयक को पेश करने और इसे मतदान के लिये रखने के अपने अधिकारों के भीतर हैं। यदि आप हमें अनुमति देते हैं,तो मुझे लगता है कि हम ऐसा करने के अपने अधिकारों के भीतर हैं। दूसरी बात मैं यह भी कहूँगा कि यह संवैधानिक ज़िम्मेदारी है कि जब कोई अध्यादेश मौजूद हो,तो हमें छह सप्ताह के भीतर उसे संसद में प्रस्तुत करना चाहिए। वही माननीय सदस्य हैं। जो सदस्य हमारे बारे में इतने आंदोलित हो रहे हैं या उन्माद में हैं कि अगर हमने यह नहीं किया होता,तो वे हम पर विधेयक को पेश नहीं करने के लिये हमारी संवैधानिक ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते। इसलिये,उनके पास दोनों तरह से नहीं हो सकता है। किसी भी मामले में, मैं बिल को मत के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"बीमा अधिनियम, 1938और साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोध्नार्थ करने के लिये विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

जो लोग इसके पक्ष में हैं, वे कृपया 'हाँ' कहेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: 'हां'।

माननीय उपाध्यक्ष: जो लोग विरोध में हैं वे कृपया "नहीं" कहेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: 'नहीं'।

माननीय उपाध्यक्ष: मुझे लगता है कि 'हां' का मतलब है। हां' के पक्ष वाले

कुछ माननीय सदस्यों ने स्वयं को संबद्ध किया। सदस्यः 'नहीं' है। हम एक विभाजन चाहते हैं। … *(व्यवधान)*

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन:महोदय,हम एक विभाजन चाहते हैं।

प्रो. सौगत राय: महोदय, हम विभाजन चाहते हैं।

श्री पी.करुणाकरण:महोदय,हम एक विभाजन चाहते हैं। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : लॉबी खाली होने दीजिए-

स्वचालित मत रिकॉर्डिंग प्रणाली के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मैं सभी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने का अनुरोध करता हूँ। महासचिव स्वचालित मत रिकॉर्डिंग प्रणाली के संचालन के बारे में पढ़ने के लिये।

महासचिव: माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतांकन प्रणाली के संचालन में निम्नलिखित बिंदुओं पर आकर्षित किया जाता है:-

1. एक विभाजन शुरू होने से पहले,प्रत्येक माननीय। सदस्य को अपनी सीट पर कब्जा करना चाहिए और सिस्टम को केवल उस सीट से संचालित करना चाहिए;
2. मनोज कुमार झा: मैं इस विधेयक के पक्ष में हूँ। वक्ता कहते हैं,"अब विभाजन",महासचिव मतदान बटन को सक्रिय करेंगे,जिसमें माननीय सभापति के दोनों ओर डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर "लाल बल्ब" होंगे। स्पीकर की कुर्सी चमक जाएगी और एक साथ एक गोंग ध्वनि सुनाई देगी।
3. मतदान के लिए,माननीय सदस्य डा.सदस्य कृपया गोंग की आवाज के बाद ही निम्नलिखित दो बटन एक साथ दबा सकते हैं और मैं गोंग की आवाज के बाद ही दोहराता हूं।लियेहूँ
4. जिन दो बटन को दबाया जाना है वह एक "लाल वोट" बटन है जो हर माननीय के सामने है। हेड फोन प्लेट पर सदस्य और दबाया जाने वाला दूसरा बटन सीट के डेस्क के शीर्ष पर तय किये गए निम्नलिखित बटन में से कोई एक है:

    1. पक्ष में, 'हां' वाले
    2. विपक्ष में 'ना' वाले

3. पीला रंग से दूर रहना

5. यह भी आवश्यक है कि दोनों बटन को तब तक दबाया जाए जब तक कि दूसरे गोंग को सुना न जाए और प्लाज्मा डिस्प्ले के ऊपर लाल बल्ब बंद न हो जाएं।

6. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि उनके मत पंजीकृत नहीं होंगे:

- यदि बटन को पहले गोंग से पहले दबाया जाता है।

- यदि दोनों बटन को दूसरे गोंग तक एक साथ दबाया नहीं जाता है।

7. माननीय सदस्यगण वास्तव में माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों ओर लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड पर अपना वोट "मत" सकते हैं।

8. यदि वोट पंजीकृत नहीं है, तो वे पर्चियों के माध्यम से मतदान के लिये कह सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: अब लॉबी साफ हो गई है।

प्रश्न यह है:

"कि बीमा अधिनियम,1938 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम,1972 का और संशोधन करने तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम,1999 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

लोक सभा का विभाजन*:*

मत विभाजन पक्ष में, 'हां' वाले **अपराह्न अपराह्न**

01.26 बजे।

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

बिरला, श्री ओम

चक्रवर्ती, श्रीमती बिजोया

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री राम तहल

@चौहान,श्री देवुसिंह

@चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बाबूलाल

डेका, श्री रामेन

देवी, श्रीमती रमा

धोत्रे, श्री संजय

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@जिगाजीनागी,श्री रमेश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

मैडम, श्रीमती पूनमबेन

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

माझी, श्री बलभद्र

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

@मोदी, श्री नरेन्द्र

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मुंडा, श्री कड़िया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नगर, श्री रोड़मल

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

पाल, श्री जगदम्बिका

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री रामविलास

@पातासनी,श्री प्रसन्न कुमार

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

$पटोले,श्री नाना

@फुले,साध्वी सावित्री बाई

@प्रधान,श्री नागेंद्र कुमार

प्रताप, श्री कृष्ण

@राज,श्रीमती कृष्ण

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

$ उन्होंने इसमें पर्ची से पक्ष में शुद्धि की।

राजोरिया, डॉ. मनोज

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठोर, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी.वी. मिधुं

रेनुका, श्रीमती बुट्टा

रूडी, श्री राजीव प्रताप

@साहू,श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सांपला, श्री विजय

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

@श्याल,डॉ. भारतीबेन डी

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

सिंहा, श्री जयंत

सोलंकी,डॉ. किरिट पी

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

@सुप्रियो,श्री बबुल

स्वेन, श्री लादू किशोर

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठकुर, श्री अनुराग सिंह

ठकुर,श्रीमती सावित्री

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासी, श्री शिवकुमार

उटवाल, श्री मनोहर

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यदव, श्री हुक्मदेव नारायण

यदव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

@येदियुरप्पा,श्री बी.एस.

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>विपक्ष में ‘ना’ वाले</u>

@अहमद,श्री ई।

बख्शी, श्री सुब्रत

श्री अभिषेक बनर्जी

बनर्जी, श्री कल्याण

बनर्जी, श्री प्रसून

बर्मन,श्री बिजय चन्द्र

बीजू, श्री पी. के.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

डी (नाग),डॉ. रत्ना

देव, कुमारी सुष्मिता

ध्रुवनारायण, श्री आर.

फ़ैज़ल, मोहम्मद

जॉर्ज, एड. जॉयस

घोष, श्रीमती अर्पिता

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गोई, श्री गौराव

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

करुणाकरन,श्री पी

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

खान, श्री सौमित्र

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

श्री कौशलेन्द्र कुमार

महतो, डॉ. मृगांका

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

नागेश, श्री गोदाम

नूर,श्रीमती मौसम

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रॉय, प्रो. सौगत

श्रीमती संध्या राय

राय,श्रीमती शताब्दी

साहु, श्री ताम्रध्वज

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

संपत, डॉ. ए.

संघामिता, डॉ. ममताज

सरेन,डॉ. उमा

सुरेश, श्री डी.के.

अध्यापक, श्रीमती पी.के. श्रीमति

प्रो. के. वी. थोमस

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

<u>भाग नहीं लिया</u>

शून्य

माननीय उपाध्यक्ष: सुधार के अधीन*, विभाजन का परिणाम हैः

हाँ: 131

नही: 45

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री जी अब विधेयक पेश कर सकते हैं।

श्री जयंत सिन्हा:मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : लॉबी खोल दी जाए।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से अपने वोट भी दर्ज/सही किए:

आयस: 131 + सर्वश्री देवुसिंह चौहान, दुष्यंत चौटाला, रमेश जिगाजीनागी, नरेन्द्र मोदी, प्रसन्ना कुमार पटासानी, नाना पटोले, साध्वी सावित्री बाई फुले, श्री नागेंद्र कुमार प्रधान, श्रीमती कृष्ण राज, श्री लखन लाल साहू, डॉ. भारतीबेन डी. श्याल, सर्वश्री बाबुल सुप्रियो, बी.एस. येदियुरप्पा =**144**

विपक्ष में 'ना' वाले : **045** + श्री ई. अहमद-श्री नाना पटोले = **045**

<u>अपराह्न 01.33 बजे।</u>

बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश,2015* के बारे में

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष: मद संख्या 14 माननीय मंत्री जी

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा):श्री उपसभापति महोदय,मैं बीमा कानूनों (संशोधन) अध्यादेश,2014 (2014 का संख्यांक .8) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल कानून बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, संख्या एल.टी. 1875/16/15 देखें।

<u>अपराह्न 01.34 बजे।</u>

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प, 2015

और

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015.. जारी

माननीय उपाध्यक्ष: अब,हम मद सं 17 और 18 लेते हैं। श्री प्रह्लाद जोशी।

श्री प्रह्लाद जोशी (धारवाड़): श्री उपाध्यक्ष महोदय, परिवर्तन लाने का मूल उद्देश्य पृथ्वी के नीचे छिपी खनिज संपदा का अंधाधुंध दोहन रोकने,प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के गैरकानूनी खनन को रोकने के लिये है।

भारत में,खनन और खनिज विकास 18 वीं शताब्दी से पहले से अस्तित्व में है। सभा इस तथ्य से अवगत है कि खान और खनिज राष्ट्रीय संपदा हैं और यह क्षेत्र जीडीपी में लगभग तीन प्रतिशत का योगदान देता है। 2जी मामले में सर्वोच्च न्यायालय - रिट याचिका 10/211 डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ - *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष: श्री जोशी, कृपया कुछ देर के लिये अपनी सीट पर बैठ जाएं।

माननीय सदस्यगण, आज भोजनावकाश नहीं है तथा हम चर्चा जारी रख रहे हैं।

श्री एस.एस.आलूवालिया (दार्जिलिंग):महोदय,कृपया घोषणा करें कि मतदान किस समय होगा।

माननीय उपाध्यक्ष: आपको निर्णय लेना है। यदि आप बहस को जल्दी पूरा करते हैं,तो हम मतदान करेंगे।

श्री एस.एस.आलूवालिया:यदि आप समय की घोषणा करते हैं,तो सदस्य जा सकते हैं,अपना दोपहर का भोजन कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: मैंने पहले ही उन्हें बता दिया है कि मैं किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी (श्री एम. वेंकैया नायडू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप घोषणा करें कि मतदान अपराह्न 0200 बजे होगा ताकि माननीय सदस्य अपना भोजन कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष : महोदय : वही तो मैं बता रहा हूँ. श्री प्रह्लाद जोशी,आप जारी रख सकते हैं।

श्री प्रह्लाद जोशी:संबंधित राज्य,भारत के संघ को इस संबंध में उपयुक्त कानून बनाना होगा। मैं थर्ववेद का एक श्लोक उद्धृत करता हूँ जो कहता है:"हे पृथ्वी! जो कुछ भी हम आपसे खोदते हैं उसे फिर से भरना होगा और जितनी जल्दी हो सके बहाल करना होगा। ओह शुद्ध! हम आपको आपके दिल पर मारने का इरादा नहीं रखते हैं। " यही थर्ववेद कहता है। इसलिये,2g मामले में,सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य प्राकृतिक खनिजों का आबंटन करते समय नीलामी के तरीके को अपनाने के लिये कर्तव्यबद्ध है। मामले के इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व वाली नंदा सरकार ने 1957 के खनन अधिनियम के उन हिस्सों में संशोधन लाकर खनिजों के प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोकने का फैसला किया,जिन्होंने सरकार को अपने पसंदीदा क्षेत्रों को आबंटित करने की खुली छूट दी है। 1957 के अधिनियम में नीलामी या ई-नीलामी के माध्यम से खनन को लाइसेंस देने के लिये कोई प्रावधान नहीं था। इसलिये,सरकार की विवेकाधीन और मनमाने शक्तियों को हटाने के लिये विभिन्न खानों के खनन के लिये नीलामी के माध्यम से लाइसेंस प्रदान करने वाले अन्य वर्गों के बीच धारा 8a और धारा 10a,10b और 10c के साथ मूल अधिनियम की धारा 8 और धारा 10 में संशोधन करना चाहती है।

दूसरी तरफ से भी कई लोगों ने अध्यादेश का एक बड़ा मुद्दा बनाया है। संशोधन का उद्देश्य मुख्य रूप से विवेकाधिकार को समाप्त करना और ई-नीलामी द्वारा खनन क्षेत्र के आबंटन का प्रावधान करना है जो एक पारदर्शी तरीका है,पारदर्शिता में सुधार करना और खनिज संसाधनों के मूल्य के सरकार द्वारा बढ़े हुए हिस्से को प्राप्त करना है।

किसी ने पूछा,तात्कालिकता क्या थी? हम जानते हैं कि कोयला ब्लॉक आबंटन में क्या हुआ? हम सभी जानते हैं कि इसे कैसे संभाला गया और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में कैसे गया। तत्पश्चात जो हुआ वह सभी जानते हैं।

अब यहां तक कि वे बता रहे हैं कि इतनी तात्कालिकता क्यों है लेकिन जब अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया गया,तो हम जानते हैं कि 12.01.2015 को अध्यादेश जारी होने से ठीक पहले कर्नाटक की सरकार ने कैसा व्यवहार किया। कर्नाटक सरकार ने इस अध्यादेश के प्रावधानों को हराने के लिये सभी संभव षड्यंत्र किये और 50 वर्ष पूरे कर चुकी कुछ कंपनियों के खनन लाइसेंसों को नवीनीकृत करके यह विधेयक जो कानून बनने जा रहा है। उदाहरण के लिए,m/s का लाइसेंस। सेसा स्टरलाइट उद्योगों को 07.01.2015 को 50 वर्ष पूरे होने के बाद 201.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 4वें बार नवीनीकृत किया गया थालिये। कैबिनेट ने 05.01.2015 को अध्यादेश के लिये अपनी मंजूरी दे दी। अध्यादेश 12.01.2015 को राष्ट्रपति की सहमति से आया था। 07.01.2015 पर,उन्होंने सेसा स्टरलाइट उद्योगों के लिए 50 वर्ष पूरे होने के बाद 4वें समय के लिए 201 हेक्टेयर क्षेत्र आवंटिलियेआबंटितत किया। मैं यह बताना चाहूँगा कि यह कंपनी अवैध खनन कंपनियों की सूची में है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। इसके बावजूद,राज्य सरकार द्वारा 07.01.2015 को इस कंपनी के पक्ष में 20 साल के लिये पट्टा बढ़ाया गया है। यदि इसकी नीलामी की गई होती,तो कर्नाटक सरकार को कुछ हज़ार करोड़ रुपये मिल सकते थे लेकिन 1957 के पुराने अधिनियम की धारा 8 और 10 के तहत विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करके,जो अब लागू है,उन्होंने पट्टे को बढ़ा दिया है।

फिर से, 12.1.2015 और 19.1.2015 को, आठ कंपनियों के लिये,' सिद्धांत' अनुमोदन दिया गया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा,अध्यादेश को 7.1.2015 और 12.1.2015 और 19.1.2015 को प्रख्यापित किया गया था, इससे पहले कि राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी,आठ कंपनियों के लिये उनके लाइसेंस के विस्तार के लिये 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया गया था।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। हम दो बजे मतदान करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रह्लाद जोशी:मेरे पास केवल एक अंतिम बिंदु है। … *(व्यवधान)*

इन सभी कंपनियों के लाइसेंस दो-तीन साल पहले समाप्त हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीबीआई द्वारा अवैध खनन के लिये इन कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है और मामला अदालत में लंबित है। इसके बावजूद लाइसेंस और पट्टे बढ़ा दिए गए। यही वह जगह है जहां अध्यादेश की आवश्यकता है। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: अब आप अपनी बात समाप्त करें और बैठें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रह्लाद जोशी:विधेयक में भी विलम्ब हुआ। … *(व्यवधान)*

मैं माननीय रेल मंत्री से त्वरित हस्तक्षेप का आग्रह करता हूँ। जाँन ब्रिटास:मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इन सभी आठ कंपनियों को लाइसेंस का विस्तार,जिसे अनधिकृत रूप से दिया गया था,को रद्द किया जाना चाहिए।हूँ

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, देशभक्ति का एक गीत बहुत ही फेमस है - 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती।' यह बात बहुत सच है कि मेरे देश की धरती सोना और हीरे-मोती उगलती है। कुदरत ने हमारे देश की धरती को बहुत से हीरे-मोती और बेशुमार कीमती खनिज पदार्थ दिये हैं। लेकिन उन्हें कैसे यूज किया जा रहा है, कैसे खनिज पदार्थों को इल्लीगल माइनिंग की वजह से लूटा जा रहा है, इस बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कोयले की माइनिंग में क्या हुआ है, उस बारे में पूरा देश जानता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरफियर करना पड़ा, जिसकी वजह से कितनी दिक्कतें हुईं, यह भी सबको पता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुदरत ने दरियाओं के हार पंजाब को दिये। पंजाब का नाम पांच दरियाओं, पांच आब पर है। लेकिन दरियाओं में जो सेंड, रेत, बजरी है, उसके भी माफिया बने हुए हैं। आज गरीब के लिये नहीं, बल्कि अच्छे मिडिल क्लास के लोगों के लिये घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सेंड माफिया बहुत सक्रिय है। इल्लीगल माइनिंग की वजह से माइनिंग पर जो रोक लगी है, उसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत आ रही है। एक किसान अपने खेत में ट्या्ूबवैल नहीं लगा सकता, क्योंकि वह माइनिंग में आता है। लेकिन दरियाओं को लूटा जा रहा है *दरियाओं पर कब्जा कर लिया गया है, जो कुदरत ने दिये थे, जो सबके सांझे थे। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मैं कहना चाहता हूँ कि नहरों की सिंचाई ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : अगर कुछ भी असंसदीय होगा तो उसे हटा दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान : अभी एक केस कोर्ट में चल रहा है। धरती के नीचे जो पानी जा रहा है, पानी का लैवल नीचे जा रहा है, उसके लिये किसानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन पंजाब में धरती के नीचे से पानी

निकालने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां इतना पानी था। नहरों से सिंचाई का जो सिस्टम फेल हो गया है, उसे भी अगर अच्छा किया जाये तो यह इल्लीगल माइनिंग की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। रेत माफिया पर कंट्रोल हो, इस बारे में सरकार कुछ सख्त कदम उठाए।

मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि पंजाब ऐसे कानूनों की बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ताकि पंजाब को दोबारा पंजाब बनाया जा सके। इसे केलिफोर्निया या पेरिस बनाने की जरूरत नहीं है। पंजाब को दोबारा पंजाब बना दिया जाये। इससे देश की बहुत भलाई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती मौसम नूर (माल्दहा):धन्यवाद,महोदय,आपने मुझे अवसर दिया।

शुरुआत में,संशोधन प्रस्ताव के साथ हर पहलू ठीक लगता है,जिसमें हर इरादे को पूर्णता के साथ रखा गया है। हालांकि,एक फाइन प्रिंट चमकदार काम को रेखांकित करता है,हर अन्य अधिनियम और अध्यादेश की तरह इस सरकार को 'लोगों द्वारा,अमीरों के लिये' आगे लाया गया,चाहे वह भूमि अधिग्रहण अध्यादेश हो या बीमा बिल। यह अपने आप में राज्यों के अधिकारों को म्यूट करने और राज्यों के अधिकारों को कफन और आंखों पर पट्टी बांधने के कुटिल इरादे को छिपाता है। यह अध्यादेश राज्यों की संप्रभुता और शक्तियों के केंद्रीकरण पर हमला कम नहीं है।

महोदय,समय की कमी के कारण मैं सिर्फ तीन वर्गों पर बोलूँगी। सबसे पहले,मैं धारा 18 लूंगा,जिसे इस अधिनियम की धारा 20a के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। यह खंड इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्र सरकार राज्यों से निर्णय के अधिकार को कैसे नष्ट करना चाहती है और 'राष्ट्रीय हित' शब्द सबसे खतरनाक उपकरण बना हुआ है जिसका उपयोग किसी भी राज्य,व्यक्ति और संघ के खिलाफ किया जा सकता है यदि वे राष्ट्र और उसके हित के खिलाफ पाए जाते हैं,जहां राष्ट्र अक्सर सत्तारूढ़ व्यवस्था और हित होता है,जिसका अर्थ है कि वे अपने स्वयं के पक्ष में हैं।

विशेषकर से खनन क्षेत्र में जहां हमने पक्षपात को इसके उच्चतम स्तर पर देखा है, लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए राज्यों पर 'राष्ट्रीय हित' के बोगी को जोर नहीं दिया जा सकता है। इसलिये, जब तक 'राष्ट्रीय हित' पर स्पष्टता नहीं लाई जाती है और सरकार इस बिंदु पर स्पष्टीकरण जारी करने को स्वीकार करने के लिये तैयार है,तब तक अध्यादेश को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

यदि हम धारा 30 से गुजरते हैं,तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के एक आदेश को संशोधित कर सकती है। यह भी अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकता है,भले ही राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया हो।

धारा 9b जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में बात करती है। यह खंड एक और उदाहरण है जहां सरकार स्पष्ट रूप से राज्यों के लोगों की तुलना में खनिकों के हितों पर विचार कर रही है। हम सभी जानते हैं कि खनन किये गए उत्पाद लाइसेंसधारी द्वारा मूल लागत और पूंजीगत इनपुट की तुलना में कई गुना प्राप्त करते हैं। खनिजों की वर्तमान दरें बढ़ रही हैं और अभी भी सरकार ने खनिकों की सराहना के भाव के रूप में रॉयल्टी की एक-तिहाई की सीमा तय की है।

इसलिये,संशोधनों में प्रस्तावित जिला खनिज फाउंडेशन निगमों द्वारा की गई कई सीसीआर परियोजनाओं की तरह सिर्फ दिखावा है। हालाँकि,हम एक ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो छात्रों के ऋण के लिये अर्जित ब्याज को लिखने से इनकार करते हुए अमीरों के लिये धन कर में छूट पाती है।

जब तक इन प्रतिबंधात्मक खंडों को हटाया नहीं जाता है,तब तक इस संशोधन को घर की कसौटी पर खरा नहीं उतरना चाहिए।

अंत में, मैं कहूँगी कि हम एक संघीय संघ हैं और राज्यों द्वारा गठित राज्यों के संघीय दर्जे का लाभ उठाने के बिना, शायद ही हम एक संघ बने रहें। प्रगति का बहाना बनाने के लिये किये गए हस्तक्षेप से उस आधारभूत सिद्धांतों को अस्थिर नहीं किया जाना चाहिए जिन पर इस राष्ट्र का निर्माण किया गया है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मेरा प्रमंडल खनिज संपदा से भरा हुआ है। गुआ, चिरिया माइन्स में आयरन का भंडार है। इसके बगल में खरसवां में काइनाट का भंडार है। इससे 10 कि.मी. जादुगोड़ा में यूरेनियम का भंडार है। पांच किलोटर आगे गोल्ड माइन्स हैं और इससे आगे ताम्र जननी के रूप में कॉपर मिलता है। इतने वर्षों से मिनरल्स को दोहन हुआ लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, विकास नहीं हो पाया। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि मुसावनी क्षेत्र में सुरदा माइन्स लीज़ एक्सटैंशन नहीं होने के कारण बंद हो गई थी। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि, वे जो अध्यादेश लाए हैं, इससे उस क्षेत्र का विकास अवश्य होगा क्योंकि यहां ऐसी बहुत माइन्स हैं जो लीज़ न होने के कारण बंद पड़ी हैं।

महोदय, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 10-12 साल पहले मजदूरों को वी.आर.एस. दी गई लेकिन आज तक एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यहां माइन्स की ओर से छः स्कूल खोले गए थे लेकिन 12 साल से वहां के शिक्षकों के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। अब वे स्कूल को नहीं चला रहे हैं बल्कि बंद कर दिए गए हैं। इससे वहां के जनजातीय लोगों में काफी आक्रोश है। यहां मिनरल्स का दोहन होता है, यहां के मूल निवासियों का विस्थापन होता है लेकिन इनके मुआवजे और पुनर्वास के लिये किसी तरह से भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। फलस्वरूप वे लोग गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। फलस्वरूप, आज वे लोग गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। जहाँ तक अवैध खनन की बात है, तो गुड़ाबांदा एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पर पन्ना और नीलम का पन्द्रह वर्षों से अवैध खनन जारी है। जब मैं विधायक था, तो उस समय मैंने वहाँ के विधान सभा में इस बात को उठाने की कोशिश की थी कि इतने बड़े पैमाने पर पन्ना और नीलम की तस्करी हो रही है, इसे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार देखें और उनको सूचीबद्ध करके ऑक्शन के माध्यम से जो भी रॉयल्टी आए, चूंकि वह पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका है,

वहाँ न रास्ता है, न स्कूल है, न कॉलेज है, न ही अस्पताल है, उससे उस क्षेत्र का विकास करने की आवश्यकता है।

हम पिछले सौ वर्षों से देखते रहे हैं कि निजी उद्योग और सरकारी उद्योग द्वारा किरिबुरू मेगाहातुबुरू में, जहाँ लोहे का अयस्क होता है, उस जगह पर हम जाते हैं, तो उस जनजातीय क्षेत्र में पीने का पानी तक भी उपलब्ध नहीं होता है। वहाँ के लोग लाल पानी पीने के लिये मजबूर हैं। जिस प्रकार से यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में हम लोग देख रहे हैं, लोगों का पलायन भारी मात्रा में हो रहा है। अभी पिछले वर्ष, केरल के एक रेलवे स्टेशन से करीब 560 व्यक्ति, जो पूरी तरह से जनजातीय वर्ग से संबंधित थे, को जब रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया और उनको सर्च किया गया, तो उन लोगों के पास वापसी के लिये रेल का भाड़ा भी नहीं था।

महोदय, जिस प्रकार से वे लोग उस क्षेत्र के मालिक होते हुए भी आज दर-दर भटक रहे हैं, पलायन के लिये मजबूर हो रहे हैं, आज ह्युमैन ट्रैफिकिंग झारखण्ड में सक्रिय है, यह भी एक मूल कारण है कि जहाँ माइंस के खनन के बाद वहाँ के विस्थापितों का, वहाँ के लोगों का और सरकार के उदारीकरण के साथ-साथ लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिये पुनः सरकार को एक नियम बनाना चाहिए और वहाँ जो राजस्व है, उससे आधिक से आधिक विकास का काम करना जरूरी है।

जहाँ तक मेरे संसदीय क्षेत्र की बात है, तो वहाँ यूरेनियम का भंडार है और लगभग छः जगहों से यूरेनियम का उत्पादन होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वहाँ के आदिवासी लोगों को सिर्फ बीमारी मिली, उनके लिये विकास की कोई योजना नहीं बनी, लेकिन आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की जाए ताकि ट्राइबल क्षेत्रों में, जहाँ बिजली का घोर अभाव है, शिक्षा और विकास का काम अवरुद्ध है, वह सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिये उस क्षेत्र में विकास की गति को तेज किया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती बुत्ता रेणुका (कुरनूल):महोदय,एक युवा नेता,श्री जगनमोहन रेड्डी जी के नेतृत्व में हमारी वाईएसआर पार्टी शुरुआत से ही उन सभी मुद्दों पर सरकार का समर्थन कर रही है,जिनका उद्देश्य गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और केंद्र में सुशासन लाना है।

उस दिशा में,मैं प्रस्तावित खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक,2015 का स्वागत करती हूँ। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाई है और खानों की नीलामी करके ज्यादा आय पैदा की है। हालाँकि,चूंकि राष्ट्रीय संसाधन सीमित हैं,प्रकृति में,और फिर से उत्पन्न नहीं किये जा सकते हैं,इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि हम कोयले और लोहे जैसे संसाधनों का अन्य देशों की तरह बहुत कम उपयोग करें।

हम इस बात की सराहना करते हैं कि खनिज विनिर्माण उद्योगों के लिये और विद्युत उत्पादन के लिये कच्चा माल हैं। इसलिये,हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिये संरक्षित करना चाहिए। मैं कोयला खानों की नीलामी हेतु प्रावधान करने,जिससे देश के विकास के लिये उपलब्ध सरकार को पारदर्शिता और अधिक धन लाने जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की सराहना करती हूँ और बधाई देती हूँ। हालांकि,पट्टे की अवधि 30 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। अगर ऐसा होता है,तो यह आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगा। यह अगली पीढ़ी की उद्यमशीलता को वंचित करेगा। वर्तमान विधेयक पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति देता है। इससे सरकार की मंशा का दुरुपयोग हो सकता है। इससे कालाबाजारी और शोषण होगा। नीलामी में यदि पट्टे का उपयोग उस उद्देश्य के लिये नहीं किया जा सकता है जिसके लिये यह दिया गया है,तो सरकार को इसे अपने हाथ में लेना चाहिए और फिर से नीलामी करनी चाहिए। रु.का प्रस्तावित स्वच्छ ऊर्जा उपकर। 100 से रु.बजट में 200 प्रति मीट्रिक टन नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिये,यह कोयले की लागत में वृद्धि करेगा और इस तरह बिजली की लागत जो आम आदमी को प्रभावित करेगी।

माननीय अध्यक्ष : आप खनिजों के बारे में बोलते हैं। कोयले के मुद्दे पर बाद में चर्चा की जाएगी। तब आप इस पर बात कर सकते हैं।

श्रीमती बूटा रेणुका:महोदय,यह श्रमिकों के संबंध में भी है। विधेयक के प्रावधानों में खनन श्रमिकों को,विशेष रूप से उनकी भौतिक और वित्तीय सुरक्षा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने का अभाव है। खनन श्रमिकों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिये,सरकार के लिये इसके लिये सुरक्षा देना और हितधारकों को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

[हिन्दी]

खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। श्री प्रेमचन्द्रन जी, श्री आभिषेक जी, श्री अधीर रंजन चौधरी जी, श्री गोपालकृष्णन जी, श्री सौगत राय जी, श्री तथागत सत्पथी जी, श्री विनायक जी, श्री एम.निवासराव जी, श्री बी.बी. पाटिल जी, श्री ए. सम्पथ, श्री कड़िया मुंडा जी, श्री राजामोहन रेड्डी जी, श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा जी, श्री विजय कुमार जी, श्री प्रह्लाद पटेल जी, श्री मोहम्मद बशीर जी, श्री हुकुम सिंह जी, श्री प्रह्लाद जोशी जी, मान साहब, श्रीमती मौसम नूर, श्री विद्युत वरण महतो जी और श्रीमती रेनुका जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विधेयक के बारे में चर्चा में बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया। एक विषय पर सभी लोग एकमत थे कि संशोधन बहुत अच्छा है, जनहित में हैं और पारदर्शिता बढ़ाने वाला है। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों का हार्दिक आभिनन्दन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कही गयी कि यह अध्यादेश क्यों लाया गया, हमारे देश को आजादी प्राप्त हुए 65 वर्ष हुए हैं और हमारा लोकतंत्र इतना परिपक्व है कि आजादी के इन वर्षों में देश के राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले आधिकांश राजनीतिक दलों को किसी न किसी रूप में केन्द्र सरकार में रहने का अवसर मिला है और राज्यों में भी सरकार चलाने का अवसर मिला है। अगर हम देखें तो यह अध्यादेश कोई पहला अध्यादेश नहीं है, इससे पहले 637 अध्यादेश आ चुके हैं। कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में 456 अध्यादेश आए हैं और जब एक बार संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, हमारे कम्यूनिस्ट मित्रों सहित सभी दल उसमें शामिल थे, उस सरकार ने भी 77 अध्यादेश जारी किये थे।

<u>अपराह्न 2. 00 बजे।</u>

[हिन्दी]

अध्यादेश कोई नई बात नहीं है, यह संविधान में उपलब्ध प्रक्रिया है। जब आवश्यकता पड़ती है और जनहित का काम होता है तो सरकार इसका उपयोग करती है और महामहिम राष्ट्रपति जी इसे जारी करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग 14 मई, 2014 को सरकार में आए। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही दृढ़ता से यह बात कही कि उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार पारदर्शिता से काम करेगी, विवेकाधिकार को समाप्त करेगी, प्रक्रियाओं में जो विलम्ब होता है, उसे समाप्त करेगी। इसके अलावा यह सरकार गरीब, आदिवासी और सुदूर ग्रामीण अंचल में बैठे व्यक्तियों के हित में काम करेगी।

इस दृष्टि से जब माइनिंग विभाग मुझे मिला तो मैंने अपने विभाग की समीक्षा की। मैंने देखा कि माइनिंग का क्षेत्र देश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र का देश की जी.डी.पी. में भी दो प्रतिशत से आधिक का योगदान है। खेती के बाद खनिज सबसे आधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र भी है। आज सबसे आधिक जरूरत देश में रोजगार की है। लेकिन जो इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो विकास दर को बढ़ाने वाला क्षेत्र है, जो रोजगार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाला क्षेत्र है, वह क्षेत्र एकदम बैठता जा रहा है, क्योंकि खनिज का उत्पादन घटता जा रहा है। खनिज के आधार पर चलने वाला उद्योग संकट के कगार पर खड़ा है। खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिये रोजी-रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है।

मुझे लगा कि इस विषय पर हम लोगों को कुछ प्रयास करना चाहिए। आज आप ऑयरन ओर को देखें, मैं उसके कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देश के खनिजों में प्रमुख रूप से ऑयरन ओर आता है। सन् 2008-2009 में इसका उत्पादन 212.96 मिलियन टन था और निर्यात 68.90 मिलियन टन था। सन् 2009-2010 में इसका उत्पादन 218.55 मिलियन टन था और निर्यात 101.43 मिलियन टन था। सन् 2010-2011 में इसका उत्पादन 207.16 मिलियन टन था और निर्यात 46.89 मिलियन टन हुआ। सन् 2011-2012 में इसका उत्पादन 168.58 मिलियन टन और निर्यात 47.15 मिलियन टन था। सन् 2012-2013 में इसका उत्पादन 136.2 मिलियन टन और निर्यात 17.42 मिलियन टन था। सन् 2013-2014 में इसका उत्पादन 152.06 मिलियन टन और निर्यात 16.50 मिलियन टन था और 2014-2015 नवम्बर तक इसका उत्पादन गिरकर 42.13 मिलियन टन पर आ गया और निर्यात सिर्फ 4.38 मिलियन टन हुआ। आप देखें कि जहां हम 218 मिलियन टन उत्पादन पर खड़े थे और 101 मिलियन टन निर्यात कर रहे थे, वहां पर हम 152 मिलियन टन पर आ गए और निर्यात भी घट गया। ऐसी परिस्थिति में मैंने विभाग से विचार किया और

तय किया कि कोई न कोई कार्रवाई की जाए। इसलिये हम लोगों को लगा कि अगर पारदर्शिता लानी है और इस पूरे क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है, प्रोडक्शन भी बढ़ाना है तो हमें एक्ट में परिवर्तन की ओर जाना होगा, इसलिये हम लोगों ने इस प्रक्रिया को प्रारम्भ किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई राज्यों में भी गया, जहां मैंने वहां के मुख्यमंत्रियों और आधिकारियों से भी चर्चा की और 26.06.2014 को मैंने सम्बन्धित मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा और सुझाव मांगे। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना सबने लिखित में सुझाव दिए, जो हितधारक हो सकते हैं। खनिज क्षेत्रों में काम करने वाले संगठन हो सकते हैं, श्रमिक संगठन हो सकते हैं, सबसे हमने बातचीत की। राज्यों के सचिवों से, निदेशकों से और प्रमुख सचिवों के साथ भी दिल्ली में मीटिंग की और चर्चा की। हमने उनसे भी सुझाव मांगे और विचार-विमर्श हुआ। उसके उपरान्त हम लोगों ने एक ड्राफ्ट बनाया और उसे 17.11.2014 को वेबसाइट पर डाला गया। हमारी इच्छा थी कि हम इसे शीतकालीन सत्र में ले आएं, लेकिन विचार-विमर्श का क्रम पूरा नहीं होने के कारण हम शीतकालीन सत्र में इसे नहीं ला सके, इसलिये हमें इसे ऑर्डिनेन्स के रूप में लाने पर विवश होना पड़ा। लेकिन सरकार की इसके पीछे नीयत अच्छी है। यह निश्चित रूप से सरकार का एक क्रान्तिकारी कदम है।

इस संशोधन के पश्चात विवेकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पारदर्शिता आबंटन में आएगी, खनन के कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा, एक्सप्लोरेशन को गति मिलेगी। गरीब आदिवासियों की बात बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कही है, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए इस बात की व्यवस्था पहली बार की गई है कि जिस क्षेत्र में खनन होता है, उससे प्रभावित व्यक्ति अथवा क्षेत्र का ध्यान भी इसमें रखा गया है। अवैध खनन के मामले में बहुत कठोर मानदंड हमारी सरकार ने इस संशोधन के माध्यम से बनाए हैं।

महोदय, आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब यू.पी.ए. की सरकार थी। यू.पी.ए. की सरकार ने भी एम.एम.डी.आर. अमेंडमेंट बिल बनाया था, लेकिन वह पास नहीं हो सका। उस सरकार में भी जो आबंटन की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में ऑक्शन दिखाई तो देता था, लेकिन ऑक्शन के साथ कई खिड़कियां भी थीं, जिसमें पहले आओ और पहले निकलने का रास्ता भी था, लेकिन हमारे इस अमेंडमेंट के माध्यम से सरकार

यह सुनिश्चित करने जा रही है कि अब नीलामी ही आबंटन का एकमात्र रास्ता होगा। किसी भी प्रकार का विवेकाधिकार न राज्य सरकार को होगा, न केंद्र सरकार को होगा और न ही किसी अन्य को होगा। नीलामी के माध्यम से निश्चित रूप से राज्य सरकार को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि जो रकम नीलामी से आएगी, वह सारी की सारी राज्य सरकार को ही मिलने वाली है। आप सभी लोगों के ध्यान में होगा कि कोल ब्लाक्स का ऑक्शन अभी हुआ है। कोल में 204 माइन्स सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की थीं। अभी मात्र 18 कोल माइन्स का आक्शन हुआ है और 1,22,000 करोड़ रुपए का लाभ उसके कारण राज्यों को हुआ है। जिस दिन इनका ऑक्शन होगा और ब्लाक्स की नीलामी होगी, उस समय भी राज्यों को ही लाभ होने वाला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी अभिलेख में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप अध्यक्ष को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी अभिलेख में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदय, मैं माननीय सौगत राय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल मैंने आप सब लोगों को सुना और आज भी मैंने आप लोगों को सुना, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, उसमें आपकी बात आ जाएगी। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा।

एक्सप्लोरेशन के मामले में सभी लोगों ने बहुत चिंता व्यक्त की है। मैं इस बात से सहमत हूँ और आपकी चिंता से भी सरकार अवगत है। आज हम देखेंगे तो हमारे पूरे देश में माइनिंग का सम्भावित क्षेत्र 8.13 लाख वर्ग किलोमीटर का है और इसमें से अभी तक जियो-फिजीकल मैपिंग का काम सिर्फ 15 प्रतिशत में हुआ है। आज जो माइनिंग हो रही है, वह लगभग एक प्रतिशत ही है। बहुत ज्यादा क्षेत्र में माइनिंग नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, इसलिये हमारी सरकार ने यह विचार किया है कि एक्सप्लोरेशन में हम तेजी लाएंगे और ध्यान देंगे, जिससे कि एरिया एक्सप्लोर हो सके, नीलामी हो सके और आधिक से आधिक खनिज प्रोडक्शन के मूल्य में सरकार को हिस्सा मिल सके। हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन के लिये जी.एस.आई. और एम.ई.सी.एल. के आतिरिक्त एन.एम.डी.सी., सेल, मौईल, आर.आई.एन.एल. और के.आई.ओ.सी.एल. जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को भी आधिसूचित किया है और राज्यों के पी.एस.यूज. को भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वे भी एक्सप्लोरेशन की दृष्टि से आगे आएं। हमने नेशनल मिनरल टैस्ट भी बनाया है जिसमें कुछ पैसा आएगा और उस नेशनल मिनरल टैस्ट का पैसा भी उस एक्सप्लोरेशन में लगाया जाएगा जिसमें हम बहुत पीछे चल रहे हैं। आज हम देखेंगे तो हम मात्र 0.3 प्रतिशत एक्सप्लोरेशन पर खर्च करते हैं जबकि आस्ट्रेलिया 12 प्रतिशत और कनाडा 19 प्रतिशत पैसा एक्सप्लोरेशन पर खर्च करता है। हमारी एक्सप्लोरेशन की क्षमता इसीलिये कम है क्योंकि सरकार उस पर खर्च नहीं कर पा रही है। नेशनल मिनरल टैस्ट इस दृष्टि से एक बड़ा कदम है।

50 वर्ष पट्टा अवधि की बात लोगों ने कही है तथा किसी ने कहा है कि इस अवधि को 30 वर्ष किया जाना चाहिए और किसी ने 20 वर्ष के लिये कहा है। इसके पीछे सरकार की स्पष्ट धारणा है। पहले लीज की अवधि आधिकतम 30 वर्ष थी और पहला रीन्यूअल स्वाभाविक रूप से 20 वर्ष उसके लिये हो जाता था लेकिन कई बार पहले रिन्यूअल में भी राज्य सरकारें बहुत समय तक रहती थीं। स्वाभाविक रूप से पचास वर्ष पहले भी भावना थी। हमने कोई नयी बात नहीं कही। सैकेंड रीन्यूअल के मामले में आपत्ति हो सकती है लेकिन पहले

रिन्यूअल के मामले में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट और अन्य संस्थाओं ने भी किसी प्रकार की उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। जो 30 वर्ष और 20 वर्ष के बीच में रीन्यूअल होता था और रिन्यूअल के लिये हितधारक को सरकार के चक्कर काटने पड़ते थे, हमने उस नवीनीकरण की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। अब किसी भी प्रकार नवीनीकरण के लिये लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसी प्रकार की बारगेनिंग नहीं हो सकेगी। आईबीएम ही अभी माइनिंग प्लांट करेगा लेकिन आज हम इक्कीसवीं सदी में जा रहे हैं, आप सबको ध्यान में होगा कि प्रधान मंत्री जी जन धन योजना में प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि ज़ीरो बैलेंस पर एकाउंट खुलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी 10,000 करोड़ रुपया देश की जनता ने जमा किया। इसलिये राज्य सरकार को, किसी छोटी संस्था को, किसी छोटे व्यक्ति को हमें गैर-जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। हम लोगों ने इसमें अधिकार राज्य सरकार को देने का मन बनाया है और हमने कहा है कि राज्य सरकार माइनिंग प्लान के लिये अपने नियम बना ले और अपनी योजना बना ले। केन्द्र सरकार से एप्रूव करा ले तथा केन्द्र सरकार से एप्रूव्ड जो योजना है, उसके अन्तर्गत वह माइनिंग शुरु कराए। हमारे पास एप्रूवल के लिये उसको नहीं आना पड़ेगा। इससे भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा और इससे जो विलम्ब होता है, उसकी भी समाप्ति होगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने यह कोशिश की है।

पहले मेजर मिनरल में केन्द्र सरकार के पास आना पड़ता था। राज्य सरकार 19-19 साल तक एक फाइल पर विचार करती थी। केन्द्र सरकार भी सालों लगा देती थी लेकिन फाइल का क्लिअरेंस नहीं होता था। अब हमने तय कर दिया है कि ऑक्शन होगा और प्रॉयर एप्रूवल के लिये केन्द्र सरकार के पास नहीं आना पड़ेगा। राज्य सरकारें स्वयं इस बात के लिये सक्षम होंगी। ...*(व्यवधान)*

सभी लोगों ने इस बात की चिंता की है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि जहां खनिज है, वहां जंगल है। जहां खनिज और जंगल है, वहां हमारे जनजाति के बंधु निवास करते हैं। जनजाति के बंधुओं की चिंता आज तक कभी नहीं की गई। लेकिन इस संशोधन बिल के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाई है और यह मिनरल फाउंडेशन बनेगा। इसमें रॉयल्टी का पैसा जाएगा और यह एक बड़ी धनराशि होगी। यह धनराशि उस क्षेत्र में जो खनन से प्रभावित व्यक्ति या क्षेत्र है या पर्यावरण की सुरक्षा के लिये आवश्यक है, उसके लिये

हम इस धनराशि का प्रावधान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि डीएनएफ का प्रावधान मोदी जी की सरकार जो गरीब और आदिवासियों के लिये है, यह प्रावधान उस भावना का प्रकटीकरण है।

अवैध माइनिंग का मामला आप सब लोगों के ध्यान में है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को भी विवश होकर उस मामले में निर्णय़ देने पड़े। शाह कमीशन की भी रिपोर्ट आई, पूरा देश चिंतित हुआ। भ्रष्टाचार के मामले में भारत की बहुत बदनामी हुई। दुनिया भर की कार्रवाईयां हुई, तमाम सारी माइनिंग हुई, इसको भी हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। जो अवैध माइनिंग के सिलसिले में दो वर्ष की सजा थी, उसको बढ़ाकर हमने पांच वर्ष किया है। और जो 25 हजार रुपये का जुर्माना था, उसे पांच लाख रुपये ही नहीं किया है, बल्कि पांच लाख रुपये प्रति हैक्टेअर के हिसाब से जुर्माना होगा और यह अपने आपमें एक बड़ी धनराशि होगी। इस प्रकार के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो सके, इस दृष्टि से विशेष न्यायालय बनाये जाने के लिये भी हम लोगों ने प्रावधान किये हैं। राज्य सरकारें उनका गठन करेंगी, अवैध माइनिंग के मामले जल्दी से जल्दी निपटेंगे, लोगों को सजा होगी, जुर्माना होगा, अवैध माइनिंग पर रोक लगेगी और जो हमारे संसाधन हैं, उनका ठीक प्रकार से उपयोग सरकार के हित में होगा।

यहां यह बात भी कही गई है कि केन्द्र सरकार कुछ मामलों में संघीय ढांचे का सम्मान नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इसी एक्ट में हम देखें तो प्रायर अप्रूवल हमने समाप्त किया है और यह अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। पहले 24 माइनर मिनरल्स थे, उनकी संख्या बढ़ाकर हमने 55 कर दी है, यह अधिकार राज्यों को दिया गया है। डी.एन.एफ. का ढांचा कैसा होगा, उसके कृत्य कैसे होंगे, यह तय करने का अधिकार हमने राज्य सरकारों को दिया है। आई.बी.एम. का जो अधिकार केन्द्र सरकार का था, राज्य सरकार पर भरोसा करके मोदी सरकार वह अधिकार भी राज्य सरकार को देना चाहती है। लेकिन यह सच है कि केन्द्र सरकार ने कुछ मामलों में निर्देश देने की शक्तियां अपने पास रखी हैं। वे शक्तियां हमने हस्तक्षेप करने की नीयत से नहीं रखी हैं। हम एक प्रतिशत भी राज्य सरकार के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रकरण सालों तक नहीं निपटता है तो क्या समय सीमा निधाररित नहीं होनी चाहिए, समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं होना चाहिए, आज की

परिस्थिति में विलम्ब समाप्त नहीं होना चाहिए? अगर समय सीमा निधाररित करने का काम हम करेंगे तो इसमें कौन सा बुरा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, खनिज का क्षेत्र व्यापक है, सारे देश की निगाह उस पर रहती है। देश की अर्थव्यवस्था उस पर टिकी है। रोजगार का मामला उस पर टिका हुआ है तो ऐसी स्थिति में अगर वहां पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, माइनिंग ठीक प्रकार से नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में अगर कोई निर्देश देना है तो वह निर्देश दिया जायेगा। हम बहुत सारे अधिकार राज्य सरकारों को दे रहे हैं। लेकिन केन्द्र सरकार अपनी जवाबदारी से मुक्त नहीं होना चाहती। अगर हम यह एक्ट ला रहे हैं तो इस एक्ट का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन हो, यह केन्द्र सरकार की जवाबदारी है और केन्द्र सरकार उस जवाबदारी का निर्वहन करने का पूरी तरह मन रखती है।

महोदय, बहुत सारी और भी बातें इसमें कही गई हैं, चूंकि आपका बार-बार निर्देश हो रहा है कि समय कम है, इसलिये मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को...*(व्यवधान)* क्षेत्रफल बढ़ाने और घटाने की बात भी कही गई है, कुछ संशोधन भी इस दृष्टि से आए हैं। हम लोगों ने यह प्रावधान इसलिये रखा है कि कोई विशिष्ट खनिज या कोई विशिष्ट क्षेत्र ऐसा हो, जिसके लिये राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि इसके क्षेत्र को बार-बार बढ़ाने की आवश्यकता है तो इसलिये यह प्रावधान रखा है। अगर राज्य सरकार को, जो प्रावधान हैं, उसमें कम करके खंड बनाना है तो वह खंड कम करे, बनाये और ऑक्शन करे, उसके लिये राज्य सरकार पूरी तरह स्वतंत्र है। आर.पी.पी.एल. और एम.एल. के सीमलैस ट्रांजैक्शन की व्यवस्था हम लोगों ने इसलिये रखी है, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, सरकार सरकार होती है। एक सरकार ने कानून के तहत काम किया तो हमारी सरकारों की निरंतरता और विश्वसनीयता रखने के लिये पुराने कानून और पुराने कमिटमैन्ट, जो सरकारों के रहे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। इस दृष्टि से इस विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिये हम लोगों ने यह काम किया है। आर.पी. में हम लोगों ने कई लोगों को आर.पी. करने के लिये आधिकृत करने का फैसला किया है। अब अनेक लोग आर.पी. कर सकते हैं, लेकिन आर.पी. करने वालों को पी.एल. और एम.एल. का अधिकार नहीं होगा, यह हम लोगों ने व्यवस्था की है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह जो विधेयक है, यह विधेयक पारदर्शिता बढ़ाने वाला है। यह विधेयक खनन के कार्य को गति देने वाला है, यह विधेयक रोजगार के अवसरों को सृजित करने वाला है। यह विधेयक विवेकाधिकार को समाप्त करने वाला है, यह विधेयक देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करने वाला है, इसलिये इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द्रन। कृपया बहुत संक्षिप्त रहें।

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त रहूँगा। धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैंने अध्यादेश को अस्वीकार करने वाले अपने संकल्प के संबंध में और विधेयक पर विचार किए जाने के संबंध में पूरी बहस देखी है। हमने माननीय वित्त मंत्री को सुना है। मंत्री जी भी। मैं सदन में बहस के दौरान धैर्य दिखाने और हमें अच्छा जवाब देने के लिए माननीय मंत्री की सराहना करना चाहूंगा।

मैंने प्रस्ताव को पेश करते समय जो आशंका व्यक्त की है वह विधान के अध्यादेश मार्ग के संबंध में है। मैं इसे दोहराने वाला नहीं हूँ। मुझे 1 लगता है कि इस ओर से और सत्ता पक्ष से अधिकांश सदस्य भी अनुच्छेद 123 के दुरुपयोग को रोकने के बारे में सहमत हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : यह तो पहले ही बताया जा चुका है।

श्री एन. के.प्रेमचन्द्रन: यह पहले ही समझाया जा चुका है। ... *(व्यवधान)* महताब जी ने भारत के संविधान से अनुच्छेद 123 को निरस्त करने की बात भी की है क्योंकि यह अधिकार या यह विशेषाधिकार या यह शक्ति अन्य विदेशी लोकतांत्रिक देशों में निहित नहीं है। तो यह सामने आया है; मैं उस मुद्दे का समर्थन करने के लिये आभारी हूँ।

विवादास्पद मुद्दों या विवादास्पद मुद्दों के संबंध में,मैं संक्षेप में दो-तीन मिनट के भीतर अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले लीज की अवधि है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और हमारे सदन के अध्यक्ष श्री एम.मंत्री

ने अभी पट्टे की अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने के बारे में जवाब दिया है। लीज अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा,ध्यान देने योग्य एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इस अधिनियम के शुरू होने की तारीख से पहले दी गई पट्टे की अवधि है। पट्टे की अवधि, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले, आबद्ध खानों के लिए 31 मार्च,2030 तक होगी। जहां तक अन्य खानों का संबंध है,यह 31 मार्च,2020 तक होगा। इन एक्सटेंशन से किसे फायदा होगा? यह वैधानिक विस्तार कंपनियों को दिया जा रहा है। अधिनियम के शुरू होने से पहले ही,अगर लीज़ की अवधि है,तो वे लाभ दे रहे हैं। यह उचित नहीं है; यह सिर्फ नहीं है। उन्हें अनुचित लाभ दिया जा रहा है। यहां तक कि चर्चा के दौरान उदाहरण का भी हवाला दिया गया था; कुछ माननीय सदस्यों ने। सदस्य इशारा कर रहे थे कि गोवा राज्य में,इस अध्यादेश के प्रख्यापन के शुरू होने की तारीख से,80 खनन पट्टे दिए गए हैं। मंत्री जी लिये हम इसके पीछे की रुचि देख सकते हैं।

दूसरी बात खनन क्षेत्र प्रभावित लोगों के संबंध में,आदिवासी समुदाय के संबंध में है। यह बात मैंने पहले ही उद्धृत की है। 1 पर्यावरण मूल्यांकन के साथ-साथ सामाजिक प्रभाव आकलन के संबंध में,इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। … *(व्यवधान)*

जिला खनिज फाउंडेशन के संबंध में, मेरा एकमात्र बिंदु यह है कि इसे 'खनन क्षेत्र कल्याण फाउंडेशन' के रूप में बदलना होगा ताकि संदेश बहुत स्पष्ट हो सके।‘

मेरा अगला बिंदु सहकारी संघवाद के संबंध में है। सहकारी संघवाद के संबंध में, ओडिशा के माननीय. सदस्यों ने भी बताया है, कि धारा 20(ए) और धारा 20के प्रस्तावित संशोधन राज्यों के अधिकारों को छीन रहे हैं। एक तरीके से आप राज्यों को अधिकार दे रहे हैं, दूसरे तरीके से आप राज्यों से अधिकार वापस ले रहे हैं।

पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार बताया था, हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आधुनिक भारत के मंदिर हैं। उनकी रक्षा की जानी चाहिए।

अंतिम स्पष्टीकरण जो मैं मांग रहा हूँ, वह यह है कि लाभ का 26 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र लाभ के साथ साझा किया जाना है। 2011 अधिनियम के अनुसार, यह अधिनियम लाभ के इस 26 प्रतिशत के विषय में मौन है। इन निष्कर्ष के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द्रन, क्या आप संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: नहीं, महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 26 दिसम्बर, 2014 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 7) को अस्वीकृत करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"यह कि खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: सदन अब विधेयक पर खंड दर खंड विचार करेगा।

खंड **2** और **3** **1957,1** का **67** का **156** और **2013** का **18**

प्रश्न यह है:

"That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड *2* और *3* विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 4 धारा **4** क का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष: श्री महताब, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 2, पंक्ति 34, प्रविष्ट करे -

"परंतु यह भी कि पट्टे की व्यपगत से बचने और पट्टे के पुनरुद्धार के लिये किये गए आवेदन, जो खानों और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रवृत्त होने की तारीख पर लंबित हैं, तीन महीने या छह महीने की अवधि के भीतर निपटाए जा सकते हैं, यथास्थिति, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रवृत्त होने की तारीख से और निर्धारित अवधि की समाप्ति पर लंबित आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया समझा जाएगा।" (9)

संशोधन 9 खंड 4 से संबंधित है। शुरू में, यह आभास न होने दें कि बी. जे. डी. इस विधेयक का विरोध करता है। हम इस विधेयक के विरोध में नहीं हैं। हम नीलामी द्वारा खनन पट्टे देने के रसद का स्वागत करते हैं जो हमारी लंबे समय से मांग थी। हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी बार-बार कह रहे हैं कि सभी खानों की नीलामी कराइए। मैं यह कहूँगा कि यह वह बिंदु है जिसे हमने इस सरकार के सामने बार-बार रखा है। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जिन्होंने वास्तव में सरकार को खानों की नीलामी करने का निर्देश दिया था और ओडिशा में हमारी सरकार इसके पक्ष में थी। मैं जिस खंड का उल्लेख कर रहा हूँ, वह खंड संख्या है। 4 मैं एक सम्मिलन चाहता हूं।

भारत के माननीय मंत्री जी ने अभी - अभी उल्लेख किया है, हमें सीमित समय का स्लॉट रखना होगा। यह परंतुक है जिसे मैं इस विधेयक में में रखना चाहता हूँ। इससे इस विधेयक का काफी हद तक सशक्तीकरण होगा।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत संशोधन संख्या.9 को रखूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं मत - विभाजन चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: दीर्घायें को क्लियर करने दें -

अब, दीर्घायें खाली हो गई हैं। पहले से ही ए. वी. आर. के बारे में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

प्रश्न यह है:

"परंतु यह भी कि पट्टे की व्यपगत से बचने और पट्टे के पुनरुद्धार के लिये किये गए आवेदन, जो खानों और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रवृत्त होने की तारीख पर लंबित हैं, तीन महीने या छह महीने की अवधि के भीतर निपटाए जा सकते हैं, यथास्थिति, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रवृत्त होने की तारीख से और निर्धारित अवधि की समाप्ति पर लंबित आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया समझा जाएगा।" (9)

सभा का मत - विभाजन:

<u>मत- विभाजन **1.**</u> <u>पक्ष में</u>, 'हां' वाले **<u>अपराह्न 02.27:घंटें</u>**

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

श्री अभिषेक बनर्जी

बनर्जी, श्री कल्याण

बीजू, श्री पी. के.

@चौधरी, श्री संतोख सिंह

@चौधरी, श्री जितेन्द्र

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

@दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

@देव, कुमारी सुष्मिता

फ़ैज़ल, मोहम्मद

@गांधी, श्री धर्म विरा

जॉर्ज, एड. जॉयस

घोष, श्रीमती अर्पिता

गोई, श्री गौराव

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

करुणाकरण, श्री पी.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

कुमार, श्री संतोष

महतो, डॉ. मृगांका

श्री भर्तृहरि महताब

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

@मान, श्री भगवंत

@मेनिया, डॉ. थोक्चोम

मिश्रा, श्री पिनाकी

@मुखर्जी, श्री अभिजित

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

पाला, श्री विनसेंट एच.

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाटसानी , श्री प्रसन्ना कुमार

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पॉल, श्री तपस

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रॉय, प्रो. सौगत

राई,श्रीमती शताब्दी

साहु, श्री ताम्रध्वज

सलीम, श्री मोहम्मद

संपत, डॉ. ए.

संघामिता, डॉ. ममताज

सत्पथी, श्री तथागत

स्वेन, श्री लादू किशोर

तरई, श्रीमती रीता

अध्यापक, श्रीमती पी.के. श्रीमति

प्रो. के. वी. थोमस

उद्दीन, श्री तस्लीम

<u>विपक्ष में ‘ना’ वाले</u>

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

डॉ. रविन्द्र बाबू

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

@बंसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

@भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

@बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

चक्रवर्ती, श्रीमती बिजोया

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

$चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बाबूलाल

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

@देका, श्री रामेन

देवी, श्रीमती रमा

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

@गंगवार, श्री संतोष कुमार

$ उन्होंने इसमें पर्ची से पक्ष में शुद्धि की।

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिर्री, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गुप्ता, श्री सुधीर

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

@जट, प्रो. सांवर लाल

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

@कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

@खुबा, श्री भगवंत

@किंजरापु, श्री राम मोहन नायडू

किशोर, श्री जुगल

@किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

@कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री शांता

@कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मैडम, श्रीमती पूनमबेन

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

@मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

@मोहन ,श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री कड़िया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

@नगर, श्री रोड़मल

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

@निनामा, श्री मनशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

@डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

पाटल, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री कमलेश

@पासवान, श्री राम चंद्र

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

@पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

@पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

@प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

@राज, डॉ. उदित

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

श्री एम. वेंकटेश्वर राव

@राव (अवंती), श्री मुथमसेती श्रीनिवास

राठोर, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

@श्री, श्री रविन्दर कुमार

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सांपला, श्री विजय

संजर, श्री आलोक

@सरमा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

@शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

@शिरोल, श्री एनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@सिंह, डॉ. सत्य पाल

@सिंह, श्री भारत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री नागेंद्र

@सिंह ,श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

@सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंहा, श्री जयंत

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

@सोनोवाल, श्री सर्बानंद

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

@*टादास, श्री रामदास सी।

टम्टा, श्री अजय

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठकुर, श्री अनुराग सिंह

ठकुर,श्रीमती सावित्री

$तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासी, श्री शिवकुमार

वर्धन, डॉ. हर्ष

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

$ उन्होंने इसमें पर्ची से पक्ष में शुद्धि की।

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

@वेर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्रीमती रेखा

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यदव, श्री हुक्मदेव नारायण

@यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

@येदियुरप्पा, श्री बी.एस.

भाग नहीं लिया

शून्य

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

माननीय उपाध्यक्ष: सुधार के अधीन*, विभाजन का परिणाम हैः

पक्ष में, 'हां' वाले:045

नही: 176

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड *4* विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 2013 के 1956 18 में से 1

माननीय उपाध्यक्ष:श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान, क्या आप संशोधन सं. 27 ला रहे हैं?

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से अपने वोट भी दर्ज/सही किए:

आयत: 045 + सर्वश्री संतोख सिंह चौधरी, जितेंद्र चौधरी, शंकर प्रसाद दत्ता, कुमारी सुष्मिता देव, सर्वश्री धरम वीरा गांधी, भगवंत मान, डॉ. थोकचोम मेन्या, श्री अभिजीत मुखर्जी-सर्वश्री अश्विनी कुमार चौबे, नरेन्द्र सिंह तोमर = **051**

नंबर: 176 + अधिवक्ता शरद कुमार मारुति बनसोडे, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, एस/श्री रमेश बिधूड़ी, अश्विनी कुमार चौबे, रामेन डेका, संतोष कुमार गंगवार, प्रो. सांवर लाल जाट, एस/श्री रतन लाल कटारिया, रमेश चंद्र कौशिक, भगवंत खुबा, राम मोहन नायडू किंजारापु, कौशल किशोर, अश्विनी कुमार, मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंडारिया, केशव प्रसाद मौर्य, एम. मुरली मोहन, रोडमल नगर, मानशंकर निनामा, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, एस/श्री रामचंद्र पासवान, कपिल मोरेश्वर पाटिल, नाना पटोले, डॉ. भागीरथ प्रसाद, डॉ. उदित राज, एस/श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती), रवींद्र कुमार राय, राम प्रसाद शर्मा, डॉ महेश शर्मा, श्री अनिल शिरोले, डॉ सत्यपाल सिंह, एस/श्री भरत सिंह, पशुपति नाथ सिंह, सुनील कुमार सिंह, मनोज सिन्हा, सर्बानंद सोनोवाल, रामदास सी. ताड़ास, नरेंद्र सिंह तोमर, डॉ. अंशुल वर्मा, एस/श्री लक्ष्मी नारायण यादव, बी.एस. येदियुरप्पा =**216**

श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान (मुर्शिदाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 3, पंक्तियों 8 से 11, प्रतिस्थापित करें-

"उपबंध करें कि केंद्र सरकार की ओर से खानों के भारतीय खान ब्यूरो के अनुमोदन से ऐसी योजना की तैयारी, प्रमाणन और निगरानी के लिये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक प्रणाली के अनुसार खनन योजना को दाखिल करने पर एक खनन रियायत दिया जा सकता है।"।" (27)

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधन संख्या रखूंगा। 27 से खंड 5 जोसदन के मत के लिये श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान के द्वारा ले जाया गया।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. ए. संपत, क्या आप अपने संशोधन संख्या 39 और 40 को आगे बढ़ा रहे हैं?

डॉ. ए. संपत (आट्टिंगल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 3, पंक्तियाँ 9 और 10, -

"राज्य सरकार", के *लिये*

"केंद्रीय सरकार" का प्रतिस्थापित करें।" (39)

"पृष्ठ 3, पंक्ति 11, -

के *लिये* "केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ",

"केंद्र सरकार की ओर से खानों के भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित को प्रतिस्थापित करें"।" (40)

मेरे संशोधन खंड 5 के बारे में हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में धारा 5 2(b) के तहत मौजूदा प्रावधान कहता है कि खानों की ऐसी श्रेणी के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित एक खनन योजना है जो संबंधित क्षेत्र में खनिज जमा के विकास के लिये केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है। ... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: आदेश, कृपया।

डॉ. ए. संपत: महोदय, अगर वे नहीं सुन रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ?

माननीय उपाध्यक्ष: आप अभी जारी रखें।

श्री संपत के बोलने के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

डॉ. ए. संपत: निशिकांत जी, मेरी आवाज थोड़ी कमजोर हो सकती है लेकिन यह मत सोचो कि लोगों की आवाज कमजोर है। *(व्यवधान)*

महोदय, प्रस्तावित संशोधन, जो मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है,कहता है: "बशर्ते कि केंद्र सरकार के अनुमोदन से ऐसी योजना की तैयारी, प्रमाणन और निगरानी के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रणाली के अनुसार खनन योजना दायर करने पर एक खनन पट्टा दिया जाए।"

मैंने इसमें एक संशोधन दिया है। यह वह संशोधन है, जिसे मैं आपकी अनुमति से आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें कहा गया है, 'बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रणाली के अनुसार खनन रियायतयोजना दायर करने पर

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

खनन पट्टा दिया जाए. ऐसा इसलिये है क्योंकि उनके पास एक संवैधानिक दायित्व है, जो मैंने पहले कहा है। …केंद्र सरकार की ओर से खानों के भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित ऐसी योजना की तैयारी, प्रमाणीकरण और निगरानी के लिये। '

यह मेरा संशोधन है। मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है। आपने दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

अब मैं संशोधन संख्या रखूंगा 39 और 40 डॉ. ए. संपत द्वारा सदन के मतदान के लिये स्थानांतरित किया गया।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 धारा **6** का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष-अध्यक्ष:श्री । महताब, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पेज 3, लाइन 19 के बाद डालें—

परंतु यह और कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के समान आबंटन के हित में, इस धारा में निर्धारित क्षेत्र सीमा को ऐसे खनिजों के लिये कुछ हद तक कम कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे। (10)

मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र को सीमित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं अब संशोधन संख्या रखूंगा। 10 श्री भर्तृहरि महताब द्वारा सदन के मतदान के लिये स्थानांतरित किया गया।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड *6* विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 धारा **8** के **लिये** नई धारा का प्रतिस्थापन

माननीय उपाध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप अपने संशोधनों को स्थानांतरित कर रहे हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 2 को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 3, पंक्ति 24, -

"तीस वर्ष" के लिये

"बीस वर्ष" प्रतिस्थापित करें।" (1)

पृष्ठ 3, पंक्तियों 25 और 26 को छोड़ दें। (2)

वे विधेयक के खंड 7 से संबंधित हैं। खंड 7 पहली अनुसूची के भाग ए में निर्दिष्ट खनिजों से संबंधित है। अब, पहली अनुसूची का एक हिस्सा कोयला और लिग्नाइट से संबंधित है, जो इस मंत्रालय के तहत नहीं है, लेकिन क्योंकि यह खान अधिनियम है, कोयला भी शामिल है।

मैं लोगों को आजीवन पट्टे देने के पक्ष में नहीं हूँ। इसे 20 वर्ष होने दें। सरकार देखे कि वह कोयले का उठाव कैसे कर रही है, कैसे काम कर रही है। फिर, एक और नीलामी आयोजित की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं अब संशोधन संख्या 1 और 2 रखूंगा जो प्रो. सौगत राय द्वारा सदन के मतदान के लिये स्थानांतरित किया जाए।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री महताब, क्या आप अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: मैं अपना संशोधन संख्या 11 खंड 7 में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 3, पंक्तियों 27 से 28 के स्थान पर — 7

(3) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से बीस वर्षों की अवधि के लिये एक बार खनन रियायत का नवीकरण किया जा सकता है। (11)

यह एक विकल्प है, जिसे मैं इसमें अंतःस्थापनार्थ करना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं अब संशोधन संख्या रखूंगा। 11 श्री भर्तृहरि महताब द्वारा सदन के मतदान के लिये स्थानांतरित किया गया।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष:श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: मैं अपना संशोधन संख्या खंड 7 को खंड 28 में प्रस्तुत करता हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 3, पंक्ति 24,-

"तीस वर्ष" के लिये

"पच्चीस वर्ष" प्रतिस्थापित करें।" (28)

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधन संख्या रखूंगा। 28 श्री एनलिये. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा सदन के मतदान के लिए स्थानांतरित किया गया।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 नई धारा **8(क)** का अत**:** स्थापन

माननीय उपाध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप अपने संशोधन संख्या को स्थानांतरित कर रहे हैं। 3, 4, 5 और 6.

प्रो. सौगत राय: महोदय, मैं संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हूँ। 3, 4, 5 और 6 खंड 8 में।लियेहूँ मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 3, पंक्ति 34, -

"पचास वर्ष" के लिये

"तीस वर्ष" प्रतिस्थापित करें।" (3)

"पृष्ठ 3, पंक्ति 37, -

"पचास वर्ष" के लिये

"तीस वर्ष" प्रतिस्थापित करें।" (4)

पृष्ठ 3, पंक्तियों 40 और 45 को छोड़ दे। (5)

पृष्ठ 4, पंक्तियों 1 और 2 को छोड़ दे। (6)

यह पहली अनुसूची के भाग ए और बी में शामिल नहीं किये गए खनिजों से संबंधित है। जैसा कि मैंने भाग में कोयले और लिग्नाइट के साथ एक सौदे का उल्लेख किया है, भाग बी परमाणु खनिजों से संबंधित है और भाग सी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लौह अयस्क, बॉक्साइट, जस्ता अयस्क, तांबा अयस्क, कीमती पत्थर और सब कुछ से संबंधित है। अब, प्रस्ताव दिया जा रहा है कि 50 वर्षों के लिये खनन रियात दिए जाएंगे। यह लगभग स्थायी रूप से दे रहा है। इसलिये, यह बहुत खतरनाक है कि किसी को ये कीमती खनिज पचास साल तक मिल जाएंगे। इसमें मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि मंत्री जी बिना नीलामी के उन कैप्टिव खानों का पट्टा बढ़ा रहे हैं। मैंने पहले उल्लेख किया था कि बड़ी कंपनियाँसार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों जैसे नील,

विशाखापत्तनम, सार, जिन्दलऔर वे सभी पट्टे ले रही हैं। बिना किसी बात के, इसे वर्ष 2030 तक विस्तारित दिया गया है। क्या उन्हें पचास साल के लिये पट्टा मिलता है? इसलिये, मैं चाहता हूँ कि इस पचास साल को घटाकर तीस साल किया जाए। इसीलिये, मैंने संशोधन संख्या प्रस्तुत की। 3, 4, 5 और 6।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधन संख्या रखूंगा। 3, 4, 5 और 6 प्रो. सौगत राय द्वारा सदन के मतदान के लिए स्थानांतरित किया गया।लिये

संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री महताब, क्या आप संशोधन संख्या 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पेज 3, पंक्ति 34, —

"पचास वर्ष" के लिये

प्रतिस्थापित "तीस वर्ष जो ऐसे नियमों और शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन बीस वर्ष की अवधि के लिये एक बार बढ़ाया जा सकता है, जो विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं"।" (12)

पृष्ठ 3, पंक्ति 37, —

"पचास वर्ष" के लिये

प्रतिस्थापित "तीस वर्ष जो ऐसे नियमों और शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन बीस वर्ष की अवधि के लिये एक बार बढ़ाया जा सकता है जो विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं"।" (13)

"पृष्ठ 3, पंक्तियाँ 38 और 39, —

प्रतिस्थापित "(4) पट्टे की अवधि की समाप्ति, सभी खनन पट्टों, जो खानों और खनिजों (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के शुरू होने से पहले या बाद में दिए गए हैं, को इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नीलामी में रखा जाएगा।"" (14)

"पृष्ठ 3, लाइन 43 के लिये, —

प्रतिस्थापित "विशेष रूप से बंदी उद्देश्य प्रतिस्थापित करें, राज्य सरकार द्वारा ए तक विस्तारित जा सकता है"लिये।" (15)

पृष्ठ 3, पंक्ति 45, —

"पचास" के लिये

प्रतिस्थापित "तीस"।" (16)

"पृष्ठ 4, लाइन 6 के लिये,—

प्रतिस्थापित विशेष रूप से "बंदी उद्देश्य के अलावा", राज्य (17)

सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है।”

पृष्ठ 4, पंक्ति 9, —

”पचास वर्ष” के लिये

प्रतिस्थापित "तीस वर्ष"।” (18)

पृष्ठ 4, पंक्ति 11, —

"बंदीउद्देश्य" के लिये

”विशेष रूप से बंदीउद्देश्य को प्रतिस्थापित करें"।” (19)

महोदय, इस विधेयक के मामले का सार खंड 8 से संबंधित है, जिसने वास्तव में हमें काफी हद तक पीड़ित किया है। हमें उम्मीद थी कि इस सभा में होने वाले वाद-विवादको सुनने और बीच में हुई विभिन्न अन्य राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने के बाद कुछ सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे। मुझे इस शब्द का उपयोग करने के लिये बहुत खेद है और यह एक आरोप है कि इस खंड 8 को इस संशोधन में गैर-कानूनीरूप से शामिल किया गया है। जिस गैर-कानूनीतरीके से इस खंड 8 को एम. एम. डी. आर. अधिनियम में सम्मिलित किया गया है, वह संदेह और संदेह को बढ़ाता है। यह धारा प्रारूप अध्यादेश में नहीं थी, जिसे संबंधित राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को परामर्श के लिये परिचालित किया गया था। किसके कहने पर और किस कारण से इसे राज्य सरकारों के पीछे अध्यादेश में लाया गया था, जो वास्तव में खनिज संसाधनों और उपयोगकर्ताओं के मालिक हैं, उद्योग किसी का भी अनुमान है।

मैं पुरजोर मांग करता हूँ कि पट्टे की अवधि के विस्तार की उदारताउन पट्टेदारों को नहीं दिया जाना चाहिए जिन्होंने पहले ही 50 वर्ष पूरे कर लिये हैं। यदि पारगमन प्रावधान की आवश्यकता है, तो मैं मंत्री जी से फिर से अनुरोध करता हूँ कि एक वर्ष की अवधि, जो श्री सत्पथी ने बहस के दौरान कहा था, नीलामी को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो सकती है जैसा कि कोयला ब्लॉक नीलामी के मामले में पहले ही प्रदर्शित किया गया है। धारा 8 और धारा 8ए(2) में किये गए संशोधनों के संबंध में, हमारी राय है कि 50 वर्ष खनन रियायत देने के लिये बहुत लंबा समय है। अधिकांश खनिजों, विशेष रूप से अयस्कों, विशेष रूप से लौह अयस्क का बाजार एक अस्थिर बाजार है और 50 वर्षों की लंबी अवधि के लिये बाजार पूर्वानुमान के आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली में प्रस्ताव देने के इरादे से बोलीदाताओं के लिये यह व्यावहारिक नहीं होगा। इसके अलावा, जैसा कि संशोधन विधेयक आवेदन के निपटान के लिये समय सीमा निर्धारित करने का प्रावधान करता है, भविष्य में आवेदन के नवीनीकरण के निपटान में देरी की आशंका का कोई आधार नहीं है,और इस प्रकार भाग 'ग' खनिजों के लिये नवीनीकरण प्रणाली को छीनने का कोई औचित्य नहीं है।

महोदय, इसलिये, हम दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि पट्टों की अवधि 20 वर्षों के लिये केवल एक नवीनीकरण के प्रावधान के साथ 30 वर्ष तक सीमित होनी चाहिए। दूसरे नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। खंड 8ए एक लंबा खंड है और मैंने उस खंड के संबंधित वर्गों को कई संशोधन दिए हैं। 8ए प्रचलित नहीं किया गया। मैंने इसका उल्लेख पहले किया है। लेकिन 8ए(3), 8ए(5) और 8ए(6) को कानून से हटा दिया जाना चाहिए और 20 वर्षों के लिये एक नवीनीकरण के विकल्प के साथ 30 वर्षों के लिये पट्टे की प्रणाली को बहाल किया जाना चाहिए। पट्टे की पहली नवीनीकरण अवधि की समाप्ति पर बिना विस्तार के सभी मौजूदा पट्टों की नीलामी की जानी चाहिए। यह माननीय वित्त मंत्री जी की विभिन्न घोषणाओं के अनुरूप होगा। सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन से संबंधित भारत का उच्चतम न्यायालय। 8ए(5) और 8ए(6) के प्रावधान इन निर्णयों के सीधे टकराव में हैं क्योंकि ये धनराशि सार्वजनिक नीलामी के बिना पट्टे की मूल शर्तों के अनुसार पात्रता अवधि से परे लीज अवधि का विस्तार करने के लिये हैं।

महोदय, 8ए(5) और 8ए(6) सशर्त मान्य संस्वीकृति प्रदान करते हैं जो परस्पर- विरोधी है। कोई भी सशर्त विस्तार राज्य सरकार अध्यधीन पात्रता शर्तों की पूर्ति के बारे में संतुष्ट होने के अधीन है। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वे पात्रता की शर्तें क्या हैं। लेकिन धारा 8ए(5) में, शब्द का उपयोग "कैपटिव उद्देश्यों" के लिये किया जाता है, और यह अलग-अलग व्याख्या के लिये सुविधाजनक है, विशेष रूप से, क्योंकि इस शब्द को एम. एम. डी. आर. अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। भ्रम और मुकदमेबाजी से बचने के लिये, 10 वर्षों का अतिरिक्त लाभ, यदि बिल्कुल भी प्रदान किया जाता है, तो केवल पाठकों द्वारा खनिज के कैप्टिव उपयोग के लिये विशेष रूप से दिए गए पट्टों के लिये लागू होना चाहिए।

इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं यहां छत के बारे में उल्लेख करूंगा। यहाँ मैं उल्लेख करूंगा कि हम खंड 8 के सम्मिलन का पुरजोर विरोध करते हैं। यह न केवल राज्य बल्कि राष्ट्र के हित के खिलाफ है। यह राज्य की शक्ति को विनियोजित करने के बराबर है, जो खंड 8 में है। मैं इस संशोधन का अपने पूर्ण आदेश के साथ विरोध करता हूँ.... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष:अब मैं संशोधन संख्या .12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 को श्री बी. महताब द्वारा सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं इस पर मत विभाजन की मांग करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: दीर्घायेंको पहले ही क्लियर कर दिया गया है।

मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत संशोधन संख्या .12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 को रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"पेज 3, लाइन 34, --

"पचास वर्ष" के लिये

प्रतिस्थापित "तीस वर्ष जो ऐसे नियमों और शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन बीस वर्ष की अवधि के लिये एक बार विस्तारित किया जा सकता है जो विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं"। (12)

पृष्ठ 3, पंक्ति 37, —

"पचास वर्ष" के लिये

प्रतिस्थापित "तीस वर्ष जो ऐसे नियमों और शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन बीस वर्ष की अवधि के लिये एक बार विस्तारित किया जा सकते है जो विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं"। (13)

पृष्ठ 3, पंक्ति 38 और 39,--

प्रतिस्थापित "(4) पट्टे की अवधि की समाप्ति, सभी खनन पट्टे, जो खानों और खनिजों (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के शुरू होने से पहले या बाद में दिए गए हैं, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नीलामी की जाएगी। (14)

पृष्ठ 3, के लिये लाइन 43, —

प्रतिस्थापित "विशेष रूप से बंदी उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार द्वारा ए तक बढ़ाया जा सकता हैलिये। (15)

पृष्ठ 3, पंक्ति 45, —

"पचास" के लिये

प्रतिस्थापित करें "तीस" (16).

पृष्ठ 4, के लिये लाइन 6,—

प्रतिस्थापित "विशेष रूप से बंदी उद्देश्य के अलावा अन्य के लिये, राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है"। (17).

पृष्ठ 4, पंक्ति 9, —

"पचास वर्ष" के लिये

"तीस वर्ष" प्रतिस्थापित करें। (18)

पृष्ठ 4, पंक्ति 11, —

"बंदीउद्देश्य" के लिये

विशेष रूप से बंदी उद्देश्य प्रतिस्थापित करें।" (19)

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या.**2** पक्ष में , 'हां' वाले अपराह्न **अपराह्न 02.45** बजे।

अधिकारी, श्री सुवेन्दू

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

श्री अभिषेक बनर्जी

बनर्जी, श्री कल्याण

बीजू, श्री पी. के.

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौधरी, श्री जितेन्द्र

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

डी (नाग),डॉ. रत्ना

देव, कुमारी सुष्मिता

फ़ैज़ल, मोहम्मद

श्री धर्मवीर गांधी

जॉर्ज, एड. जॉयस

@घोष, श्रीमती अर्पिता

गोई, श्री गौराव

हिकाका, श्री झीना

@हुडा, श्री दीपेन्दर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

करुणाकरण, श्री पी.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

@कुमार, श्री पी।

कुमार, श्री संतोष

महतो, डॉ. मृगांका

@श्री भर्तृहरि महताब

@मणि, श्री जोस के।

@मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मिश्रा, श्री पिनाकी

@मोहापात्रा, डॉ. सिद्धांत

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मुखर्जी, श्री अभिजित

नागेश, श्री गोदाम

@नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

पाला, श्री विनसेंट एच

@पंडा, श्री बैजयंत जय

पाटसानी , श्री प्रसन्ना कुमार

पाटिल, श्री भीमराव बी.

@पॉल, श्री तपस

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

@प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

@प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

@रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

@रोय, प्रो. सौगत

@राय, श्रीमती संध्या

राई,श्रीमती शताब्दी

साहु, श्री ताम्रध्वज

@सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

संपत, डॉ. ए.

संघामिता, डॉ. ममताज

@सरीन, डॉ. उमा

@सतपथी, श्री तथागत

सिंह, प्रो. साधू

सिंह, श्री रवनीत

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

@स्वैन, श्री लादू किशोर

तरई, श्रीमती रीता

@शिक्षक, श्रीमती पी. के. श्रीमति

@थोमस, प्रो. के.वी.

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>विपक्ष में 'ना' वाले</u>

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

@डॉ. रविन्द्र बाबू

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

@बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@भारती, सुश्री

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

@चक्रवर्ती, श्रीमती बिजॉय

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

@चौधरी, श्री पी.पी.

चौधरी, श्री पंकज

@चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री बाबूलाल

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

डेका, श्री रामेन

@देवी, श्रीमती रमा

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

@दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

@गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गंगवार, श्री संतोष कुमार

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिर्री, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

@कैसर, चौधरी महबूब अली

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

@खुबा, श्री भगवंत

@किंजरापु, श्री राम मोहन एन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

@कुमार, श्री अश्विनी

@कुमार, श्री धर्मेंद्र

@कुमार, श्री शांता

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

@लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

मैडम, श्रीमती पूनमबेन

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री कड़िया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नगर, श्री रोड़मल

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

@नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

@डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

पाटल, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पासवान, श्री कमलेश

@पासवान, श्री राम चंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

$पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

$ उन्होंने इसमें पर्ची से पक्ष में शुद्धि की।

राधाकृष्णन, श्री पोन

@राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राम, श्री जनक

@राम, श्री विष्णु दयाल

श्री एम. वेंकटेश्वर राव

@राव (अवंती), श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास

राठोर, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

@रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@रुडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सांपला, श्री विजय

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

@शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

@शिरोल, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

@सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

@सिन्हा, श्री जयंत

@सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

@तडास, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

@टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठकुर, श्री अनुराग सिंह

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@ठाकुर, श्रीमती सावित्री

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासी, श्री शिवकुमार

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

@वेणुगोपाल, डॉ. पी।

@वेर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्रीमती रेखा

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यदव, श्री हुक्मदेव नारायण

@यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

माननीय उपाध्यक्ष: सुधार के अधीन*, विभाजन का परिणाम है:

हाँ: 43

नही: 184

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 3, पंक्ति 44, -

"31वी मार्च, 2030" के लिये
प्रतिस्थापित "31वीमार्च, 2020" को करें।" (31)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं संशोधन संख्या 31 खंड 8 रखूंगा जो श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से अपने वोट भी दर्ज/सही किए:
पक्ष में "हाँ" वाले: 043 + श्रीमती अर्पिता घोष, सर्वश्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पी, कुमार, भर्तृहरी महताब, जोस के. मणि, भगवंत मान, डॉ. सिद्धांत महापात्रा, प्रो. ए. एस. आर. नाइक, सर्वश्री बैजयंत जय पांडा, तापस पॉल, नागेंद्र कुमार प्रधान, एन.के. प्रेमचंद्रन, ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी, प्रो. सौगत रॉय, श्रीमती संध्या रॉय, श्री मोहम्मद सलीम, डॉ. उमा सरेन, सर्वश्री तथागता सत्पथी, लाडू किशोर स्वैन, श्रीमती पी.के. श्रीमती टीचर, प्रो. के. वी. थोमस-श्री नाना पटोले = **063**

विपक्ष में 'ना' वाले**: 184** + डॉ. रवींद्र बाबू, श्री रमेश बैस, सुश्री उमा भारती, श्रीमती विजय चक्रवर्ती, एस/श्री पी.पी. चौधरी, राम ताहल चौधरी, श्रीमती रमा देवी, एस/श्री राजेश कुमार दिवाकर, नितिन गडकरी, चौधरी महबूब अली कैसर, एस/श्री भगवंत खुबा, राम मोहन नायडू किंजारपु, अश्विनी कुमार, धर्मेंद्र कुमार, शांता कुमार, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री थोटा नरसिम्हम, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, एस/श्री रामचंद्र पासवान, नाना पटोले, डॉ. उदित राज, एस/श्री विष्णु दयाल राम, मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती), श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, श्री राजीव प्रताप रूडी, डॉ. महेश शर्मा, एस/श्री अनिल शिरोले, सत्यपाल सिंह, जयंत सिन्हा, मनोज सिन्हा, रामदास सी. टाडास, अजय मिश्रा टेनी, श्रीमती सावित्री ठाकुर, डॉ. पी. वेणुगोपाल, डॉ. अंशुल वर्मा, श्री लक्ष्मी नारायण यादव = **220**

माननीय उपाध्यक्ष: अब, संशोधन संख्या .41 और 42, डॉ. ए. संपत।

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पेज 3, लाइन 34, -

"पचास वर्ष", के लिये

"पच्चीस वर्ष" प्रतिस्थापित करें।" (41)

"पेज 3, लाइन 37, -

"पचास वर्ष", के लिये

"पच्चीस वर्ष" प्रतिस्थापित करें।" (42)

मेरी संशोधन संख्या 41 और 42 हैं। यहां तक कि हम मंत्री जी मंचमें मेरे कुछ सहयोगियों के दिल की धड़कन भी सुन सकते हैं। मुझे आशा है कि इस संबंध में वे दिल से हमारे साथ हो सकते हैं। … *(व्यवधान)* मेघवाल जी, कृपया मेरे साथ उत्तेजित न हों। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। … *(व्यवधान)* महोदय, आपकी अनुमति से, मैं खंड 8ए उप-धारा *(2)* का उल्लेख करना चाहता हूँ। यह सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक है। … *(व्यवधान)* वैसे भी, हम इस राष्ट्र को बेचने का हिस्सा नहीं बन सकते। एक बार ल मोंड, फ्रांसीसी अखबार ने एक अग्रलेख निकाला "धन्यवाद यह दुनिया बिक्री के लिये नहीं है"। लेकिन, अब यह राष्ट्र बिक्री के लिये है यदि इसे स्वीकृत जा रहा है।

महोदय, खानों और खनिज विकास और विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2015 के प्रारंभ होने की तारीख और उससे, सभी खनन पट्टे 50 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किये जाएंगे। जिस शब्द का उल्लेख किया गया है, वह 'हो सकता है' नहीं। मेरा प्रश्न यह है, शायद मेरी अज्ञानता के कारण, किसी भी विकासशील राष्ट्र में, क्या उनकी सरकारें 50 वर्षों के लिये अपनी खानों को पट्टे पर देती हैं? … *(व्यवधान)* कहीं भी? … *(व्यवधान)* महोदय, उप-धारा *(3)* इसे पूर्वव्यापी प्रभाव दे रही है। उप-धारा *(3)* कहती है: "इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले दिए गए सभी खनन पट्टे"। … *(व्यवधान)* वे भी 50 वर्ष की अवधि के लिये होंगें। … *(व्यवधान)*।

इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले दिए गए सभी खनन पट्टे भी 50 वर्ष की अवधि के लिये होंगें। खदानें धन शोधन मशीन बन गई हैं। इसीलिये, मैं अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधन संख्या रखूंगा। 41 और 42 से खंड 8 में डॉ. ए. संपत द्वारा सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया।

डॉ. ए. संपत: महोदय, मैं एक मत विभाजन की मांग करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है। दीर्घायें को पहले ही क्लियर कर दिया गया है।

प्रश्न यह है:

"पेज 3, लाइन 34, -

"पचास वर्ष", के लिये

"पच्चीस वर्ष" प्रतिस्थापित करें।" (41)

"पेज 3, लाइन 37, -

"पचास वर्ष", के लिये

"पच्चीस वर्ष" प्रतिस्थापित करें।" (42)

लोक सभा का विभाजन:

<u>विभाजन नंबर **3**</u> <u>पक्ष में</u>, 'हां' वाले <u>अपराह्न अपराह्न</u>

<u>**02.51** बजे।</u>

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

एंटोनी, श्री एंटो

@अनवर, श्री तारिक़

@बनर्जी, श्री अभिषेक

@बनर्जी, श्री कल्याण

बीजू, श्री पी. के.

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौधरी, श्री जितेन्द्र

@दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

@डे(नाग), डॉ. रत्न

देव, श्री अरका केशरी

देव, कुमारी सुष्मिता

फ़ैज़ल, मोहम्मद

श्री धर्मवीर गांधी

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जॉर्ज, एड. जॉयस

घोष, श्रीमती अर्पिता

गोई, श्री गौराव

हिकाका, श्री झीना

@हुडा, श्री दीपेंद्र सिंह

@जयादेवन, श्री सी. एन.

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

@करुणाकरण, श्री पी.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

@कुमार, श्री संतोष

@श्री भर्तृहरि महताब

मणि, श्री जोस के.

@मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मिश्रा, श्री पिनाकी

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मुखर्जी, श्री अभिजित

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

पाला, श्री विनसेंट एच.

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाटसानी , श्री प्रसन्ना कुमार

@पाटिल, श्री भीमराव बी.

@पॉल, श्री तपस

@पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

@प्रधान,श्री नागेंद्र कुमार

@प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

@रॉय, प्रो. सौगत

@रॉय, श्रीमती संध्या

@रॉय, श्रीमती शताब्दी

@साहू, श्री ताम्रध्वज

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

संपत, डॉ. ए.

@संघमिता, डॉ. ममताज

सरेन,डॉ. उमा

सत्पथी, श्री तथागत

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

@सिंह, प्रो. साधु

सिंह, श्री रवनीत

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

स्वेन, श्री लादू किशोर

तरई, श्रीमती रीता

अध्यापक, श्रीमती पी.के. श्रीमति

प्रो. के. वी. थोमस

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

विपक्ष में 'ना' वाले

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

@अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

डॉ. रविन्द्र बाबू

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

@बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

@भारती, सुश्री उमा

@भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

@बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

चक्रवर्ती, श्रीमती बिजोया

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

@चौधरी, श्री पी.पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@चौबे, श्री अश्विनी कुमार

@चौधरी, श्री बाबूलाल

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

डेका, श्री रामेन

देवी, श्रीमती रमा

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

@दुबे, श्री सतीश चंद्र

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

@गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

@गायकवाड़, प्रो. रवींद्र विश्वनाथ

@गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गंगवार, श्री संतोष कुमार

@गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिर्री, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गुप्ता, श्री सुधीर

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

@जाट, प्रो. सांवर लाल

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

@ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

करान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

@कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

@खुबा, श्री भगवंत

@किंजरापु, श्री राम मोहन एन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

@कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

@लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

@महोदया, श्रीमती पूनमबेन

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

@मांझी, श्री हरि

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मोहन, श्री एम. मुरली

@मोहन, श्री पी. सी.

मुंडा, श्री कड़िया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नगर, श्री रोड़मल

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

पाटल, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

@पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

राज, डॉ. उदित

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

श्री एम. वेंकटेश्वर राव

@राव (अवंती), श्री मुथमसेती श्रीनिवास

राठोर, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री लखन लाल

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

साईं, श्री विष्णु देव

@सम्पला, श्री विजय

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

@शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

@सिंह, डॉ. नेपाल

@सिंह, डॉ. सत्य पाल

@सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

@सोनोवाल, श्री सर्बानंद

@सुप्रियो, श्री बाबुल

तडस, श्री रामदास सी.

@टम्टा, श्री अजय

@तासा, श्री कामख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठकुर, श्री अनुराग सिंह

ठकुर,श्रीमती सावित्री

त्रिपाठी, श्री शरद

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

उदासी, श्री शिवकुमार

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

@वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

@वर्मा, श्री परवेश साहब सिंह

वर्मा, श्रीमती रेखा

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यदव, श्री हुक्मदेव नारायण

@यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

@यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>भाग नहीं लिया</u>

शून्य

माननीय उपाध्यक्ष: सुधार के अधीन*, विभाजन का परिणाम हैः

हाँ: 42

नही: 180

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: संशोधन संख्या 45, 46 और 47 जो खंड 8 में है उसे श्री तथागत सत्पथी द्वारा स्थानांतरित किया जाए। क्या आप अपने संशोधन को आगे बढ़ा रहे हैं?

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं संशोधन संख्या 45 और 46 को क्लब करना चाहूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष: संशोधन संख्या 47 भी है।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से अपने वोट भी दर्ज/सही किए:

आयस: 042 + सर्वश्री तारिक अनवर, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, डॉ. रत्ना डे (नाग), सर्वश्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सी. एन. जयदेवन, पी., करुणाकरन, संतोष कुमार, भर्तृहरि महताब, भगवंत मान, भीमराव बी. पाटिल, तपस पॉल, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, सर्वश्री नागेंद्र कुमार प्रधान, एन.के. प्रेमचंद्रन, प्रो. सौगत रॉय, श्रीमती संध्या रॉय, श्रीमती शताब्दी रॉय, श्री ताम्रध्वज साहू, डॉ. ममताज संघमिता, प्रो. साधु सिंह = **064**

नो: 180 + एस/श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा, श्रीरंग अप्पा बर्ने, सुश्री उमा भारती, श्रीमती रंजनबेन भट्ट, एस/श्री रमेश बिधूड़ी, पी.पी. चौधरी, अश्विनी कुमार चौबे, बाबूलाल चौधरी, सतीश चंद्र दुबे, नितिन गडकरी, प्रो. रवींद्र विश्वनाथ गायकवाड़, एस/श्री जयदेव गल्ला, लक्ष्मण गिलवा, प्रो. सांवर लाल जाट, साध्वी निरंजन ज्योति, एस/श्री रमेश चन्द्र कौशिक, भगवंत खुबा, राम मोहन नायडू किंजारपु, अश्विनी कुमार, मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंडारिया, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्रीमती पूनमबेन माडम, एस/श्री हरि मांझी, पी.सी. मोहन, रामविलास पासवान, मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती), विजय सांपला, राम स्वरूप शर्मा, डॉ. नेपाल सिंह, डॉ. सत्यपाल सिंह, एस/श्री भरत सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, बाबुल सुप्रियो, अजय टम्टा, कामाख्या प्रसाद तासा, भानु प्रताप सिंह वर्मा, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, लक्ष्मी नारायण यादव, राम कृपाल यादव = **219**

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, वास्तव में संशोधन सं.47 एक अलग चरित्र का है, लेकिन किसी भी तरह, कुर्सी के उचित सम्मान और सम्मान के साथ और आपको विशेष रूप से, मैं संशोधन संख्या भी प्रस्तुत करता हूँ। 47.

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कॉलम 3, पंक्ति 44,--

वित्तीय वर्ष "31 मार्च, 2030"लिये

प्रतिस्थापित “31 मार्च, 2016”। (45)

कॉलम 4, पंक्ति 7,--

वित्तीय वर्ष "31 मार्च, 2020"लिये

प्रतिस्थापित “31वी मार्च, 2016”। (46)

कॉलम 4, line16,--

"केंद्र सरकार" के लिये

प्रतिस्थापित "राज्य सरकार"। (47)

[अनुवाद]

महोदय, मैं एक विभाजन की मांग कर रहा हूँ, लेकिन मैं, कुर्सी और इस प्रबुद्ध सदन के लिये हाथ जोड़कर, इस सदन में उपस्थित प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्र हमें देख रहा है, समय हमें देख रहा है ... *(व्यवधान)* नहीं, मैं किसी टेलीविजन व्यक्तित्व को उद्धृत नहीं कर रहा हूँ। देश हमें देख रहा है। लोग प्रबुद्ध हैं। इस देश का युवा देख रहा है कि हम किस तरह के विधेयक और कानून बना रहे हैं।

आप *आदिवासी* के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप सैकड़ों और हज़ारों समुदायों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री तथागत सत्पथी: आप *आदिवासियों* और अन्य गरीब और वंचित समुदायों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जहां सैकड़ों और हज़ारों लोग खनन के लिये बनी भूमि पर रह रहे हैं।

महोदय, यह बहुत गंभीर है। यह मेरे दिल के करीब है। महोदय, आपने कल मुझे सुना। मैं इसे इस सभा में उपस्थित हर एक प्रबुद्ध व्यक्ति पर छोड़ता हूँ कि मतदान करने का तरीका क्या है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि यह राजनीतिक दलों का सवाल नहीं है,यह इस बात का सवाल नहीं है कि हम क्या चाहते हैं; यह प्रश्न है कि हमारा दिल क्या चाहता है। क्या हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं? क्या हम कुछ लोगों को, कुछ परिवारों को लाखों डॉलर का देश का पैसा दे रहे हैं?

महोदय, अगले 20 या 50 वर्षों में, ... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: आप पहले ही बहुत अच्छी तरह से बोल चुके हैं। हमने तुम्हें सुना है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, इन संशोधनों को प्रस्तुत कीजिए। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: वह पहले ही अपने संशोधनों को पेश कर चुके हैं।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, वे परेशान क्यों कर रहे हैं? यह क्या है? हमने उन्हें बोलने की अनुमत दी।

महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। इस न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष से पहले, एक विश्व युद्ध हो सकता है, और स्थानीय युद्ध हो सकते हैं। अयस्क का मूल्य सभी माननीयों सदस्यों के लिये अकल्पनीय होगा। आज यहां उपस्थित सदस्य। मैं एक बार फिर सभी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने दिल से, अपने विवेक से मतदान करें। यदि वे वास्तव में कहते हैं:"*भारत माता की जय*, यह साबित करने का एक अवसर है कि वे इस देश से प्यार करते हैं।" ... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधन संख्या रखूंगा। श्री तथागत सत्पथी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत 45, 46 और 47 को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया है।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मुझे विभाजन चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: पहले से ही दीर्घायेंको क्लियर कर दिया गया है। प्रश्न यह है:

"पेज 3, लाइन 44, -

फ*या* "31वी मार्च, 2030"लिये

प्रतिस्थापित “31वी मार्च, 2016”।” (45)

"पेज 4, लाइन 7, -

फ*या* "31वी मार्च, 2020"लिये

प्रतिस्थापित “31वी मार्च, 2016”।” (46)

"पृष्ठ 4,line16,--

"केंद्र सरकार" के लिये

*"राज्य सरकार"*को प्रतिस्थापित करें।" (47)

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन नं. 4 **पक्ष में**, 'हां' वाले **अपराह्न अपराह्न**

02.56 बजे।

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

अनवर, श्री तारिक

श्री अभिषेक बनर्जी

बनर्जी, श्री कल्याण

@बर्मन, श्री बिजॉय चंद्र

बीजू, श्री पी. के.

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौधरी, श्री जितेन्द्र

@दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

@डे(नाग), डॉ. रत्न

देव, श्री अरका केशरी

देव, कुमारी सुष्मिता

फ़ैज़ल, मोहम्मद

@गांधी, श्री धर्म वीर

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जॉर्ज, एड. जॉयस

घोष, श्रीमती अर्पिता

गोई, श्री गौराव

हिकाका, श्री झीना

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

करुणाकरण, श्री पी.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

@कुमार, श्री संतोष

महतो, डॉ. मृगांका

श्री भर्तृहरि महताब

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मिश्रा, श्री पिनाकी

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

@मुखर्जी, श्री अभिजित

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

पाला, श्री विनसेंट एच.

पांडा, श्री बैजयंत जय

पाटसानी , श्री प्रसन्ना कुमार

@पाटिल, श्री भीमराव बी.

पॉल, श्री तपस

@पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

@प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

@रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रॉय, प्रो. सौगत

श्रीमती संध्या राय

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@रॉय, श्रीमती शताब्दी

साहु, श्री ताम्रध्वज

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

संपत, डॉ. ए.

संघामिता, डॉ. ममताज

सरेन,डॉ. उमा

@सत्पथी, श्री तथागत

सिंह, प्रो. साधू

सिंह, श्री रवनीत

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

स्वेन, श्री लादू किशोर

तरई, श्रीमती रीता

अध्यापक, श्रीमती पी.के. श्रीमति

@थोमस, प्रो. के.वी.

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>विपक्ष में ‘ना’ वाले</u>

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

डॉ. रविन्द्र बाबू

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

@भारती मोहन, श्री आर.के.

@भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

@भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

चक्रवर्ती, श्रीमती बिजोया

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

@चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@चिन्नैयान, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बाबूलाल

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

डेका, श्री रामेन

देवी, श्रीमती रमा

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

@गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिर्री, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

@गोपाल, डॉ. के.

@गोपालकृष्णन, श्री आर।

गुप्ता, श्री सुधीर

@हरिबाबू, डॉ. कम्भमपति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

@जाट, प्रो. संवार लाल

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

@जोशी, श्री प्रह्लाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

काछड़िया, श्री नारणभाई

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

@किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@कुमार, श्री धर्मेंद्र

@कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री शांता

@कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

@लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

मैडम, श्रीमती पूनमबेन

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

@मांझी, श्री हरि

@मारागाथम, श्रीमती के.

@मारुथराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@मिश्रा, श्री दद्दन

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री कड़िया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नगर, श्री रोड़मल

@नागराजन, श्री पी.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

@निषाद, श्री राम चरित्र

@डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

@पाटल, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय

परस्ते, श्री दलपत सिंह

@परशुरामन, श्री के.

@पर्ठीपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

@प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

@राधाकृष्णन, श्री टी.

@राज, डॉ. उदित

@राज, श्रीमती कृष्ण

राजभर, श्री हरिनारायण

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राम, श्री जनक

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राम, श्री विष्णु दयाल

@रामचंद्रन, श्री के. एन.

श्री एम. वेंकटेश्वर राव

श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती),

राठोर, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

@रुडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सांपला, श्री विजय

संजर, श्री आलोक

@सरमा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

@सेंगुट्टुवन, श्री बी.

@शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, श्री भरत

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

@सुंदरम, श्री पी. आर.

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठकुर, श्री अनुराग सिंह

@ठाकुर, श्रीमती सावित्री

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासी, श्री शिवकुमार

@वनरोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

@वेणुगोपाल, डॉ. पी.

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्रीमती रेखा

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यदव, श्री हुक्मदेव नारायण

यदव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

भाग नहीं लिया

शून्य

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

माननीय उपाध्यक्ष: सुधार के अधीन*, विभाजन का परिणाम हैः

हाँ: 051

नही: 193

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 **नए खंड 9ब और 9क का समावेश**

माननीय उपाध्यक्ष: श्री महताब, क्या आप संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 4, पंक्तियाँ 34 और 35, —

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से अपने वोट भी दर्ज/सही किए:

आयस: 051 + श्री बिजॉय चंद्र बर्मन, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, डॉ. रत्ना डे (नाग), एस/श्री धरम वीरा गांधी, संतोष कुमार, अभिजीत मुखर्जी, भीमराव बी. पाटिल, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, एस/श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, ए. पी. जितेंद्र रेड्डी, श्रीमती शताब्दी रॉय, श्री तथागता सत्पथी, प्रो. के.वी. थोमस = **064**

नंबर: 193 + श्री आर. के. भारती मोहन, सुश्री उमा भारती, एस/श्री दिलीप सिंह भूरिया, देवुसिंह चौहान, एस. सेल्वाकुमारा चिन्नायन, नितिन गडकरी, डॉ. के. गोपाल, श्री आर. गोपालकृष्णन, डॉ. कंभमपति हरिबाबू, प्रो. सांवर लाल जाट, एस/श्री प्रल्हाद जोशी, जुगल किशोर, धर्मेंद्र कुमार, के. अशोक कुमार, मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंडारिया, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री हरि मांझी, श्रीमती के. मरगाथम, एस/श्री आर.पी. मरुथराजा, दड्डन मिश्रा, पी. नागराजन, राम चरित्र निषाद, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, श्रीमती कमला पाटले, एस/श्री के. परशुरामन, आर. पार्थिपन, डॉ. भागीरथ प्रसाद, श्री टी. राधाकृष्णन, डॉ. उदित राज, श्रीमती कृष्ण राज, एस/श्री के.एन. रामचंद्रन, राजीव प्रताप रूडी, राम प्रसाद शर्मा, बी. सेनगुट्टुवन, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, एस/श्री बृजभूषण शरण सिंह, पी.आर. सुंदरम, श्रीमती सावित्री ठाकुर, श्रीमती आर. वनारोजा, डॉ. पी. वेणुगोपाल = **233**

"एक-तिहाई" के लिये

"राशि" का प्रतिस्थापित करें। (20)

जहां एक तिहाई के लिये, एकत्र की जाने वाली कुल धनराशि उसमें जमा की जानी चाहिए। यह मेरा संशोधन है।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधन संख्या 20 को खंड 9 में रखूंगा जो श्री भर्तृहरि महताब द्वारा सदन के मतदान के लिये स्थानांतरित किया गया।

<u>अपराह्न अपराह्न 03.00 बजे।</u>

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 33, 34, 35, 36 और 37 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 4, पंक्ति 25, -

"जिला खनिज फाउंडेशन" के लिये

क्षेत्र कल्याण नींव “खनन क्षेत्र कल्याण नींव” प्रतिस्थापित करें। ” (33)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 26, -

"जिला खनिज फाउंडेशन" के लिये

क्षेत्र कल्याण नींव “खनन क्षेत्र कल्याण नींव” प्रतिस्थापित करें। ” (34)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 29, -

"जिला खनिज फाउंडेशन" के लिये

क्षेत्र कल्याण नींव “खनन क्षेत्र कल्याण नींव” प्रतिस्थापित करें। (35)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 32, -

"जिला खनिज फाउंडेशन" के लिये

क्षेत्र कल्याण नींव “खनन क्षेत्र कल्याण नींव” प्रतिस्थापित करें। ” (36)

"पृष्ठ 4, पंक्तियाँ 34 और 35, -

"एक तिहाई" के लिये

प्रतिस्थापित "आधा का"।" (37)

महोदय, मैंने अपने संशोधन संख्या 33, 34, 35, 36 और 37 को प्रस्तुत किया है। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूँ कि इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करें। मंत्री जी और सरकार कि मेरी संशोधन संख्या 33 से 36 हानिरहित और सरल हैं। … *(व्यवधान)* तुम इतने असहिष्णु क्यों हो? यह एक विधायी प्रक्रिया है। … *(व्यवधान)*

महोदय, मेरा कहना है कि जिला खनिज फाउंडेशन को "खनन क्षेत्र कल्याण फाउंडेशन" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यदि इसे खनन क्षेत्र कल्याण फाउंडेशन में नहीं बदला जाता है, तो निश्चित रूप से इस फाउंडेशन का दुरुपयोग करने की संभावना है क्योंकि फाउंडेशन में, दायरे बहुत अधिक हैं। जहां

तक क्षेत्र के परियोजना प्रभावित लोगों का संबद्ध है, जहां खनन किया जा रहा है, अब भी, हमारे पास खनन क्षेत्र कल्याण बोर्ड है। माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जिला खनिज फाउंडेशन को "खनन क्षेत्र कल्याण फाउंडेशन" के रूप में बदला जाना चाहिए।

इसे बदलने में कोई बुराई नहीं है। इसलिये, ये मेरे संशोधन हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 9 के संशोधन सं. 33, 34, 35, 36 और 37 को सदन में मतदान के लिये रखूंगा। ।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री तथागत सत्पथी, क्या आप अपने संशोधन संख्या 48,49,50,51,52,53,54 और 55 को आगे बढ़ा रहे हैं?

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं केवल संशोधन संख्या 49 के लिये बोलूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष: क्या आप अपने सभी संशोधनों को आगे बढ़ा रहे हैं या क्या आप केवल एक विशेष संशोधन पेश करना चाहते हैं?

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं सभी के लिये जीवन को आसान बनाने के लिये एक साथ पेश कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट को देश की संपत्ति देने की इच्छा इतनी जोर दे रही है कि उनके पास कानून बनाने के लिये बर्बाद करने का समय नहीं है।... *(व्यवधान)*

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 4, पंक्ति 28, -

''राज्य सरकार' के बाद

''और केंद्र सरकार" डालें। (48)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 30 के बाद, *प्रवेश*—

" जिला खनिज फाउंडेशन में संसद के स्थानीय सदस्य (लोक सभा) शामिल होंगे जो इसके अध्यक्ष होंगे, विधान सभा के सभी जुड़े सदस्य उपाध्यक्ष होंगे, जिला कलेक्टर संयोजक-सचिव के रूप में होंगे, और सभी प्रभावित लोगों के प्रतिनिधि होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक, स्थानीय व्यवसाय समुदाय के प्रतिनिधि और पंचायत के निर्वाचित सदस्य सदस्य के रुप में शामिल होंगे। "।" (49)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 35 के बाद, *प्रवेश*—

"(5) जिला खनिज फाउंडेशन को खनन गतिविधियों को रोकने का अधिकार दिया जाएगा यदि अधिकांश सदस्य सिफारिश करते हैं कि खनन पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा का संबंधित धारक पुनःस्थापन, पुनर्वास, प्रदूषण, रोजगार और संबंधित मानदंडों और दिशानिर्देशों के संबद्ध में नियमों का पालन नहीं कर रहा है।

(6) जिला खनिज फाउंडेशन के पास खनन कंपनी की वित्तीय ऑडिट लागू करने के, साथ-साथ, खनन क्षेत्र और खनन प्रथाओं का भौतिक सत्यापन करने का अधिकार होगा। " (50)."

"पृष्ठ 4, पंक्ति 36, -

"केंद्र सरकार' के लिये

"राज्य सरकार को प्रतिस्थापित करें"। " (51)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 37, -

"राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के लिये'

"राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट" प्रतिस्थापित करें'।" (52)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 40, -

"केंद्र सरकार' के लिये

"राज्य सरकार को प्रतिस्थापित करें"। " (53)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 42, -

"केंद्र सरकार' के लिये

"राज्य सरकार को प्रतिस्थापित करें"। " (54)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 45, -

"केंद्र सरकार' के लिये

"राज्य सरकार को प्रतिस्थापित करें"। " (55)

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, लोगों ने निर्णय लिया है; *जनता जनार्दन* ने उन्हें देश देने का निर्णय लिया है।… *(व्यवधान)* आराम करें… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सत्पथी के कथन के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)... *

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सत्पथी, आप अध्यक्ष को संबोधित कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी: इन्होंने गलती की और अब आप गलती दोहरा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)... *

श्री तथागत सत्पथी: मैं संशोधन सं. 49 के बारे में केवल एक ही बात कह रहा हूँ। मैं इस सभा और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिला खनिज फाउंडेशन में सांसद से ले कर विधायक और पंचायत तक जनप्रतिनिधि हों, ताकि लोगों को खनन की प्रक्रिया में वास्तविक आवाज मिले और एक खनिक को दंडित करने की शक्ति मिले, जो अपने क्षेत्र से अधिक खनन करता है, जो जंगल को नष्ट करता है, जो पर्यावरण को नष्ट करता है, पुनर्वास या पुनर्वास की परवाह नहीं करता है और केवल हर साल हजारों करोड़ कमाने के लिये उत्सुक है। कृपया उस पर एक लगाम लगाएं और इसकी अनुमति दें।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं सदन में मतदान के लिये संशोधन सं. 48,49,50,51,52,53,54 और 55 रखूंगा।

श्री तथागत सत्पथी: मुझे विभाजन चाहिए।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: लॉबी को पहले ही क्लियर कर दिया गया है।

प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 4, पंक्ति 28, -

''राज्य सरकार' के बाद

''और केंद्र सरकार" डालें। (48)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 30 के बाद, *प्रवेश*—

" जिला खनिज फाउंडेशन में संसद के स्थानीय सदस्य (लोक सभा) शामिल होंगे जो इसके अध्यक्ष होंगे, विधान सभा के सभी संबद्ध सदस्य उपाध्यक्ष होंगे, जिला कलेक्टर संयोजक-सचिव के रूप में होंगे, और सभी प्रभावित लोगों के प्रतिनिधि होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक, स्थानीय व्यवसाय समुदाय के प्रतिनिधि और पंचायत के निर्वाचित सदस्य सदस्य के रुप में शामिल होंगे। " (49)"

"पृष्ठ 4, पंक्ति 35 के बाद, *प्रवेश*—

"(5) जिला खनिज फाउंडेशन को खनन गतिविधियों को रोकने का अधिकार दिया जाएगा यदि अधिकांश सदस्य सिफारिश करते हैं कि खनन पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा का संबंधित धारक पुनःस्थापन, पुनर्वास, प्रदूषण, रोजगार और संबंधित मानदंडों और दिशानिर्देशों के संबद्ध में नियमों का पालन नहीं कर रहा है।

(6) जिला खनिज फाउंडेशन के पास खनन कंपनी की वित्तीय ऑडिट लागू करने के, साथ-साथ, खनन क्षेत्र और खनन प्रथाओं का भौतिक सत्यापन करने का अधिकार होगा। ”.” (50)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 36, -

‘‘केंद्र सरकार' के लिये

‘‘राज्य सरकार को प्रतिस्थापित करें'। ” (51)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 37, -

‘‘राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के लिये'

‘‘राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट’’ प्रतिस्थापित करें'।” (52)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 40, -

‘‘केंद्र सरकार' के लिये

‘‘राज्य सरकार को प्रतिस्थापित करें'। ” (53)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 42, -

‘‘केंद्र सरकार' के लिये

‘‘राज्य सरकार को प्रतिस्थापित करें'। ” (54)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 45, -

''केंद्र सरकार' के लिये

''राज्य सरकार को प्रतिस्थापित करें''। ''

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या .5 **पक्ष में**, 'हां' वाले **अपराह्न अपराह्न 03.03 बजे।**

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

बर्मन,श्री बिजय चन्द्र

बीजू, श्री पी. के.

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौधरी, श्री जितेन्द्र

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

डी (नाग),डॉ. रत्ना

देव, श्री अरका केशरी

देव, कुमारी सुष्मिता

फ़ैज़ल, मोहम्मद

श्री धर्मवीर गांधी

जॉर्ज, एड. जॉयस

घोष, श्रीमती अर्पिता

गोई, श्री गौराव

हिकाका, श्री झीना

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

@श्री सी. एन जयादेवन,

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

करुणाकरण, श्री पी.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

@श्री मल्लिकार्जुन खड़गे,

कुमार, श्री संतोष

@श्री भर्तृहरि महताब,

@श्री जोस के. मणि,

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मिश्रा, श्री पिनाकी

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मुखर्जी, श्री अभिजित

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

पाला, श्री विनसेंट एच.

पांडा, श्री बैजयंत जय

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटसानी , श्री प्रसन्ना कुमार

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

@प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

श्रीमती संध्या राय

साहु, श्री ताम्रध्वज

सलीम, श्री मोहम्मद

संपत, डॉ. ए.

सरेन,डॉ. उमा

@सत्पथी, श्री तथागत

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, प्रो. साधू

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

स्वेन, श्री लादू किशोर

तरई, श्रीमती रीता

अध्यापक, श्रीमती पी.के. श्रीमति

प्रो. के. वी. थोमस

<u>विपक्ष में 'ना' वाले</u>

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

डॉ. रविन्द्र बाबू

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

@श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

@ श्री आर.के. भारती मोहन,

@भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

@भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

चक्रवर्ती, श्रीमती बिजोया

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

@श्री राम टहल चौधरी,

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बाबूलाल

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

डेका, श्री रामेन

देवी, श्रीमती रमा

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

@श्री निशिकांत दुबे,

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

@गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@गल्ला, श्री जयदेव

@श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी,

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिर्री, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

@गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गुप्ता, श्री सुधीर

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

@ श्री अनंतकुमार हेगड़े,

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

@जाट, प्रो. संवार लाल

@डॉ. जे. जयवर्धन,

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@जोशी, श्री प्रह्लाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

@श्री के. अशोक कुमार,

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

श्री सदाशिव लोखंडे

मैडम, श्रीमती पूनमबेन

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

@मारागाथम, श्रीमती के.

@मारुथराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री हरीश

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री कड़िया

@डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे,

नगर, श्री रोड़मल

@नागराजन, श्री पी.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

@श्री मनशंकर निनामा,

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ओराम, श्री जुएल

पाटल, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय

परस्ते, श्री दलपत सिंह

@परशुरामन, श्री के.

@पर्ठीपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

@श्री नाना पटोले,

फुले, साध्वी सावित्री बाई

@श्री के.आर.पी. प्रबकरण,

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

@राधाकृष्णन, श्री टी.

@राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती),

राठोर, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

@राउत, श्री विनायक भाऊराव

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सांपला, श्री विजय

संजर, श्री आलोक

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

@श्री अरविंद सावंत,

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

@श्री जयंत सिन्हा,

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

@श्री विनोद कुमार सोनकर,

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

@सुंदरम, श्री पी. आर.

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

@श्री रामदास सी. टादास,

टम्टा, श्री अजय

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

@टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठकुर, श्री अनुराग सिंह

@ठाकुर, श्रीमती सावित्री

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

उदासी, श्री शिवकुमार

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

@वेणुगोपाल, डॉ. पी.

@वेर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्रीमती रेखा

यदव, श्री हुक्मदेव नारायण

@यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

@श्री बी.एस. येदियुरप्पा,

<u>भाग नहीं लिया</u>

शून्य

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

माननीय उपाध्यक्ष: सुधार के अधीन*,विभाजन का परिणाम है:

हाँ: 49

सं:194

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : सवाल यह है कि

“कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड *9* विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 नई धारा **10**क ,**10**ख और **10**ग का समावेशन

माननीय उपाध्यक्ष: श्री महताब, क्या आप अपनी संशोधन संख्या 21,22 और 23 खंड 10 को पेश कर रहे हैं?

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से अपने वोट भी दर्ज/सही किए:

आयस: 049 + एस/श्री सी.एन. जयदेव, मल्लिकार्जुन खड़गे, भर्तृहरि महताब, जोस के. मणि, एन.के. प्रेमचंद्रन, तथागता सत्पथी = **055**

विपक्ष में: 194 + सर्वश्री श्रीरंग आप्पा बारणे, आर.के. भारती मोहन, सुश्री उमा भारती,सर्वश्री दिलीप सिंह भूरिया, राम ताहल चौधरी, निशिकांत दुबे, नितिन गडकरी, जयदेव गल्ला, दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी, डॉ. के. गोपाल, श्री अनंत कुमार हेगड़े, प्रो. सांवर लाल जाट, डॉ. जे. जयवर्धन,सर्वश्री प्रल्हाद जोशी, के. अशोक कुमार, श्रीमती के. मरगाथम, श्री आर.पी. मरुथराजा, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुण्डे,सर्वश्री पी. नागराजन, मानशंकर निनामा, के. परशुरामन, आर. पार्थिपन, नाना पटोले, के.आर.पी. प्रभाकरन, टी. राधाकृष्णन, डॉ. उदित राज,सर्वश्री विनायक भाऊराव राउत, अरविंद सावंत, जयंत सिन्हा, विनोद कुमार सोनकर, पी. आर. सुंदरम, रामदास सी. ताड़ास, अजय मिश्रा टेनी, श्रीमती सावित्री ठाकुर, डॉ. पी. वेणुगोपाल, डॉ. अंशुल वर्मा,सर्वश्री लक्ष्मी नारायण यादव, B.S. येदियुरप्पा = **232**

श्री भर्तृहरि महताब: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 5, पंक्तियाँ 35 और 36, —

"उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर हटाएं"।" (21)

"पृष्ठ 5, पंक्ति 36,के बाद सम्मिलित करें —

"कोई टोही परमिट और पूर्वेक्षण लाइसेंस नीलामी प्रक्रिया से गुजरे बिना खनन पट्टों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।"" (22)

"पृष्ठ 5, पंक्ति 39,के बाद सम्मिलित करें —

"और यह कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस उपधारा के अधीन कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा।"" (23)

महोदय, मैंने खण्ड सं. 10 से संबंधित संशोधन सं.21, 22 और 23 प्रस्तुत किया जैसा कि वे आरपी और पीएल से संबंधित हैं जिसे नीलामी प्रक्रिया से गुजरे बिना खनन पट्टों में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। नीलामी की पारदर्शी प्रणाली के अधीन पट्टों की संख्या पहले ही धारा 8 क द्वारा गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है और बिना नीलामी के आरपी और पीएल धारकों को एमएल का अधिकार देने से प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य को और नकार दिया जाएगा। इसके बजाय पीएल धारकों को नीलामी के तहत पहले इनकार

करने का अधिकार दिया जा सकता है और एमएल नहीं मिलने की स्थिति में, उन्हें राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट या राज्य सरकार द्वारा पूर्वेक्षण धारा 10 क (2) पर टोही के लिये उनके द्वारा किये गए व्यय के लिये यथोचित मुआवजा दिया जा सकता है जिसे तदनुसार संशोधित किया जा सकता है। यह मेरा सुझाव है। यह मेरा संशोधन है। मैं अधिक स्पष्टता के लिये, अधिक पारदर्शिता के लिये यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ। यदि यह सरकार पारदर्शिता में विश्वास करती है, तो यहां एक मामला है जहां मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया इसका समर्थन करें।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं इस सदन के मतदान के लिये संशोधन सं. 21,22 और 23 रखूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब: मुझे विभाजन चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: दीर्घायेंको पहले ही क्लियर कर दिया गया है।

प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 5,पंक्तियाँ 35 और 36,—

"उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर (21)
हटाएं"।"

"पृष्ठ 5, पंक्ति 36,के बाद सम्मिलित करें —

"कोई टोही परमिट और पूर्वेक्षण लाइसेंस नीलामी प्रक्रिया से गुजरे बिना खनन (22)
पट्टों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।""

"पृष्ठ 5, पंक्ति 39,के बाद सम्मिलित करें —

"और यह कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि (23)
की समाप्ति के पश्चात् इस उपधारा के अधीन कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा।""

मत विभाजन:

<u>विभाजन संख्या **.6**</u> <u>पक्ष में</u>, 'हां' वाले <u>अपराह्न **अपराह्न**</u>

<u>**03.07** बजे।</u>

@श्री एंटो एन्टोनी,

अनवर, श्री तारिक

श्री अभिषेक बनर्जी

बनर्जी, श्री कल्याण

@श्री बिजॉय चंद्र बर्मन,

बीजू, श्री पी. के.

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौधरी, श्री जितेन्द्र

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

डी (नाग),डॉ. रत्ना

देव, श्री अरका केशरी

देव, कुमारी सुष्मिता

फ़ैज़ल, मोहम्मद

श्री धर्मवीर गांधी

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जॉर्ज, एड. जॉयस

घोष, श्रीमती अर्पिता

गोई, श्री गौराव

हिकाका, श्री झीना

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

@जयादेवन, श्री सी. एन.

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

करुणाकरण, श्री पी.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

@श्री मल्लिकार्जुन खड़गे,

@कुमार, श्री संतोष

श्री भर्तृहरि महताब

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मिश्रा, श्री पिनाकी

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मुखर्जी, श्री अभिजित

@प्रो. ए.एस.आर. नाइक,

पाला, श्री विनसेंट एच.

पांडा, श्री बैजयंत जय

@श्री प्रसन्न कुमार पातासनी,

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पॉल, श्री तपस

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

@प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रॉय, प्रो. सौगत

श्रीमती संध्या राय

राई,श्रीमती शताब्दी

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

साहु, श्री ताम्रध्वज

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

संपत, डॉ. ए.

संघामिता, डॉ. ममताज

सरेन,डॉ. उमा

सत्पथी, श्री तथागत

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, प्रो. साधू

सिंह, श्री रवनीत

सिंह,श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी

स्वेन, श्री लादू किशोर

तरई, श्रीमती रीता

अध्यापक, श्रीमती पी.के. श्रीमति

प्रो. के. वी. थोमस

<u>विपक्ष में 'ना' वाले</u>

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

[@]श्री हंसराज गंगाराम अहीर,

अहलावत, श्रीमती संतोष

@श्री एस.एस. आलूवालिया,

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

[$]श्री सुरेश सी. अंगड़ी,

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

@बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

[@] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[$] उन्होंने इसमें पर्ची से पक्ष में शुद्धि की।

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

@भूरिया, श्री दिलीप सिंह

@बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

चक्रवर्ती, श्रीमती बिजोया

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

@श्री देवुसिंह चौहान,

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बाबूलाल

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

डेका, श्री रामेन

@श्रीमती रमा देवी,

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

@गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

$प्रो. रवींद्र विश्वनाथ गायकवाड,

@गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

$ उन्होंने इसमें पर्ची से पक्ष में शुद्धि की।

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिर्री, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गुप्ता, श्री सुधीर

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

@डॉ. संजय जैसवाल,

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

@जाट, प्रो. संवार लाल

जयवर्धन, डॉ. जे.

@श्री रमेश जिगाजिनागी,

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

@कुमारी शोभा करंदलाजे,

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

@श्री जुगल किशोर,

@श्री कौशल किशोर,

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

@श्री अश्विनी कुमार,

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री पी.

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

@लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

मैडम, श्रीमती पूनमबेन

महतो, डॉ. बंशीलाल

@श्री बिद्युत बरन महतो,

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मरुथराजा, श्री आर. पी.

@श्री केशव प्रसाद मौर्य,

@श्री हरीश मीना,

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री कड़िया

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे,

@श्री रोड़मल नागर,

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

@नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

@निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

पाटल, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय

परस्ते, श्री दलपत सिंह

@श्री छेदी पासवान,

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

@श्री लालुभाई बाबूभाई पटेल,

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

@श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल,

@श्री नाना पटोले,

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

@श्री कृष्ण प्रताप,

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री टी.

@राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

@ श्री जनक राम,

राम, श्री विष्णु दयाल

श्री एम. वेंकटेश्वर राव

@श्री हरिओम सिंह राठौर,

@श्री रामसिंह रथवा,

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

@रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

@श्री विजय सम्पला,

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

@शर्मा, श्री रामस्वरूप

@श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,

शेट्टी, श्री गोपाल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

@सिंह, डॉ. सत्य पाल

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

@श्री सुशील कुमार सिंह,

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंहा, श्री जयंत

सिंहा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठकुर, श्री अनुराग सिंह

ठकुर,श्रीमती सावित्री

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासी, श्री शिवकुमार

@डॉ. हर्ष वर्धन,

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्रीमती रेखा

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यदव, श्री हुक्मदेव नारायण

यदव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

भाग नहीं लिया

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शून्य

माननीय उपाध्यक्ष: सुधार के अधीन*, विभाजन का परिणाम हैः

हाँ: 57

नही: 177

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड *10* विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 11 धारा **11** के **लिये** नई धारा का प्रतिस्थापन

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. ए. संपत, क्या आप अपना खंड 11 का संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत कर रहे हैं?

डॉ. ए. संपत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से अपने वोट भी दर्ज/सही किए:

आयस: 057 + एस/श्री एंटो एंटनी, बिजॉय चंद्र बर्मन, सी.एन. जयदेव, मल्लिकार्जुन खड़गे, संतोष कुमार, प्रो. ए. एस. नाइक, एस/श्री प्रसन्ना कुमार पटासानी, एन.के. प्रेमचंद्रन-प्रो. रवींद्र विश्वनाथ गायकवाड़ = **064**

विपक्ष में 'ना' वाले: 177 + एस/श्री हंसराज गंगाराम अहीर, S.S. आलूवालिया, सुरेश सी. अंगड़ी, श्रीरंग अप्पा बार्ने, दिलीप सिंह भूरिया, रमेश बिधूड़ी, देवुसिंह चौहान, अश्विनी कुमार चौबे, श्रीमती रमा देवी, श्री नितिन गडकरी, प्रो. रवींद्र विश्वनाथ गायकवाड़, श्री जयदेव गल्ला, डॉ. संजय जयस्वाल, प्रो. सांवर लाल जाट, श्री रमेश जिगाजीनागी, कुमारी शोभा करंदलाजे, एस/श्री जुगल किशोर, कौशल किशोर, अश्विनी कुमार, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, एस/श्री विद्युत बरन महतो, केशव प्रसाद मौर्य, हरीश मीणा, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुण्डे, एस/श्री रोडमल नागर, थोटा नरसिम्हम, राम चरित्र निषाद, छेदी पासवान, लालूभाई बाबूभाई पटेल, कपिल मोरेश्वर पाटिल, नाना पटोले, कृष्ण प्रताप, डॉ. उदित राज, एस/श्री जनक राम, हरिओम सिंह राठौर, रामसिंह राठवा, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, एस/श्री विजय सांपला, राम स्वरूप शर्मा, गजेंद्र सिंह सेखावत, डॉ. सत्यपाल सिंह, श्री सुशील कुमार सिंह, डॉ. हर्षवर्धन = **220**

परहेज:001 -श्री सुरेश सी. अंगड़ी = **000**

"पृष्ठ 7, पंक्ति 16, -

''राज्य सरकार के *लिये*'',

''केंद्रीय सरकार का प्रतिस्थापित करें'''।" (43)

राज्य सरकार प्रक्रिया के अनुसार चयनित आवेदक को पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन लाइसेंस प्रदान करेगी। मैं चाहूँगा कि इसे राज्य सरकार के रूप में नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के रूप में रखने के लिये एक संशोधन किया जाए क्योंकि संविधान के अनुसार, यह केंद्र सरकार का भी कर्तव्य है।

महोदय, इन सभी विचार-विमर्शों और चर्चाओं, हाँ तथा ना और विभाजन के बाद, हम सभी देखते हैं कि कुछ तर्क, कुछ औचित्य है क्योंकि हाँ 42 से 47 हो गई है और अब, हमें 57 हाँ मिले हैं। सम्मान के साथ, मंत्री महोदय, मुझे वास्तव में विश्वास है कि सरकार की ओर से ही कुछ संशोधन किये जाएंगे क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। आप शक्तियों में निहित हैं।

आप लोगों के संरक्षक हैं। यह आपका पोर्टफोलियो नहीं है। रूडी जी... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं डॉ. ए.संपत द्वारा प्रस्तुत खंड 11 में संशोधन सं. 43 सदन के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड *11* विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 12 नई धारा **11**ख और **11**घ का समावेशन

माननीय उपाध्यक्ष: श्री बी. महताब, क्या आप अपना संशोधन संख्या .24 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: हाँ,मैं अपना संशोधन संख्या .24 प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 7, पंक्ति 36 के बाद,*समावेश करें*— -

"चौथी अनुसूची में कोई अतिरिक्त धनराशि संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं की जाएगी।"" (24)

यह चौथी अनुसूची को समाप्त करने से संबंधित है। चौथी अनुसूची सरकार को पर्याप्त शक्ति देती है और इस संबद्ध में, मेरा संशोधन चौथी अनुसूची को पूर्णतः हटाने के लिये है। ... *(व्यवधान)*

मैंने सोचा कि संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ बातों पर सभा को सलाह दे रहे हैं और वह रिकॉर्ड पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वह यह नहीं चाहता कि यह रिकॉर्ड में हो।

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, अध्यक्षपीठ के बारे में कुछ मत कहें। मुझे पता है कि कैसे संभालना है। आप मुद्दे पर आईए। बहुत संक्षिप्त रहें।

श्री भर्तृहरि महताब: मेरा संशोधन अनुसूची 4 को हटाने से संबंधित है जो इस विधेयक में शामिल है। यह बहुत नुकसानदायक है और यह राष्ट्र के हित के विरुद्ध है। यह राज्य सरकार को विश्वास में लिये बिना, विशेष रूप से, उन खनिज उत्पादक राज्यों को मनमाने ढंग से कई चीजों को तय करने के लिये केंद्र सरकार को पर्याप्त शक्ति देता है। यह मेरा सुझाव है। जब आप इस संबद्ध में निर्णय ले रहे हैं तो आप संबंधित राज्य सरकार से परामर्श क्यों नहीं करते हैं? जैसा कि यह नहीं होगा, मैंने अपना संशोधन पेश किया है।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री बी.महताब द्वारा प्रस्तुत खंड 12 में संशोधन संख्या 24 सदन के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 नई धारा 12(क) का अत: स्थापन

माननीय उपाध्यक्ष: श्री बी. महताब, क्या आप संशोधन संख्या 25 और 26 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 7, पंक्तियों 39 से 42 के लिये,—

"12क को प्रतिस्थापित करें। कोई भी खनन रियायत, चाहे वह नीलामी प्रणाली के तहत प्राप्त हो या अन्यथा, मूल खनन पट्टे या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के धारक द्वारा हस्तांतरित नहीं की जाएगी "।" (25)

खनिज रियायतों के हस्तांतरण पर रोक

"पृष्ठ 8,*1 से 27* तक की पंक्तियों को हटा दें।" (26)

ये मेरे दो अंतिम संशोधन हैं लेकिन हमारी पार्टी से और संशोधन हैं। मैंने कल कहा था कि इस संशोधन प्रक्रिया में डेढ़ घंटे से कम नहीं लगेंगे। ... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं कहूँगा कि यह एक सम्मिलन या एक विकल्प है जिसे मैं 12क बनाना चाहता हूँ। "कोई भी खनन रियायत, चाहे वह नीलामी प्रणाली के तहत प्राप्त हो या अन्यथा, मूल खनन पट्टे या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के धारक द्वारा हस्तांतरित नहीं की जाएगी।"... *(व्यवधान)* यह आपके लिये भी जरूरी

है,क्योंकि,मध्य प्रदेश में भी थोड़ी-बहुत माइनिंग है।...*(व्यवधान)* जो लोग माइन्स ले रहे हैं, वे भी ट्रान्सफर कर रहे हैं।...(व्यवधान) यह सरकार के दृष्टिकोण को लिये बिना संबंधित है। इसलिये, मैं कह रहा हूँ, "कोई भी खनन रियायत, चाहे वह नीलामी प्रणाली के तहत प्राप्त हो या अन्यथा, मूल खनन पट्टे के धारक या एक पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे द्वारा हस्तांतरित नहीं की जाएगी।"

यह मेरा संशोधन है और इससे सरकार के हाथ मजबूत होंगे और यह अधिक पारदर्शी हो जाएगा क्योंकि इस संशोधन से अंडर-हैंड या टेबल डीलिंग पर रोक लग सकती है। यह विधेयक में नहीं है। मैं सरकार से आगे आने का अनुरोध करता हूँ। यदि आप इसे प्रतिष्ठा के मुद्दे के रूप में ले रहे हैं, तो कृपया बाद में आगे आएं। मैं इस संशोधन के लिये जोर देता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत खंड 13 में संशोधन सं. 25 और 26 सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष: अब, संशोधन संख्या .56 और 57, श्री तथागत सत्पथी।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 8, पंक्ति 8, -

'' 90 दिनों के *लिये*'' (56)

'' एक सौ अस्सी दिन' प्रतिस्थापित करें। "

"पृष्ठ 8, पंक्ति 9, -

के लिये '' राज्य सरकार को इस तरह के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है'

'' राज्य सरकार इस तरह के स्थानांतरण पर आपत्ति करती है'। " (57)

मैं उन सभी को एक साथ जोड़ रहा हूँ। जब वे सहकारी संघवाद के बारे में बात कर रहे हैं,तो श्री जुएल ओराम जैसे वरिष्ठ नेता के रूप में कोई इस बात से अवगत है कि जब हम घर वापस जाते हैं तो हमारे पास बड़ी जनजातीय आबादी होती है जो बुनियादी चीजों से वंचित होती है। इसलिये, आपको राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार देने चाहिए। यह भी स्वीकार किया जाता है और तथ्य यह है कि हम सभी को ऐसी राज्य सरकार सुविधा नहीं मिलती है जो हमारा समर्थन करती है या जो हमारी पार्टी है। उस स्थिति से अवगत होते हुए, यह जानते हुए कि एक ऐसी स्थिति अच्छी तरह से उत्पन्न हो सकती है जब हम में से कुछ स्थानीय सरकार से घर पर समर्थन से वंचित हो सकते हैं, फिर भी जनहित में मैं कहता हूँ कि मैं इन सभी को जोड़ना चाहूँगा और अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत खंड 13 में संशोधन सं. 56 और 57 सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड *13* विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड *14* से *17* विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 18 नई धारा **20(**क) का अत**:** स्थापन

माननीय उपाध्यक्ष: अब, संशोधन संख्या .38, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन। क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 10,पंक्ति 9,हटाएं,-

"या किसी भी नीतिगत मामले पर"। (38)

महोदय, यह मेरा अंतिम संशोधन है। ... *(व्यवधान)* महोदय, मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। यह एक बहुत ही गंभीर संशोधन है। यह संशोधन धारा 20क के रूप में प्रस्तावित संशोधन के संबद्ध में है जिसके द्वारा केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को को नीति बनाने के लिये निर्देश देने का अधिकार है। इसका मतलब है कि, राज्य सरकार का अधिकार छीन लिया है। कल भी मैंने उल्लेख किया कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। महोदय, आप विपक्ष से प्रतिरोध को अच्छी तरह से देख सकते हैं, हालांकि संख्या बहुत कम है। सरकार को इस कानून पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, अन्यथा बहुत बुरा संदेश जाएगा। इसलिये, मेरा कहना 'नीति' शब्द के संबंध में है क्योंकि राज्य सरकारों की अपनी नीतियां हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार पर नीति थोपना सहकारी संघवाद के सिद्धांत के विरुद्ध है जैसा कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं .38 सदन के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब, संशोधन सं .58, श्री तथागत सत्पथी।

श्री तथागत सत्पथी: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 10 पर, 6वीं और 43वीं पंक्ति में, -7, -

के लिये "केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इस तरह के निर्देश जारी कर सकती है"

" केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद इस तरह के (58)
निर्देश जारी कर सकती है" प्रतिस्थापित करें। "

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री तथागत सत्पथी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या .58 को सदन में मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड *18* विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 धारा **21** का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष: प्रो. सौगत राय ने खंड 19 में दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं। क्या आप अपने संशोधन संख्या 7 और 8 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

प्रो. सौगत राय: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 10, पंक्ति 34, -

के *लिये* "पांच साल और जुर्माने के साथ जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है।"

"सात वर्ष और जुर्माने के साथ जो सात लाख रुपये तक हो सकता है" (7)

प्रतिस्थापित करें"।"

"पृष्ठ 10, पंक्ति 37, -

"दो वर्ष" के लिये

“तीस वर्ष” प्रतिस्थापित करें। ” (8)

[हिन्दी]

मेरा यह अमेंडमेंट इलीगल माइनिंग के लिये सजा को और कड़ा करने के लिये है।...*(व्यवधान)* जबकि मैं इस विधेयक के पूरी तरह से विरुद्ध हूँ क्योंकि यह देश के खजाने को बेचता है, मैं उन लोगों के विरुद्ध सबसे मजबूत कार्रवाई करने के लिये हूँ जो अवैध खनन में लिप्त हैं जो किसी अन्य तरीके से देश का खजाना बेचते हैं। मैंने बेल्लारी में लूट का उल्लेख किया था, जहां कर्नाटक में भाजपा सरकार के दौरान लौह अयस्क की पूरी पहाड़ियों को अवैध रूप से लूटा गया था और विदेशों में निर्यात किया गया था। … *(व्यवधान)*

उन चोरों को सजा होनी चाहिए जो देश की तिजोरी बेचते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री सौगात राय द्वारा खंड 19 में संशोधन संख्या 7 और 8 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. ए. संपत, क्या आप अपना खंड 19 के संशोधन सं. 44 प्रस्तुत कर रहे हैं?

डॉ. ए. संपत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पेज 10, लाइन 37, -

के लिये “दो साल तक विस्तारित करें या जुर्माने के साथ जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है,”

"दस वर्ष तक या जुर्माने के साथ जो पचास लाख रुपये तक हो सकता है" " प्रतिस्थापित करें। (44)

...*(व्यवधान)*

क्या आप को जाने की जल्दी है? क्या यह विमान पकड़ने का समय है? ... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें और समय बर्बाद न करें। आप कृपया कहें कि आप क्या चाहते हैं।

डॉ. ए.संपत: महोदय, मेरे मन में कुछ नहीं है; उनमें से किसी के पास हो सकता है।

खंड 19 में एक दंडात्मक प्रावधान शामिल किया गया है। खंड 19(2) कहता है:

"इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधीन बनाया गया कोई भी नियम यह उपबंध कर सकता है कि उसका कोई भी उल्लंघन दो वर्ष तक के कारावास या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों के साथ, दंडनीय होगा।...... "

यह मोटर यान अधिनियम जैसा एक दंडात्मक उपाय नहीं होना चाहिए। यहां, यह देश की लूट के समान हो सकता है। इन सभी खदान संचालकों ने अपने कार्यालयों में विभिन्न काउंटरों पर मुद्रा गिनती मशीनें लगाई हैं। यह रु. 5 लाख का जुर्माना उनके लिये मूंगफली भी नहीं होगा। हम ओडिशा की दुखद स्थिति को जानते हैं। उन्हें किसी भी तरह लूटा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष: आप अनावश्यक रूप से इसमें क्यों जा रहे हैं? आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं।

डॉ. ए.संपत: महोदय, वर्ष 2065 में ... *(व्यवधान)* हां, हम सभी भाग्यशाली हैं। हम उस समय जीवित नहीं होंगे। हम 50 साल का पट्टा दे रहे हैं। उस समय, हम यहां नहीं होंगे। हममें से कोई भी यहाँ नहीं होगा, लेकिन उस समय क्या होगा? ... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। अन्यथा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता।

आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अन्य सदस्यों के साथ बातचीत न करें। यह समस्या पैदा कर सकता है। इसलिये, आप अध्यक्ष को संबोधित करें और मुझे बताएं। आप मुझे संबोधित करते हैं और उनसे बात नहीं करते हैं।

डॉ. ए. संपत: महोदय, वे मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आवाज को दबा कर वे लोगों की आवाज को नही दबा सकते।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं आपकी आवाज दबा नहीं रहा हूँ। आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। दूसरों के साथ बहस न करें।

डॉ. ए. संपत: महोदय, मैं आपका आभारी हूँ और आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ क्योंकि आपने इस सदन को नेविगेट किया है। मैं जानता हूँ कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि यह विधेयक पारित हो जाए।

महोदय, मैं इस मामले में आपके समक्ष नतमस्तक हूँ, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है, क्योंकि मैंने संशोधन प्रस्तूत किया है। यहां, सरकार का इरादा है कि जिन्होंने राष्ट्र को लूटा है, जिन्होंने कीमती संसाधनों को लूटा है, वे बेखौफ घूम सकें। दो साल जेल की अवधि कुछ भी नहीं। जो लोग इस प्रकार की सारी चीज़ो के लिये जेल में बंद थे,उनमें से कुछ सभा में राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कारण भी हो सकते हैं! कम-से-कम, इस खंड में भी कुछ संशोधन किये जाने चाहिए। आप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ तुलना करते हैं। यह यहाँ क्या है? … *(व्यवधान)*

महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध नहीं कर रहा हूँ कि किसी को जेल में डाला जाए। इसे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं।

डॉ. ए. संपत: महोदय, कारावास की अवधि दस वर्ष तक या जुर्माने के साथ बढ़ाई जा सकती है। … *(व्यवधान)* यह आप पर लागू नहीं है। यह कुछ समय में आ जाएगा। … *(व्यवधान)*

महोदय,जुर्माना रु. 50 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। यह मेरा संशोधन है।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं अब डॉ. ए. संपत द्वारा प्रस्तुत खंड 19 के संशोधन सं. 44 सदन में मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

डॉ. ए. संपत: महोदय, मैं विभाजन चाहता हूँ। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: यह पहले से ही खत्म हो गया है।

...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 20 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, ये सदन के सामनेकई विधेयक लाए हैं। वे एक भी संशोधन को मानने को तैयार नहीं हैं। ये संशोधन जनता के हित में हैं। … *(व्यवधान)* हम वॉक-आउट कर रहे हैं। … *(व्यवधान)*

<u>अपराह्न 03.31 बजे</u>

इस समय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रो. सौगत राय, श्री भर्तृहरि महताब और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए ।

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री जी अब विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर**:** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“यह विधेयक पारित किया जाए।“

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 03.33 बजे।

मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश,2015 और मोटर यान (संशोधन) विधेयक,2015 की अस्वीकृति के बारे में सांविधिक संकल्प:

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों, अब हम मद सं. 19 और 20 लेंगे। हमें मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015 और सांविधिक संकल्प पर चर्चा के लिये समय आबंटित करना होगा। मुझे लगता है, हम इन दो वस्तुओं के लिये एक घंटे का समय आबंटित करेंगे।

अब, सांविधिक संकल्प को प्रस्तुत करने के लिये श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश,2015 (2015 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करता है।"

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन गडकरी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मोटर यान अधिनियम 2014 में सभा में पारित किया गया था। उस समय विधेयक आनन-फानन में लाया गया था। वास्तव में, चर्चा के समय भी, सभा में यह धारणा बनी थी कि दिल्ली

विधानसभा चुनाव की प्रत्याशा में विधेयक को सभा में पेश किया गया था। जैसा कि इसे सदन में पारित नहीं किया जा सका,7 जनवरी, 2015 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

महोदय, जिस तरह से यह विधेयक सदन के सामने लाया जा रहा है मैं उसका पुरजोर विरोध कर रहा हूँ। आज सुबह भी, हमने बीमा कानून (संशोधन) विधेयक लाए जाने के समय भी आपत्ति जताई। बीमा कानून (संशोधन) विधेयक में भी, यही स्थिति हो रही है क्योंकि एक समान विधेयक उच्च सभा में है और उसी के साथ-साथ यह विधेयक इस सभा के सामने लाया जाता है और इस पर चर्चा हो रही है। तो, यह तकनीकी आपत्ति है जिसे मैं इस मामले में भी उजागर करना चाहूँगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार, तीन परिस्थितियाँ हैं जिनके द्वारा एक अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। पहला एक असाधारण स्थिति है; दूसरा एक अत्यावश्यक है; और तीसरा है, यदि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। जहां तक मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश का संबंध है, ये तीनों संघटक अनुपस्थित हैं। हमारे देश में ऐसी कोई असाधारण स्थिति नहीं थी। इस मामले में कोई अत्यावश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, ई-रिक्शा और ई-कार्ट ड्राइवरों को ड्राइविंग लाइसेंस या शिक्षार्थी के लाइसेंस देने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। इसलिये, इस अध्यादेश के प्रख्यापन के समय केवल जो असाधारण परिस्थिति थी वह दिल्ली विधान सभा चुनाव था, जिसकी घोषणा की गई थी और यह चल रहा था।

मुझे दिल्ली विधान सभा चुनाव के परिणाम की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी, मैं राजनीतिक कारकों में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यह एक कानून है जो चल रहा है। इसलिये सदन में जिस प्रकार से विधेयक लाया गया है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। यह अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है। इन सभी दिनों इस बजट सत्र के दौरान, कानून के अध्यादेश मार्ग की काफी आलोचना की गई है। यहां तक कि अनुच्छेद 123 की गंभीरता पर भी यहां प्रश्न उठाया जा रहा है। इस सरकार को जागरूक करना होगा ताकि कानून के इस अध्यादेश पथ से बचा जा सके। अध्यादेश का विरोध करने में यह मेरी पहली बात है।

जहां तक विधेयक के विभिन्न प्रावधानों का संबद्ध है, हम जानते हैं कि सभा ने विधेयक का समर्थन किया है और विधेयक को पारित किया है। जहां तक विधेयक के प्रावधानों का संबद्ध है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक ई-कार्ट और ई-रिक्शा का संबद्ध है, 1988 के मौजूदा मोटर यान अधिनियम के अनुसार, वे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वाणिज्यिक या परिवहन वाहन के लिये ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिये, केवल एक शिक्षार्थी के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन ई-रिक्शा और ई-कार्ट नए उपकरण हैं जो दिल्ली और अन्य मेट्रो शहरों में भरे हुए हैं। इसलिये, जहां तक ड्राइवरों का संबद्ध है शिक्षार्थियों का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिये, हम इस स्थिति में लाइसेंस प्रदान करने में सरकार के दृष्टिकोण का पूरा समर्थन करते हैं। एमवी अधिनियम की धारा 1 में संशोधन किया गया है ताकि ई-रिक्शा और ई-कार्ट ड्राइवरों को छूट दी जा सके और धारा 7(1) के आधार पर और धारा 7(9) के आधार पर ई-रिक्शा और ई-कार्ट को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की शर्तों में ढील दी जा सके।

यहां मैं एक आशंका का उल्लेख करना चाहता हूँ। यह अन्य लोगों की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में है। ऐसा इसलिये है क्योंकि यह समाज के अन्य लोगों को भी प्रभावित करेगा। यहां हम किस तरीके से लाइसेंस प्रदान कर रहे हैं। इस पर गौर किया जाना चाहिए। मैं विधेयक के खंड 3 को पढ़ना चाहूँगा:

"इस उपधारा निहित कुछ ई-कार्ट या ई-रिक्शा पर लागू नहीं होगी।"

मैं सहमत हूँ क्योंकि मौजूदा मोटर यान अधिनियम के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिये कुछ शर्तें हैं। लेकिन वे ई-रिक्शा और ई-कार्ट ड्राइवरों पर लागू नहीं होते हैं। धारा 10 के प्रस्तावित संशोधन, अर्थात्, विधेयक के खंड 4 पर आते हुए, यह कहता है:

"इस धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ई-कार्ट या ई-रिक्शा चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह से और ऐसी शर्तों के अधीन जारी किया जाएगा, जो विहित किया जाए।"

यह मुख्य समस्या है जिसे मैं उजागर करना चाहूँगा। इस संबद्ध में एक आशंका है क्योंकि पूरा अधिकार कार्यपालिका को दिया जा रहा है और प्रत्येक शक्ति कार्यपालिका के पास है। संसद को शर्तों के बारे में जानकारी

नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसा इसलिये है क्योंकि जहां तक 1988 के एमवी अधिनियम का संबद्ध है, लाइसेंस जारी करने की शर्तें अधिनियम में ही अच्छी तरह से प्रतिपादित की जाती हैं। जहां तक ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने का संबद्ध है, अधिनियम स्वयं बहुत स्पष्ट है। लेकिन यहां कार्यपालिका पर पूरा अधिकार और शक्ति विकसित की जा रही है। यही एकमात्र आशंका है जिसे मैं बताना चाहता हूँ।

अपराह्न 03.38 बजे (श्री के. एच. मुनियप्पा *पीठासीन हुए*)

इसलिये,मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के तरीके को तैयार करने में अधिक सावधानी बरतें। यह 1988 के एम.वी. अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा, अन्य औपचारिकताओं का पालन करना होगा। विधेयक के संबद्ध में मेरी ये टिप्पणियां हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर अध्यादेश के माध्यम से जिस तरह से विधेयक लाया जा रहा है उसका विरोध करता हूँ।

माननीय सभापति: प्रस्ताव पेश किये गए:

> "कि यह सभा 7 जनवरी, 2015 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश,2015 (2015 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करता है।
>
> कि मोटर यान अधिनियम, 1988, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

[हिन्दी]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस विषय पर मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और यह सरकार भी इस विषय को पहले इस सदन में ला चुकी है। जहां तक ई-रिक्शा अमैंडमैन्ट बिल का सवाल है, उस पर ई-रिक्शा का जो डेफिनिशन क्लाज है, जो चार हजार वाट तक पहले नहीं था, उसे डाला गया है और लर्नर्स लाइसेंस जो सैक्शन सात में था, उसे बदला गया है, कमर्शियल लाइसेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सैक्शन-9 को बदला गया है।

महोदय, मैं आज इसके समर्थन में अपना वक्तव्य सदन के सम्मुख रखना चाहती हूँ और उसका कारण यह है कि दिल्ली के अंदर एक लाख ई-रिक्शाएं हैं, जिनमें 51840 रिक्शाएं नई दिल्ली में चलती हैं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं।

इस बिल के प्रावधान के सैक्शन 7 और 9 की वजह से जो क्वालिफिकेशन है, यानि किसी को लाइसेंस लेने के लिये जो क्वालिफिकेशन होती है, उसको कम किया गया है और पूर्व में भी जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, तब भी डीटीसी में कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की भर्ती करने के लिये इस क्वालिफिकेशन को कम किया गया था, क्योंकि ई-रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति बहुत आधिक पढ़ा-लिखा या बहुत समृद्ध नहीं होता है। यह रोज़गार का एक माध्यम है, जिसमें गरीब तबके के लोग ही आधिकतर आते हैं और गरीबी के कारण बहुत पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिये इसको सरल करना उस तबके के लिये एक बहुत सुविधाजनक प्रावधान रहेगा। इसी प्रकार से ई-रिक्शा को ले कर जो काम है, उसमें कहा गया है कि आप इसे पर्सनल यूज़ के लिये भी रख सकते हैं और मैं यह सोचती हूँ कि आने वाले भविष्य में जब हम सस्टेनेबल डिवेल्पमेंट की, हरी टैक्नॉलीज़ की या जो कार्बन फुटप्रिंट हैं, उनको कम करने की बात करते हैं तो ई-रिक्शा उसमें बहुत महत्वपूर्ण साधन होगा, क्योंकि सड़कों पर हर रोज़ कई हज़ार गाड़ियां उतरती हैं, जिसकी वजह से सड़कों के ऊपर लगातार भीड़-भाड़ बढ़ती जा रही है। शहर में भीड़-भाड़ का कारण ही कारें, स्कूटर और इस तरह के यातायात के साधन हैं। अगर हम यातायात के साधनों को सुधारना चाहते हैं और दिल्ली को प्रदूषण

रहित करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं मैट्रो ट्रेंस यानि पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम या डीटीसी की बसों और बाकी पब्लिक बसों का प्रावधान करना होगा। जब पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की कमी होती है तब दिल्ली की जनता को बहुत सारी दिक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जब मैट्रो रेल या डीटीसी की बसें आपको एक बड़ी सड़क तक पहुंचा देती है तो आर्टिरियल सड़कों पर यानि कालोनी के अंदर जाने के लिये आपके पास कोई साधन नहीं होता है, सिवाय पैदल चलने के या कोई ऑटो लेने के। ऑटो आधिक खर्च वाला साधन है और ऑटो के माध्यम से प्रदूषण भी आधिक बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें ईंधन की खपत आधिक होती है। कहीं न कहीं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ई-रिक्शा एक बहुत ही अच्छा प्रावधान हो सकता है, जो कि आर्टिरियल सड़कों पर चलें और जन सुविधाओं को आधिक से आधिक बढ़ाया जा सके और सड़कों पर जो भीड़भाड़ है, उसको भी कम किया जा सके। इसी के साथ ई-रिक्शा को ले कर जो डैडिकेटिड डिपार्टमेंट की बात उठी है कि दिल्ली में 236 ऐसी सड़कें हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि उन 236 सड़कों के ऊपर दिल्ली में ई-रिक्शा नहीं चल सकता है तो मुझे लगता है कि यह डी-कंजेशन प्लान का हिस्सा है यानि दिल्ली को इस तरह की जो भीड़-भाड़ है, उससे मुक्ति दिलाने के लिये कहा गया है। अभी लगातार हम निर्भया फंड से ले कर तमाम इस किस्म की बातें कर रहे हैं, जहां पर महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हम ऊबर टैक्सी केस को देखें या हम उससे पूर्व में निर्भया केस को देखें तो दोनों बार महिलाओं के लिये जो समस्या थी, वह कहीं न कहीं एक सेफ पब्लिक ट्रांस्पोर्ट न होने की समस्या थी और वे दोनों दुर्घटनाएं इसी कारण से हुई जब महिलाओं को सुरक्षित यातायात का साधन प्राप्त नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ई-रिक्शा उसमें बहुत बेहतर साधन हो सकता है, जिसमें हम मैट्रो और इस तरीके के जो यातायात के साधन हैं, उसका इस्तेमाल करें और रिक्शा के माध्यम से अंदर की जो कॉलोनी की सड़कें हैं, उनको प्राप्त करें तो महिला अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेंगी। साथ ही कहीं न कहीं एक जेंडर इक्वैलिटी यानि यौन समता का भी विषय है क्योंकि किसी और रिक्शा को चलाने के लिये आपको बहुत ही शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन ई-रिक्शा के माध्यम से आपको बहुत आधिक शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है और महिलाएं भी इसके माध्यम से रोज़गार प्राप्त कर सकती हैं।

एक सिंगल विंडो डिजिटल फैसेलिटी का प्रावधान भी लाइसेंसेज के लिये किया जाए ताकि इसकी वजह से आधिक से आधिक लोग सरल माध्यम से लाइसेंस प्राप्त कर सकें। एक चोरी का विषय आता है कि जो ई-रिक्शा चलाने वाले हैं या ई-रिक्शा को ऑपरेट करने वाले हैं, वे पावर थेफ्ट में इन्वॉल्व्ड हैं। मुझे लगता है कि ऐसी जो चीजें हैं, उन्हें रोकने के लिये पहले ही सरकार को कुछ कदम रूल्स के माध्यम से इसमें जोड़ दिए जाने चाहिए। उनके लिये एक सही जगह निश्चित होनी चाहिए, जहाँ पर वे अपनी रिक्शाओं को चार्ज कर सकें। एक दृष्टिकोण हमारे प्रधानमंत्री जी का यह रहा है, जिसमें उन्होंने लगातार स्किल इंडिया और भारत में उत्पाद बढ़े और लोगों को रोजगार प्राप्त हो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। अब तक तो यह सामने आया कि हम चीन से या बाकी कई जगहों से इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर केवल असेम्बलिंग हो रही है। मेरा यह मानना है कि अगर सरकार इसको स्किल इंडिया के साथ जोड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ेगी, मेक इन इंडिया के साथ जोड़ेगी तो हम इसमें बहुत बेहतर काम कर सकते हैं और मेक इन इंडिया का जो प्रावधान है, ऐसा करने से उससे और आधिक रोजगार पैदा होगा। यह विषय केवल दिल्ली का नहीं है, बल्कि तमाम मेट्रो में, जितने भी बड़े शहर हैं और जितने स्मार्ट सिटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर एक बेहतरीन शुरूआत हो पाएगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय से एक क्लेरिफिकेशन का प्वाइंट चाहती हूँ कि एक्ट में लिखा गया है कि इस यातायात के साधन की चार हजार वाट ताकत होगी, लेकिन जो रूल्स हैं, उनमें दो हजार वाट लिखा गया है तो इसमें एक करेक्शन की आवश्यकता है। मैं यह बिल्कुल मन से मानती हूँ, दिल्ली की निवासी होने के कारण कि हर दिल्ली वाले को एक सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है और उसमें यह सरकार का बेहतरीन कदम है।

लगातार प्रश्न उठ रहे थे कि मध्यम आय वर्ग के लिये बजट में क्या-क्या प्रावधान हुए तो मुझे लगता है कि ई-रिक्शा अपने आपमें एक बहुत बड़ा उपहार है मध्यम आय वर्ग के लिये भी, क्योंकि मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति ही मैट्रो से, डी.टी.सी. की बसों से और ई-रिक्शा के द्वारा अपना आना-जाना करते हैं। इस तरीके के प्रावधान से उनको बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होंगी। आंकड़ों के मुताबिक 5.9 लाख गाड़ियाँ हर साल दिल्ली में

ऐड होती हैं और 3.3 लाख लोग जो हैं, क्योंकि उनके डी.टी.सी. बस और दूसरे प्रावधान नहीं हैं, तो इनका इस्तेमाल कम हुआ है। इसकी वजह से कहीं न कहीं कंजेस्टेड दिल्ली को ठीक करने के लिये हमें पांच लाख लोग, जो हर साल हमारे बीच में जुड़ते हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने की आवश्यकता है। इसके लिये जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, वह एक बेहतरीन कदम उठा रहा है। हम इनके माध्यम से वह सब काम कर सकें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हम आधिक से आधिक ध्यान दें। जो दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, जहाँ से सिलाई वस्त्र में लगी होती है, वह उधड़ने की कगार पर है, क्योंकि हमने बीआरटी कोरीडोर देख लिया, हमने फ्लाई ओवर्स देख लिये, जहाँ पर न सर्फेस एरिया बढ़ाया गया और न ही लोगों को उसकी सुविधा प्राप्त हुई। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एसडीजी नया गोल यू.एन. का भी है, उसके माध्यमों में यह एक बहुत बड़ा साधन होने वाला है। कभी-कभी कहा जाता है कि गेहूँ के साथ घुन पिसता है, लेकिन यहाँ तो हर व्यक्ति की तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही है। एक्सीडेंट्स और अन्य मामलों को भी सामने उठाया जाता है कि दुर्घटनाएं ई-रिक्शा के माध्यम से हुई, इसलिये आप इसे बैन करिए। मैं इस संसद को याद दिलाना चाहती हूँ कि बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी तमाम बड़ी-बड़ी गाड़ियों से भी बहुत दुर्घटनायें हुई, तो क्या हम उन्हें बैन करने के लिये कोई कानून यहाँ पर लाए? गरीब आदमी के रोजगार पर और उसके पेट पर लात मारने का अधिकार इस संसद को नहीं है, बल्कि यह संसद चाहती है कि आधिक से आधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो और आधिक से आधिक लोग अपनी मेहनत से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें कुछ-कुछ सुविधाएं प्राप्त हों।

महोदय, आखिर में पैदल यात्री के लिये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिये, उसके लिये यह एक बेहतरीन साधन होने वाला है। महोदय, बजटरी प्रोविजन्स के माध्यम से मैं तीन-चार बातें बताना चाहती हूँ। गरीब तबके का जो ई-रिक्शा चालक है, वह ई-रिक्शा का मालिक बन पाए और उसे आसान किश्तों पर लोन प्राप्त हो, इसके लिये मुद्रा बैंक माध्यम से इस बजट में प्रावधान किया गया है। मैं चाहती हूँ कि संसद और तमाम लोगों को इस बात को प्रचलित करना चाहिए ताकि आधिक से आधिक लोगों को उसका लाभ मिले। जीवन ज्योति योजना जिसमें 18 से 60 साल के लोग जुड़ सकते हैं, उसमें 330 रुपए, तकरीबन एक रुपया रोज़ का अनुदान देने से दो लाख रुपए तक का जीवन बीमा प्राप्त हो

सकता है। यह भी ई-रिक्शा चालकों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। रिक्शा चालकों के लिये दुर्घटना बीमा यदि एक रुपए रोज के हिसाब से दें, तो दो लाख की जन सुरक्षा उसे प्राप्त होगी। अटल पेंशन के मुताबिक वे जितना जमा करेंगे, उतनी रकम सरकार उनके खाते में जमा करेगी। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों के लिये यह प्रावधान होगा।

महोदय, जन-धन योजना के तहत अगर इन तीन-चार चीजों को ई-रिक्शा चालकों के साथ जोड़ा जाए तो उनके जीवन 'स्किल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' सभी पर आधिक से आधिक लाभ होगा।

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर): सभापति, महोदय, इस अवसर के लिये धन्यवाद। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस विधेयक पर, इस महती सदन में 18 दिसंबर, 2014 से पहले बहस हुई थी। मैं कहूँगी कि माननीय भूतल परिवहन मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है। मेरा मानना है कि हर चीज का एक कारण होता है। यह विधेयक 7 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित अध्यादेश के अनुसरण में आज इस सभा में वापस आ गया है।

मुझे लगता है कि यह थोड़ा अस्पष्ट है और यह एक देव-प्रद अवसर है क्योंकि हाल के महीनों में हमने देखा है कि इस सरकार ने लगातार अध्यादेश का मार्ग अपनाया है। मुझे नहीं पता कि इस अध्यादेश के मार्ग का इस सरकार के अनुसार क्या प्रभाव है। लेकिन दिल्ली के चुनाव परिणामों ने दिखाया है कि अध्यादेश का मार्ग निश्चित रूप से एक लोकप्रिय कदम नहीं है। यह स्पष्ट है कि यह बहस दिल्ली के चारों ओर घूम रही है। यदि मैं सही हूँ, तो मोटर यान अधिनियम,1988 एक केंद्रीय अधिनियम है और इस अधिनियम में आप जो भी संशोधन करते हैं वह पूरे भारत और भारत के प्रत्येक राज्य में लागू होने वाला है। मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब माननीय मंत्री जी बहस का जवाब देंगे तो मेरे प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर देंगे। यह जजमेंट दिल्ली के हाई कोर्ट ने दिया था कि ई-रिक्शा दिल्ली में बैन करो। अगर गुवाहाटी के हाई कोर्ट में यह डिसीजन हुआ होता तो क्या यह सदन असम के ई-रिक्शा चालकों के लिये आर्डिनेंस पास करता? मेरे खयाल से यह सदन असम के ई-रिक्शा वालों के लिये आर्डिनेंस पास नहीं करती। मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं आपको पर्याप्त उदाहरण दे सकती हूँ और आपके कानून मंत्री जी यह कहने में सक्षम होंगे कि कानूनों में संशोधन करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के सैकड़ों निर्णय हैं। मेरी विद्वान मित्र, श्रीमती मीनाक्षी लेखी को पता होगा कि बार-बार उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारत के तलाक के कानून में, विवाह का एक अपरिहार्य विच्छेद न केवल पारस्परिक रूप से सहमत तलाक होना चाहिए। क्या यह सरकार उन कानूनों को लाएगी? क्या यह सरकार हर उस फैसले के लिये कानून लाएगी, जो उच्चतम न्यायालय ने सुझाया है? नही, लेकिन यह सरकार अपनी राजनीति के अनुरूप चुनिंदा निर्णय ले रही है।

मैं एक और सरल बात कहना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी उद्देश्यों एवं कारणों के वक्तव्य में क्या कहते हैं? वह कहता है कि यदि धारा 7 में संशोधन नहीं किया जाता है, तो जिन ई-रिक्शा चालकों के पास लाइसेंस नहीं है,वे सभी उस एक साल प्रतिबंध के अधीन आएंगे। मैं माननीय सभापति के माध्यम से यह बताना चाहूँगी, कि जिस क्षण आप धारा 7 का संचालन निकालते हैं, आप स्वचालित रूप से धारा 8 का संचालन निकालते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस देने के मानदंड के बारे में है।

यह ड्राइविंग लाइसेंस देने का मानदंड है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह समय है जब परिवहन प्राधिकरण ड्राइवर का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र मांगता है। जब आप धारा 8 को हटाते हैं,तो प्रश्न यह है: "आप यह कैसे सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि एक ड्राइवर, जो ई-रिक्शा चलाने जा रहा है, चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है?" आप कहते हैं कि 4 यात्री ई-रिक्शा में बैठेंगे। प्रश्न यह है: कि "क्या मेरा ड्राइवर चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है?" मेरे विद्वान, वरिष्ठ सहयोगी ने पहले जो कहा था, मैं उससे सहमत हूँ कि धारा 9 के अधीन कार्यकारी कार्रवाई पर बहुत कुछ छोड़ दिया गया है जहां आप कह रहे हैं कि ये नियम और शर्तें भविष्य में लागू होंगी। प्रश्न यह है: कि "वे नियम कब लागू होंगे? वे नियम कब लागू होंगे ? किया इस संसद के माननीय सदस्यों के पास इस पर बहस करने का अवसर मिलेगा? " नही, हमें इस पर बहस करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं,अध्यक्ष के द्वारा, इस सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। आप कह रहे हैं कि जो लोग पहले से ही ई-रिक्शा चला रहे हैं, उन्हें धारा 7 के अधीन प्रतिबंधित किया जाएगा। जो लोग अभी इन लाइसेंसों के लिये आवेदन करेंगे या जो भी लाइसेंस देने वाला प्राधिकरण हो,क्या यह सरकार मुझे गारंटी दे सकती है कि क्या वे वही लोग होंगे जो अभी बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा चला रहे हैं ? कोई गारंटी नहीं है। आप यह कह रहे हैं कि गरीब लोग, जो मैनुअली रिक्शा चलाते हैं, हम उन्हें ई-रिक्शा के थ्रू इम्प्लॉयमेंट का मौका दे रहे हैं। पर, मैं इस सदन से यह पूछना चाहती हूँ कि जहां मंत्री महोदय ने कहा है कि अगर आपको 3% इंटेरेस्ट पर लोन लेना है तो चालक और ओनर सेम आदमी होना चाहिए। जब आप अपने उद्देश्यों और कारणों के बयान में यह कहते हैं, तो मैं आपसे पूछती हुं कि जो मैनुअली रिक्शा चलाते हैं , क्या वे ही आगे जाकर ई -रिक्शा चलाएंगे? क्या आप

इसके लिये श्योर हैं कि जो गरीब आदमी मैनुअली रिक्शा चला रहा है, उसके पास लोन लेने की ताकत है? या जो लोन ले सकता है, वह शायद रिक्शा चलाना नहीं चाहता।

इसलिये, मैं इस सरकार से दोनों विकल्पों को रखने का अनुरोध करती हूँ। जब भी आप रेगुलेशंस बनाएंगे, उस लोन में आप ये कंडीशंस रखेंगे। आपको एक ड्राइवर के लिये लोन लेने या किसी को लोन लेने, ई-रिक्शा खरीदने का विकल्प रखना चाहिए और फिर गरीब, मैनुअल रिक्शा चालक को ई-रिक्शा चलाने का मौका देना चाहिए। मैं संक्षेप में कहूँगी कि सर,आपने 18 दिसम्बर,2014 को गरीबों के बारे में बहुत बातें कहीं कि ये जो मैनुअली रिक्शा पुल करते हैं,उनमें से किसी को ट्युबरक्युलोसिस हो जाता है,किसी को लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है और हमें इस एक्ट के माध्यम से उनकी मदद करनी चाहिए। पर, मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल करती हूँ। आज, सरकार को न केवल आजीविका पर ध्यान देना चाहिए और एक गरीब रिक्शा चालक के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए बल्कि उसे दिल्ली और अन्य सभी महानगरों और कस्बों में जीवन स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए जहां ये रिक्शा चलेंगे। दिल्ली की सड़कों पर एक वाहन की औसत गति – मुझे यकीन है कि श्रीमती मीनाक्षी लेखी को पता चलेगा – 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें संदेह है कि दिल्ली का 2021 मास्टर प्लान कहता है कि अगले दस वर्षों में, 20 मिलियन से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन प्रदान किया जाना है। इसलिये, मैं सार्वजनिक परिवहन के रूप में ई-रिक्शा का स्वागत करती हूँ। लेकिन प्रश्न यह है: कि “क्या इस सरकार के पास यातायात का प्रबंधन करने की योजना है?” हमारी यूपीए सरकार ने अतीत में एक अध्ययन शुरू किया था, यातायात प्रबंध की जांच के लिये एक अध्ययन और एक समिति गठित की थी। दुनिया भर में विभिन्न राज्यों, चाहे वह चीन में हो या यूएसए या कोरिया ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने फ्लाईओवर बनाते हैं; इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रोड की लंबाई बढ़ाते हैं; आप कितनी धमनी सड़कें बनाते हैं। जैसा कि मेरे विद्वान सहयोगी ने अभी कहा, यह यातायात का प्रबंधन करने का तरीका नहीं है। यातायात का प्रबंधन करने का एकमात्र तरीका यातायात प्रबंध नीति होना है। इसलिये, महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सरकार से आग्रह करूंगी कि भविष्य में, जब आप रिक्शा चालक और उसकी आय के स्रोत को देख रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि दिल्ली को देखें जो सांस लेने के लिये हांफ रही

है। चाहे दिल्ली की सड़कें हों, दिल्ली का वायु प्रदूषण हो, आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाइए और जे.एन.एन.यू.आर. एम. के तहत आप ऐसी सुविधा दीजिए, ऐसी फंडिंग दीजिए कि हर शहर में एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बन सके।

अपराह्न 04.00 बजे।

एक युवा प्रतिनिधि के रूप में, मैं यह कहने के लिये मजबूर हूँ,इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा - यह बिल आज फिर आया और फिर इस पर बहस हो रही है। लेकिन यह भगवान द्वारा दिया गया अवसर है जो मैंने कहा था।

कल, मैंने भारत के माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में कहते हुए सुना कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसमें संशोधन क्यों किया गया है? इसे इसलिये संशोधित किया गया है क्योंकि 9 जनवरी, 2015 वह तारीख थी जब हम उस दिन की 100वीं वर्षगांठ पर पहुंचे थे जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। लेकिन, महोदय, सम्मान के साथ, अनुच्छेद 123 इसे एक अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिये एक आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है। श्री जेटली ने राज्य सभा में कहा, कि वे बुनियादी ढांचे और उद्योग को बुरा नाम नहीं देते हैं। आज, मैं आपके माध्यम से, इस सरकार से अनुरोध कर रही हूँ, कि कृपया इस संसद में एक बुरी मिसाल कायम करने के लिये महात्मा के नाम का उपयोग न करें।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: चूंकि मेरा नाम दो-तीन बार लिया गया है, तो क्या मुझे एक मिनट का अवसर मिल सकता है?

श्री के.अशोक कुमार (कृष्णागिरी): महोदय, मैं मोटर यान (संशोधन) विधेयक में भाग लेने की अनुमति देने के लिये अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले, मैं अपने नेता,*पुराची थलाइवी,अम्मा* को इस महती सदन का सदस्य बनने में मुझे सक्षम बनाने के लिये धन्यवाद देता हूँ।

राष्ट्रीय राजधानी में, ई-रिक्शा की अचानक वृद्धि हुई। वे राजधानी की सड़कों पर देखे गए और वे बिना किसी लाइसेंस के लोगों को ले जा रहे थे। वाहन चालकों और वाहन के पास लाइसेंस नहीं था। दिल्ली की सड़कों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन ई-रिक्शा के यात्रियों के साथ घातक दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़क पर मौजूद लोगों को भी नहीं बख्शा गया। दिल्ली में उच्च न्यायालयों ने हस्तक्षेप किया, और इन ई-कार्टों और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया।

इस मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015 के माध्यम से,अब हम इन वाहनों के प्रचालन को वैध बनाना चाहते हैं। आज तक, उन्हें अनधिकृत रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमारे महान नेता,*अन्ना,* और हमारे संस्थापक नेता,*पुराची थलाइवर* ने श्रमिक वर्ग के लिये अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी जो मैन्युअल रूप से रिक्शा खींच रहे थे। वे एक बदलाव देखना चाहते थे। वे सड़क पर नंगे पैर रिक्शा खींच रहे लोगो से बचना चाहते थे जो अन्य लोगों को ले जा रहे थे। यहां तक कि साइकिल रिक्शा को अधिक प्रयास और मैनुअल श्रम की आवश्यकता होती है। इस विधेयक के पारित होने से, मशीनीकृत रिक्शा को सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। मैं इस कदम का मानवीय दृष्टिकोण से स्वागत करता हूँ।

परिवहन वाहन लाइसेंस अब उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास हल्के मोटर यान (एलएमवी) लाइसेंस है। यह स्थिति अब आराम से है। मैनुअल रिक्शा की सवारी का पिछला अनुभव इन इलेक्ट्रिक-संचालित तीन-पहिया वाहनों को चलाने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये पर्याप्त होगा। हमें आम जनता की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में उच्चतम न्यायालय की चिंता को बरकरार रखना चाहिए। इन ई-रिक्शा की सड़क योग्यता के बारे में एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। जब हमारे पास भारत में बनाने के लिये पर्याप्त कुशल श्रम है, तो हम पाते हैं कि ये वाहन चीन से आयात किये जाते हैं। इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए।

कुछ लोगों को लगता है कि इन वाहनों को केवल उन सड़कों पर अनुमति दी जानी चाहिए जहां कोई अन्य मोटर यान नहीं हैं। सरकार परिवहन के व्यवहार्य, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साधन की अनुमति देने के लक्ष्य से इस विधेयक को लाई है। यह व्यवहार्य हो सकता है लेकिन क्या यह लोगों को जोखिम में डालता है, यह भी चिंता का विषय है। यह गैर-प्रदूषणकारी हो सकता है लेकिन जीवन की कोई गारंटी नहीं है।

विधेयक का खंड 2 सरकार को वाहन के विनिर्देश के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। सरकार को सुरक्षा शर्तों को भी नियंत्रित करना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये सभी ई-वाहन कार्टेल का शोषण करने से बचने के लिये मालिक द्वारा संचालित हों। विधेयक में कहा गया है कि हाथ से चलने वाले रिक्शा से उन्नत लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसलिये, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल योग्य लोगों को इन ई-रिक्शा को संचालित करने की अनुमति हो। इन रिक्शा का संचालन करने वाले चालक ज्यादातर प्रवासी श्रमिक हैं। इसलिये सरकार को इन ई-रिक्शा को मालिक संचालित वाहनों के रूप में संचालित करने के लिये उपयुक्त लोगों की पहचान करने के लिये निवासी कल्याण संघों को शामिल करना चाहिए। क्षेत्र विशेष अनुमति दी जानी चाहिए। इससे आस-पास के क्षेत्रों में गैरकानूनी और अवैध गतिविधियों से बचने में मदद मिलेगी।

सरकार द्वारा इन ई-रिक्शा की बैटरियों को रिचार्ज करने के लिये एक निर्दिष्ट केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। इससे ई-रिक्शा संचालकों को पार्किंग और रखरखाव की जगह खोजने में मदद मिलेगी। इससे बिजली चोरी भी नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, महोदय।

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली): मैं अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मोटर यान (संशोधन) विधेयक,2015 पर बोलने का अवसर दिया। सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को बदलने के लिये विधेयक सभा में लाया गया है।

इस विधेयक को पढ़ने के बाद, मैंने पाया कि 22दिसंबर,2014 को इसके लागू होने के बावज़ूद राज्य सभा में इसे पारित कराने में सरकार की असमर्थता के कारण यह थोड़ा विलम्ब हुआ है। लेकिन यह कभी नहीं से बेहतर है। मोटर यान अधिनियम के अधीन गति और आयामों के संबद्ध में नियमों को विनियमित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विधेयक का उद्देश्य ई-रिक्शा और ई-कार्ट के चालकों को राहत प्रदान करना था। मैं इसका स्वागत करता हूँ। ई-रिक्शा और ई-कार्ट के ड्राइवरों को सुव्यवस्थित करने के लिये, परिवहन वाहन चलाने के लिये शिक्षार्थी का लाइसेंस जारी करने के लिये शर्तों में छूट देने की आवश्यकता है। ऐसा करके, उन्हें मोटर यान अधिनियम के दायरे में लाया जाता है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे अब मैनुअल रिक्शा से इलेक्ट्रिक चलित तीन पहिए वाले वाहनों में सुचारू परिवर्तन होगा। मुझे उम्मीद है, विधेयक के पारित होने के साथ, ई-रिक्शा और ई-कार्ट के चलने को हर तरह से सुव्यवस्थित हो जाएगा।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया ई-रिक्शा और ई-कार्ट के गरीब चालकों को या तो बैंकों से शून्य ब्याज या कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करने में या उन्हें कुछ सब्सिडी देकर मदद करें।

धन्यवाद, महोदय।

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बरगढ़): माननीय सभापति, महोदय, मुझे मोटर यान (संशोधन) विधेयक,2015 पर बोलने का अवसर देने के लिये धन्यवाद। विधेयक में मोटर यान अधिनियम के खंड में संशोधन करने का प्रावधान है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसने कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखा हो। इस विधेयक का उद्देश्य ई-रिक्शा के लिये लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाना और मोटर यान अधिनियम के दायरे में ई-कार्ट और ई-रिक्शा लाना है। सदन के माननीय सदस्यों ने ई-रिक्शा के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं विधेयक के पक्ष में बोल रहा हूँ।

लेकिन, अब इस संशोधन की आवश्यकता क्यों है? पहले के नियमों के अनुसार, 250 डब्ल्यू से कम की मोटर शक्ति और 25 केएमपीएच से कम गति वाले तिपहिया वाहनों को गैर-मोटर वाले वाहनों के रूप में माना जाता था। ऐसे वाहनों को परिवहन विभाग में पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी। ई-रिक्शा को इसी श्रेणी में रखा गया था। लेकिन, उच्च न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार,यह आरोप है कि कुछ ई-रिक्शा 800-1000 वाट संचालित बैटरी का उपयोग कर रहे थे।

यह सब तब सामने आया जब एक ई-रिक्शा एक महिला से टकरा गया जिसने उसका संतुलन बिगड़ गया और इसके परिणामस्वरूप उसका बच्चा चीनी सिरप के गर्म पैन में गिर गया और दो घंटे के भीतर घायल हो गया। दुर्घटना होने की संभावना थी। इसे देखते हुए, ई-रिक्शा को प्रतिबंधित कर दिया गया।

तथापि, एंडटीवी के अनुसार, जून तक, इस तरह की लापरवाही से ड्राइविंग के लिये ई-रिक्शा के विरुद्ध 137 मामले दर्ज किये गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ई-रिक्शा चालकों के कल्याण के लिये कुछ संशोधनों को विनियमित किया है। कुछ संशोधन निश्चित रूप से किये जाने चाहिए। मेरा सुझाव है कि ई-रिक्शा चालकों के कल्याण के लिये उन्हें कुछ रियायती ऋण दिए जाने चाहिए। ब्याज की दर यथासंभव शून्य या न्यूनतम होनी चाहिए। अब, दिल्ली दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और यह पर्यावरण के अनुकूल ई-रिक्शा परिवहन जरूरी है। इसलिये, यह ई-रिक्शा विनियमन एक अच्छा कदम है।

मैं इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जानना चाहूँगा। क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड को सब्सिडी देने पर विचार कर रही है? तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा पिछले साल जनवरी में अनावरण की गई महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना को लागू करने में सरकार की असमर्थता को इलेक्ट्रिक वाहनों की विफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। उद्योग इनक्यूबेटर पर है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री 2011-12 में 1,00,000 इकाइयों से घटकर 2012-13 में 42,000 और 2013-14 में 21,000 हो गई। अन्य देशों में, सरकारी सहायता से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दिया गया है। 2013 में, वैश्विक स्तर पर 1,00,000 इलेक्ट्रिक कारें बेची गईं यह पिछले वर्ष की तुलना में 80 प्रतिशत की वृद्धि थी। नॉर्वे में, बेची जाने वाली सभी कारों में से 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिक कारें थीं। लेकिन भारत में उद्योग पहले की नीति के तहत सब्सिडी हटाने के कारण पिछड़ गया।

एक अध्ययन से पता चला है कि अगले आठ वर्षों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिये उपयुक्त बुनियादी ढांचे और बाजार के विकास पर लगभग रु.23,000 करोड़। सरकार को 60 प्रतिशत संसाधन उपलब्ध कराने हैं।' इस बीच, उद्योग उत्पादों को विकसित करना और एक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। इनसे 2020 तक 2 से 2.5 मिलियन टन जीवाश्म ईंधन की बचत करने में मदद मिलने का अनुमान है। कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में 1.5 प्रतिशत तक की कमी आने का अनुमान है।

चूंकि ई-रिक्शा पर्यावरण के अनुकूल है, इसलिये इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मैं निश्चित रूप से विधेयक का समर्थन करता हूँ। कुछ संशोधनों के साथ, यह विधेयक हमारी सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। धन्यवाद।

श्री पी.के. बीजू (अलथूर): सभापति महोदय, मुझे इस विशेष विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिये धन्यवाद। हमने इस सभा में इस विधेयक पर पहले चर्चा की थी। उस समय हर कोई इस तरह का कदम उठाने के सरकार के फैसले का पूरा समर्थन कर रहा था। लेकिन इस विधेयक को पेश करते समय सरकार विशिष्ट नहीं थी। वे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से पालन कर रहे थे। इसलिये वे इस विधेयक को पुरःस्थापित करने और इसे पारित करने के लिये बहुत इच्छुक थे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। तब, उन्होंने इस उद्देश्य के लिये एक अध्यादेश पारित किया था। यही कारण है कि यह विधेयक फिर से इस सदन में लाया गया है।

हमारे मित्र पहले ही 'अध्यादेश राज' के बारे में कह चुके हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के समय भी यही हुआ था। मैं 2009 में संसद का सदस्य भी था। उस समय कांग्रेस पार्टी भी उस विधेयक को पारित करने की कोशिश कर रही थी लेकिन चुनाव के बाद उनको कुछ नहीं मिला। इसलिये, हमें सामान्य कल्याण के किसी विधेयक को राजनीतिक कारणों से शीघ्रता में नहीं रखना चाहिए।

महोदय, मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन हैं। हम सभी जानते हैं कि 1988 के इस अधिनियम में संशोधन कैसे आए हैं। हमारे देश में मोटर वाहनों के क्षेत्र में पहला कानून, भारतीय मोटर यान अधिनियम, 1914 में आया था। बाद में, 1939 में, हमारे पास चर्चाओं की एक श्रृंखला थी और अंत में, मोटर यान अधिनियम 1998 में आया। इसे बाद में तीन बार संशोधित किया गया; 1984, 2000 और 2001 में। मोटर यान अधिनियम की धारा 2 के बाद धारा 7, उप-धारा 1 और धारा 2ए में 1988 के मूल बिल की कुछ उप-धाराओं को शामिल किया गया है। मैं इस समावेशन का पूरा समर्थन करता हूँ।

मैं लाइसेंस देने के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि ड्राइवरों और ई-रिक्शा और ई-कार्ट के मालिकों के कल्याण के लिये कुछ सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिए। आपके पास आम लोगों के लिये शौचालय और ऐसी अन्य सुविधाएं होने जा रही हैं। मैं कहूँगा कि आपको इन ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज करने के लिये एक

सौर पैनल फिट करने का प्रावधान भी शामिल करना चाहिए। यदि आप वास्तव में इस विधेयक को साकार करना चाहते हैं तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

ड्राइवरों के कल्याण के लिये कुछ सामाजिक सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिए। हमने शहरों में कई ई-रिक्शा चलते देखे हैं, लेकिन मालिक बहुत अधिक नहीं हैं। एक व्यक्ति के पास एक सौ या दो सौ ई-रिक्शा हैं। मैं कहूँगा कि इसे बड़े-बड़े कॉरपोरेट व्यापारिक घरानों की मनमानी पर नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार को ई-रिक्शा के चालकों और मालिकों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण देना चाहिए।

महोदय, सड़क दुर्घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में लाखों से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये दुर्घटनाएं मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती हैं। ऐसा इसलिये होता है क्योंकि बड़ी बी.ओ.टी. कंपनियां अपने वादों को पूरा करने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं होती हैं। उनके पास राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक एम.ओ.यू. है। मैंने कई पत्र भेजे हैं। मेरे राज्य केरल में, पलियाकारा में एक टोल बूथ है। हालांकि वे जिला कलेक्टरों और अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, बी.ओ.टी. एजेंसियां अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये तैयार नहीं हैं। वे एम.ओ.यू. रखने के लिये सहमत हो सकते हैं लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ उनके पहले के एम.ओ.यू. में कुछ गंभीर कमियां हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि सरकार को हमारे देश की मौजूदा एन.एच.ए.आई.-बी.ओ.टी. योजना की कमियों पर गौर करना चाहिए।

इस विशेष विधेयक के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं वर्षों से पिछड़ी हुई हैं। मेरे राज्य में मन्नूथी से वालयार तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस खंड का आधा, लगभग 45 प्रतिशत, पूरा हो गया है और बाकी आधा पांच साल बाद भी नहीं हो पाया है। सिर्फ पांच प्रतिशत काम पूरा हो पाया है। यह अभी भी वेबसाइट पर है। सरकार को मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को जल्द या समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिये ठोस प्रस्ताव लाना चाहिए। सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों में दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015 यद्यपि सदन में 18 दिसम्बर, 2014 को पारित हो गया था, लेकिन राज्य सभा में लंबित होने के कारण महामहिम राष्ट्रपति जी को इस पर एक अध्यादेश जारी करना पड़ा। उसके उपरान्त यह विधेयक पुनः इस सदन में पारित होने के लिये आया है। माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने सदन में इस संशोधन विधेयक पर 18 दिसम्बर, 2014 को बड़े विस्तार से अपनी बातें रखी थीं। उस समय माननीय मंत्री जी ने अत्यन्त उपयोगी बातें कही थीं। सड़क परिवहन क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का एक लंबा अनुभव और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। उनके नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्रालय जिस तेजी के साथ जन-भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रहा है, वह आभिनंदनीय और सराहनीय है।

इस विधेयक के तमाम पहलुओं पर यहां चर्चा हुई, जिस पर माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानवीय है। आज के समय में व्यक्ति ताकत लगाकर रिक्शा खींचे, यह एक अमानवीय पहलू है। उस अमानवीय दृष्टिकोण से हटकर माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा श्रमेव जयते की जो बात कही गयी थी, देश के मजदूर वर्ग के श्रम के प्रति एक जय के प्रश्न पर यह संशोधन विधेयक अपने आप में उसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है।

पर्यावरण की दृष्टि से भी ई-रिक्शा अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश के बड़े-बड़े शहरों में कुछ हद तक ठीक चल रहा है। मेट्रोपोलिटन सिटीज में वह ठीक है, लेकिन जो मध्यम और छोटे शहर और कस्बे हैं, वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है या है ही नहीं। वहां पर हाथ से खींचने वाले रिक्शे चलते हैं। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में देखेंगे तो वहां हाथ से खींचने वाले रिक्शे भी हैं, पेट्रोल से चलने वाले थ्री व्हीलर्स भी हैं और अन्य प्रकार से अव्यवस्थित ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। हम जब उस दुर्व्यवस्था को वहां देखते हैं तो वह प्रदूषण का कारण बनता है। दूसरा, उन

गलियों में हाथ से चलने वाले रिक्शे बड़े ही अमानवीय होते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ाई में कैसे तीन-चार सवारियों को लेकर जाता है, वह दृश्य बड़ा ही अमानवीय होता है।

मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि उन्होंने इसके मानवीय पक्ष और पर्यावरण पक्ष को ध्यान में रखकर इस संशोधित विधेयक को दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के बावजूद संसद में लाकर एक मानवीय कार्य किया है। निश्चित ही वे इसके लिये बधाई के पात्र हैं। हम लोगों को इसे अवश्य उस बात के साथ जोड़ना चाहिए, जिससे एक रिक्शा चालक को उसका स्वयं का ई-रिक्शा उपलब्ध हो सके। माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन इस सदन में दिया भी था। माननीय मंत्री जी की इस क्षेत्र में बड़ी रूचि है। उन्होंने इसके बारे में अनेक जगह अध्ययन किया है। अब चीजें चीन से लाकर यहां असैम्बल नहीं करगी पड़ेंगी बल्कि इनका उत्पादन भारत में ही होगा, भारत के अंदर भारत में निर्मित होगा। इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'मेक इन इंडिया' 'स्किल इंडिया' के सपने को साकार करने का अच्छा माध्यम ई रिक्शा से मिलेगा। यह विधेयक, जो मानवीय दृष्टिकोण से उचित है, पर्यावरण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से अनुकूल है। पुराने शहरों की मुख्य सड़कें भले ही चौड़ी हों, लेकिन अंदर की तरफ संकरी गलियां होती हैं। वहां बड़े वाहन नहीं चल सकते हैं, रिक्शे और थ्री व्हीलर चल सकते हैं, इसलिये ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है। इसकी गति सीमित की गई है, यह 25 कि.मी. की गति के हिसाब से चलेगा। इसमें सवारियों की संख्या सीमित होगी और पॉल्यूशन नहीं होगा। इन सब बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि यह स्वागत योग्य कदम है। हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने आर.टी.ओ. प्रणाली के बारे में बार-बार कहा है कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे, ताकि देश आर.टी.ओ. के भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। मुझे लगता है कि इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। हम जब कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि प्रतिवर्ष लाखों लोग एक्सीडेंट से मरते है। बहुत सी सड़क दुर्घटनाएं इसलिये होती हैं, क्योंकि आर.टी.ओ. के नाम पर चैक करने के लिये जगह-जगह गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और बड़े अमानवीय तरीके से उत्पीड़न करते हैं, मनमाने ढंग से धन का दोहन करते हैं। मैं राज्य सरकारों की कार्य प्रणाली को देखता हूँ कि राज्य सरकारों के माध्यम से आर.टी.ओ. की अवैध नियुक्तियों के लिये धन लिया जाता है। आपने आर.टी.ओ. फ्री प्रणाली की बात कही है, लाइसेंस प्रणाली

को ऑन लाइन करने की बात कही है। सिस्टम को आधुनिक व्यवस्था के साथ कैसे आम नागरिक, आम मजदूर, समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ सकें, इस पर अवश्य विचार होना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं आपको मानवीय, पर्यावरण के अनुकूल, समाज के अनुकूल और सरकार की मंशा के अनुरूप विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: तीन-चार मामलों में, मैं अपनी मित्र सुश्री सुष्मिता को विपक्षी न्यायपीठ से जवाब दे रही हूँ। अपने बयान में, वह तीन या चार मामलों में वास्तविकता से तलाकशुदा प्रतीत होती है। पहला यह कि जब हम ई-रिक्शा पर चर्चा कर रहे हैं,तो अप्राप्य विवाह के मुद्दे को उठा रहे हैं।

दूसरा तथ्य यह है कि शहरी विकास मंत्रालय को वास्तव में एक डी-कंजेशन योजना मिली है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है और वह इसके बारे में नहीं जानती है। ... *(व्यवधान)*

कुमारी सुष्मिता देव : कुछ आपत्तिजनक नहीं है। वह सुप्रीम कोर्ट की एक विद्वान वकील हैं। मैं उनकी राय का सम्मान करती हूँ। लेकिन एक टिप्पणी पारित करने के लिये कि मैं वास्तविकता से बहुत दूर हो गई हूँ, मुझे लगता है कि वे वास्तविकता से बहुत दूर हैं। ये भी दिल्ली में जीरो पर आ गए हैं।

डॉ. रवींद्र बाबू (अमलापुरम): महोदय, जब रिक्शा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं हम कोयला खानों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय, एक आम भारतीय के बारे में बात कर रहे हैं। वह एक रिक्शा चालक के अलावा और कुछ नहीं है। एक रिक्शा चालक एक आम भारतीय का झलक है। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि भारत आर्थिक कुपोषण से कैसे पीड़ित है, तो आप सड़क पर एक रिक्शा चालक देखते हैं। यदि आप उसे भारत में कहीं भी देखते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि भारत किस प्रकार का है। यह ऐसी स्थिति है और ऐसे विषय पर, कोई कटु बहस न हो। एकरूपता रहने दो।

मैं रिक्शा चालकों के भाग्य के बारे में बात कर रहा हूँ। हम रिक्शा चालकों की स्थिति को मैन्युअल रूप से संचालित गाड़ी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित शिल्प तक बढ़ा रहे हैं। रिक्शा के पीछे बहुत सारी राजनीति और राजनीतिक महत्व है। यह एक रिक्शा आदमी की भूमिका है जिसे टी.डी.पी. के संस्थापक एन.टी.आर. द्वारा सजाया गया था और वह मुख्यमंत्री बन गए थे। एम.जी.आर. ने रिक्शा चालक की भूमिका को सुशोभित किया और वह मुख्यमंत्री बने। राजनीति में रिक्शा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हम भारतीय अर्थव्यवस्था में रिक्शा की भूमिका को नजरअंदाज न करें। इसमें बड़ी भूमिका है।

एक रिक्शा चालक तपेदिक, कुपोषण, एनीमिया, पीलिया, टाइफाइड से पीड़ित है और फिर भी उसे रु. 2 रुपये प्रति दिन की एक छोटी आजीविका प्राप्त करने के लिये कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रिक्शा चालक को दुर्भाग्य से रिक्शा को एक बैटरी संचालित कार्ट और बैटरी संचालित यात्री शिल्प में ऊंचा करके मोटर यान अधिनियम में घसीटा गया है। मेरा सवाल यह होगा कि क्या वह उस भ्रष्टाचार का अड्डा झेल पाएगा जो मोटर यान अधिनियम बनाएगा? क्या वह मोटर यान आर.टी.ओ. से पहले बनाए रख सकता है? क्या हम इस दुर्भाग्यपूर्ण आदमी को बिठाकर अन्याय नहीं कर रहे हैं? तेलुगु में एक गीत हैः

"रिम झिम रिम झिम हैदराबाद"

रिक्शावाला जिंदाबाद

मूदु चकरमुलु गिरगीरा तिरिगीठे

मोटर करू बलडूर। ”

इसका मतलब यह है कि अगर डीजल वाहन चला रहा है, तो खून रिक्शा चला रहा है। यह वह खून है जो रिक्शा चलाता है। हमेशा, खून डीजल से बेहतर है। अगर उस आदमी को न्याय नहीं दिया गया, तो देश ही नहीं, हमारा भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा।

विधेयक में संशोधनों को स्वीकार करते समय, मेरे कुछ सुझाव हैं। सभी पारंपरिक रिक्शा चालकों को स्वचालित रूप से ऊंचा मोटर-संचालित और बैटरी संचालित शिल्प दिया जाना चाहिए। उन्हें स्वचालित रूप से प्राप्त करना चाहिए। उन्हें भारी सब्सिडी मिलनी चाहिए। डीजल पर भारी सब्सिडी नहीं है जो बी.एम.डब्ल्यू. और बेंज कारों को चलाएगी। इन बैटरी चालित वाहनों पर भारी सब्सिडी दी जाए जिससे वह बहुत खुशहाल होगा। साथ ही, समय-समय पर, जब भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो इसे मुफ्त में पेट्रोल पंपों में स्वचालित रूप से चार्ज किया जाना चाहिए। यह इस देश के गरीब लोगों की दुर्बलतापूर्ण स्थितियों को सुधारने की दिशा में सबसे अच्छा सामाजिक-आर्थिक कदम है। इन्हें रिक्शा चालकों, रिक्शा चालकों और रिक्शा चालकों के नाम से जाना जाता है। तो, हम इसे ध्यान में रखते हैं। आइए हम उन्हें मोटर यान अधिनियम के प्रति सख्ती से अधीन न करें। मोटर यान अधिनियम बहुत सख्त है। जब मोटर यान का निरीक्षक अधिनियम आता है तो इन लोगों को कंपकंपाना पड़ता है। इसलिये मेरा सुझाव यह होगा कि कुछ खंड, जो इस विधेयक में हैं, बैटरी से चलने वाले रिक्शा खींचने वाले शिल्प और रिक्शा ले जाने वाले सामान पर भी लागू नहीं किये जा सकते हैं। उन्हें भी भारी सब्सिडी दी जानी चाहिए। इन बैटरी चालित वाहनों को चार्ज करना निःशुल्क होना चाहिए जिससे

मोदी जी की सरकार और हमारी भारत सरकार को भी एक छवि देने में मदद मिलेगी कि हम गरीब समर्थक हैं। धन्यवाद, महोदय। जय हिन्द, *जय तेलुगु देशम।*

[हिन्दी]

डॉ. अरूण कुमार (जहानाबाद) : सभापति महोदय, आपने एक आति महत्वपूर्ण मोटर व्हिकल एक्ट पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं इस पर तफसील से चर्चा करके सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। इस पर सभी सदस्यों ने अपनी बातें कही हैं, लेकिन, मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि आज सदन का सुर बदला हुआ है। विपक्ष को भी इस बात का अहसास हुआ कि इतना महत्वपूर्ण विषय, जिसे किन्हीं कारणों से रोका जा रहा था, लेकिन सरकार इसके लिये कटिबद्ध थी, इसलिये इस संबंध में ऑर्डिनेन्स लाया गया। यह गरीबों के हित में एक बड़ा कदम है। जब हम लोग रिक्शा पर चढ़ते थे या चढ़ते हैं, तो वह इतना अमानवीय लगता था कि उसे कुछ पैसे देने के बाद भी यह संतोष नहीं होता था कि उसके द्वारा किये गए कार्य की हम सही कीमत दे रहे हैं। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

<u>अपराह्न 04.35 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में भी लोग हाथ से रिक्शा खींच रहे हैं, बिहार में भी, बंगाल में भी खींच रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह पुराना ट्रेडीशन है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : बिहार में हाथ से रिक्शा नहीं खींचते हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. अरुण कुमार **:** आपको ज्ञान नहीं है।...*(व्यवधान)* आपको ज्ञान नहीं है, इसलिये मैं ऐसा कह रहा हूँ।...*(व्यवधान)* बिहार के कई जिलों में अभी भी रिक्शा हाथ से खींचा जाता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया शोर न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. अरुण कुमार : मैडम, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए।...*(व्यवधान)* आज भी खींचते हैं।...*(व्यवधान)* आप लोगों को ज्ञान नहीं है।...*(व्यवधान)* इनके यूफोरिया को मैं क्या कहूँ।...*(व्यवधान)* आज भी सभी डिस्ट्रिक्ट-टाउन्स में हाथ वाला रिक्शा खींचा जा रहा है। उस पर सामान खींचा जा रहा है, आदमी भी चल रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप बहस कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं।

डॉ. अरूण कुमार, कृपया चेयर को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. अरुण कुमार: मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूँ, इग्लैंड का नहीं हूँ।...*(व्यवधान)* अब हमको ज्ञान मत कराइए, कुछ और कहेंगे तो तकलीफ हो जाएगी।...*(व्यवधान)* आप क्या कहना चाहते हैं? बेकार बहस कह रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप लोग ऊंची आवाज में चिल्लाकर मेरी बात बंद करना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. अरुण कुमार : आज भी नवादा में, गया में, साहबगंज में, सारे इलाकों में हाथ रिक्शा चलता है। ...*(व्यवधान)* बेकार बोलने की बीमारी है।...*(व्यवधान)* बराबर बोलने की बीमारी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री भगवंत मान, कृपया बोलें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. अरुण कुमार: मैं जानता हूँ, मैं गांव-गांव घूमता हूँ।...*(व्यवधान)* आसमान में नहीं हूँ।...*(व्यवधान)* खड़गे साहब, आपके जैसे सीनियर आदमी इस बात को समर्थन दे रहे हैं कि...(व्यवधान) हर चीज में कुछ न कुछ बोलते जाएं।...*(व्यवधान)* मैं भी गांव में पैदा हुआ हूँ।...*(व्यवधान)* आज भी गांव में रहते हैं। मैं सब जानता हूँ।...*(व्यवधान)* आपको ज्ञान नहीं है।...*(व्यवधान)* आप जब चिल्ला रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था।...*(व्यवधान)* जैसे आप चिल्लाते हैं, मेरा यह संस्कार नहीं है।...*(व्यवधान)* आप ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं

करें।...*(व्यवधान)* मुझे ज्ञान है। मुझे पूरा ज्ञान है, आप बैठिए।...*(व्यवधान)* बिहार के बारे में पूरा ज्ञान है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आप मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. अरुण कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपनी सीट पर बैठें। मैं इस तरह की अनुमति नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. अरुण कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता।...*(व्यवधान)*

श्री भगवंत मान (संगरूर): धन्यवाद, उपाध्यक्ष जी। यह ई-रिक्शा के बारे में जो संशोधन बिल आया है, थोड़ा लेट आया है। सरकार ने थोड़ी देरी कर दी, इसके लिये हमारी पार्टी ने भी संघर्ष किया, ई-रिक्शा वालों का साथ दिया, जो बिना लाइसेंस, बिना नोटिफिकेशन के इन्हें चला रहे थे। शायद सरकार उस समय इलेक्शन का इंतजार कर रही थी। पिछली बार भी बहस में मैंने कहा था कि शायद सरकार ई-रिक्शा का मतलब इलेक्शन रिक्शा समझ रही है, लेकिन इसका असली मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा है। शायद दिल्ली नतीजों के बाद अब सरकार को समझ में आ गया होगा।

अपराह्न 04.39 बजे।

(इस समय, डॉ. अरुण कुमार आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

मैं इस बिल को बहुत अच्छा समझता हूँ। यह बहुत अच्छा बिल है, लेकिन मेरे एक-दो प्वाइंट्स हैं, जिनसे मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा है कि पहले जिनके पास रिक्शा थे, उनको प्रायरिटी दी जाएगी। इसके लिये इनके पास क्या क्राइटेरिया है? क्या वे दो लाख लोग रिकॉर्ड में हैं, जिनके पास पहले रिक्शा थे, क्योंकि हमने उनकी लड़ाई लड़ी है।

<u>अपराह्न 04.40 बजे।</u>

(इस समय डॉ. अरूण कुमार अपने स्थान पर वापस चले गए।)

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी खुद उनकी रैलियों में जाकर उनको संबोधित करते रहे हैं, इसलिये मैं माननीय गडकरी जी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार इसके लिये आपका सहयोग करने के लिये तैयार है। अगर आपको रिकार्ड चाहिए तो हम दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग से लेकर आपको दे सकते हैं। अभी दिल्ली में करीब दो लाख लोगों के पास रिक्शा हैं, इसलिये प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पहले ई-रिक्शा का लाइसेंस मिलना चाहिए। इसके अलावा जो लोग मेनुअल रिक्शा खींचते हैं, उनका भी रिकार्ड रखा जाए और उन्हें भी ई-रिक्शा का लाइसेंस पहले मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि ई-रिक्शा माफिया पैदा हो जाए और कुछ बड़े लोग 100-200 रिक्शा खरीद कर दूसरों को दिहाड़ी पर चलाने के लिये दें, जैसा कि अभी मेनुअल रिक्शा के मामले में होता है। इसलिये ड्राइवर और मालिक सेम हो, इसके लिये स्पेशल चेकिंग का प्रबंध होना चाहिए।

ई-रिक्शा वातावरण के लिये काफी अच्छा है। मैं इस बिल को लाने के लिये मंत्री जी की प्रशंसा भी करता हूँ। मेरा इसमें यह भी कहना है कि ई-रिक्शा को चार्ज करने के लिये रीचार्जिंग पाइंट्स की भी समुचित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे सीएनजी की गाड़ियां और ऑटो रिक्शा आए थे, तो सबसे ज्यादा भीड़ सीएनजी पम्पों पर लगी रहती थी। लोग पूरी-पूरी रात अपने वाहनों में सीएनजी भराने के लिये लाइनों में लगे रहते थे। इसलिये रीचार्जिंग पाइंट्स की आसानी से सुलभता निश्चित की जाए।

इसके अलावा इन लोगों को लाइसेंस देने के क्राइटेरिया को सुगम बनाया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके लिये ब्याज की दर कम की जाए, क्योंकि जितने भी रिक्शा चालक हैं, वे हैंड टू माउथ होते हैं। वे रोज कमाते हैं और रोज गुजारा करते हैं। इसलिये इन्हें लोन के मामले में सरकार को चाहिए कि वह ढील बरते, ताकि गरीब लोगों को मेनुअल रिक्शा से ई-रिक्शा में शिफ्ट होने में कोई दिक्कत न आए।

उपाध्यक्ष जी, पंजाब में भी लुधियाना, जलंधर और अमृतसर जैसे बड़े शहरों में बहुत बड़ी तादाद में मेनुअल रिक्शा चालक हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बिल के माध्यम से पंजाब में भी ई-रिक्शा की गिनती में वृद्धि की जाए, ताकि मेनुअल रिक्शा, इंसान को इंसान खींचे, आज के जमाने में यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसे पूरी शिद्दत से लागू करे, ताकि गरीबों की भलाई हो सके। हेलीकॉप्टर वालों का और बड़े-बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिये तो बजट आ गया, अगर ई-रिक्शा वालों के लिये भी बजट में कुछ प्रावधान किया जाएगा, तो मैं इसका समर्थन करूंगा।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया एक-दूसरे को संबोधित न करें। इससे तनाव पैदा होगा।

जब मैं डॉ. अरूण कुमार से चेयर को संबोधित करने के लिये कहता रहा, तो वह मुझे संबोधित नहीं कर रहे थे; वह एक और माननीय सदस्य को संबोधित करते रहे। तो, मैं सदन कैसे चला सकता हूँ?

...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपनी सीट पर बैठें। हमेशा ऐसे चिल्लाये मत। आप हमेशा चिल्लाते रहते हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: आप मुझे निर्देशित नहीं कर सकते। मैं सदस्यों के साथ काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उनसे कैसे निपटा जाए। अगर आप चिल्लाते रहेंगे, तो क्या आप आसन पर आकर बैठकर सदन चलाना चाहते हैं? यदि सभा सहमत हो, तो आप यहां आकर बैठ जाते हैं और करते हैं। अन्यथा, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनें।

...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया चिल्लाएं नहीं। इसकी एक सीमा है।

मैं बार-बार डॉ. अरुण कुमार से चेयर को संबोधित करने के लिये कहता रहा। वह बिल्कुल नहीं सुन रहा था। तो, मैं क्या करूं? कृपया मुझे बताएं। फिर, वह भी चिल्ला रही है। इसीलिये, मैंने एक अन्य सदस्य से बोलने के लिये कहा।

यदि आप बोलने में रुचि रखते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर एक विशेष मामले के रूप में अनुमति दूंगा, लेकिन आपको चेयर को संबोधित करना होगा। किसी और को संबोधित करके और उनके साथ लड़कर समस्या पैदा न करें। यह ठीक नहीं है। अन्यथा, मैं सभा नहीं चला सकता।

अब, कृपया संक्षेप में बोलें कि आप क्या कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. अरुण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बार इस सदन में आया हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी सांसद के बोलते वक्त व्यवधान पैदा नहीं किया और न ही किसी सांसद के लिये कोई आपत्तिजनक बात कही। फिर भी उधर के सब लोगों ने खड़ा होकर मेरे भाषण में व्यवधान पैदा किया। ऐसा लगा कि जैसे हमें निगल जाएंगे। मैंने तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही। मैं संसदीय परम्परा का ट्रूली ऑनर करता हूँ। इसलिये मैंने कहा कि आज भी बिहार में लोग हाथ से रिक्शा खींचते हैं। ऐसी कई जगह हैं, जहां हम लोग नहीं बैठते हैं, लेकिन खींचते हैं। ठेले पर लोगों को ढोया जाता है। इसलिये सरकार ने ऐसे मानवीय पक्ष को छुआ है। यह बड़ी छोटी बात है, लेकिन बहुत महत्व रखती है। सरकार ने मानवीय पक्ष को छुआ है, जिसके लिये विपक्ष में बैठे सांसदों ने भी इसका समर्थन किया है और वे भी हमारे सुर में सुर मिला रहे थे। हम इन्हें धन्यवाद दे रहे थे कि बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया। गरीबों के हित में जो इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, इसके पक्ष में पूरा सदन एकमत है। इस तरह से देखा जाए तो कौन सी आपत्तिजनक बात हमने कही है, आपका समर्थन ही तो किया है।

मुझे इस बिल पर ज्यादा नहीं कहना है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो लोक हित में बिल आते हैं, उसमें विपक्ष सिर्फ विरोध के लिये विरोध करता हो, प्रतिकार करता हो, इसीलिये आर्डिनेंस आता है।

मैं मानता हूँ कि लोकंतत्र में विपक्ष की भी अहम् भूमिका होती है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कम से कम विरोध न करें। आज सदन इस बिल पर एकमत हुआ है, जिसके लिये हम विपक्ष के लोगों को भी बधाई देते हैं।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने गरीबों के हित वाले इस मोटर यान अधिनियम, 2015 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको आभारा हूँ।

महोदय, इस बिल के लिये हमारे माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। 18 दिसम्बर को भी यह बिल लाया गया था। यह प्रश्न पैदा होता है कि यह बिल क्यों लाया गया? प्रश्न यह भी उठता है कि गरीब आदमी को शहरों में रिक्शा चलाने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? सन् 1971 में नारा दिया गया था - गरीबी हटाओ देश बचाओ। अगर लोगों को गांव में रोजगार दिए गए होते, क्योंकि उनको शहरों में आकर अपना पेट पालने के लिये रिक्शा खींचने का शौक नहीं है। देश की 68 साल की आजादी के बाद भी उन को उनका हक नहीं मिला। गरीब आदमी रोजगार प्राप्त करने के लिये शहरों में आता रहा है। शहरों में प्रताड़ित होने के कारण वह बीमार होता गया। माननीय मंत्री जी ने 18 दिसम्बर के भाषण में बहुत विस्तार से कहा था कि किस प्रकार से लोग बीमार होते हैं। लेकिन यह जो गरीबों की रोजगार की पीड़ा है, उसको चोर न बनना पड़े, उसको जेबतराश न बनना पड़े, इसके लिये वह रिक्शा खींच कर अपना जीवन-यापन करता है। मुझे मालूम नहीं, इसमें मेरे विपक्ष के बंधुओं को क्या आपत्ति है। अभी मान जी कह रहे थे कि एक-एक व्यक्ति के पास दो-दो सौ रिक्शा होती हैं। यह पहले होता था। आप इस बिल को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें यह प्रोविज़न किया गया है कि रिक्शे का मालिक वही होगा, जो रिक्शा चलाएगा और उसी को लोन दिया जाएगा। एक से ज्यादा रिक्शा किसी को नहीं दिया जाएगा। इस बिल में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि उस गरीब को इस बिल के माध्यम से स्वावलम्बी होने का अधिकार यह सरकार देने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह सरकार गरीबों को समर्पित है। केवल विरोध के लिये विरोध करना सही नहीं है। मैं मेरे विपक्ष के बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि ऑर्डिनेंस लाना भारत सरकार की मजबूरी थी, लेकिन गरीबों के हितों की बात करने वाले ये लोग गरीबों के बिलों को भी पास करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, इसलिये सरकार ऑर्डिनेंस लाने पर मजबूर हुई थी।

हमारे देश में आज एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। राजा का बेटा राजा बनता आया है। इस देश में यह खानदानी प्रवृत्ति चली आयी है। "जा के पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर परायी।" उनको

गरीबों की पीड़ा की चिंता नहीं थी, इसीलिये गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बना है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन गरीबों की चिंता को जाहिर किया है।...*(व्यवधान)*

आपने कीमत दी थी। गरीब का बेटा है, इसलिये बोल रहे हैं। वह विरासत में लेकर नहीं आए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय, जहां तक हाई कोर्ट की बात है। हाई कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ा। पिछले 15 साल से दिल्ली में इनकी सरकार थी। पिछले दस साल से यू.पी.ए. की सरकार थी। यू.पी.ए. की चेयरपर्सन माननीय सोनिया जी बैठी हुई हैं, रामलीला मैदान में दो साल पहले आश्वासन देकर आई थीं कि हम तुम्हें लाइसेंस देंगे, लेकिन दो साल तक उन गरीबों के लाइसेंस सीज़ होते रहे। वे बेचारे अपना ऋण नहीं चुका पा रहे थे। इनके कहने के बाद भी उनको राहत नहीं मिली तो हाई कोर्ट को मजबूरन इस मामले में दखल देना पड़ा।

इसी प्रकार से देश के ग्रामीण एरिया में जुगाड़ चलते हैं, जिनमें डीजल पम्पसेट के इंजन से गाड़ी चलाई जाती थी। इससे लोग एक गांव से दूसरे गांव ले जाए जाते थे। इनसे एक्सीडेंट होते थे, लोग मरते थे। अगर पिछली सरकार गरीबों की चिंता करती तो इस सरकार को ऑर्डिनेंस लाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। इस

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रिक्शा के लिये लाइसेंस देने की इस सरकार ने व्यवस्था की है कि सातवीं-आठवीं पास व्यक्ति का भी लाइसेंस बनेगा। पहले केवल दसवीं पास का ही लाइसेंस बन सकता था। अगर उनके मां-बाप की उनको पढ़ाने-लिखाने की हैसियत होती तो उनको दिल्ली, मुम्बई या कोलकाता कमाने के लिये जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा सभी राज्य सरकारें उनके हेल्थ चेकअप के लिये फ्री कैम्प लगाएं, उसके बाद उनको लाइसेंस प्रोवाइड किये जाएं। उनको पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाए और उसके एक साल के बाद उनको परमानेंट लाइसेंस दिया जाए। इस बिल के अंदर क्या गरीब विरोधी बातें हैं? क्यों इनको दर्द आ रहा है? कांग्रेस मुक्त भारत का सपना धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। हम तो ज़ीरो नहीं हुए। मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली में हम तो ज़ीरो नहीं हैं। हम तो आज भी एम.सी.डी. में हैं। हम सात सांसद हैं। दिल्ली में ये ज़ीरो हुए बैठे हैं। "छाछ तो बोले सो बोले, छलनी बोले, जिसमें सौ छेद।" जो पूरे देश में समाप्त हो गये, वे हमें ज़ीरो बता रहे हैं। इसलिये इन लोगों को समझना चाहिए। इसीलिये मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ और मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री जोस के. मणि (कोट्टायम): श्री उपाध्यक्ष, महोदय, मोटर यान (संशोधन) विधेयक, जो सरकार लेकर आई है, एक अत्यंत आवश्यक कानून है, जिसमें *प्रथम दृष्टया* किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। यह विधेयक देश भर में लाखों लोगों को रोज़गार प्रदान करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करेगा, और भारत के विभिन्न शहरी शहरों और शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में भी मदद करेगा।

तथापि, सरकार ने अध्यादेश के जिस मार्ग को अपनाया है, उस पर अपना आरक्षण न केवल इस विधेयक के लिये, बल्कि कानून के अन्य महत्वपूर्ण भागों के संबंध में भी व्यक्त करना चाहूँगी। मोटर यान (संशोधन) विधेयक के खंड 2 (2ए) (2) में कहा गया है,

> “ई-कार्ट या ई-रिक्शा' का अर्थ है, बिजली का एक विशेष प्रयोजन बैटरी चालित वाहन जो 4000 वाट से अधिक न हो, जिसमें माल या यात्रियों को ले जाने के लिये तीन पहिए हों, यथास्थिति,

किराए पर लेने या इनाम देने के लिये, निर्माण या अनुकूलित, सुसज्जित और रखरखाव किया जा सकता है, जैसा कि इस संबंध में निर्धारित किया जाए।“

मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि ये 'विशिष्टताएं' क्या हैं। मेरी राय है कि इन नियमों पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वे इस संशोधन में महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। इसी तरह, मोटर यान अधिनियम की धारा (9) की उप-धारा (9) के बाद डाली जाने वाली नई उप-धारा (10) के मामले में सरकार को उस तरीके और शर्त के बारे में नियम बनाने का अधिकार देता है जिसके तहत ई-रिक्शा या ई-कार्ट चलाने के लिये ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। सभा के बीचोंबीच पर इस पर चर्चा क्यों नहीं की जा सकती? मुझे लगता है कि ये दो संशोधन विधेयक का सार हैं। यह विधेयक केवल ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी उस तरीके के बारे में है जिससे उन्हें चलना चाहिए। विधेयक के सभी प्रावधानों पर चर्चा की जानी चाहिए और महत्वपूर्ण उपबंध प्रत्यायोजित विधान का हिस्सा नहीं होने चाहिए।

कुल मिलाकर, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, जो लंबे समय से बकाया था। यह लाखों युवाओं के लिये फायदेमंद होगा और भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी मदद करेगा। आम तौर पर, बजट विद्युत वाहनों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। यह कदम निश्चित रूप से दिल्ली और अन्य मेगा शहरों में मदद करेगा। मैं सरकार से यह भी अपील करूंगा कि इन वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन वाहनों को सार्वजनिक परगमन प्रणाली में 'शटल सेवा' के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इस विधेयक के पक्ष में हूँ।

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): मुझे बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूँ। मुझे देखभाल करने के लिये अपने दूरदर्शी मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए छोटे-छोटे कार्य छोटे लोगों के लिये हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी कहा करते हैं। उन गरीब लोगों की मदद करने के लिये यह अध्यादेश लाया गया था क्योंकि इस संबंध में हमारे पास औपचारिक कानून नहीं था। यह शहर के उन गरीब लोगों के हित में था जो रिक्शा खींच रहे हैं। इस विधेयक द्वारा, लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिये छूट प्रदान की गई है जो समय की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिये, अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक है।

वर्तमान मामले में विधेयक मूल रूप से पर्यावरण के अनुकूल है। इससे रोज़गार मिलेगा। यह गरीब हितैषी विधेयक है। इससे आवागमन काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे सड़क सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। मेरे विचार से, यदि यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पूरे देश में फैला हुआ है, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों की मदद करेगा जो विकलांग हैं और कम दूरी तक यात्रा करने की स्थिति में नहीं हैं।

आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री अभिजित मुखर्जी (जंगीपुर): महोदय,आपने मुझे मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ई-रिक्शा और संशोधन विधेयक के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं बस कुछ बातों को सामने लाना चाहूँगा।

एक सदस्य ने इसका उल्लेख किया है। महानगरों और जिला शहरों में, विशेष रूप से ग्रामीण बंगाल में, यहां तक कि पश्चिमी यू.पी., पंजाब और हरियाणा में, *जुगाड़* प्रौद्योगिकी पर आधारित एक वाहन है। यह एक तिनपहिया वाहन है। लोकल मैकेनिक द्वारा वाटर इंजन लगाए जा रहे हैं। वास्तव में, यह एक ग्रामीण परिवहन वाहन बन गया है। यह मनुष्यों के साथ-साथ वस्तुओं को भी ले जाता है। कभी-कभी यह लगभग एक टन माल बहुत सस्ती दर पर ले जाता है। साथ ही, वे किसी भी मोटर यान अधिनियम के तहत कवर नहीं किये जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि प्रभाव जानने के लिये इस प्रकार के वाहनों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। यह डीज़ल से चलता है या कभी-कभी पेट्रोल से भी चलता है। इससे अत्यधिक प्रदूषण होता है। यह कंपन पैदा करता है जो मानव शरीर के लिये समस्या का कारण बनता है क्योंकि कंपन उस अनुमेय सीमा से अधिक है जिसे एक मनुष्य स्वीकार कर सकता है। साथ ही, इसमें कोई बीमा कवर नहीं है। किसी भी राजमार्ग दुर्घटना या किसी भी सड़क दुर्घटना के मामले में, चालक और यात्री किसी भी बीमा के दायरे में नहीं आते हैं। क्या सरकार इन वाहनों पर भी विचार कर रही है? यदि नहीं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर से अनुरोध करूंगा कि वह एक प्रभाव मूल्यांकन करने पर विचार करे और उसे इस विधेयक में ही शामिल करे।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ई-रिक्शा और ई-कार्ट पर कुछ शब्द कहने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[हिन्दी]

यह मानव के ऊपर एक कलंक था और कलंक है भी, जिसे मिटाने का काम माननीय गडकरी जी ने किया है कि मानव ही मानव को ढोने का कार्य करता है, जबकि तमाम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और मशीनीकरण हुआ है। यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन और मशीनीकरण 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ, हम 21वीं शताब्दी में हैं, फिर भी इंसान ही इंसान को खींचने का कार्य कर रहा है। मैं समझता हूँ कि यहां से एक शुरूआत होगी, यह परम्परा बंद होनी चाहिए, इंसान इंसान को खींचने का काम बंद करे। खास तौर से मैं दिल्ली से चुनकर आता हूँ तो दिल्लीवासियों के लिये यह एक बहुत बड़ी राहत होगी।

मैं एक बात माननीय मंत्री जी से और अर्ज करूंगा कि जब इसके रूल्स फ्रेम हों तो रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करते समय यह जरूर देख लिया जाना चाहिए कि पहले जिस तरह से एक-एक व्यक्ति दो-दो सौ रिक्शाओं का ओनर होता था, वह न हो। हालांकि इसमें वह प्रोविजन है, लेकिन लूपहोल्स ऐसी होती हैं कि अन्य लोगों के नाम पर अकाउंट्स खुलवाकर अपना पैसा जमा करके उन्हें फ्रंट में खड़ा करके कुछ लोग ऐसा करके कर सकते हैं तो इसके लिये स्ट्रिन्जेंट लॉ होना चाहिए, ताकि जो बड़ी-बड़ी शार्क हैं, जो बड़े-बड़े ठेकेदार हैं, वे इसे एक्सप्लाइट न कर सकें। इस एक्सप्लाइटेशन को खत्म करने के लिये आम आदमी को रोजगार देने की यह स्कीम है और यह पॉल्यूशन मुक्त भी है। इस स्कीम के थ्रू लोगों को रोजगार देना है और दिल्ली में जितना कंजेशन है, इसके द्वारा उससे मुक्ति जरूर मिलेगी।

मैं इतना ही कहूँगा, मैं आधिक बोलने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूँ, चूंकि इस पर सब लोगों ने बोला है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल को अपना समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

अपराह्न 05.00 बजे।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए इस बात से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि बहुत पहले बंगाल में मानव के द्वारा चालित जो रिक्शा चलता था, उसके विरोध में राम मनोहर लोहिया जी ने एक आन्दोलन चलाया था। वह आन्दोलन समाजवादियों के नेतृत्व में चला था और वह बड़ा आन्दोलन था। मुझे अगर ठीक से याद है तो पंडित दीन दयाल जी ने, जो हमारे मागदर्शक हैं, हमारे प्रेरणास्रोत हैं, उन्होंने उस आन्दोलन का समर्थन किया था। बहुत दिनों के बाद भारत सरकार के मंत्री माननीय गडकरी जी गरीबों को राहत देने के लिये, उनकी मानवीय संवेदना को समझते हुए यह बिल लाए हैं, भारत के इतिहास में यह स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा। मैं इस बात की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ कि संसद सर्वसम्मति से इस बिल को पास करने जा रही है।

महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। यह मेरे लिये भी बहुत ही लाभकारी है। मैं एक बार लखनऊ स्टेशन पर उतरा था, कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे और उनसे मिलने के लिये मेरा समय तय था। मैं रिक्शे पर बैठने की चाहत रख रहा था। मैंने आठ रिक्शा वालों से कहा कि हमें बिठा लो, मिलने का टाइम तय है, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। एक रिक्शा वाला चलने को तैयार हुआ तो उत्तर प्रदेश विधान सभा के सामने जाते-जाते उसका एक चक्का टूट गया और मैं गिर गया। मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि...

श्री नितिन गडकरी **:** उस ई-रिक्शा पर आप जैसे चार लोग बैठ सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह**:** वह रिक्शा वाला कह रहा था कि हम एक आदमी को ले जा सकते हैं, एक आदमी के रूप में दो आदमियों को नहीं ले जा सकते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि यह रिक्शा भारत में गरीबों के लिये बने, लेकिन यह मजबूती का ध्यान रखकर बनना चाहिए ताकि हमारे जैसे लोग भी उस पर यात्रा कर सकें। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : महोदय, मैं केवल दो-तीन प्वाइंट आपके माध्यम से कहना चाहूँगी। हम ई-रिक्शा की बात कर रहे हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था कि सारी बातें बाद में हैं, हम गरीब को रोजगार देना चाहते हैं, गरीब का भला करना चाहते हैं, लेकिन हम गरीब के इतने मसीहा नहीं बनें कि ई-रिक्शा को जहाँ पर जिस राज्य में आज हाथ से रिक्शे नहीं चल रहे हैं, भूमिका बांधने के लिये हम बार-बार उसको उस ओर धकेल रहे हैं।

दूसरी तरफ ई-रिक्शा से महिला सुरक्षा को जोड़ा जा रहा है कि ई-रिक्शा में महिला सुरक्षित जा पाएगी। वह जो ई-रिक्शा है, वह तो कुछ लिमिटेड जगहों पर चलना है, हर जगह पर वह चलना नहीं है। एक मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगी, मैं फिर मंत्री जी से कहूँगी कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्वाइंट है, वह है सेफ्टी। अभी मेरे एक कुलीग कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल आश्वस्त हूँ, वे पूरा क्लियर नहीं कह पाए कि अगर उनके जैसे दो व्यक्ति उस रिक्शे में बैठ गए और अनजाने में अगर वे एक साइड में बैठ गए तो ई-रिक्शा पलट सकता है और वह पलटता है। मैं आपको जरूर कहना चाहूँगी, मैंने पिछली बार भी कहा था कि उसके टायरों को मोटा करना, उसके पार्ट्स को मजबूत बनाना, जो चार हजार वाट की बात कर रहे हैं, आज भी वह सेफ नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगी कि आप ई-रिक्शा चला रहे हैं, आप अध्यादेश लेकर आए हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगी कि ई-रिक्शा पर स्कूल के बच्चे न बैठें, इस चीज को आपको बैन करना पड़ेगा, यह आति आवश्यक है। जिस तरह से वैन में, ऑटो में स्कूल के बच्चे बस्ते लटकाकर जाते हैं, वैन पलट जाती हैं, ई-रिक्शा को पलटने में 10 मिनट भी नहीं लगेगा। आप इसको अमेंडमेंट में लेकर आइए कि स्कूल के बच्चे ई-रिक्शा में नहीं बैठें। अगर ई-रिक्शा के हम इतने ही, बहुत ज्यादा ई-रिक्शा के हम सहभागी बन रहे हैं तो मैं आग्रह करूँगी कि हम सदन में आते हैं, सदन से ऐनेक्सी जाते हैं, क्यों नहीं हम सारे सांसद यहाँ से ई-रिक्शा में ऐनेक्सी तक जाएं और ऐसा करने से हमें भी ज्ञात हो जाएगा कि ई-रिक्शा गरीबों के लिये कितना सेफ है।

महोदय, एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि बीएमडब्ल्यू कार का भी एक्सीडेंट होता है, मर्सडीज कार का भी एक्सीडेंट होता है। मैं कहना चाहती हूँ कि जो बीएमडब्ल्यू कार में बैठते हैं, उन्हें बीएमडब्ल्यू कार ही याद आएगी। यह गरीबी का मजाक है कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी को ई-रिक्शा से मिलाने का काम कर रहे हैं। बीएमडब्ल्यू गाड़ी अगर शराब पी कर नहीं चलाई जाए, अगर स्पीड लिमिट करके चलाई जाए तो जीरो परसेंट एक्सीडेंट के चांस हैं, लेकिन ई-रिक्शा के नीचे अगर छोटा-सा पत्थर भी आ जाएगा तो वह पलट सकता है। मैं इतना ही आग्रह करूंगी कि गरीबी का मजाक उड़ा कर सिर्फ ई-रिक्शा को बिजनेस के लिये नहीं लाइएगा। मैं माननीय सांसद से बिलकुल सहमत हूँ जिन्होंने कहा कि इसमें मोनोपोली होगी। गांव में जब मनरेगा का कार्ड एक व्यक्ति रख लेता है, तो यहां निश्चित रूप से ठेकेदारी प्रथा चलेगी। आपने ई-रिक्शा खरीदने के लिये लोन पर जो ब्याज की धनराशि रखी है, वह बहुत ज्यादा है। आज भी आधे से ज्यादा रिक्शे वाले भाड़े का रिक्शा चलाते हैं, पचास रुपए रोज का कमाते हैं, वे तीन परसेंट ब्याज दे कर कहां से ई-रिक्शा खरीदेगा, यह सोचने वाली बात है। इसमें निश्चित तौर पर मोनोपोली होगी। अगर आप सही मायने में इस बिल को लाना चाहते हैं तो इसे और सेफ करके हर राज्य में ले कर आइए। हर राज्य में आज ई-रिक्शा की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ।

श्री नितिन गडकरी : उपाध्यक्ष जी, आज सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर सम्मानीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और अपना समर्थन दिया है, इसके लिये मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, सदन में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, वे बहुत अच्छे हैं। विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, वह बिलकुल सच है कि आदमी आदमी को खींचता है, यह अमानवीय परम्परा है। यह भी सच है कि आदमी साइकिल रिक्शा चलाते हैं लेकिन देश के कुछ इलाके में आदमी अपने कंधे से भी रिक्शा को खींचता था, इस प्रकार की भी स्थिति थी। वीरेन्द्र जी ने जैसा कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने इसका समर्थन किया था। अंदाज़न एक करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, सामान उठाने के लिये हाथ ठेला चलाते हैं, ऐसा अनुमान है। दिल्ली में एक लाख ई-रिक्शा हैं। इससे पहले साइकिल रिक्शा भी चलती है और इसलिये इस कानून के बारे में मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ जिसके कारण मुझे लगता है कि अगर आपके मन में किसी प्रकार की गलतफहमी होगी तो वह निकल जाएगी। जैसा रूल में इसकी पावर 2000 वाट की लिखी है और कानून में 4000 वाट का लिखा है। यह क्षमता इसलिये लिखी है कि आज जो भी रिक्शे चल रहे हैं, उनकी पावर 2000 वाट के अंदर ही है। कल अगर 'मेक इन इंडिया' हुआ और इस टेक्नोलोजी को चेंज करके अच्छी रिक्शा बनाई जाएगी तो उसके लिये आसानी होगी। मैंने पुणे में देखा है कि एक ई-आटोरिक्शा बना है। वह बहुत सुंदर है और ई-इलेक्ट्रिक है। अगर पेट्रोल के लिये ई-आटोरिक्शा आएगा तो नेचुरली उसकी पावर थोड़ी बढ़ानी होगी। हमारे कांग्रेस के एक मित्र हैं, वे नागपुर के एमएलए थे। उन्होंने पेट्रोल आटोरिक्शा को ई-रिक्शा में कंवर्ट किया। वे उसे मेरे पास ले कर आए थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं तुरंत आपको परमिशन दूंगा। धीरे-धीरे इस अमानवीय प्रथा को एनर्जी ड्रिवन करके समाप्त करना है। इसमें चालक मालिक होगा, यही व्यवस्था रहेगी। राज्य सरकार को हमने यही कहा है कि जो ई-रिक्शा चलाएगा, उसी को लाइसेंस मिलेगा ताकि कोई मालिक इसे ले ले और किसी गरीब को किराये पर दे दे जिससे उस गरीब का शोषण होगा, यह नहीं होना चाहिए। इसमें चार पैसेंजर बैठ सकते हैं। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप जैसे तीन तो जरूर बैठ ही सकते हैं। अगर दो हजार वाट काफी नहीं होंगे तो हम ढाई हजार वाट का परमिशन आपके लिये देंगे। बिल में इसी कारण हमने चार हजार वाट की

मंजूरी ले कर रखी है लेकिन रूल्स में ऐसा लगता है कि आप जैसे चार लोग जाने में अड़चन आएगी तो उसमें बड़ी मोटर लगाने का सोचेंगे। इसके लिये आप चिंता मत कीजिए। इसमें चार पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। इसका सामान्य वेट 40 किलोग्राम और इसकी आधिकतम गति 25 किलोमीटर/घंटा है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऑर्डिनैंस क्यों लाना पड़ा? पहली बात तो यह कि जब मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री बना तो मैंने मोटर वेहिकल एक्ट में से ई-रिक्शा को निकालने का निर्णय किया। मैंने कहा कि इसकी तुलना साइरकिल रिक्शा से होनी चाहिए। गरीब आदमी कहां से इसके लिये लाइसेंस लेगा, कहां से इसके लिये परमिशन लेगा? उसे क्यों तक़लीफ देना है? फिर हमने इसे मोटर वेहिकल एक्ट से निकाल दिया। इसे निकालने का हमने जो निर्णय लिया, उसके खिलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपने इसे मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 से निकाल दिया तो ई-रिक्शा के कारण अगर कल कोई एक्सीडेंट होगा तो उसका इंश्योरेंस का क्या होगा? उन्होंने बहुत-से सवाल खड़े किये। तब मैंने अपने सरकारी वकील से पूछा कि जब साइरकिल रिक्शा से एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? जब उसके लिये कोई इंश्योरेंस का सवाल नहीं आता है तो फिर ई-रिक्शा को चलाने वाले गरीब आदमी के लिये इतने सवाल क्यों हैं? दुर्भाग्यवश, हाई कोर्ट ने ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिये यह ई-रिक्शा चलना बंद हो गया। हाई कोर्ट ने बाद में ऐसा निर्णय दिया कि अगर आपको ई-रिक्शा चलाने की अनुमति देनी है तो इसे मोटर वेहिकल एक्ट में लाएं। मोटर वेहिकल एक्ट में इसे लाने के लिये बहुत-सी तकलीफें थीं। कॉमर्शियल वेहिकल का जो लाइसेंस होता है, वह पहले एक साल के लिये लर्निंग का लाइसेंस मिलता है। फिर एक साल के बाद परमानेंट लाइसेंस मिलता है। अब ई-रिक्शा वाला एक साल के लिये लर्निंग लाइसेंस पर कैसे चलाएगा और उसके बाद उसे परमानेंट लाइसेंस मिलेगा, तो इसमें फिर उनके लाइसेंस का प्रॉब्लम आया। फिर मोटर वेहिकल एक्ट में यह भी था कि जो आठवीं पास होगा, उसी को लाइसेंस मिलेगा। अब ई-रिक्शा वाला बेचारा किसी स्कूल में नहीं गया और मज़बूरी में ई-रिक्शा चला रहा है, तो जब आठवीं पास का सर्टिफिकेट देने की बात आएगी तो वह क्या करेगा? अब इन दोनों एक्ट को सुधारने के लिये हम इसके लिये एक बिल लेकर आए। बिल लाने के बाद आप ने उसे मंजूरी भी दी और इसके कारण यह मामला क्लियर हुआ।

मैं सम्माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने सुरक्षा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसमें सोलह ऐसी बातें हैं, जिनको हमने निकषों के आधार पर रेक्टिफाई किया। आपकी बात सही है कि अगर इसका माल ठीक नहीं बनेगा, रिक्शा ठीक नहीं बनेगा तो इससे एक्सीडेंट होंगे और सुरक्षा में अड़चनें आएंगी। इसके कारण यह उलट भी जाता है। इसकी जो टेक्नीकल संस्था थी, उसकी ई-रिक्शा की एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन को हमने मान्यता देने का निर्णय लिया। अब इसमें प्रॉब्लम आया कि यह जो प्रोटोटाइप डिज़ाइन है, इसे मान्यता कौन देगा? इसे मान्यता ए.आर.ए.आई., पुणे देगी। अभी यह चीनसे नहीं आ रहा है। अभी यह पूरा मेक-इन-इंडिया हो गया है। इसकी देश में अनेक फैक्टरियां खुल गयीं हैं और अब इसकी सभी चीज़ें अपने देश में तैयार हो रही हैं। पर, इसे बनाने वाले लोग कौन हैं? ये छोटे-छोटे लोग हैं। अब स्वाभाविक रूप से एक बात सच है कि मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स और एक्सल्स, जो लुधियाना में बनते हैं, उसे लोग इधर लाते हैं और फिर मोटरसाइकिल के एक्सल्स् को जोड़ कर ई-रिक्शा बनाते हैं। जब हमने अपने डिपार्टमेंट में इसके स्टैण्डर्ड्स के लिये कहा तो उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा। उसने कहा कि इन्हें एक-एक पार्ट स्टैण्डर्ड का मैन्युफैक्चरिंग नया करना होगा, यह नहीं चलेगा। तब मैंने टेक्निकल टीम को बुलाया और उनसे कहा कि अगर एक-एक पार्ट स्टैण्डर्ड का तैयार होगा तो आज जो 70,000 रुपये का रिक्शा है, उसकी क़ीमत दो लाख रुपये हो जाएगी। इसे गरीब कहां से चला पाएगा? मैंने कहा कि ऐसे निर्णय नहीं होंगे, हम गरीबों के हित में निर्णय करना चाहते हैं। हमने उसमें सोलह से सत्रह स्टैण्डर्ड्स निश्चित किये और उसकी ऑथोरिटी बनाई। ई-रिक्शा का जो एसोसिएशन था, हमने उन्हें इसकी एक टेक्निकल प्रोटोटाइप डिज़ाइन की मान्यता दी और कहा कि आप हर ई-रिक्शा को चेक कीजिए और फिर उसे मान्यता दीजिए। हमने इसकी सुरक्षा के लिये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है।

अब प्रश्न यह है कि अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे, अभी वे चले गए, कि हमने इसे राजनीति के लिये लाया है। इसमें तो कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसे उसका फायदा मिलेगा। दिल्ली में हाई कोर्ट द्वारा इसे बंद करने के बाद से आज मेरी जानकारी में 40,000 लोगों को इसके लाइसेंस मिले हैं। दिल्ली सरकार ने दिया है। इन सबके रिक्शे पुलिस स्टेशन में बंद थे। वे वहां सड़ रहे थे। किसी

के चक्के चोरी हो गए, किसी के और कुछ सामान चोरी हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे प्रतिबंधित किया। पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया, उनके माल को ज़ब्त कर लिया। अब आप मुझे बताइए कि क्या इन गरीबों की तुरंत मदद करना आवश्यक नहीं था? मैं आपका आभारी हूँ कि हम पार्लियामेंट में इसके लिये बिल लेकर आए। बिल लाने के लिये दुनिया भर की इतनी अड़चनें आईं, इतनी कानूनी सलाहें आईं कि मैं भी एक समय बहुत त्रस्त हुआ। हर जगह ओवर रूल कर-कर के आखिर यह बिल आया। आप लोगों ने इसे एक मत से मंजूर किया। एक मत से मंजूर करने के बाद हम राज्य सभा में गए। मैं इस बात का जिक्र यहां नहीं करना चाहता हूँ कि राज्य सभा में यह क्यों मंजूर नहीं हुआ। यूनैनिमस पार्लियामेंट में मंजूर होने के बाद अगर राज्य सभा में मंजूर होता तो आर्डिनेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं आर्डिनेंस नहीं निकालता तो ये जो गरीबों के पुलिस स्टेशन में बंद ई-रिक्शा थे, मीनाक्षी जी ने अभी लाख का आँकड़ा बताया, इनके रिक्शे वहाँ सड़ रहे थे, इनको न्याय नहीं मिलता, इनको रोजी-रोटी नहीं मिलती, इनका धंधा तुरन्त शुरू हो जाए, इसके लिये हमने ऑर्डिनेंस निकाला। अगर राज्य सभा में मंजूर होता तो आर्डिनेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।

आर्डिनेंस के ऊपर आपने आपत्ति उठाई। जब वहाँ हमने आर्डिनेंस सब्मिट किया, तो वापस लेने की मंजूरी की परमीशन लगती है। हम वापस लेने की भी मंजूरी नहीं देंगे, नया आर्डिनेंस भी नहीं लाने देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम लोग कानून को बंद कर देंगे। 17 हजार लाइसेंस वाले ई-रिक्शा वालों को बंद कर देंगे। हम उनका काम धंधा बंद कर देंगे, उनकी रोजी-रोटी बंद कर देंगे, क्या यह उचित होगा? आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि यह उचित नहीं होगा, इसलिये फिर से मैं आपके पास आया। अभी अधिवेशन में 6 सप्ताह के अन्दर अगर आर्डिनेंस के बारे में नहीं आता तो फिर से कानून कैंसिल होता, फिर से कैंसिल होता तो फिर से पुलिस वाले सब रिक्शे जब्त करते।

यह देश का सवाल है। उत्तर प्रदेश की सरकार ई-रिक्शा के लाइसेंस के बारे में एक बड़ी योजना बना रही है। हमारे बंगाल के सदस्य यहाँ बैठे हैं, बंगाल के अनेक शहरों में लोग इसका उपयोग करने वाले हैं। मुम्बई, नरीमन प्वाइंट या नई दिल्ली में इसकी जरूरत नहीं होगी। छोटे-छोटे गांव में, नगर-परिषदों में अगर कोई ऑटो रिक्शा 50-60 रूपए मांगता है तो ई-रिक्शा वाला 15 रूपए में जाता है।

आपने बिल्कुल सही बात कही कि इसमें सोलर एनर्जी का उपयोग होना चाहिए। यह विषय राज्य सरकार के पास है। हमने रिकमेंड किया है कि जो ई-रिक्शा स्टैंड बनेंगे, उसके ऊपर अगर सोलर पैनल बैठाएंगे तो फ्री ऑफ चार्ज ई-रिक्शा की चार्जिंग होगी। मैं आपके मार्फत सभी सांसदों से अनुरोध करूंगा कि जो नगर-परिषद या म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, तो कोई अगर चौराहे पर स्टैंड बनाकर सोलर पैनल तैयार करते हैं और रिक्शे वाला आकर वहां फ्री ऑफ चार्ज चार्ज करता है तो इसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं है। इलेक्ट्रिक की कॉस्ट और पेट्रोल की कॉस्ट में बहुत फर्क है। मुझे लगता है कि यह योजना राज्य सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर-परिषद में अगर होती है तो मैं सम्माननीय संसद के सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके क्षेत्र में इस प्रकार की योजना आती है तो आप जरूर इनीशिएटिव लीजिए, हमारी सरकार इसमें सपोर्ट करेगी।

इसमें सबसे बड़ी बात पोल्यूशन की है। पेट्रोल, डीजल के कारण उत्सर्जन होने वाला कार्बन मोनो ऑक्साइड बहुत ही खतरनाक है। हमारे देश में लोग अभी भी प्रदूषण के कारण कितनी तकलीफें सहन कर रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिये इस देश को स्वच्छ भारत भी बनाना चाहिए और प्रदूषण मुक्त भारत भी बनाना चाहिए। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, यह बिल्कुल सही है कि इस देश में आठ लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल, डीजल व गैस आयात होती है। मेरे विभाग ने निर्णय किया है कि तत्पश्चात हम लोग नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी का उपयोग करेंगे। बायो-डीजल, इथेनॉल, बायो-गैस और इलेक्ट्रिक पर हमारे व्हीकल को लाएंगे। यह संभव है।

मैं नागपुर से हूँ और मैंने इस पर पांच साल काम किया है। हमारा देश का ऐसा पहला शहर है, जब मैंने कहा था तो लोग हंस रहे थे, हमने टॉयलेट का पानी 18 करोड़ रूपए में पॉवर जेनरेशन के लिये रिसाइक्लिंग करके महाराष्ट्र सरकार को बेच दिया। इसकी लोगों ने बहुत तारीफ की और जे.एन.एन.यू.आर.एम. में भी उसके कारण ही वह प्रोजेक्ट हुआ। बाद में मेरे ध्यान में आया कि उसमें गलती हुई, क्योंकि हमने पानी तो दे दिया, पर गैस भी चली गई। अब हम मीथेन गैस को उसमें निकाल रहे हैं। मीथेन से सी.ओ. टू अलग करके, बायो-सीएनजी तैयार करके नागपुर में दो सौ बसेज हम बायो-सीएनजी पर चला रहे हैं। अभी उसका प्रपोजल तैयार हुआ है और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड भी आ रहा है। जो बसेज डीजल पर चलती हैं, उससे लेड पोल्यूशन होता है। हमारी

सरकार चाहती है कि पूरे देश में हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेज इलेक्ट्रिक पर चलें, हाइब्रिड हों, बायो-फ्यूल पर चलें, इथेनॉल पर चलें, बायो-डीजल पर चलें।

मैं इस सदन को आज खुशी से एक बात बताना चाहता हूँ और आज ही मैंने यह डिक्लेयर किया है। बंगाल का जो हल्दिया पोर्ट है, वहां हमारा पॉम ऑयल इम्पोर्ट होता था। मैं वहां भेंट के लिये गया तो मैंने पोर्ट के चेयरमैन को कहा कि पॉम ऑयल की इंडस्ट्री कितनी है, इमामी नाम से कोई कंपनी थी, मैंने कहा कि इसमें से जो पांच परसेंट रेजिडू निकलता है, इसका बायो-डीजल तैयार करिए। हमें आपको बताते हुये खुशी हो रही है कि वहां 3,00,000 लीटर्स बायोडीजल तैयार हुआ और हल्दिया पोर्ट का पहला रेलवे इंजन बायोडीजल पर चल कर शुरू हो गया। मैंने आज ही ऑर्डर दिये हैं कि 3,00,000 लीटर्स बायोडीजल है, अब वहां कोई इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम का डीजल पोर्ट में नहीं आना चाहिए। यह 'ग्रीन पोर्ट' बनना चाहिए। यहां की ट्रकें, जीपें, मशीनरी और रेलवे अब बायोडीजल पर चलने चाहिए। अब अपने देश को पॉल्यूशन मुक्त देश बनाना है और ऐसा हो सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है।

आपने आर.टी.ओ.के नियम के बारे में भी उल्लेख किया है। उसमें 30 प्रतिशत बोगस लाइसैन्स निकले हैं। आपने सही कहा है कि यह सुरक्षा का सवाल है। अब तो कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं देता है। अभी कुछ लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि हम लोग राज्य सरकार के अधिकार ले रहे हैं, क्योंकि, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, अब उनकी दुकानें बन्द होने वाली हैं तो वे चिढ़ गये, वे नाराज हो गये हैं। अब कम्प्यूटर उनका टेस्ट लेगा। कम्प्यूटर पास या फेल डिक्लैयर करेगा और वह पत्र डिपार्टमेन्ट में जाने के बाद, तीन दिनों के अन्दर, अगर सरकारी अधिकारी ने लाइसैन्स नहीं दिया, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, यह प्रोविजन है। हम 10,000 से ज्यादा सैन्टर्स देश के बेरोजगार युवाओं के लिये खोल देंगे, जो ड्राइविंग टेस्ट लेंगे, फिटनेस सर्टिफिकैट्स देंगे, स्किल डेवेलपमेन्ट के कोर्सेज देंगे, इस काम के माध्यम से कम से कम साढ़े तीन लाख से चार लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम होगा। हमने ऐक्ट तैयार किया है, जिसकी आज ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा। हमने अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी, जापान और वर्ल्ड बैंक, सबकी सलाह ली है। हमने देश के पांच लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में 'इन्टैलिजैन्ट ट्रैफिक सिस्टम' लाने का निर्णय किया है। इसी

पार्लियामेन्ट के सेशन में ऐक्ट लाकर, आप सबकी अनुमति लेकर ऐक्ट अगर लागू होगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि पूरा भ्रष्टाचार नष्ट होगा, मैं यह दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको 95 प्रतिशत कोई तकलीफ नहीं होगी। परिवहन विभाग भ्रष्टाचार मुक्त होगा, यह आप जरूर विश्वास रखिए।

मैं फिर से एक बार, मानवीय दृष्टिकोण से, पॉल्यूशन की दृष्टिकोण से एक बात कहना चाहता हूँ, अभी सम्माननीय सदस्य ने मध्यम वर्ग के लोगों की बात कही थी, वह भी सही है। आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो ऑटो-रिक्शा वाले 60 रुपये या 75 रुपये मांगते हैं, लेकिन ई-रिक्शा वाले लोगों को 10-15 रुपये में ले जाते हैं। जो मेट्रो से आते-जाते हैं, उनके लिये यह फायदेमन्द है और वह प्रदूषण से भी मुक्त है। हमने उनमें सुरक्षा की सभी बातों की चिन्ता की है। उन्हें प्रोटोटाइप डिजाइन में तैयार किया गया है। उनकी क्वालिटी के बारे में ध्यान रखा गया है, पर ऐक्सिडैन्ट्स नहीं होने चाहिए, इसकी भी चिन्ता की गयी है।

मैं इस विभाग का मंत्री होने के नाते इस बात को मान्य कर रहा हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है कि रोड, डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग में जो गलतियां हुयी हैं, उनसे भी बहुत ऐक्सिडैन्ट्स हो रहे हैं। मैंने एन.एच.आई को उनके बारे में कहा तो वे कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे। हमने कहा कि हम सरकार के बजट से पैसे देंगे, अगर एक भी आदमी मरेगा तो मैं आपको जिम्मेदार मानूंगा, याद रखिए, यह नहीं चलेगा। इस देश में 5,00,000 ऐक्सिडैन्ट्स होते हैं। ऐक्सिडैन्ट्स में 1,50,000 लोग मरते हैं और 3,00,000 लोगों के हाथ-पैर टूटते हैं। स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिये अच्छी बात नहीं है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऐक्सिडैन्ट्स कहां होते हैं, तो पहले क्रमांक पर हिन्दुस्तान का नाम आता है। हम उसको सुधारना चाहते हैं।

अभी दिल्ली की बात हुई। सम्माननीय सदस्यों ने बिल्कुल सही बात कही है। अभी तक दिल्ली में पुरानी सरकार की कोई भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। मैंने कहा कि जब मैं हवाई जहाज से एयरपोर्ट पर उतरता हूँ तो मेरा धौलाकुआं के पास हमेशा पौना घंटा समय बर्बाद होता है, मैं हमेशा माथा पीटता हूँ कि यहां मेरा समय खराब हो गया। मैं यहां लेट आता हूँ। मैंने अपने सेक्रेट्री से पूछा कि दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम होता है, क्या उसका अध्ययन किया गया है? उन्होंने हमें जवाब दिया कि यह हमारा काम नहीं है, यह दिल्ली सरकार का काम है। हमने कहा कि आप ऐसा जवाब नहीं दीजिए। 'ट्रैफिक रिसर्च रोड' ऑर्गैनाइजैशन केन्द्र सरकार की

संस्था है, इसलिये उसके प्रमुखों को मैंने बुलाया। दिल्ली की कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। उन्होंने 10 करोड़ रुपये का बिल दिया। हमने कहा कि हमारे कानून में यह बैठता है या यह नहीं बैठता है, यह हमें मालूम नहीं, अपने डिपार्टमेन्ट से 10 करोड़ रुपये दो और दिल्ली की ट्रैफिक को पूरा स्टडी करो, ऐक्सिडैन्टल स्पॉट्स में सुधार करो और ट्रैफिक जाम को सुधारने का काम करो। हम दिल्ली सरकार को रिपोर्ट देंगे। हम 10 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। आपने यह कहा कि असम में कोई होता तो क्या आप यह लाते? 'दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी।'...*(व्यवधान)* आप इस बात की क्यों चिन्ता करते हैं? हमारे प्रधान मंत्री जी एक गरीब परिवार से आए हैं। उन्होंने रेलगाड़ी में चाय बेचने वाले का काम किया है।...*(व्यवधान)* मैं भी दिल्ली की राजनीति में कोई बायो-डाटा देकर नहीं आया हूँ। मैं आज भी जमीन, रोड पर काम करने वाला हूँ, फुटपाथ पर खाने वाला हूँ। अब मुझे अड़चन आती है क्योंकि जैड प्लस सुरक्षा है। जब मैं फुटपाथ पर खाता हूँ तो पुलिस वाले खड़े होते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि देश में गरीब व्यक्ति की बात पहले होनी चाहिए, गरीब को पहला अधिकार है, उसके लिये पहले निर्णय होना चाहिए। आपने जो बात कही, उससे मैं सहमत हूँ। हमारे समाज कल्याण विभाग जिसके मंत्री थावर चन्द गहलोत जी हैं और नज़मा हेपतुल्ला जी माइनारिटी डिपार्टमेंट की हैं। इन दोनों ने 3 और 4 प्रतिशत ब्याज पर ई-रिक्शा देने के बारे में योजना जाहिर की है और हम इन्हें देंगे। मैं आह्वान करूंगा कि आपके क्षेत्र में जो विकलांग व्यक्ति हैं, एक विकलांग व्यक्ति जिसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, हम उसे ई-रिक्शा चलाने देने का कार्यक्रम करने वाले हैं। जो अपंग हैं, उन्हें प्राथमिकता से दीजिए। महिलाएं भी ई-रिक्शा चला सकती हैं, हमने उन्हें भी लाइसेंस देने के बारे में निर्णय किया है।

आपने एक और बात अच्छी कही कि इन्हें ज़ीरो प्रतिशत इंटरस्ट पर देना चाहिए और बिना गारंटी देना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार में कोई कमी नहीं होती, हजारों-करोड़ों रुपये के बजट होते हैं। यह कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने फाइनैंस मिनिस्टर को निवेदन दिया है कि इस बार ज़ीरो प्रतिशत इंटरस्ट से दीनदयाल ई-रिक्शा नाम से ई-रिक्शा के लिये योजना तैयार कीजिए। प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी अभी यहां नहीं हैं। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से ई-रिक्शा चलाने वाले, ई-कार्ट करने वाले शोषित, पीड़ित, दलित व्यक्ति, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जिनके पास खाने के लिये रोटी नहीं है, शरीर

पर कपड़ा नहीं है, रहने के लिये घर नहीं है, यह ऐसे लोगों का विषय है। हमारी सरकार, हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहले गरीब व्यक्ति की चिन्ता होगी और उनके लिये योजना लाई जाएगी, मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूँ।

सब पार्टियों के सम्मानित सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।... *(व्यवधान)* ई-रिक्शा चलाने वाला कॉरपोरेट वाला नहीं है।...*(व्यवधान)* आप नाराज मत होइए।...*(व्यवधान)* इतने दिनों से ई-रिक्शा चल रही थी। यू.पी.ए. सरकार दस साल तक थी। क्यों नहीं कोई कानून बना? हमारी सरकार आने के बाद गरीब लोगों के हित में यह निर्णय किया गया है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका सहयोग भी चाहिए। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार कॉरपोरेट की मदद करने वाली नहीं है। हम गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिये काम करते हैं। हमारी सरकार गरीब लोगों के हितों के लिये काम करेगी और ई-रिक्शा वाले सभी एक करोड़ गरीब लोगों को राहत देने वाली योजना तैयार करेगी, मैं आपको यह विश्वास देना चाहता हूँ।...*(व्यवधान)* एक बात जरूर है कि गरीब लोगों के लिये काम करने के बाद शायद कुछ लोगों को सहन नहीं होता और वे बोल भी नहीं सकते, ऐसी अवस्था हो सकती है। उसके लिये मेरा दोष नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट द्वारा देश के एक करोड़ गरीब लोगों के लिये योजना यशस्वी रूप से ले जाएंगे। आप जो भी सुझाव देंगे, उनके बारे में फाइनैंस मिनिस्टर और प्रधान मंत्री जी से मैं जरूर चर्चा करूंगा।

मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे मंजूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : गडकरी जी ने बड़े तफसील से अपना भाषण यहां दिया है। उसमें खासकर बार-बार मोदी साहब का नाम लेकर कि वे गरीबी से आए हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं।...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए।... *(व्यवधान)* उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा बजट कॉरपोरेट के फेवर में नहीं है, हमारी सरकार कॉरपोरेट कम्पनीज, इंडस्ट्रीज के फेवर में नहीं है, गरीब लोगों के फेवर में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने भी इंडेक्स देखा होगा, टेबल 4,5 भी देखा होगा जिसमें आपने शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के सब-प्लान में लगभग सब मिलाकर 20 हजार करोड़ रुपये कट कर दिए। आपने कॉरपोरेट कंपनी को 30 से 25 फीसदी टैक्स कम करने का ऐलान किया है। ...*(व्यवधान)* आप जो गरीबों की बात कर रहे हैं,...*(व्यवधान)* इसलिये हम बोल रहे हैं, हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* आपने महिलाओं, एस.सी., एस.टी., एजुकेशन, हेल्थ, सेनिटेशन और ड्रिंकिंग वॉटर में कट किया है,...*(व्यवधान)* सभी में कट किया है और केवल अमीरों की झोली को भरा है और गरीब की थाली खाली की।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री नितिन गडकरी : माननीय उप-सभापति महोदय, मैं सदन में खुलासा करना चाहता हूँ। सम्माननीय खड़गे जी ने जो बात कही है। ...*(व्यवधान)* आप सभी को पता होगा कि चौदहवां वित्त आयोग के माध्यम से राज्य सरकार की निधि में 12 परसेंट की वृद्धि हुई है। ...*(व्यवधान)* यह निधि राज्य सरकार को जाने वाली है।...*(व्यवधान)* यह गरीबों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिये खर्च होने वाले हैं। ...*(व्यवधान)* इस प्रकार की गुमराह करने की बात मत कीजिए।...*(व्यवधान)* हमारी सरकार गरीबों के हितों में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हित के लिये काम करेगी।...*(व्यवधान)* इनके हित के विपरीत काम हम कभी नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, माननीय मंत्री जी के भाषण के अंतिम भाग को छोड़कर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा व्यक्त किये गए विचारों का समर्थन करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: पहले से ही आपने इस पर बात की है। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री एन.के. **प्रेमचन्द्रन**: मैं इस पर फिर से नहीं बोल रहा हूँ। मुझे इतना कहने दो। माननीय मंत्री जी का जवाब राजनीतिक भाषण के अंतिम भाग को छोड़कर बहुत विशिष्ट और बहुत स्पष्ट था क्योंकि राज्य सरकारों को वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में हमारे विचार अलग हैं। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: जब हम आम बजट पर चर्चा करेंगे, तो आप इस बारे में बोल सकते हैं। अब, कृपया बिंदु पर आएं। अब आप ई-रिक्शा पर बोल सकते हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मैं फिर से इसमें नहीं जा रहा हूँ। मुद्दा यह है कि हम पूरी तरह से कानून के अध्यादेश मार्ग के खिलाफ हैं। … *(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी ने इस सदन के समक्ष पहले ही बताया है कि न्यायालय के निर्णय के कारण गरीब ड्राइवरों को बचाने के लिये इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया गया है, हम इस दृष्टिकोण का पूर्णत: समर्थन करते हैं। चूंकि यह हमारे देश के गरीबों, दलितों के लिये है, इसलिये मैं अपने वैधानिक संकल्प को वापस लेता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य को सभा से अपने वैधानिक प्रस्ताव को वापस लेने के लिये सभा से जाना होगा?

वैधानिक संकल्प, अनुमति द्वारा, वापस लिया गया।

[हिन्दी]

श्री नितिन गडकरी**:** खड़गे जी, सभी सम्माननीय सदस्यों को और सभी पार्टी के सदस्यों को, जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न है:

"कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।
"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडश: विचार करेगा।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का हिस्सा हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री नितिन गडकरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक को पारित किया जाए। "

[अनुवाद]

माननीय.. उपाध्यक्ष: सवाल यह हैः

यह विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>अपराह्न 05.34 बजे</u>

कोयला खदानों (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प, 2015

और

कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश,2015

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इससे पहले कि हम मद सं. 21 और 22 पर संयुक्त चर्चा करें, हमें वैधानिक संकल्प और कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015 को समय आबंटित करना होगा। यदि सभा सहमत हो, तो हम दो घंटे आबंटित कर सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन **खड़गे** (गुलबर्गा): आज हम आधे घंटे चर्चा करेंगे। कल, हम आगे चर्चा करने के लिये मिलेंगे। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: अब, हम आइटम नंबर 21 और 22 लेंगे।

श्री सी.एन.जयादेवन - उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप आगे बढ़ रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री महताब, क्या आप आगे बढ़ रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित करता हूँ:

"कि यह सभा 26वीं दिसम्बर,2014 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक .7) को अस्वीकृत करती है।

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप विधेयक पर विचार करने के लिये प्रस्ताव कर सकते हैं।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल):

उपाध्यक्ष, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> “कि कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों और आबंटियों को कोयला खदानों के आबंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित को निहित करने के लिये तथा राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला साधनों के अधिकतम उपयोग का संवर्धन करने के लिये और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री भर्तृहरि महताब: कल जब यह विधेयक लाया जा रहा था, तो मैंने यह बताया था कि अध्यादेश लाने की क्या तात्कालिकता है। मैंने यह हवाला दिया था कि लोक सभा के प्रथम वक्ता ने इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री जी को क्या कहा था या लिखा था। श्री मावलंकर ने बार-बार कहा था, अध्यादेश देश के लिये कानून बनाने का एक स्वस्थ तरीका नहीं है। इस संबंध में, मैंने कल उद्धृत किया था। मुझे आज इसे फिर से उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि असाधारण स्थिति में ही अध्यादेश का सहारा लिया जाना चाहिए। वह असाधारण स्थिति क्या उत्पन्न हुई, और ऐसी क्या आवश्यकता थी जिसने इस सरकार को अध्यादेश लाने के लिये मजबूर किया? इस बजट सत्र के शुरू होने से पहले इस अध्यादेश को प्रख्यापित किये जाने के बाद पिछले कई दिनों के दौरान, यह बताना आवश्यक है कि इसने राजकोष के लिये और अधिक धन जुटाने में कैसे मदद की है।

दूसरी बात, बार-बार हमने कहा है कि अध्यादेश अलोकतांत्रिक है और अत्यधिक आपातकाल को छोड़कर इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। कार्यपालिका संसदीय लोकतंत्र में कानून नहीं बनाती है; यह

विधायिका है जो कानून बनाती है। यहां, अध्यादेश के माध्यम से कार्यपालिका ही निर्णय ले रही है। बार-बार हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि हम बहस करते हैं, हम चर्चा करते हैं, फिर हम निर्णय करते हैं।

लेकिन अध्यादेश एक ऐसी चीज है जहां आप तय करते हैं। फिर आप सभा में आकर कहते हैं,'आप चर्चा करते हैं और बहस करते हैं। यह उलटा तरीका है; अध्यादेश एक विपरीत तरीका है। मुझे विश्वास है कि हमारे अच्छे मित्र, ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री इस विचार को स्वीकार नहीं करेंगे यदि वह दूसरी तरफ बैठे होते, अगर मंत्री पद का मैटल उनके कंधे पर नहीं होता। यह सही कार्रवाई नहीं है। अध्यादेश सही कार्रवाई नहीं है। जो भी संसदीय जनतंत्र में विश्वास करता है, वह उस कानून के लिये हमेशा बाध्य रहेगा, जब संसद में विधेयक आता है,त भी उस पर चर्चा होती है; उस पर बहस होती है; फिर निर्णय होता है। आप पहले फैसला नहीं करते हैं। इसलिये हम इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं।

दूसरा बिंदु, जिसके बारे में मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूँ, वह यह है कि इस अध्यादेश और इस विधेयक के माध्यम से जो इस विशेष प्रावधान से हमारे सामने विचार के लिये है, दो बातों को समझाने की आवश्यकता है। हमारी बहस के दौरान, हमारी पार्टी से, निश्चित रूप से, श्री नागेंद्र प्रधान चर्चा में भाग लेंगे। कई अन्य सदस्य भी संबंधित राजनीतिक दलों से भाग लेंगे। लेकिन आपके पास इस विधेयक में एक प्रावधान है,अर्थात्, केंद्र सरकार द्वारा कतिपय अनुसूची-I कोयला खदानों को वर्गीकरण करने की शक्ति। यह प्रावधान है कि आपके पास बिजली क्षेत्र के लिये रिवर्स बोली प्रक्रिया को अपनाना। ... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया शान्त रहें। कृपया माननीय सदस्य को सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: आपने कल बार-बार इस सभा के अंदर और सभा के बाहर भी बजट सत्र के लिये शुरू होने से पहले कहा है कि आपको रिवर्स बिडिंग प्रक्रिया करने की आवश्यकता क्यों है। मेरा प्रश्न उस तर्क से उत्पन्न होता है जिसे आप आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ कोयला वाले राज्य हैं। कई गैर-कोयले वाले राज्य हैं। लेकिन हमें ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत है। हमें सस्ती दर पर ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता है। हम सब इस बात से

सहमत हैं। हम सभी इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली ऊर्जा सस्ती होनी चाहिए। यह उच्च पक्ष पर नहीं होना चाहिए। यदि आपने ऊंची तरफ बोली लगाई है, तो बिजली की दर बढ़ जाएगी और उपभोक्ता को भी अधिक दर का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि आपने इसमें रिवर्स बिडिंग मैकेनिज्म इनबिल्ट किया है। लेकिन हमारी समस्या यहीं से शुरू होती है। अंतिम उपयोगकर्ता रिवर्स बोली के कारण लाभान्वित हो रहा है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, क्या वे बोलने जा रहे हैं?

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, वे बोलने वाले नहीं है। कोई और बोलता है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: अब आप एक संकल्प ले रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: हाँ, अब मैं संकल्प पर हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: संकल्प पर, वह बोल सकते है। आम तौर पर, संकल्प पर, एक सदस्य 10 से 15 मिनट ले सकता है। उसे अनुमति है; इसलिये वह बोल सकता है। उस पर कोई रोक नहीं है। वह एक ही व्यक्ति नहीं है। यहां तक कि श्री प्रेमचन्द्रन को 10 से 15 मिनट तक बोलने की अनुमति थी। इसलिये उनको भी इस संकल्प पर बोलने का अधिकार है। वह कई कारकों को सामने ला सकता है।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं रिवर्स बोली प्रक्रिया का ज़िक्र कर रहा था। इसे समझाने की जरूरत है। जब आपके पास रिवर्स बोली प्रक्रिया होती है, तो अंत-उपयोगकर्ता, उपभोक्ता इसे कम कीमत पर मिलता है लेकिन कोयला-धारक राज्य की कीमत पर। ऐसा इसलिये है क्योंकि आप अपने कोयला खदानों के लिये संबंधित राज्य को जो धन हस्तांतरित कर रहे हैं, वह इसे कम कीमत पर प्राप्त करता है। जब आपके पास एक गैर-विनियमित क्षेत्र है, तो एक गैर-विनियमित क्षेत्र में जहां सीमेंट कंपनियां आती हैं, उनके पास कैप्टिव पावर प्लांट्स होते हैं। इस्पात उद्योग वहां आता है जहां उनके पास कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं; एल्यूमीनियम कंपनी

वहां आती है जहां उनके पास कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं। इसके लिये, आपके पास गैर-विनियमित क्षेत्र है। लेकिन हमारा सवाल यहां उठता है कि आप कैसे निर्धारित करते हैं। वह संकल्प, क्या कल्याण *दा* मुझसे पूछ रहे थे, खंड 7 में है। मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार एकतरफा कार्रवाई करती है। आपके पास एक तकनीकी समिति है। तकनीकी समिति आपको सलाह देती है, लेकिन यह सब आपके नियंत्रण में है। आप कोई निर्णय लें। आप संबंधित राज्य सरकार से बातचीत नहीं करते हैं। हां, ओडिशा में अब नौ कोयला ब्लॉक नीलाम किये जाने हैं। नौ कोयला ब्लॉकों में से,केंद्र ने निर्णय लिया है कि आठ ब्लॉक रिवर्स बोली प्रक्रिया में होंगे और एक गैर-विनियमित क्षेत्र में होगा। एक उच्च है, जो बोली लगाता है, और एक सबसे कम है। उच्च एक केवल एक ब्लॉक है और वह पैसा राज्य में प्रवाहित होगा। निम्न में आठ ब्लॉक हैं और वह पैसा राज्य में प्रवाहित होगा। धनराशि हमने इस घर में सुना है कि Rs से अधिक। इस नीलामी के कारण 1 लाख करोड़ रुपये आए हैं। लेकिन कैसे, ओडिशा की स्थिति में कितना उड़ाया जाता है? यह उस राशि का एक प्रतिशत भी नहीं है। यह केवल रु. 500 करोड़। लिये मंत्री जी हूँचूंकि सरकार ने कुछ खानों और गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए रिवर्स बोली प्रक्रिया को निर्धारित करने का निर्णय लिया है,इसलिए हम माननीय मंत्री से समझना चाहेंगे। जाँन ब्रिटास:विभिन्न प्रावधानों के बारे में चर्चा हुई और माननीय मंत्री जी, जो काफी बुद्धिमान हैं और यह भी चाहते हैं कि इस बोली प्रक्रिया के कारण राज्यों की मदद की जाए,कि सरकार ने राज्यों से परामर्श क्यों नहीं किया या उन्हें विश्वास में क्यों नहीं लिया। इस तरह, मैं कहूंगा, सहकारी संघवाद समृद्ध होगा। अन्यथा, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा इस सरकार के विश्वास और स्वीकार्यता को कम कर देगी।

इसलिये मैं सरकार के विचारार्थ यह संकल्प पेश कर रहा हूँ। हम अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। जब बहस शुरू होगी तो हमारी पार्टी का नजरिया भी यहां रखा जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी क्या आप कुछ भी कहना चाहते हैं अन्यथा मैं माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद समाप्त करूंगा?

श्री पीयूष गोयल: जैसा आप चाहते हैं, महोदय। मैं अब इसका जवाब भी दे सकता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: यह आप पर निर्भर है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री पीयूष गोयल: महोदय, मैं संपूर्ण विवरण या आबंटन के सभी मानदंडों में नहीं पड़ूंगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को हरी झंडी दिखाने के लिये धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी सदस्यों और इस महती सभा के लिये भी इसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है।

निःसंदेह, आबंटन*(व्यवधान)*लियेआबंटनआबंटनिआबंटनलियेअध्यादेश की तात्कालिकता एक ऐसी चीज है जिसे इस सभा में कोई भी नकार नहीं सकता है, विशेष रूप से माननीय प्रधान मंत्री के बाद। 24 सेप्टम्बर को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया गया था, जिन्हें निःशुल्क दिया गया था। आज राज्य राजस्व की बात कर रहा है। उस समय, मुझे नहीं पता कि क्या राज्य ने इस तथ्य को भी मान्यता दी थी कि राज्यों को जो राजस्व अर्जित किया जा सकता था,वह इन खानों को देकर नष्ट हो रहा था। (*व्यवधान*) पूर्ववर्ती खानों को निःशुल्क देने का आवंटन चल रहा था। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और हमारे सदन के अध्यक्ष श्री एम.इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई गई। 24 [सितंबर] को, जब उन्होंने 204 खानों के आवंटन को रद्द कर दिया,उस समय देश संकट का सामना कर रहा था। यदि कोई समाचार पत्र के लेखों,संपादकीय और पूरे देश में भय मनोविकार की ओर देखता है कि कोयला उत्पादन कम हो जाएगा, तो इन सभी संयंत्रों जो इन खानों के लिए अंतिम उपयोग संयंत्रों के रूप में जुड़े हुए थे,में अचानक कोई कोयला नहीं होगा और कोई उत्पादन नहीं होगा: 'आपको 31[एस.टी] मार्च के बाद एक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है,जो समय माननीय सभापति का है। न्यायालय ने इन प्रचालन खानों की पुनः बोली या पुनः आवंटन के लिए दिया है। ऐसी 42 खदानें जो परिचालन कर रही हैं या परिचालन के निकट हैं, यदि ये 31 मार्च तक पूरी नहीं होतीं, तो इस गर्मी में,पूरे भारत को बिजली कटौती और बिजली की कमी की पीड़ा और इस्पात, सीमेंट और बहुत आवश्यक अवयवों के उत्पादन में एक गहरे संकट का सामना करना पड़ता जो अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं, इस देश के विकास के इंजन। ' उस समय,यह रिकॉर्ड का विषय है कि एक महीने से भी कम समय के भीतर,20[अक्टूबर] को,यह सरकार प्रो-एक्टिवली एक अध्यादेश,एक अध्यादेश के साथ सामने आई थी

जिसे माननीय सदस्य के संचालन से बाहर निकलने वाली सभी समस्याओं पर लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश।

महोदय, आप इस बात की सराहना करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने खानों को रद्द कर दिया था, लेकिन खनन अवसंरचना, अर्थात्, भूमि और मशीनरी जो जमीन पर तय की गई है, वे सभी चीजें पूर्वियों की थीं जो अब अवैध पूर्वगी हैं। अगर सरकार ने बिना जमीन पर कब्जा किये और खनन के बुनियादी ढांचे पर कब्जा किये बिना इन ब्लॉकों का फिर से आबंटन करने की कोशिश की होती, तो हम मूल रूप से केवल एक कागज या लाइसेंस देते, लेकिन वे काम नहीं कर पाते क्योंकि जमीन और मशीनरी का स्वामित्व उनका नहीं था और इससे इस देश में हज़ारों लोग बेरोजगार हो जाते। हजारों लोग बेरोजगार होते, सैकड़ों मिलियन टन कोयले का उत्पादन रुक जाता, देश भारी बिजली संकट में पड़ जाता और स्टील, सीमेंट वगैरह आदि बहुत अहम वस्तुओं का उत्पादन रुक जाता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: कोल इंडिया क्या कर रहा था? … *(व्यवधान)* कोल इंडिया का काम क्या था? यह न केवल निजी उद्यम थे, बल्कि यह कोल इंडिया का काम था। … *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पीयूष गोयल : भतृहरि जी भलीभांति जानते हैं कि कोल इंडिया पिछले पांच वर्षों से मात्र एक-डेढ़ प्रतिशत कोयले का उत्पादन बढ़ाता है और एक-डेढ़ प्रतिशत उत्पादन बढ़ाकर 42 माइन्स में जो 100 मिलियन टन कोयले का पोटेंशियल है, वह मेक-अप नहीं हो सकता था। मुझे सदन को बताने में बहुत हर्ष है कि हमारी सरकार आने के बाद जून से अब तक कोल इंडिया ने रिकॉर्ड सात प्रतिशत उत्पादन बढ़ाया है, जो इतने वर्षों में कभी नहीं हुआ है और उसकी रायल्टी का बेनिफिट भी आपके राज्यों को ही मिलता है। इस आर्डिनेंस की जरूरत के बारे में इस सदन में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, आपकी बात सही है कि डिसकशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। हमने बहुत विस्तार में डिबेट की, सदन में विधेयक पास किया, दुर्भाग्य से दूसरे सदन में वह विधेयक पास नहीं हो पाया, वहां कुछ डिस्टर्बेंसेज रहीं। यह आप सब भलीभांति जानते हैं और वह बिल

लैप्स हो गया। लैप्स्ड बिल के रहते, यह सरकार इन खदानों की फिर से ऑक्शन या रि-एलॉट नहीं कर पाती और उससे देश में भारी संकट आता, इसलिये हमने आर्डिनेंस को फिर से प्रोमल्गेट किया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको अनुमोदन दिया, वह प्रोमल्गेट हुआ। आपने पूछा कि हमने क्या किया है, मैं बताना चाहूँगा कि इस देश में यह पहली बार हुआ है कि पिछली सरकार जो काम दस वर्ष में नहीं कर पाई, वर्ष 2004 में पिछले प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कोयले की खदानों का ऑक्शन होना चाहिए, लेकिन वर्ष 2004 से 2014 तक एक भी नीलामी सम्पन्न नहीं हो पाई और हमने चार महीने में 19 माइन्स की नीलामी करके दिखाया। परसों से फिर से नीलामी का नया दौर शुरू होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार की यह बड़ी उपलब्धि है कि भारी संकट से हमने देश को बचाया है। ...*(व्यवधान)* जहां तक स्पेशल प्रॉविजन की बात कही गयी है, मैं उसके बारे में अपने जवाब में विस्तार से कहूँगा, लेकिन इतना आश्वासन देना चाहूँगा कि यह काम आर्बिट्रेरली नहीं किया गया। अगर हम पुराने एंडयूज को कंटीन्यू रखते तो स्टील, सीमेंट एवं अन्य नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिये इतनी ज्यादा खदानें दी गयी थीं कि शायद दो सौ या चार सौ साल तक उनके पास खदानें रहतीं, लेकिन पावर प्लांट्स की खदानें शायद दस-पन्द्रह साल भी नहीं चल पातीं। इसलिये जरूरी था कि डिफाइन्ड क्राइटेरिया के तहत इन माइन्स का एंडयूज रिएलोकेट किया जाए। एक टेक्नीकल कमेटी सभी मंत्रालयों को सम्मिलित करके बनाई गयी। एक डिफाइन्ड क्राइटेरिया बनाया गया जिसे मैं पढ़ सकता हूँ और आपको भी दे सकता हूँ, उसके हिसाब से एंडयूज तय किया गया और राज्यों के अधिकारियों के साथ भी निरंतर चर्चा की। यह अलग बात है कि मैं एक-एक एम.पी. के साथ या एक-एक सरकारी अधिकारी से बात करूं या कैसे करूं, लेकिन आपके राज्य के जो प्रमुख अधिकारी हैं, जो इस विषय से संबंध रखते हैं, उनसे चर्चा की गयी। अगर पिछली व्यवस्था चालू रखते तो शायद एक भी माइन में एक रुपया भी बिड नहीं होता क्योंकि इतना ज्यादा खदानें नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर को दी गयी थीं कि डिमाण्ड-सप्लाई गैप एडजस्ट नहीं होता और बिजली के कारखानों को कोयले की आपूर्ति नहीं होती, वे त्रस्त रहते। बहुत सोच-समझकर डिफाइन्ड वे में, ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पर डालकर पूरे प्रोसेस को किया गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत-सी माइन्स ऑक्शन होने वाली हैं जिनसे हरेक राज्य की अच्छी कमाई होगी। आगे चलकर इसमें नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर की आपके राज्य की

माइन्स भी आएंगी। आने वाले दिनों में कमर्शियल माइनिंग से आपके राज्य को बहुत बड़ी मात्रा में रायल्टी और ऑक्शन अमाउंट मिलने जा रहा है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव पेश किये गएः

"कि यह सभा 26 दिसंबर, 2014 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 7) को अस्वीकृत करती है।

"कि कोयला खनन प्रचालन और कोयले के उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सफल बोलीदाताओं औरियों को खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उसके ऊपर अधिकार, मालिकाना और हित का उपबंध करने वाले विधेयक पर, विचार किया जाए।

जब से हमने मद सं 21 और 22 को एक साथ लिया है, अंतत: मतदान होगा।

अब चर्चा शुरू होगी। प्रथम वक्ता श्री रविन्द्र कुमार राय हैं।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : उपाध्यक्ष जी, देश के सामने एक महत्वपूर्ण बिल आने वाला है। इस बारे में आपने मुझे सरकार के पक्ष में अपनी बात रखने का अवसर दिया है। मुझे यह बात कहने में बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है और खुशी हो रही है कि देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने की पहल आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रारम्भ हुई है। इसकी झलक हम सबको दिखने लगी है। इस देश की अर्थव्यवस्था पर और खासकर इस देश की अर्थव्यवस्था को आधारभूत संरचना देने वाली हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं थीं, उन पर अंग्रेजीयत की छाप थी। आज़ादी के 65 वर्षों बाद तक भी यह व्यवस्था दिखाई देती रही।

सन् 1947 के पहले हिन्दुस्तान गुलाम था। तब देश की जो सरकारें थीं, जो भी उनके द्वारा कानून बनते थे, उनके अनुसार इस देश की मूलभूत अर्थव्यवस्था संचालित करने की दिशा में जाती थीं। जब हिन्दुस्तान आज़ाद हुआ और 1947 में सरकारें आईं, कहने को वह आज़ाद हिन्दुस्तान की सरकारें थीं, लेकिन मुझे यह कहने में थोड़ी भी झिझक नहीं है कि पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है कि अंग्रेजीयत की छाप आज़ाद के बाद की सरकारों पर भी रही और नौकरशाही पर भी दिखाई देती रही है। जो कानून बने, जो अर्थव्यवस्था खड़ी हुई, सब कहीं न कहीं सामंतवाद और विदेशी मानसिकता से हटकर एक नए वर्ग के हाथ में केन्द्रित हो गईं। इस तरह से देश को चलाया गया और एक प्रकार से लाल फीताशाही के माध्यम से एक राजनैतिक तंत्र की शुरूआत हुई, जिसमें हिन्दुस्तान के आम अवाम की भावना दबती चली गई। नई सोच के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, यह सोच विकसित नहीं हो पाई।

आज़ादी के बाद देश जश्न में डूबा था। उस समय हमने देश का शासन चलाने वाले लोगों पर अपना भरोसा रखा। इसलिये हम नई अर्थव्यवस्था की चिंता न करके स्वशासन की खुशी में सारी गलतियां करते चले गए। इस सदन में भूमि अधिग्रहण बिल भी आने वाला है। उसका इतिहास 19वीं सदी में, 1899 से चल रहा है। आज भी हम करीब-करीब 120 बरस के बाद भी उसी इतिहास के संदर्भ में रखी गई मूल भावना को घसीट रहे

हैं। आज हमने माइनिंग एंड मिनरल्स एक्ट पास किया। उसका इतिहास भी आप देखें तो पता चलेगा कि हिन्दुस्तान की आज़ादी के समय से बना हुआ है। जो एक्ट उस समय बना था, उसी एक्ट की छाया में चलने वाली सरकारें और कानून ने आज तक हिन्दुस्तान की माइनिंग व्यवस्था को कहीं न कहीं घेर करके रखा था। जब हम इस पारदर्शिता के साथ प्रकृति द्वारा दी हुई मूलभूत जो खनिज सम्पदा है, जो हमारे देश के अर्थतंत्र को विकसित करने की क्षमता रखने वाले जो हमारे तत्व हैं।

<u>सायं 06.00 बजे।</u>

[हिन्दी]

पारदर्शिता के आधार पर सभी को मौका दिया जा रहा है। पारदर्शिता के आधार पर स्वच्छ वातावरण बनाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं यह कह सकता हूँ लोकतांत्रिक भावना का सही प्रदर्शन आज नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब, छह बज चुके हैं। यदि सभा सहमत है तो हम समय को एक घंटे तक बढ़ा सकते हैं। सदस्य अपने पैरों पर खड़ा है. सभा को एक घंटे तक बढ़ा दें।

...*(व्यवधान)*

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): आइए हम इसे कल लेते हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: कल के लिये व्यवसाय क्या है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री (श्री एम.वेंकैया नायडू): आप बहुत युवा और गतिशील हैं। चलो एक घंटे और बैठें।

श्री के.सी. वेणुगोपाल: महोदय, हम वैसे भी कल बैठे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: चूंकि पांचवां अवकाश है, इसलिये हम कल घर के समय को बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ा सकते हैं। हम कल सात बजे से आगे नहीं जा सकते। इसलिये, अब हम एक घंटे और बैठें और चर्चा को जारी रखें। माननीय सदस्य जारी रह सकते है। सभा का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, आप पहले 'शून्य काल' कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: सात बजे के बाद, हम आपको 'शून्य कल' लेने जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: सात बजे के बाद, हम 'शून्यकाल' ले रहे हैं और यही सम्मेलन है। सात बजे के बाद शून्यकाल होगा। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं और उन्हें संक्षेप में बोलना चाहिए क्योंकि अन्य सदस्य हैं जो बोलने का इंतजार कर रहे हैं।

श्री रवीन्द्र कुमार राय : महोदय, आज इस विषय पर हम चर्चा करते हुए कहना चाहता हूँ कि कोयला इस देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है। कोयले से करीखा भी होता है और उससे काजल भी बनता है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोयला से करीखा बनाने का काम पूर्ववर्ती यू.पी.ए. सरकार करती रही और दागदार बनी, जब उन्होंने कोयले के घोटाले से हिंदुस्तान की जनता को शर्मिन्दा किया और अपने आप को भी कलंकित किया। कोयले से भारत माता को सजाने के लिये काजल बनाने का काम नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमने प्रारम्भ किया है। करीखा को काजल में बदलने के लिये हमने जो अर्थतंत्र विकसित करने की कोशिश की है, उसमें से यह कानून आज सदन में आया है।

मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं झारखंड से आता हूँ। अभी 204 कोल माइन्स को निरस्त किया गया है, उसमें से ज्यादातर झारखंड राज्य से हैं। झारखंड से 57 माइन्स हैं, मध्य प्रदेश की 48 माइन्स हैं, उड़ीसा से 29 माइन्स हैं, बंगाल से 21 माइन्स हैं छत्तीसगढ़ से 42 माइन्स हैं, तेलंगाना के 4 हैं और अरूणाचल प्रदेश की एक माइन है। ये सभी ऐसे प्रदेश हैं जहां हर दिन आंदोलन चलाता रहा था कि कोयले का

उत्पादन हम करें लेकिन हमारे राज्य को कुछ नहीं मिलता था। आज इस बात का हमें फख्र है और हमारे राज्य की जनता, आदिवासी और जंगलों में रहने वाले वनवासी भाइयों की बात कर रहे हैं, जो लोग रायल्टी बढ़ाने के लिये लगातार आंदोलन करते रहे, अब उन्हें पता चल रहा है कि एक-एक खदान में हजारों करोड़ रुपये राज्य को प्राप्त हो रहे हैं तो एक नई आशा की किरण देश की अर्थव्यवस्था के विकास की दिखायी दी है। तीन स्टेज में कोयले का उत्पादन हो रहा है, एक तो भारत सरकार की सात कोल कम्पनियां हैं, उनके माध्यम से देश के अंदर कोयले का उत्पादन हो रहा है। उसे देश की जो भी संस्था लेना चाहे ले सकती है। देश की कम्पनियों को लिंकेज भी मिल रहा है। देश के महत्वपूर्ण विभाग और पब्लिक सैक्टर कहीं से डैमेज न हो, चाहे वह रेल विभाग हो या कोई भी विभाग हो, जहां भी कोयले की जरूरत है चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे सेल हो उन्हें देने की अलग से व्यवस्था है।

लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां विवेकानुदान के आधार पर लालफीताशाही के अंदर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिये, बंद कमरों में और धीरे से फाइल बढ़ाकर स्वार्थ सिद्धि करने का काम करतीं थीं, आज उनका पर्दा हटने वाला है। जब यह पर्दा हट रहा है तो देश की जनता में एक आत्मविश्वास जागृत हो रहा है कि हमारा हक पारदर्शी तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है। कम से कम अंदर में उठने वाला तूफान और जो दिल के अंदर व्याकुलता थी, जो क्रोध और आक्रोश होता था कि हमारी धरती के अंदर से निकलने वाले खदान का सही उपयोग यदि हमें नहीं हो रहा है तो हमें इसके लिये आंदोलन करना चाहिए। हम इसे क्यों बर्दाश्त करें? आज इस सदन के माध्यम से देश की जनता को खुशी हो रही है कि अब कम से कम किसी को छुपकर, देश की अर्थ-व्यवस्था को लूटने का अधिकार समाप्त हो रहा है और नई अर्थ-व्यवस्था की शुरुआत नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है।

अभी आपने देखा कि मात्र 17-18 ब्लॉक की नीलामी के बाद 120 लाख करोड़ रुपये की आमदनी देश की अर्थ-व्यवस्था में हुई है। हमारे भाई साहब कह रहे थे कि अभी तो हमारी आमदनी की शुरुआत नहीं हुई है। मैं कहता हूँ कि जो बातें सामने आई हैं, जो बातें रिकार्ड में आई हैं, उन बातों को कोई छुपा नहीं सकता। अब देश की जनता को यह भरोसा हुआ है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, हमारी रत्नगर्भा धरती से जो

कोयला निकलने वाला है, उसकी जो आमदनी है, वह मुझे मिलेगी। इसके साथ ही देश में एक सुकून की भावना हमारे यहां आई है। इतना मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आज जिस क्षेत्र में कोयले की खदानें है और आज जिस ओर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें संकेत दिया है, उन दोनों बातों को ध्यान में रखकर क्योंकि एक भावना है जहां हमारी खदानें हैं और एक भावना है जहां न्याय की बात है और न्याय की आवाज का संकेत सर्वोच्च न्यायालय से मिला है। इसलिये हमें इस बात की खुशी है कि आज प्राकृतिक संपदा में भी न्याय देने की बात हमारे सामने आई है और हमने उस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज कोयला और खनिज संपदा पर भारत की जनता ने एक स्वच्छ और सबके लिये बनने वाली नीति को देखकर एक संतोष व्यक्त किया है। इसलिये मैं यह मानता हूँ कि आज के बाद जो कानून बनने जा रहा है, उसमें आमदनी का एक नया स्रोत जागृत होगा। उस नये स्रोत से जो राज्य पिछड़े रह गये क्योंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष था कि जो माइन्स ओरिएंटेड स्टेट्स थे, जहां खदानें निकलतीं थीं, सबसे गरीब राज्य वही हैं। गरीब राज्य झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है जहां कोयला है, जहां प्रकृति ने अगाध संपदा दी, जहां प्रकृति ने सबसे आधिक कृपा की। वहां पर सबसे आधिक गरीबी है। वहां के लोगों को सबसे कम न्याय मिलता है। वहां के लोगों को विकसित होने के लिये सबसे कम अवसर हैं। लेकिन मुझे इस बात की आज खुशी है कि हमारी सरकार ने जो व्यवस्था प्रारम्भ की है, उससे अब लगने लगा है कि जिस रत्नगर्भा धरती के ऊपर नर गरीब रहता है, उसके जीवन में एक नया सूर्योदय होने की संभावना दिखने लगी है क्योंकि जब अर्थव्यवस्था, आमदनी उसके नजदीक आएगी तो निश्चित रूप से उसके विकास के रास्ते खुलेंगे और इसलिये एक वर्षों वर्षों से अपेक्षित न्याय जो उस प्रदेश की सरकार और जनता को चाहिए था, वह उन्हें मिलेगा। आज जनता अंदर ही अंदर प्रफुल्लित हो रही है कि हम जनता के लिये काम कर सकते हैं। ऐसे खनिज सम्पदा से प्रभावित राज्य की सरकारें खनिज सम्पदा के प्रदूषण से और कई प्रकार की जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, उससे त्रस्त जनता को बढ़ती हुई आमदनी से एक उन्नत भविष्य दिखाई दे रहा है। इसलिये इस कानून का बनना एक नया ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा और आने वाली हिन्दुस्तान की पीढ़ी इसे याद करेगी तथा हम एक अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री विनसेंट एच. पाला (शिलॉग): महोदय, आपने मुझे कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक,2015 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

इस विधेयक पर, जो दिसंबर, 2014 के 12[वीं] को उसी सभा द्वारा पारित किया गया था, अब फिर से चर्चा की जा रही है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इस महती सभा को याद दिलाना चाहूँगा कि यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 204 कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के कारण आता है, जब इसने अगस्त 25 को अपना निर्णय दिया था और 24 [सितंबर] को इसका आदेश दिया था। लगभग दो साल लग चुके निर्णय में कोयला खानों को तीनचियों में वर्गीकृत किया गया है। 204 ब्लॉकों में से,अनुसूची-ii में उन ब्लॉकों को शामिल किया गया है जिन्होंने पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है। अनुसूची-iii में वे ब्लॉक हैं जो सरकार द्वारा विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिये निर्धारित किये गए हैं।

सरकार कार्यकारी आदेश द्वारा भी नीलामी कर सकती थी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे अध्यादेश के माध्यम से क्यों चलाया। सरकार ने खंड 4 और 5 में नीलामी और आबंटन का प्रस्ताव किया है। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी खंड 4 और 5 पर स्पष्टीकरण दें। खंड 4 नीलामी के बारे में है और खंड 5 आबंटन के बारे में है। सरकार स्पष्ट नहीं है कि खंड 5 का उपयोग खंड 4 के अधिक्रमण में किया जाएगा या नहीं। मंत्री जी को स्पष्ट रूप से उन आकस्मिकताओं के बारे में बताना चाहिए जिनमें वह खंड 4 और खंड 5 का उपयोग सरकार या संयुक्त सरकार की कंपनी के पक्ष में करेंगे। जब तक आकस्मिकताओं को खंड 5 में ही वर्णित नहीं किया जाता है, यह सरकार को इसका दुरुपयोग करने के लिये व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करेगा।

मैं सरकार को एक बात के बारे में भी याद दिलाना चाहूँगा। मुझे पता है कि कई नए सदस्य हैं। मेरे सहयोगी ने अभी बी.जे.पी. से बात की है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यू.पी.ए. सरकार ने एम.एम.डी.आर. अधिनियम में संशोधन के लिये 2010 से विधेयक को तैयार करना शुरू कर दिया था। जब तक उस अधिनियम में संशोधन नहीं होता है, तब तक हम बोली नहीं लगा सकते। 2013 में, विधेयक पेश किया गया था। बेशक,

इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया था। यही कारण है कि हम इसे पारित नहीं कर सके। इस बीच, कोई 2012 में अदालत गया था। हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि कोई अदालत में गया था। अन्यथा, यू.पी.ए. सरकार वही काम करती। बल्कि बीजेपी ने इसका लाभ कुछ शब्दों को हटाकर लिया है जो पहले से ही विधेयक में हमारे द्वारा प्रस्तावित किये गए थे। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी कुछ बातों को स्पष्ट करें कि बोलीदाताओं के लिये 'उपयोग की आवश्यकता' को हटाने के बारे में छिपा हुआ एजेंडा क्या है। इस अंतिम उपयोग की आवश्यकता को हटा दिए जाने के बाद, कोई भी बोली के लिये जा सकता है। वे इसे कैप्टिव उद्देश्य के बजाय व्यावसायिक उद्देश्य के लिये उपयोग कर सकते हैं। इस तरह, वे हर किसी के लिये इस क्षेत्र को खोलेंगे और हर कोई बोली लगा सकता है। तो, अन्य 74 ब्लॉक जो नीलाम होने जा रहे हैं, कोई भी इसके लिये बोली लगा सकता है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी स्पष्ट करें कि बोलीदाताओं के लिये अंतिम उपयोग की आवश्यकता को क्यों हटाया गया है।

मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी खंड 20 और 21 को स्पष्ट करें खंड 20 अन्य बोलीदाताओं के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है और बोलीदाताओं के मौजूदा संयंत्रों को कवर करने के लिये अंतिम उपयोग के विस्तार को भी सक्षम बनाता है। वह यह आभास कराना चाहते हैं कि यह सरकार ईमानदार सरकार है और स्वच्छ सरकार है। लेकिन मैं चाहूँगा कि वह खंड 20 और 21 पर स्पष्ट करें क्योंकि इन खंडों का दुरुपयोग किया जा सकता है। खंड 21 भूमि अधिग्रहण के बारे में बात करता है। मुझे लगता है, वह इस बात से सहमत होंगे कि उचित मुआवजा और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास निपटान अधिनियम, 2013 जो पिछली सरकार द्वारा पारित किया गया था, एक बहुत अच्छी प्रणाली है। मैं चाहूँगा कि वह स्पष्ट करें कि क्या वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का उपयोग करेगा या कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम, 1957 का उपयोग करेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वह जिसका भी अधिक होगा या जो भी कम होगा, उसका उपयोग करेगा। जवाब देते समय, मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इस बिंदु पर स्पष्टीकरण दें। अधिकांश खदानें उन क्षेत्रों में स्थित हैं जिनमें आदिवासी निवास करते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस सरकार ने वनों पर विधेयक पारित किया, तो हमने राज्यों से उन निवासियों के बारे में भी परामर्श किया जबकि अब परामर्श का प्रश्न ही नहीं उठता। वे आदिवासियों को वस्तु के रूप में मानते हैं। मैं मंत्री जी से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध करता हूँ। जब भी आपको कहीं

ज़मीन की ज़रूरत होती है,तो आप सलाह-मशविरा करते हैं या आप निवासियों या गरीब आदिवासियों की सहमति लेते हैं या नहीं लेते हैं? जब तक आदिवासियों की देखभाल नहीं की जाती है,तब तक यह कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिये बाध्य है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दें। यह जहां भी हमारे पास कोयला खदानें या रेत खनन होता है, वहां हमेशा एक *माफिया होता है।* मैं मंत्री जी से इस मामले को देखने का अनुरोध करता हूँ।

मैंने पहले ही एक संशोधन पेश किया है। कुछ क्षेत्र हैं जो छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। छठी अनुसूची केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे असम, त्रिपुरा और मेघालय में आती है। ये बहुत छोटे क्षेत्र हैं। उन्हें पिछले 200 से 300 वर्षों के लिये भूमि विरासत में मिली है। वे अपनी आजीविका के लिये खानों और खनिजों का उपयोग करते हैं। मैंने एक संशोधन का प्रस्ताव किया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि छोटे से संशोधन को स्वीकार करें जिसमें इन जनजातीय लोगों की छोटी भूमि का ध्यान रखा जाएगा। मैंने अपनी संशोधन संख्या 17 और 18 प्रस्तुत की है। मैं विनम्रतापूर्वक मंत्री जी से संशोधन को स्वीकार करने का अनुरोध करूंगा ताकि हम कोयला खनन कर सकें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा इन क्षेत्रों में, कोयले के खनन के कारण मेघालय के लाखों लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग बेरोजगार हो गए हैं। वे जंगल में रहते हैं लेकिन वे लकड़ी का उपयोग नहीं कर सकते। वे कोयला खदानों के पास रहते हैं, वे कोयले का उपयोग नहीं कर सकते। कोयले पर एक छोटी सी पाबंदी है। मैं मंत्री जी से इस मामले को देखने और संशोधन को स्वीकार करने का अनुरोध करूंगा।

मैं न्यूनतम मूल्य के बारे में एक और बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा। आप न्यूनतम मूल्य या आरक्षित मूल्य की गणना कैसे करेंगे? मैं समझ सकता था कि संयुक्त सचिव स्तर पर एक प्राधिकरण है। लेकिन संयुक्त सचिव की मदद कौन करेगा? आपने उल्लेख किया है कि विशेषज्ञ मदद करेंगे। ये विशेषज्ञ कौन हैं? मैं जानना चाहूँगा कि विशेषज्ञ केंद्र सरकार के होंगे या राज्य सरकार के। इसके लिये मानदंड क्या है? न्यूनतम मूल्य और आरक्षित मूल्य के दुरुपयोग की संभावना है। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं अपनी ओर से उजागर करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री ए. अरुणमोज़थेवन (कुड्डालोर): महोदय, मैं इस विधेयक पर फिर से बोलने का अवसर देने के लिये अध्यक्ष और हमारे प्रिय नेता *मक्कल मुदलवर* पुरात्ची थलाइवी अम्मा को धन्यवाद देता हूँ।

यह विधेयक यहां तब पेश किया गया जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इस विचार को बरकरार रखा कि प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय संपत्ति हैं और इसलिये, हमारे राष्ट्रीय हित की रक्षा की जानी चाहिए। न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों बल्कि मानव संसाधनों की रक्षा के लिये यह गहरी रुचि हमारे प्रिय नेता *मक्कल मुदलवर* पुरात्ची थलाइवी अम्मा के दिमाग और दिल में थी। एन.एल.सी. के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को संरक्षित करने के लिये उसके शेयरों को खरीदने के लिये हमारे नेता पुरात्ची थलाइवी अम्मा द्वारा निर्देशित तमिलनाडु सरकार का कार्य इस बात को साबित करता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों और अपने कार्यबल की रक्षा के लिये हैं।

मनमाने और अवैध आबंटन से उत्पन्न स्थिति को बचाने के लिये पेश किया गया विधेयक सामयिक है। यह विधेयक आबंटन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता है। यह विधेयक केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिये राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करेगा। इस दृष्टिकोण से मैं इसका स्वागत करता हूँ।

साथ ही, अब से कोयला खदानों सहित खदानों को पचास वर्षों और उससे अधिक समय के लिये पट्टे पर देना चिंता का विषय है। मैं सरकार से इस पर फिर से विचार करने का आग्रह करता हूँ। नीलामी में राज्य सरकारों और उनके सार्वजनिक उपक्रमों को कोयला ब्लॉक आबंटन प्राप्त करने के लिये प्राथमिकता देने के लिये एक बचत खंड भी हो सकता है।

वर्तमान विधेयक में कोयला खनन कार्यों और कोयले के उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये पारदर्शी बोली प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि यह पात्र नए खिलाड़ियों को कोयला क्षेत्र में प्रवेश करने से न रोके। हमें देश की आवश्यकता के अनुसार कोयला स्रोतों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

विधेयक की एक स्वागत योग्य विशेषता यह है कि यह बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप कोयला संसाधनों के समन्वित और वैज्ञानिक विकास और उपयोग का प्रावधान करता है। खनन कार्यों, रियायत और बिक्री को तर्कसंगत बनाने के लिये भी शर्तें निर्धारित की गई हैं। बिजली पैदा करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को कोयले की आपूर्ति में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोयले की समय पर आपूर्ति की कमी के कारण, हमारे राज्य को कई अवसरों पर बिजली उत्पादन में समस्या का सामना करना पड़ा है। ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए।

इस विधेयक का मुख्य जोर विनिर्माण क्षेत्र की मदद के लिये निरंतर खनन, उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार उन खनिकों को सांत्वना देने का प्रयास करेगी जो कानून के सही पक्ष में हैं।

बंद करने से पहले मैं दोहराना चाहूँगा कि एन.एल.सी. जैसी कोयला खनन कंपनियों में कार्यबल को नियमित करने, सुरक्षा उपायों को बढ़ाने, उचित चिकित्सा देखभाल, और उचित वित्तीय लाभ जैसी उचित कार्य स्थितियां मिलनी चाहिए। मेरे कुड्डालोर निर्वाचन क्षेत्र में एनएलसी और उसके आसपास जल स्तर कम हो गया है। एन. एल. सी. को आसपास रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वे स्थानीय निकायों के साथ समन्वय कर सकते हैं और इस संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं।

इसके साथ, मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मुझे कोयला खान विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिये धन्यवाद। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि अध्यादेश की ओर से बहुत कुछ कहा गया है और ओडिशा राज्य सहित कई राज्यों को इसने कैसे प्रभावित किया है। हमारे नेता पहले ही बता चुके हैं कि कैसे पिछली कोयला नीलामी में ओडिशा के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी और कैसे जब देश को लगभग नीलामी में ओडिशा का हिस्सा रु. 1.3 लाख करोड़ के दायरे में था रु. 500 करोड़।

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, 60 साल पहले भारत और चीन के पास तुलनीय कोयला भंडार के साथ-साथ उत्पादन का स्तर भी था। यदि आप देखें कि पिछले 60 वर्षों में भारत और चीन ने कैसे यात्रा की है, जबकि चीन का वार्षिक उत्पादन अब तीन अरब टन से अधिक है, भारत लगभग 550 मिलियन टन है।

उच्चतम न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होने वाला बहुत सारा श्रेय भारत सरकार और माननीय को जाता है कोयला मंत्री जिन्होंने इतने कम समय में निश्चित रूप से सराहनीय काम किया है। यह निश्चित रूप से पूरे देश के लिये एक आर्थिक बढ़ावा देने वाला है।

मैं सिर्फ एक गंभीर विरोधाभास का उल्लेख करना चाहूँगा जो विधायी प्रक्रिया में है। प्रस्तावित विधेयक में खंड 11ए को शामिल करके एम.एम.डी.आर. अधिनियम में संशोधन किया गया है, जो केंद्र सरकार को निजी कंपनियों को बिजली उत्पादन और लोहा और इस्पात उत्पादन के लिये खदानें आबंटित करने की शक्ति देता है। यह विनिर्दिष्ट करता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिये कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में परिभाषित कंपनी से है और इसमें अधिनियम की धारा 591 के अर्थ के भीतर एक विदेशी कंपनी शामिल है।

हालांकि, एक गंभीर विरोधाभास है जो उसी एम.एम.डी.आर. अधिनियम के खंड 5 उपखंड 1 में आता है जिसमें कहा गया है कि खनन पट्टे किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दिए जा सकते जब तक कि वह भारतीय नागरिक या कंपनी अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में परिभाषित कंपनी न हो। माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, इस खंड को वर्तमान विधान में बिना संशोधन के छोड़ दिया गया है। यह मेरे निवेदन में एक गंभीर

विधायी चुनौती पेश करने जा रहा है और हमें ऐसी स्थिति का सामना करने की संभावना है जिसमें हम अदालत में जाते हैं और पूरी प्रक्रिया एक बड़े प्रश्न चिह्न के तहत आती है।

यह कहने के बाद, हमारे नेता ने जो कहा है मैं उस पर कायम रहूँगा और मैं केंद्र सरकार और माननीय से आग्रह करूंगा। मंत्री यह देखने के लिये कि ओडिशा राज्य के हित को ध्यान में रखा जाए और हमारे राज्य के साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद।

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, मुझे विधेयक पढ़कर प्रसन्नता हो रही है। इस विधेयक को विशेष प्रावधान विधेयक के रूप में वर्णित किया गया है। 'विशेष' शब्द पहले देश के हितों की रक्षा के लिये किये गए प्रावधानों की संख्या को दर्शाता है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने ठीक ही बताया है कि अतीत में क्या हुआ है। वर्तमान मंत्री, श्री हंसराज अहिरजी, को यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। वह व्यक्ति है जिसने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और उसके बाद ही सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किये। मुझे नहीं पता कि यह संसदीय है या नहीं, लेकिन लोकतांत्रिक कामकाज के लिये न्यायपालिका को समय-समय पर हस्तक्षेप करना पड़ता था! और न्यायपालिका को मार्गदर्शन करना था कि सरकार को वास्तव में क्या करना चाहिए! उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन या सर्वोच्च न्यायालय के, फैसले के बाद भी तत्कालीन सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई थी।

मैं वास्तव में खुश हूँ कि माननीय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, मेरी सरकार ने यह कारवाई शुरू की है। ऐसा करते समय जब उन्होंने पाया कि इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है, तो अध्यादेश जारी किया गया। सवाल उठाए गए कि अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब मैंने अध्यादेश को पढ़ा तो पाया कि इस विस्तृत विधेयक में इससे संबंधित हर एक पहलू को ध्यान में रखा गया है। खदानों के आबंटन, खदानों की नीलामी में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यही वह जगह है जहाँ भ्रष्टाचार हुआ। यह हमारे देश पर एक धब्बा था कि 1993 से 2014 तक नीलामी का सहारा नहीं लिया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और सरकार को ऐसा करने के लिये निर्देशित किया। मैं माननीय को हृदय से बधाई देता हूँ मंत्री पीयूष गोयल जी को इस तरह के एक विस्तृत विधेयक को सामने लाने के लिये धन्यवाद।

मुझे कुछ बिंदु बनाने हैं। जब मैं विधान परिषद का सदस्य था तो मैं महाराष्ट्र में बिजली परियोजनाओं में गया था। मैंने तब पाया कि चन्द्रपुर परियोजना और अन्य को प्रदान किये जा रहे कोयले में पत्थर थे। शुद्ध कोयला नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उस जगह पर भ्रष्टाचार होता है। यह देखना होगा कि क्या कोयला शुद्ध है, क्या यह ऊर्जा उत्पादन के योग्य है।

यह विधेयक कोयले में हीरे की तरह है। भ्रष्टाचार ने पिछली सरकार का चेहरा काला कर दिया था, भ्रष्टाचार में शामिल लोगों का चेहरा काला कर दिया था। … *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

खड़गे जी, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है।...*(व्यवधान)* क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?... *(व्यवधान)* इसने सरकार का चेहरा ही काला कर दिया है। अब यह सही बताया गया है कि मुश्किल से 4 खदानें बेची गई हैं और इतना पैसा कमाया गया है। राजस्व राज्य सरकारों को जाएगा। अंत में राज्य सरकारें समृद्ध होने वाली हैं। जिस तरह से हम जा रहे हैं, वहां भी उन्होंने उल्लेख किया है कि 31 मार्च 2015 से 42 कोयला ब्लॉकों (37 उत्पादन और 5 उत्पादन के लिये तैयार) के मामले में और अन्य के संबंध में तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि उत्पादन शुरू होने के बाद से 31 मार्च, 2015 तक निकाले गए कोयले के लिये इन 42 कोयला ब्लॉक आबंटनकर्ताओं द्वारा रु 295 प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त लेवी का भुगतान किया जाए। इससे सरकार को राजस्व मिलेगा। इसलिये, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

मेरे पास कुछ सुझाव हैं। क्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है? वह दिन आएगा जब कोयला खदानें खत्म हो जाएंगी। जब खदानें समाप्त हो जाती हैं, तो क्या सम्मान है क्या मंत्री जी उस जमीन का काम करने जा रहे हैं? जब खनन चल रहा होगा, तो किस तरह का प्रदूषण होगा? मुझे नहीं पता कि यह विधेयक उस उद्देश्य के लिये है या नहीं। उन खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों की रक्षा कैसे की जाएगी? यदि आप चंद्रपुरी जाते हैं, तो आप पाएंगे कि पूरे शहर में राख बह रही है। यह हवा में भी है। वहाँ बहुत प्रदूषण है। क्या आप यह जिम्मेदारी उस आबंटनकर्ता को देने जा रहे हैं जो इस खदान को प्राप्त करने जा रहा है? क्या मैं माननीय से पूछ सकता हूँ मंत्री जी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे या नहीं। इसे साफ किया जाना है।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और अतीत में हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये इस विधेयक को लाने के लिये सरकार को बधाई देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि उन राज्यों को जल्द से जल्द बहुत पैसा

जाएगा। शेष 204 कोयला खदानों के लिये, मैं अनुरोध करता हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द आबंटित किया जाए। बंदी शक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्री गोयल, मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। चूंकि आप नीलामी द्वारा कोयला ब्लॉकों का आबंटन कर रहे हैं, इसलिये कैप्टिव शक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि ट्रांसमिशन लॉस नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कैप्टिव बिजली हमेशा स्थानीय स्तर पर उत्पन्न और आपूर्ति की जाए और ट्रांसमिशन लॉस नहीं होगा। उत्पादित सारी ऊर्जा उपभोक्ताओं को दी जाएगी। इसलिये, मैं एक बार फिर सरकार और माननीय को बधाई देता हूँ। मंत्री जी और इस विधेयक का स्वागत करें।

श्री एम. मुरली मोहन (राजामुन्दरी): महोदय, मैं समझता हूँ कि वर्तमान में दुनिया भर में 6 अरब टन से अधिक कठोर कोयले का उत्पादन होता है। दुनिया भर में 860 बिलियन टन के भंडार के साथ कोयले का खनन किया जाता है। दुनिया में पांच सबसे बड़े कोयला उत्पादक देश हैं, अर्थात् चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। कोयला देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत दुनिया में कोयले का 3 सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि, देश की घरेलू खपत बहुत अधिक है और इसके परिणामस्वरूप, भारत बिजली कंपनियों, इस्पात मिलों और सीमेंट कारखानों की जरूरतों को पूरा करने के लिये कोयले का आयात करता है। इसके अलावा, गैर-खाना पकाने वाले कोयले का भंडार 85 प्रतिशत है जबकि खाना पकाने के कोयले का भंडार शेष 15 प्रतिशत है।

हाल के वर्षों में, हमने महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और सार्थक औद्योगिक विकास को देखा है। कोयला बिजली उत्पादन क्षेत्र और बड़ी संख्या में अन्य उद्योगों को ऊर्जा की आपूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले 3 दशकों में, कोयले के उत्पादन और खपत दोनों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। हमने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान देखा है कि कैसे कोयला खदानों के आबंटन से भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ था और अंततः सर्वोच्च न्यायालय को 204 कोयला ब्लॉकों के आबंटन को रद्द करने के लिये मजबूर होना पड़ा था।

यह विधेयक कोयला खान 2 अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। 12.12.2014 को, लोक सभा ने उस विधेयक को पारित किया था जो उच्चतम न्यायालय द्वारा आबंटित कोयला ब्लॉकों की नई नीलामी का प्रावधान करता है। हालांकि, इस विधेयक में ऊपरी सभा में कोई प्रगति नहीं हुई। इसलिये सरकार ने फिर से अध्यादेश लाया है।

मैं कहना चाहूँगा कि इस विधेयक ने उत्पादन को बढ़ावा देने और कोयला खनन में पारदर्शिता लाने के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कोयला ब्लॉकों की नीलामी की है। इस विधेयक से सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा, जिससे देश में आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। देश की बिजली की कमी को दूर किया जाएगा जिससे अरबों भारतीयों के घर रोशन होंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि यह विधेयक देश में

युवाओं के विशाल वर्ग के लिये रोजगार पैदा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि सरकार को कोयला सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी के माध्यम से 20 फरवरी, 2015 तक 84,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह भी कहा गया है कि 27 कोयला ब्लॉक पहले ही अनियमित क्षेत्र को आबंटित किये जा चुके हैं जबकि 56 ब्लॉक फरवरी, 2015 के अंत तक विनियमित बिजली क्षेत्र को दिए जाएंगे। बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को पूरा करने के लिये, भारत सरकार अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं की अवधारणा भी लेकर आई है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को कम टैरिफ पर बिजली बेचने के लिये कम लागत पर बड़ी क्षमताओं का निर्माण करना था। कृष्णपट्टनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक आगामी 3916 मेगावाट की आयातित कोयला आधारित बिजली परियोजना है। इसे चालू किया जाना बाकी है। मैं माननीय से आग्रह करूंगा। मंत्री जी जल्दी चालू करने के लिये मामले में हस्तक्षेप करेंगे। मैं सरकार से ए.पी. सहित देश भर में ऐसे यू. एम. पी. पी. स्थापित करने का आग्रह करूंगा। और तेलंगाना जो आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। विजयवाड़ा में 800 मेगावाट का एक तापीय संयंत्र है जिसे 2012 में प्रस्तावित किया गया था। यह संयंत्र सुपर क्रिटिकल तकनीक के साथ बनाया गया है जो अत्यधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है। लेकिन कोयला लिंकेज का अभी भी इंतजार है। मैं कोयला मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया विजयवाड़ा में थर्मल प्लांट को कोयला जोड़ने की अनुमति दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी (खम्मम): महोदय, मुझे कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2015 पर बोलने का अवसर देने के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। कोयला एक बहुत ही कीमती प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी से आता है और अक्सर इसे "दफन धूप" कहा जाता है क्योंकि कोयले का निर्माण करने वाले पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक एक अद्भुत प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं।

भारत दुनिया में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इससे पिछले वर्ष 2012-13 के 556.41 मिलियन टन की तुलना में 2013-14 में लगभग 565.64 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ। भारत को पूरे देश से कोयले के 301.56 अरब टन भूगर्भीय संसाधन प्राप्त हुए हैं।

भारत में कोयले की मांग और खपत में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र का वर्चस्व है। 1970 के बाद से, ताप विद्युत संयंत्रों की तेजी से स्थापना के कारण कोयले की मांग में वृद्धि हुई है। 1970-71 में, बिजली उत्पादन में लगभग 13 मिलियन टन कोयले की खपत होती है जो कुल खपत का लगभग 20 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2009-10 में इसकी खपत लगभग 411.06 मिलियन टन है, जो कुल खपत का लगभग 75 प्रतिशत है।

जहां तक उसके नीतिगत निर्णयों का संबंध था, पिछली सरकार ने खुद को जड़ों में बांध लिया था। एक तरफ यह बिजली कंपनियों को अपनी अपर्याप्त आपूर्ति को पूरा करने के लिये आयातित कोयले पर बहुत अधिक निर्भर था – यह देखते हुए कि 2007 और 2011 के बीच इसने लगभग 300 मिलियन टन सूखे ईंधन का आयात किया, जिसका मूल्य रु. 1,59,553 करोड़ जबकि दूसरी ओर इसने कई हाई प्रोफाइल कंपनियों को ब्लॉक दिए जो कई वर्षों से बिना खनन के उन पर बैठी थीं यहां तक कि एक टन रिजर्व भी।

यहां तक कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने, कोयला ब्लॉकों के आबंटन पर अपनी प्रतिवेदन में आरोप लगाया था कि नामांकन के आधार पर कैप्टिव उपयोग के लिये कई निजी संस्थाओं को भंडारों के वितरण से राष्ट्रीय खजाने को रु. 1.86 लाख करोड़

वर्तमान सरकार, श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत में कोयला उद्योग को सुव्यवस्थित करने के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है ताकि मांग और आपूर्ति के अंतर को कम किया जा सके और कोयले के आयात पर अंकुश लगाया जा सके। मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ।

जहाँ तक तेलंगाना क्षेत्र का सवाल है, यहाँ समृद्ध प्राकृतिक संसाधन हैं। लगभग 45 प्रतिशत वन क्षेत्र तेलंगाना क्षेत्र में है और देश के कोयले के भंडार का 20 प्रतिशत भी यहां पाया जाता है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड औद्योगिक जरूरतों और थर्मल पावर स्टेशनों के लिये इन खदानों से कोयले की खुदाई करती है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड एक सरकारी कोयला खनन कंपनी है जिसका स्वामित्व संयुक्त रूप से तेलंगाना सरकार और भारत सरकार के पास 51:49 इक्विटी आधार पर है। सिंगरेनी कोयला भंडार तेलंगाना की प्राणहिता-गोदावरी घाटी के 350 किलोमीटर में फैले हुए हैं जिसमें कुल मिलाकर 8,791 मिलियन टन के सिद्ध भूवैज्ञानिक भंडार हैं। एस. सी. सी. एल. वर्तमान में तेलंगाना के चार जिलों में लगभग 62,805 मानव शक्ति के साथ 15 ओपन कास्ट और 34 भूमिगत खदानों का संचालन कर रहा है।

समापन करने से पहले, मैं माननीय से एक अनुरोध करना चाहूँगा मंत्री। चूंकि कोयला भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिये कोयले के बेहतर निष्कर्षण और प्रसंस्करण के लिये उन्नत तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता है क्योंकि देश में कोयले का विशाल भंडार है जो भारत में बिजली उत्पादन की मांग को पूरा कर सकता है। कोयला खदानों के आसपास के क्षेत्र खनन गतिविधियों से बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हैं, विशेष रूप से सिंगरेनी कोलियरीज के आसपास के क्षेत्रों में। इसलिये मैं माननीय से अनुरोध करूंगा मंत्री जी तेलंगाना में कोयला खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिये सीएसआर निधि आबंटित करेंगे।

इन शब्दों के साथ, हमारे नेता श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और मेरी पार्टी वाई.एस.आर.सी.पी., मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 'कोयला खान विधेयक' पर चर्चा करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। विधेयक प्रस्तुत होने के बाद हमारे सम्मानीय साथियों ने अपनी बातें रखी हैं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि ई-नीलामी के द्वारा कोल आबंटन होना है, वह बहुत ही पारदर्शी तरीका है, बहुत अच्छी बात है। उससे बहुत पैसा आयेगा। यह भी बहुत अच्छी बात है। उससे देश और प्रदेश खूब ऊंचाई तक जायेगा, बहुत अच्छी बात है। राज्यों को उससे खूब पैसा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ई-नीलामी के द्वारा बहुत पैसा आना, सिर्फ उसी पर हमारा ध्यान केन्द्रित है तो मैं समझता हूँ कि यह उचित बात नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ई-नीलामी के साथ-साथ इस नियम के तहत कोयला खनन और खान के आस-पास और उससे सम्बन्धित जितने भी विषय हैं, उन पर आधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए, यह मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि, ई-नीलामी से बहुत पैसा आयेगा, अगर हम यहां मस्त रह गये तो उससे जुड़े सभी क्षेत्रों में हमारी नाकामी सामने आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कोयला एक बहुत ही आवश्यक एनर्जी का सोर्स है। विश्वभर में यह 30 प्रतिशत एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करता है और विश्व में 40 प्रतिशत बिजली का उत्पादन सिर्फ कोयले से होता है। इसके महत्व को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। भारत देश में कोयले का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हमारे देश में 55 प्रतिशत एनर्जी की आवश्यकता को कोयला पूरा करता है और 72 प्रतिशत से भी ज्यादा बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है। ऐसे में कोयले की खानों का सही एलोकेशन बहुत ही अनिवार्य है। भारत आज करीब 160 मिलियन टन कोयला इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करने की आज हमारी स्थिति नहीं है।

हम खानों का आबंटन कर देते हैं। जब हम नीलामी में खानों का आबंटन कर रहे हैं तो जो ज्यादा बोली देगा, वह खान लेगा। उस पर सरकार का अंकुश किस हद तक, किस तरह, कहां रहेगा, यह विचारणीय बिन्दु होगा। जिसने आधिक पैसे देकर कोयले की खान ले ली, वह खनन क्यों करेगा। वह खनन बंद कर देगा और

जब मार्किट में कोयला कम हो जाएगा और रेट ज्यादा हो जाएगा, तब वह कोयला खनन करके बेचेगा। अगर वह अपनी मर्जी से कोयला खनन करेगा, आपका अंकुश नहीं है तो खनन बंद होने से मार्किट में कोयला नहीं आएगा, सीमेंट उत्पादन कम हो जाएगा, बिजली का उत्पादन कम हो जाएगा और जब रेट बढ़ जाएगा तब वह अपनी खानों से कोयला खनन करके मार्किट में लाएगा और ज्यादा फायदा कमाएगा।

इस विधेयक से कोल इंडिया के भविष्य पर भी मैं एक प्रश्न चिन्ह देखने लगा हूँ क्योंकि आज देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कोल इंडिया देश की कोयले की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिये निजी कम्पनियों का कोयला खनन में आना जरूरी है। अगर ऐसा है तो केवल निजी कम्पनियों पर ही फोकस क्यों रखना। कोल इंडिया को इग्नोर करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। कोल इंडिया को इस विधेयक से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि कोल इंडिया और अन्य जितने सरकारी उपक्रम हैं, उनके लिये ब्लॉक आरक्षित कैसे रखा जाए, इसे जरूर नियम में शामिल करना चाहिए। प्राइवेट कम्पनियों को ओपन मार्किट में कोयला बेचने की अनुमति मिलने से कोल इंडिया लिमिटेड को मुश्किल हो सकती है, ऐसा मेरा वर्तमान में मानना है। हमने कोयले के ऑक्शन में देखा, कोई कह रहा है कि 80 हजार करोड़ आ रहा है, कोई कह रहा है एक लाख, कोई एक लाख बीस हजार करोड़ कह रहा है। ठीक है, पैसा आ रहा है, लेकिन कुछ निजी कम्पनियों ने जो बोली लगाई है, वह आश्चर्यचकित करने वाली है। इस विषय में एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर कोई भी निजी कम्पनी अधिकतम बोली में खान खरीदती है, यह पैसा कहां से आएगा। कोई भी निजी कम्पनी अपने प्रॉफिट को काटकर अधिकतम बोली नहीं लगाएगी। जब वह आधिकतम बोली लगाकर खान ले रही है तो क्या हम उनके साथ कहीं कामगारों की सुरक्षा में समझौता तो नहीं करने जा रहे हैं, मजदूरों की सेफ्टी में तो समझौता नहीं कर रहे हैं। हम पर्यावरण पर कैसे ध्यान देंगे। मजदूरों की अन्य आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि पर इस अधिनियम के तहत उस निजी कम्पनी पर कैसे रोक लगा पाएंगे, कैसे ध्यान दे पाएंगे, कैसे हस्तक्षेप कर पाएंगे, यह ध्यान देना जरूरी है।

खनन से प्रभावित लोगों के रीहैबिलिटेशन पर निजी कम्पनी द्वारा किस प्रकार ध्यान रख पाएंगे, यह चर्चा भी होनी चाहिए। पैसे की इस दोड़ में हम कहां-कहां कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हम कोयला खनन के खिलाफ नहीं हैं। उद्योग भी जरूरी हैं। इस देश का विकास उद्योगों के बिना संभव नहीं है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। इस अध्यादेश में कहीं पर भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं कही गई है। हमारी माइनिंग टेक्नोलॉजी आज भी पुरानी है। मौजूदा खानों से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे कर पाएंगे। इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा, हम लागों ने छत्तीसगढ़ में देखा है कि खान आबंटन पॉवर के नाम से करा लिये जाते हैं, किन्तु वहां पॉवर का कारखाना ही नहीं लगा है, वहां उत्पादन कैसे होगा। कोयला खनन करके वे निजी मार्केट में बेचने का काम करते हैं। इस नियम के तहत उस पर कैसे रोक लगाएंगे। कामगारों के दुर्घटना में, सुरक्षा, मुआवजा क्या सरकार तय करेगी? इस तरह की दुर्घटना में इतनी राशि, मृत्यु होने पर इतना, यह कौन तय करेगा। इसे अगर हम निजी कंपनियों के ऊपर थोप दें तो यह संभव ही नहीं है कि वह अपनी मर्जी से अपना काम करेंगे। सरकार का उन पर किस प्रकार अंकुश होगा। उनके सीएसआर पर आप किस प्रकार अंकुश लगाएंगे। देश में सीमेंट और इस्पात उद्योग का जो कोयला आबंटन करना है, उस पर आपका कितना हस्तक्षेप रहेगा। इस विधेयक को जल्दबाजी में स्वीकृत कराने की बजाए, जो उपबंध हैं, उन गहनता से विचार कर लिया जाना चाहिए। खान के आस-पास की जमीन का आधिग्रहण सहजता से हो पाएगा, कितना जल्दी हो पाएगा। सभी को आबंटन करने के बाद वह इसका उपयोग किस प्रकार करेगा। खनन में कामगारों की रोजी-रोटी की सुविधा मिले। विद्युत की दरें न बढ़ें, क्या इस विधेयक के द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय मंत्री जी इन बातों पर ध्यान दें। आपने समय दिया। आपका धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान (मुर्शिदाबाद): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, आपकी अनुमति से, मैं कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2015 पर बोलना चाहूँगा। सरकार की ओर से हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि यह विधेयक बहुत खुशी की बात है। मंत्री जी होन। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि ब्लॉकों को बेचकर सरकार पहले ही 18 करोड़ रुपये की आय अर्जित कर चुकी है रु. 1,00,000 करोड़। मैं अंत में इस बिंदु पर पहुंचूंगा।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ क्योंकि इसका उद्देश्य अंततः पूरे कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करना और ऐतिहासिक कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को समाप्त करना है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है, बल्कि निजी कॉरपोरेट, घरेलू और विदेशी दोनों के हित में है, क्योंकि यह उन्हें अपने निजी लाभ के लिये भारत के, लोगों के स्वामित्व वाले इस सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति देगा। सरकार को ऐसा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं पूरे सभा से राजनीतिक संबद्धता से, ऊपर उठकर खड़े होने, और लोगों और राष्ट्रीय हित पर इस सबसे बड़े हमले का विरोध करने की अपील करता हूँ।

आज की सरकार का तर्क है कि यह कदम इस प्राकृतिक संसाधन, कोयले की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिये उठाया गया है, जो देश के निपटान में है। सरकार सोचती है कि कोयला खनन को तर्कसंगत बनाकर और निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये कोयला खनन में एक बड़ी जगह की अनुमति देकर कोयला क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सकता है। और, ऐसा करते समय, कोल इंडिया लिमिटेड को कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उन्हें मुख्य और अन्य कोयले का उपयोग करने वाले क्षेत्रों में हमारे बिजली क्षेत्र को खिलाने में उनकी कथित विफलता के लिये दोषी ठहराया जा रहा है। इस तरह के आरोप सच्चाई से कोसों दूर हैं। बल्कि सरकार कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को गति देने के इस अत्यधिक हानिकारक उद्यम को सही ठहराने के लिये कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले मीडिया के सक्रिय समर्थन के साथ एक कहानी बनाने की कोशिश कर रही है। यह उनके लिये जरूरी हो गया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा यह साबित करने के लिये है कि यू.पी.ए. ऐसा नहीं कर सका लेकिन उन्होंने किया है। 'कृपया मत भूलिये, महोदय'।

महोदय, आइए हम इस तर्क की जांच करें कि निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक खनन के लिये अनुमति देने से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ऐसे मापदंडों को पूरा करने में कथित विफलता के सामने हमारे कोयला संसाधनों का बेहतर, कुशल और तर्कसंगत दोहन होगा।

महोदय, यह रिकॉर्ड की बात है कि वर्ष 2011 तक, इस्पात, बिजली और सीमेंट आदि क्षेत्रों के लिये कैप्टिव उपयोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिये निजी क्षेत्र के पास 44.44 बिलियन टन कोयले के विशाल शोषण योग्य भंडार वाले 200 से अधिक कोयला ब्लॉक पहले से ही थे।

ऐसे कम से कम आधे ब्लॉक कोल इंडिया से छीन लिये गए हैं और निजी हाथों को उपहार में दिए गए हैं। तुलनात्मक रूप से, कोल इंडिया लिमिटेड जिसने राष्ट्रीयकरण से पहले के दिनों से देश के कोयला उत्पादन परिदृश्य और इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा और संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाया है को केंद्र में लगातार सरकारों द्वारा सभी मोर्चों पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और यहां तक कि अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में कोयला भंडार के मामले में भी। जबकि निजी कंपनियों के पास लगभग44.44 अरब टन कोयला भंडार था, कोल इंडिया लिमिटेड के पास केवल 66.72 अरब टन कोयला भंडार था और फिर भी देश में कोयले की 80 प्रतिशत से अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। फिर भी क्या आप निजीकरण और राष्ट्रीयकरण के लिये एक याचिका खोजने के लिये कम उत्पादन के लिये कोल इंडिया को दोष देना जारी रखेंगे?

कोल इंडिया पर निजीकरण और विमुद्रीकरण के कदम को सही ठहराने में विफलता के आरोपों की जमीनी हकीकत क्या है? हालांकि कोल इंडिया लिमिटेड की अनुमानित क्षमता 1 अप्रैल, 2014 तक सालाना 572 मिलियन टन है, वास्तविक उत्पादन 2013-14 में 482 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 462.42 मिलियन टन रहा है। कोयला मंत्रालय द्वारा संसदीय समिति को तैयार और प्रस्तुत एक प्रतिवेदन के अनुसार, क्षमता के इस तरह के कम उपयोग और लक्ष्य से चूकने के कारण मूल रूप से कुछ कोयला उत्पादक राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्या, वन और पर्यावरणीय मंजूरी में देरी, कुछ खदानों में प्रतिकूल भू-खनन की स्थिति, जनवरी, 2014 से प्रभावी अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के तहत विस्फोटक की आपूर्ति में प्रतिबंध,

भूमि के भौतिक कब्जे में देरी आदि हैं। और विशेष रूप से बिजली उपयोगिताओं द्वारा ग्राहक/उपभोक्ता एजेंसियों की ओर से कोयले के उठाव में कमी और अपर्याप्त परिवहन बुनियादी ढांचे के कारण, विशेष रूप से रेलवे द्वारा – ये सभी भंडारण में समस्या पैदा करते हैं और पिट-हेड पर उत्पादित कोयले का असहनीय संचय करते हैं और इस तरह उत्पादन की निरंतरता को प्रभावित करते हैं। इनमें से कौन सा कारण कोल इंडिया की विफलता के लिये जिम्मेदार हो सकता है? उनमें से कोई नहीं।

कोल इंडिया की क्षमता और उत्पादन प्रदर्शन में वृद्धि के लिये इन सभी बाधाओं के बावजूद, कोल इंडिया लिमिटेड पिछले तीन वर्षों से सालाना 5.3 प्रतिशत से अधिक की दर से उत्पादकता में अपनी वृद्धि बनाए रख सका। यह राष्ट्रपति के निर्देशों के तहत सरकार द्वारा निर्देशित मध्यम मूल्य पर कोल इंडिया और बिजली उपयोगिताओं के बीच ईंधन आपूर्ति समझौतों के तहत अपने दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरी तरह से पूरा कर सकता है।

इस विधेयक द्वारा किये गए वादों में से कोई भी पूरा होने वाला नहीं है। निजी एजेंसियां कोयले का खनन नहीं करेंगी, बल्कि बाजार में खेल खेलेंगी और कोयला ब्लॉकों के अपने स्वामित्व के बारे में अटकलें लगाएंगी। यदि कोल इंडिया उत्पादन और खनन क्षेत्र में विस्तार के लिये बाधाओं को दूर करने के लिये विभिन्न मंजूरी और अनुमोदन में देरी की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहता है, तो क्या निजी क्षेत्र रिश्वत या इसी तरह के अनियमित साधनों के अलावा इसका प्रबंधन कर सकता है? क्या सरकार ऐसी स्थिति को आमंत्रित करेगी और बढ़ावा देगी?

यह और कुछ नहीं बल्कि कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण और निजीकरण का एक बड़ा खेल है और एक तरफ व्यवस्था में बड़े भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ जनता और विशेष रूप से कोयला श्रमिकों के लिये गुलामी को आमंत्रित करने के अलावा राष्ट्रीय हितों को कम करने और गैर-जिम्मेदाराना खनन, अवैध खनन, व्यापक ठेकेदारकरण, सुरक्षा और श्रम मानकों के उल्लंघन के माध्यम से महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को खतरे में डालने के लिये नियत है जो सभी निजी क्षेत्र के संचालन के पर्याय हैं।

महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ और पहले ही संशोधन पेश कर चुका हूँ और अपने सभी सहयोगियों से विधेयक का विरोध करने और मेरे संशोधनों का समर्थन करने का अनुरोध करना चाहता हूँ।

धन्यवाद।

सायं 07.00 बजे।

[हिन्दी]

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सदन में ही नहीं, 15वीं लोक सभा में पहली बार बोलने का मौका दिया। मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका मिला है, जिस पर पिछले पांच-छः वर्षों से सदन जलता हुआ दिखाई दे रहा था। आज इसका पटापेक्ष होने वाला है। माननीय मंत्री जी विधेयक लाए हैं, इससे पूर्व अध्यादेश आया जिस पर सदन में प्रश्नचिह्न खड़ा किया गया। मैं समझता हूँ कि अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने बहुत जल्दी सार्थक कदम उठाया है। वर्ष 1973 में कोल का नेशनलाइजेशन हुआ और 1993 में नेशनलाइजेशन एक्ट में संशोधन हुआ कि हम प्राइवेट सैक्टर को कोल ब्लॉक्स का आबंटन कर सकते हैं। 1993 में दो उद्देश्य थे, एक उद्देश्य था कि कोयले के खरीदार नहीं थे और दूसरा उद्देश्य था कि स्टील सैक्टर में काम करने वाले, पावर सैक्टर में काम करने वाले स्वयं उत्पादन करें और अपने कार्य को चलाएं। जब उत्पादन प्रारंभ हुआ, इस देश में काम आगे बढ़ा तो आज कोयले की शार्टेज हो गई है और अब 30 प्रतिशत कोयला वे विदेश से मंगा रहे हैं।

यू.पी.ए. सरकार 2008 एक्ट तो लाई, लेकिन उसे वापस कर दिया गया, क्योंकि 2009 चुनाव के समय पार्लियामेंट भंग हो गई थी। मैं माननीय पीयूष गोयल जी को देखता हूँ, इसके ऑक्शन करने का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उत्पादन को बढ़ाना है। 278 ब्लॉक्स का आबंटन हो गया और 100 से आधिक ब्लॉक्स में उत्पादन नहीं हुआ। 1993 में अमेंडमेंट किया गया, लेकिन जो ब्लॉक्स लेकर उत्पादन नहीं करेगा, उसे इस प्रकार से दंडित करेंगे। उसकी क्या सिक्योरिटी मनी होगी, सिक्योरिटी मनी को फोरफीट करने का कोई नियम कोयला मंत्रालय द्वारा नहीं बनाया गया। आज निश्चित रूप से जो कोयला नीलामी से ब्लॉक खरीदेगा उसे चिंता होगी कि उत्पादन करें। यह मुफ्त में मिला है, सिर्फ रॉयल्टी के आधार पर मिला है तो इसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एक तरफ कोल इंडिया को भी मुफ्त में कोल ब्लॉक्स मिले और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में, जहां स्टील, पावर और अनेक तरह के प्लांट चल रहे हैं, उनको भी मुफ्त में मिले तो वे सिर्फ रॉयल्टी देने का काम करते हैं।

दूसरी तरफ कोल इंडिया अपना प्रोफिट कमाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में 4000, 5000, 6000 करोड़ रुपया लाभांश का प्रतिवर्ष देता है, लेकिन निजी क्षेत्र में कमाई का कोई लाभांश नहीं मिलता है, इसलिये आज यह कदम उठाया गया है। यहां जल्दबाजी में कई प्रश्न खड़े किये जा रहे हैं कि अध्यादेश क्यों आया। यह खजाना भरने के लिये नहीं है। हम देश का पैसा लोगों को पैसे भेज रहे हैं। आज हमारे पास कोयला नहीं है, पावर की शार्टेज है, राकेश जी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं।

स्टैंडिंग कमेटी में श्री राकेश जी चेयरमैन हैं, एक ही सवाल है, हमारे यहाँ कोयले की कमी है, कोल ब्लॉक दिलवाइए। देश में विकास को कुछ हाथों में रखकर पूर्व की सरकार ने यहाँ के विकास को अवरुद्ध किया था, उसे गति देने का काम श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और श्री पीयूष गोयल जी ने जितनी जल्दबाजी में किया, उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। यह बात सही है, मैं भी निवेदन करूँगा, क्योंकि धनबाद कोयले की राजधानी कहा जाता है, मैं उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जिस समय कोकिंग कोल का पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ, उस समय 500 कोलियरीज़ हुईं, तो वे धनबाद के क्षेत्र में हुईं। वह आज भी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, मंत्री जी, मैं यह निवेदन करूँगा कि जहाँ पर एन.सी.डब्ल्यू. के माध्यम से नेशनलाइज़ कोलियरीज़ के वर्कर्स के हितों की रक्षा की जाती है, वहीं पर यदि निजी क्षेत्र में भी कोई व्यवस्था खड़ी की जाए, उनके लिये भी तलब-तनख्वाह, रहने की सुविधा आदि सारी बातें, जब नियमावली बनायें, तो उसमें इन बातों का भी समावेश हो। मैं कहूँगा कि यह तो हमारे यू.पी.ए. के मित्रों के लिये राहत का विषय है कि आज एक नये युग की शुरुआत हो रही है, हो सकता है कि पुराने समय में, आपके समय में जो हुआ, उसका पटाक्षेप भी हो सकता है और लोग धीरे-धीरे आपके कुकर्मों को भूलेंगे भी, इसलिये मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देते हुए, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा में 'शून्यकाल' के दौरान मामले उठाए जाएंगे। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी बात संक्षिप्त रखें। वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे कहने में अधिकतम दो मिनट का समय ले सकते हैं।

श्री राहुल शेवाले (मुंबई दक्षिण): माननीय. उप सभापति, अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र मुंबई दक्षिण मध्य का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिये धन्यवाद। मैं माननीय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मुंबई में औद्योगिक संरचनाओं के पुनर्विकास के संबंध में शहरी विकास मंत्री जी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शरणार्थियों के लिये बड़ी संख्या में कॉलोनियां हैं। ये शरणार्थी बहुत पुराने शरणार्थी केंद्रों और बैरकों में रह रहे हैं। ये बैरक और कॉलोनियां जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। इस क्षेत्र के निवासी पंजाबियों और सिंधियों के वंशज हैं जो 1947 के विभाजन के बाद मुंबई लौट आए थे। अब उनके पास बड़े परिवार हैं और वे अपने परिवार के सदस्यों को भी समायोजित करने के लिये जगह की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। इन कॉलोनियों को बुनियादी नागरिक सुख-सुविधाएँ ठीक से प्रदान नहीं की गई हैं। इन शरणार्थी शिविरों को केंद्रीय सहायता से अन्य आवासीय कॉलोनियों की तरह पुनर्विकास की आवश्यकता है।

एक विशाल शहर होने के नाते मुंबई के निवासियों के लिये आवासों के मामले में अपनी समस्याएं हैं। मुंबई के कई हिस्सों में झुग्गियों के विशाल क्षेत्र हैं जिन्हें राजीव गांधी आवास योजना के तहत पुनर्विकसित करने की आवश्यकता है। झुग्गियों के अलावा, बी. डी. डी. चॉल नामक एक बड़ी आवासीय कॉलोनी नायगाओ में स्थित है। इस चॉल का निर्माण मूल रूप से स्वतंत्रता से पहले के समय में जेल के रूप में किया गया था। अब, यह पुलिस क्वार्टरों की एक कॉलोनी है। इस कॉलोनी को भी हर तरह से पुनर्विकसित करने की आवश्यकता है और सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

मैं माननीय से अनुरोध करूँगा शहरी विकास मंत्री इन लंबित मुद्दों को देखेंगे और मुंबई की कई अन्य अविकसित कॉलोनियों की तरह प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिये मंजूरी देंगे। धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, यह सौभाग्य है कि यह विषय रक्षा मंत्रालय से संबंधित है और माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में मौजूद हैं।

फरवरी, 2014 में हुई एक गंभीर घटना की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जिस समय हमारी सेनाएं जम्मू-कश्मीर एवं राजस्थान में डिप्लॉय की गई, उसकी जानकारी तत्कालीन सेना अध्यक्ष विक्रम सिंह ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जी को दी। उस समय रक्षा मंत्रालय में बगिंग हुई, फोन टैपिंग हुई और वह जानकारी आई.एस.आई. के माध्यम से पाकिस्तान को हासिल हो गई। उसके बाद सेना के उच्च आधिकारियों के लिये एडवाइजरी जारी की गई कि निश्चित तौर से भविष्य में वे इस तरह की जानकारियां फोन पर एक-दूसरे से एक्सचेंज न करें। वह उस समय अपने आप में एक गंभीर घटना थी। अगर हमारी सेनाएं राजस्थान एवं जम्मू-कश्मीर में डिप्लॉय हो रही हों और उसकी जानकारी सीमा पार पाकिस्तान के लोगों को हो जाए तो यह ठीक नहीं है। एक तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आज भी हम विदेश सचिव से वार्ता करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उस एडवाइजरी के बाद इस तरह की कार्रवाई हो कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो कि हमारी गोपनीय सूचनाएं और रक्षा से जुड़ी हुई उच्चस्तरीय मामलों की जानकारी पाकिस्तान को मिल जाए और कोई खुफिया एजेंसी द्वारा इस तरह से हमारी टैपिंग या बगिंग हो। उस समय यह जो घटना हुई, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये एडवाइजरी जारी होने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई भारत सरकार करें।

[अनुवाद]

माननीय. उपाध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी, श्रीमती अंजू बाला, श्रीमती कृष्ण राज, श्री देवजी एम. पटेल, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को श्री जगदंबिका पाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बाला के अंतर्गत पंचकुला जिले का पंचकुला रेलवे स्टेशन आति महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ पड़ता है। मोहाली, चण्डीगढ़ व पंचकुला को ट्राइरसिटी के रूप में जाना जाता है। मैंने अपने 13वीं लोक सभा के कार्यकाल में भी रेलवे स्टेशन की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाया था और उस समय के रेलवे मंत्री जी ने खुद पंचकुला रेलवे स्टेशन का भव्य निर्माण करने के लिये पंचकुला साइड में शिलान्यास भी किया था। परन्तु आज तक पंचकुला साइड में यह रेलवे स्टेशन प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाया है और न ही उस साइड में कोई प्रशासनिक ब्लॉक इत्यादि बना है। पंचकुला रेलवे स्टेशन को केवल भव्य बनाने की बात न होकर, चण्डीगढ़ की तरफ बढ़ रहे ट्रैफिक को कम करने की दृष्टि से पंचकुला साइड के रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन करना आति लोक महत्व का विषय है। मेरे ध्यान में लाया गया है कि चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन को विश्व-स्तर का रेलवे स्टेशन बनाने का फैसला किया गया है। मैं मांग करता हूँ कि इस रेलवे स्टेशन का नाम चण्डीगढ़-पंचकुला रेलवे स्टेशन रखा जाए एवं चण्डीगढ़ की ओर मिलने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं को पंचकुला की ओर से भी प्रदान किया जाए। प्रकृति के नियमों के अनुसार भी यह अच्छा नहीं लगता है कि शरीर का एक भाग शक्तिशाली हो और दूसरा भाग कमजोर रहे। जब दोनों रेलवे स्टेशन एक ही स्थान पर हैं, तब मैं केवल एक साइड की ओर उन्नत करने की मांग कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी इस बारे में फैसला लेंगे और पंचकुला रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय कि इस पवित्र सदन में मुझे यह विषय उठाने का मौका दिया।

मेरा संसदीय क्षेत्र भावनगर समुद्र किनारे लगभग 250 किलोमीटर तक बसा हुआ है। समुद्र एवं जमीन के बीच एक प्राकृतिक वाल है, जहां बेंटोनाइट, बाक्साइट, लिग्नाइट और मेलोनाइट पाया जाता है। इसकी

वजह से समुद्री खारापन जमीन और भूतल के वाटर रिसोर्स में नहीं आता है। पिछले कई वर्षों से यहां खनन कार्य हो रहा है, उसकी वजह से समुद्री खारापन फलद्रुप जमीन और भूतल वाटर रिसोर्सेस को बिगाड़ रहा है एवं सैलिनेशन बढ़ता जा रहा है, इसलिये मेरे संसदीय क्षेत्र भावनगर के कोस्टल एरिया में फलद्रुप जमीन क्षारयुक्त हो रही है और वाटर रिसोर्सेस भी क्षारयुक्त हो रहे हैं। हाई टी.डी.एस. का वाटर रिसोर्स वहां मिलता है और फ्लोराइड-युक्त पानी मिलता है, इसलिये मेरे संसदीय क्षेत्र से भारी संख्या में लोग माइग्रेट हो रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से संबंधित माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इसमें हस्तक्षेप करके जल्द से जल्द खनन रुकवाएं और फलद्रुप जमीन एवं भूतल के वाटर रिसोर्सेस को बचाया जाए।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं अनुरोध करता हूँ कि मुझे आज सभा में "शून्यकाल" के दौरान तत्काल सार्वजनिक महत्व का मामला उठाने की अनुमति दी जाए। यदि अनुमति दी जाती है, तो मैं इस मुद्दे को संक्षेप में निम्नानुसार उठाऊंगा:

भारत सरकार ने हाल ही में, चार हवाई अड्डों, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और जयपुर के निजीकरण का प्रस्ताव दिया है। इन हवाई अड्डों पर 5000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इन चारों हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण हाल ही में किया गया है सरकारी खजाने से रु. 5000 करोड़।

निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक लागत पर निर्मित परिसंपत्तियों को निजी पक्षों को सौंपना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो वर्तमान में 125 हवाई अड्डों का संचालन करता है, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभी बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह से सुसज्जित है। अब, सरकार के इस कदम से अंततः हवाई यात्रियों पर भारी कर लगेगा। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों के निजीकरण के साथ, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण वित्तीय दिवालियापन में चला जाएगा। कैग ने अपनी प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि दिल्ली हवाई अड्डे का निजीकरण एक बड़ा घोटाला है। इसी तरह का घोटाला यहां भी होने जा रहा है। मैंने निजीकरण के खिलाफ नागरिक उड्डयन मंत्री जी और प्रधानमंत्री से बात की है।

इन परिस्थितियों में, मैं इस प्रतिष्ठित सभा से सरकार के, इस कदम को रोकने, हवाई अड्डों को बचाने और हवाई अड्डे के कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करता हूँ। मान्यता प्राप्त हवाई अड्डा प्राधिकरण संघ के नेतृत्व में हवाई अड्डा प्राधिकरणों के कर्मचारी कुछ समय पहले से निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। वे 10 मार्च, 2015 को नई दिल्ली के जंतर मंतर, पर धरना देंगे और 11 मार्च, 2015 को पूरे भारत में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। मैं सभी सदस्यों से, हवाई अड्डों के निजीकरण, के खिलाफ इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील करता हूँ।

[अनुवाद]

***श्री पी.आर.सुन्दरम (नामाक्कल):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय। वणक्कम। स्वाइन फ्लू, एच1एन1 इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी पूरे देश में फैल रही है। तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे राज्य स्वाइन फ्लू से बहुत प्रभावित हैं। दिल्ली में, 22 फरवरी 2015, तक इस बीमारी से 2,060 लोग प्रभावित हुए थे। 22 फरवरी 2015 तक देश में स्वाइन फ्लू से 774 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले चार वर्षों के साथ तुलना करते हुए, इस वर्ष के दौरान मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिये जागरूकता की कमी, अपर्याप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं और चिकित्सा सुविधाओं के कारण मौतों की संख्या में वृद्धि हुई। इसलिये मैं केंद्र सरकार से युद्ध स्तर पर सभी आवश्यक उपाय करने का आग्रह करता हूँ। एहतियाती उपायों और स्वाइन फ्लू के प्रसार को रोकने के तरीकों पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाना चाहिए। इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, हमारे देश के लोगों को एन 95 मास्क मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने माननीय *पुरात्चिथलाइवी* अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में इस खतरे से निपटने के लिये सभी एहतियाती उपाय किये हैं। तमिलनाडु के सभी सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के इलाज के लिये पर्याप्त टीके और दवाएं उपलब्ध हैं। एक 24x7 हेल्पलाइन सुविधा चालू की गई है। तमिलनाडु के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। तमिलनाडु के नक्शेकदम पर चलते हुए, केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के अन्य सभी राज्य स्वाइन फ्लू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये इस तरह के निवारक उपायों को सावधानीपूर्वक लागू करें। धन्यवाद।

---

* मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई का जो सेंट्रल सबअर्बन एरिया है, उसमें सायन से लेकर मुलुंड का जो हाईवे है, वहां पर कोई पेट्रोल पम्प नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी तकलीफ होती है। मुलुंड भाण्डुप में सी.एन.जी. का पम्प स्टेशन है। लेकिन उस स्टेशन पर सी.एन.जी. का प्रेशर कम होने के कारण विगत कुछ समय से लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। मेरी पेट्रोलियम मंत्रालय से प्रार्थना है कि उस क्षेत्र में पेट्रोल पम्प लगाया जाए और सी.एन.जी. का प्रेशर बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री देवजी एम. पटेल को डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह (कंधमाल): महोदय, भारत में हर साल तस्करी किये जाने वाले दो लाख मनुष्यों में से 90 प्रतिशत अंतर-राज्यीय दुल्हन तस्करी के शिकार होते हैं। हालाँकि तस्करी की गई अधिकांश दुल्हन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या निम्न आर्थिक वर्ग की हैं, लेकिन उनके खरीदार अमीर भूमि-मालिक समुदायों से हैं।

महोदय, इनमें से अधिकांश तथाकथित दुल्हनों को उनके तथाकथित दूल्हे और ससुराल वालों द्वारा चार या पाँच बार बेचा और फिर से बेचा जाता है। वे अपने परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों द्वारा भी साझा किये जाते हैं।

दुल्हन की तस्करी अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम या बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 द्वारा कवर नहीं की गई है, और तस्करी की गई दुल्हन द्वारा सामना की जाने वाली यौन हिंसा वैवाहिक बलात्कार के बराबर है, जो भारत में एक आपराधिक अपराध नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से, महोदय, जानना चाहूँगा कि सरकार इन बेज़ुबान और असहाय पीड़ितों की मदद के लिये क्या कर रही है। क्या इस तरह की सबसे बुरी यातना की कल्पना हमारे तथाकथित सभ्य समाज में की जा सकती है? धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हरि मांझी (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

बिहार प्रदेश के गया जिले में पूर्व की सरकार ने 225 गांवों को आदर्श ग्राम के तहत सिलेक्शन करवाया था। इसके लिये योजना की भी स्वीकृति हो गई थी। मैं जब क्षेत्र भ्रमण के लिये जाता हूँ तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग यही सवाल पूछते हैं कि आदर्श ग्राम के तहत केन्द्र सरकार से जो धनराशि मिली थी, उसको किस मद में खर्च किया गया? मैं जब भी किसी ग्राम में जाता हूँ तो न चापाकल दिखाई देते हैं, न शौचालय हैं, न नल हैं, न गलियां हैं, न भवन हैं।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसकी जांच करवाई जाए और गरीबों के हितों की सुरक्षा की जाए।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

मैं आपके संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत खिलाड़ियों को रहने की, खाने की और किट्स आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। मेरे संज्ञान में यह विषय आया है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसको बंद करने जा रही है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ओलम्पिक के पोडियम तक हमारे खिलाड़ी पहुंचें और दूसरी ओर हम हमारे खिलाड़ियों को जो रेज़ीडेंशियल फेसीलिटीज़ दे रहे थे, जिसमें उनकी डाइट, खेलने के कपड़े, किट की सुविधा, रहने की जगह इत्यादि दे रहे थे, आज हम उनको बंद करने जा रहे हैं। चीन छः साल के बच्चे को एडॉप्ट करके उसको ट्रेन करता है, अमेरिका आठ साल के बच्चे को ट्रेन करना शुरू करता है, यू.के. आठ साल के बच्चे को ट्रेन करना शुरू करता है। अगर हमें उन लोगों से कम्पीट करना है तो हमें फिर से इस रेज़ीडेंशियल स्कीम को चलाना पड़ेगा। मेरे लोक सभा क्षेत्र हिसार में भी हॉकी की एक ऐसी ही रेज़ीडेंशियल स्कीम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चल रही है। भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि 10 मार्च से उस स्कीम को बंद कर दिया जाए। इससे वे खिलाड़ी कहां जाएंगे, जो पिछले पांच सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे और हॉकी में अपने देश का नाम आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे?

मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से यह अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है- पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत और ओलम्पिक पोडियम तक वर्ष 2016 तक हमारे खिलाड़ियों को पहुंचाना है, उसके तहत इस स्कीम को दोबारा रिवाइव करने का काम करें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री पी.पी. चौधरी, श्री अरविंद सावंत, श्रीमती भावना पुंडलीकराव गवली, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्री राम मोहन नायडू किंजारपु को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है

श्री मो. बदरूदोजा खान (मुर्शिदाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, आपकी अनुमति से, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूँगा। शिक्षा मानव समाज के विकास का प्रमुख क्षेत्र है। सभी विकसित देशों में

सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा है। अगर भारत और अधिक विकास चाहता है, तो शिक्षा सार्वजनिक क्षेत्र में होनी चाहिए क्योंकि हमारी अधिकांश आबादी गरीब है। सार्वजनिक शिक्षा संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। लेकिन, हमारे देश में, सार्वजनिक शिक्षा अव्यवस्थित है। सरकारी स्कूलों की संख्या साल दर साल कम हो रही है। निजी स्कूल पनप रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निजी कॉरपोरेट स्कूलों में स्थानांतरित हो रही है और सरकारी स्कूल खराब शिक्षा के कारण पीछे रह रहे हैं। निजी कॉरपोरेट शैक्षणिक संस्थान माता-पिता से अधिक से अधिक धन एकत्र करके वाणिज्यिक एजेंसी बन रहे हैं। निजी स्कूल न केवल शिक्षा का व्यावसायीकरण कर रहे हैं, बल्कि वे आम शिक्षा प्रणाली को भी प्रदूषित कर रहे हैं। असमान अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में एफ.डी.आई. के लिये दरवाजे खोलकर बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा, सरकार पूर्व नियोजित सोच के साथ शिक्षा में अपने स्वयं के सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने का प्रयास कर रही है।

भूमिगत में एक व्यापक नेटवर्क जोरदार ढंग से काम कर रहा है। लेकिन हम सतह पर कुछ लक्षण देख सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिये पूरी शिक्षा प्रणाली का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। लेकिन अब तक इस नई शिक्षा नीति के स्वरूप और संरचना पर कोई चर्चा नहीं हुई है। श्री दीनानाथ बत्रा, जो गुजरात सरकार के एक अकादमिक आउटसोर्स हैं, ने शिक्षा क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील विचारों को हटाने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मानव संसाधन विकास मंत्री जी का कहना है कि *वेदों* और *उपनिषदों* को पढ़ाया जाना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा विभाग सभी राज्यों में गुजरात मॉडल शिक्षक प्रशिक्षण का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। सरकार मध्याह्न भोजन की आपूर्ति धार्मिक संस्थानों को सौंपने की कोशिश कर रही है। ये कुछ कारण हैं। यदि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को मूर्त रूप दिया जाता है, तो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शिक्षा को ध्वस्त किया जा सकता है। इस प्रतिगामी खतरे को रोका जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके सामने एक आति लोक-महत्व के प्रश्न को रखना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र बुंदेलखंड में आता है, जो कि यू.पी. का बहुत पिछड़ा जिला है। वहां पर केन्द्र सरकार ने पिछले तीन सालों में विशेष पैकेज के रूप में बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर करोड़ों रुपया उपलब्ध कराया था, लेकिन पीछे कोई संस्था के कार्यदायी न होने से राज्य सरकार के माध्यम से जो पैसा जा रहा है, उसको मनमाने तरीके से खर्च किया जा रहा है। उसमें लगभग दो से ढ़ाई हजार करोड़ रुपये तक का भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे कि उसमें बिल वाउचर दुगुने तिगुने दाम से लगाये जाते हैं। कई प्रकार से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है तथा ऐसी जगहों पर उसको खर्च किया जा रहा है, जहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा फर्जी बिल वाउचर भी बनाये गये हैं।

मैं विशेष तौर से वन विभाग, भूमि संरक्षण विभाग और सिंचाई विभाग के बारे में कहना चाहूँगा एवं जल निगम की पेयजल योजनाओं में, कृषि विभाग की योजनाओं में घटिया क्वॉलिटी बनाकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अभी भी सन् 2017 तक पैसा जाना है और वर्तमान में भी पैसा जा रहा है। इसलिये इसके दुरुपयोग को रोका जाए और जो पिछले समय में करोड़ों रुपये का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच सी.बी. आई. से कराई जाए तथा धन की वसूली संबंधित लोगों से की जाए, ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाये गये विषय के साथ कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को एसोसिएट किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार द्वारा कोस्टल सिक्योरिटी के अन्तर्गत फेज़-टू मंजूर किया गया है, जिसका मूलभूत उद्देश्य राज्यों में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं की परिपूर्ति करने का है। इस फेज टू के तहत गुजरात राज्य को मरीन पुलिस स्टेशन, 31 इंटर सैक्टर बोर्ड और 5

जेटीज के लिये वाहन आबंटित किये गये हैं। फेज टू अप्रैल 2011 से प्रारंभ किया गया है तथा फेज वन पूर्ण करने में गुजरात राज्य देश में अग्रसर है। फेज वन में आबंटित की गई 30 बोटों को लगाने के लिये आतिरिक्त जेटी उपलब्ध नहीं है। एक मैरीन पुलिस स्टेशन में दो तीन बोट्स आबंटित की गई है जिसके कारण पैट्रोलिंग रूट के नजदीक बोट को खड़ा करने के लिये जेटी की अत्यंत जरूरत है। बोट को खड़ा करने के लिये आज तक जेटी के निर्माण के लिये उचित वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित नहीं की गई है। पांच जेटी के निर्माण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा ढ़ाई करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। एक जेटी के लिये पचास लाख रुपये भी अपर्याप्त है। एक जेटी के निर्माण के लिये मिनिमम पांच करोड़ रुपये की जरूरत होती है।

मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम के तहत राज्य में जेटी के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी की जाए। धन्यवाद।

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने देश की 54 फीसदी ओबीसी की आबादी और 23 फीसदी एस.सी.एस.टी. आबादी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। यू.पी. के अंदर 23 प्रतिशत एस.सी.एस.टी. के कर्मचारियों और आधिकारियों को वहां की समाजवादी पार्टी की सरकार ने वरीयता क्रम में प्रमोशन में जो उनको आरक्षण दिया गया था, उनको रिवर्स कर दिया और उनको डिमोट करके उनके नीचे पदों पर बैठा दिया और जूनियर लोगों को बड़े पदों पर बैठाकर उनके अंडर में उनसे काम कराने का काम कर रही है। इसी तरीके से ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया, जिसके कारण एक बड़ा आंदोलन चला था तथा पिछली सरकार में राज्य सभा के अंदर भारत के संविधान में संशोधन करके प्रमोशन में आरक्षण देने के लिये वहां पर बिल पारित किया गया था।

इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वहां की बी.एस.पी. की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार से लोग प्रताड़ित होकर और ऊबकर सारे एस.सी.,एस.टी. और ओ.बी.सी.के कर्मचारियों और अधिकारियो ने एकजुट होकर हमारी पार्टी बी.जे.पी. को वोट देने का काम किया था और आज वे लोग केन्द्र सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कब भारत के संविधान में संशोधन करने वाला बिल पार्लियामैन्ट में आयेगा और एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के कर्मचारियों और आधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का बिल

लाकर भारत के संविधान में संशोधन करके हमेशा-हमेशा के लिये उन्हें मेनस्ट्रीम में जोड़ने का काम किया जायेगा, इसके लिये लोग केन्द्र सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि उपरोक्त बिल को शीघ्र ही सदन में लाकर पारित कराने का काम किया जाए। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्रीमती अंजू बाला, साध्वी सावित्री बाई फूले, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, श्रीमती कृष्णा राज, श्री राम प्रसाद शर्मा को श्री कौशल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में सिख समाज का एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थान हुजूर साहब है। उसे हम सिखों का पांचवा तख्त भी कहते हैं और यह माना जाता है कि गुरू साहब हर सिख से अपेक्षा करते हैं कि एक बार जीवन में वह हुजूर साहब के दर्शन करें, किंतु पंजाब से नांदेड़ की बहुत ज्यादा दूरी पड़ती हैं। वहां रेलगाड़ी से आने-जाने में एक हफ्ता लग जाता है। पहले हवाई सेवा का जो प्रबंध किया गया था, वह बंद कर दिया गया है। नांदेड़ में हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ से नांदेड़ के लिये हवाई सेवा शुरू होनी चाहिए, ताकि सिख समाज के लोग वहां आसानी से जा सकें। मैंने एक पत्र लिखा था तो उन्होंने जवाब दिया कि यह इकोनोमिकली वॉयबल नहीं है। जो हमारे एन.जी.ओ. जैसे एस.जी.पी.सी. और अन्य संस्थाएं हैं, उन्होंने यह वायदा किया है कि हम एक साल के लिये इसे बुक कर सकते हैं, इसलिये वह व्यवस्था होनी चाहिए। हम इसका खर्चा झेलने के लिये तैयार हैं।

इसके अलावा मोहाली में शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, उसे हमारी अपनी सरकार ने एन.ओ.सी. दे दिया, पहले यू.पी.ए. सरकार ने इसे रोक रखा था। डिफैंस मिनिस्ट्री ने उसे एन.ओ.सी. दे

दिया है, किंतु अभी तक वहां से हवाई उड़ाने शुरू नहीं हुई हैं। मैं वहां से हवाई उड़ानें जल्दी शुरू करने की मांग करता हूँ।

महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही अर्जेन्ट और महत्वपूर्ण विषय और उठाना चाहता हूँ। बेमौसमी बारिश से पंजाब और हरियाणा में गेहूँ का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। केन्द्र सरकार से मैं स्पेशल मदद के लिये विनती करता हूँ, क्योंकि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है और 1500 रुपये एकड़ मुआवजा बहुत कम है, इस पैसे को बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी वहां की राज्य सरकारों को मदद दी जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. अंबुमणि रामदास (धर्मपुरी): महोदय, मैं कर्नाटक सरकार के बारे में सभा के ध्यान में एक बहुत ही जरूरी मुद्दा लाना चाहूँगा जो मगदाडू में, कावेरी नदी पर एक बांध का निर्माण करने जा रही है, जिसमें लगभग 48 टी. एम. सी. पानी हो सकता है। … *(व्यवधान)*

महोदय, पिछले वर्ष, 15 नवंबर को कर्नाटक, के जल संसाधन मंत्री जी श्री पाटिल ने, विधानसभा में, कहा था कि कर्नाटक सरकार आने वाले समय में एक बांध का निर्माण करने जा रही है। … *(व्यवधान)* महोदय, यह एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: आप किसी सदस्य को परेशान नहीं कर सकते।

…*(व्यवधान)*

डॉ. अंबुमणि रामदोस: यह राष्ट्रीय अखंडता का मुद्दा है, और तमिलनाडु में लाखों-लाखों किसानों की आजीविका दांव पर है। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: संसद सर्वोच्च निकाय है।

…*(व्यवधान)*

डॉ. अंबुमणि रामदोस: पहले से ही, केवल अतिरिक्त वर्षा का पानी कर्नाटक से तमिलनाडु आ रहा है। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: उसे कहने का अधिकार है। आप बाद में भी योगदान कर सकते हैं। मैं सदस्य को ऐसा कहने से नहीं रोक सकता।

…*(व्यवधान)*

डॉ. अंबुमणि रामदोस: कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी हो, बांध का निर्माण होने जा रहा है। यह तमिलनाडु राज्य का एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. अंबुमणि रामदास जो कहते हैं, उसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

…*(व्यवधान)*… *

डॉ. अंबुमणि रामदोस: महोदय, तमिलनाडु सरकार उच्चतम न्यायालय में एक मामले में विफल रही है। इसके बावजूद, कर्नाटक सरकार इस बांध के निर्माण के साथ आगे बढ़ रही है, और इस बांध में 48 टी. एम. सी. पानी हो सकता है। … *(व्यवधान)* इस बांध का निर्माण अवैध है। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: वह अपने राज्य से संबंधित मामला उठा रहे हैं।

…*(व्यवधान)*

डॉ. अंबुमणि रामदोस: कर्नाटक सरकार इस बांध के निर्माण के लिये पहले ही एक सलाहकार नियुक्त कर चुकी है। यह 2007, में कावेरी नदी प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि ऊपरी नदी तटीय राज्य के किसी भी निर्माण के लिये निचले नदी तटीय राज्य यानी, तमिलनाडु की अनुमति लेनी चाहिए। यह न केवल एक भावनात्मक मुद्दा है बल्कि एक कानून और व्यवस्था की समस्या भी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की राष्ट्रीय अखंडता से भी संबंधित है।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं माननीय से आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों की तत्काल बैठक बुलाएंगे, दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इस मुद्दे को सुलझाएंगे और कर्नाटक सरकार को बताएंगे कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें वैधता होनी चाहिए।

दूसरा, केंद्र सरकार की जल संसाधन, कुमारी उमा भारती जी ने आश्वासन दिया कि कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन जल्द ही किया जाएगा। महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह तुरंत कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन करें ताकि कावेरी नदी से संबंधित सभी निर्माण इस बोर्ड के अंतर्गत आ सकें और इस बोर्ड द्वारा इसकी निगरानी की जा सके। महोदय, मैं आपसे इसमें शामिल होने का आग्रह करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री थुपस्तान छेवांग (लद्दाख) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र लद्दाख के विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर दिया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे लद्दाख क्षेत्र में सर्दियों के 6-7 महीने बर्फबारी की वजह से सड़कें आवाजाही के लिये बंद हो जाती हैं। लद्दाख में आने-जाने का एक ही साधन होता है, वह हवाई जहाज के जरिए होता है। पिछले दो-तीन हफ्तों से मौसम की खराबी के कारण जहाजों की आवाजाही में विघ्न पड़ा है और बहुत सी फ्लाइट्स के कैंसिलेशंस हो रहे हैं। इसकी वजह से लद्दाख जाने वाले सैंकड़ों यात्री दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-1, टर्मिनल-3, जम्मू के हवाई अड्डे पर और चंडीगढ़ के हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं और उनको असुविधा हो रही है। बजाय इसके कि एयरलांइस उनके साथ सहानुभूति दिखाएं, उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। एयरलांइस उनके साथ ज्यादती कर रही हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक एक निर्देश है - "नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सी.ए.आर.), धारा-3, श्रृंखला-एम, भाग-4 'बोर्डिंग से इनकार, उड़ानों के रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं परा' इसके बारे में निर्देश दिया गया है कि अगर फ्लाईट डिले होती है तो उनके लिये खाने-पीने की व्यवस्था करें अगर कैंसल होती है तो उनको ठहरने की सुविधा दी जाए।...*(व्यवधान)*

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन, गरौटा, भोगनीपुर, जो बुंदेखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। किसानों ने जब फसल बोई थी, उस समय उसे जितना पर्याप्त जल मिलना चाहिए था, वह वर्षा से नहीं मिला था। किसानों ने अपने खेतों में डीजल पंप लगा कर और खाद उधार ले कर फसल बोई थी। हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत झांसी जिले के ग्राम गरौठा और ग्राम सुट्टा में एक व्यक्ति - धीरेंद्र उर्फ धीरू पुत्र तुलसी राम पटेल, जो बुंदेलखण्ड के अंतर्गत आता है - वह बेमौसम बरसात में अपना खेत देखने गया, वहां उसने अपनी फसल को नष्ट होते देख कर उसी खेत पर फांसी लगा ली।

महोदय, मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र के जो किसान बर्बाद हुए हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए और जिस किसान ने आत्महत्या की है, उसके परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरो प्रसाद मिश्रा को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए मामले से खुद को जोड़ने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल की लड़ाई के बाद यू.पी.ए. सरकार ने 3 फरवरी, 2014 को एक टास्क फोर्स बनाई थी। झारखण्ड में तीन चार जातियां - खेतौड़ी, घटवाल और घटवार हैं, जिनको बिना किसी कारण के एक किरानी की गलती के कारण आज तक शिड्युल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है। सन् 1948 तक, 1950 तक वे शिड्युल्ड ट्राइब्स थे। यह टास्क फोर्स यू.पी.ए. सरकार ने बनाई थी, जिसकी रिकमेंडेशंस आ गई हैं और उसकी रिकमेंडेशन यह कह रही है कि जिन पांच साल के लिये मैंने लड़ाई लड़ी, वह सही थी। यह हिस्टोरिकल ऐरर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसे ठीक करना है। इस रिपोर्ट को आए हुए कई महीने बीत चुके हैं। 16 मई, 2014 को जिस दिन हम लोग फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, यह

लोक सभा कांस्टीट्यूट हुई, उसी दिन से यह रिपोर्ट आई हुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से और खासकर प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैसे रिशेड्युलिंग होगी, यह एक बड़ा विषय है, आप उसे देख लीजिए, लेकिन जो जातियां ऐतिहासिक कारण से छूट गई हैं और जिसको कि इस टास्क फोर्स ने माना है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी एजेंसीज शामिल थीं, उन जातियों को, खासकर खेतौड़ी को, घटवाल को और घटवार को, जो झारखंड की जातियां हैं, जो कि आज तक अपनी व्यवस्थाओं से और अपनी सुविधाओं से मरहूम हैं और गरीबी से जूझ रही हैं, उनकी जाति के लोग आज तक ग्रेजुएट नहीं हो पाए हैं। इसलिये मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से, खासकर भारत के प्रधानमंत्री जी से और वेंकैया जी से आग्रह है कि इन तीनों जातियों को जल्दी से जल्दी कैसे शेड्युल्ड ट्राइब्स में शामिल किया जाए, इसके लिये वे व्यवस्था करें।

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गुजरात के मेरे लोक सभा क्षेत्र खेड़ा की एक समस्या के प्रति आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ कठलाल से अहमदाबाद बी.ओ.टी. रोड बनाई गई है। निजी कंपनियों ने न तो सर्विस रोड बनाई है, न अंडर पास बनाया है, लेकिन टोल टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। वह टोल टैक्स भी अंतर के हिसाब से बहुत ज्यादा है। लोकल गाँव के लोग, खासकर जब बारिश का सीजन होता है, तब बूढ़े लोग, बीमार लोग, स्कूली बच्चे इस कारण बहुत परेशान होते हैं। कृपया वहाँ सर्विस रोड बनाई जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि जब कभी एम.ओ.यू. होता है, जिसमें निजी कंपनियां सर्विस रोड नहीं बनाती हैं और टोल टैक्स कलेक्ट करती हैं, तो सहानुभूति से उनके साथ बर्ताव करके ऐसे गाँवों के लिये टोल रोड के साथ सर्विस रोड भी बनाई जाए। जो निजी कंपनियाँ टोल कलेक्ट करती हैं, उनके कर्मचारियों का बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता है। इसके चलते गाँव के लोकल लोगों के साथ बहुत बड़ा टकराव होता है। अभी एक बहुत बड़ा एजीटेशन भी चलने वाला था। हमने उनको समझाया कि कैसे भी

करके यह टोल टैक्स की अमाउंट कम की जाएगी और आपको सर्विस रोड भी मिलेगी। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब, सूची समाप्त हो गई है। यदि सदस्य सहयोग करते हैं, तो मैं प्रत्येक सदस्य को केवल एक मिनट दे सकता हूँ। यदि वे इससे अधिक हैं, तो यह रिकॉर्ड में नहीं होगा। मुझे कई नाम मिले हैं। साथ ही, हमें सब कुछ 'आठ बजे तक पूरा करना होता है। इसलिये, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इस विषय पर विस्तार से न कहें और इस मुद्दे के बारे में विशेष जानकारी दें।

[हिन्दी]

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अभी हाल ही में दिनांक 12-02-2015 की रात को घटित घटना की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के विधान सभा क्षेत्र संडीला में जो पीडीएस का अनाज जो गरीबों के लिये आता है, मैं सीधे यह कहूँ कि कोटेदार की मर्जी से, वहाँ के विधायक भी मिले हुए हैं और वे उस अनाज को सीधे राइस मिल में बेचने के लिये चले गए। वहाँ के कुछ जागरूक ग्रामीणों ने उसे देख लिया और वे उस पीडीएस अनाज से भरी गाड़ी का पीछा करते-करते वहाँ तक पहुँच गए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: विधायक का नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्रीमती अंजू बाला : यह जानकारी पुलिस तक भी पहुँची है, मीडिया को भी इसकी जानकारी है, फिर भी उन्होंने 50 हजार रूपए लेकर उस गाड़ी को छोड़ दिया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह माँग करती हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (वाडकारा): महोदय, मैं इस प्रतिष्ठित सभा का ध्यान एक ऐसी घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसने केरल के लोगों के मन में बहुत भय और चिंता पैदा की है।

कहा जाता है कि 27 फरवरी, 2015 की रात को केरल के विभिन्न हिस्सों में आग के गोले के रूप में एक अज्ञात उड़ती हुई वस्तु देखी गई थी। इस असामान्य घटना को मुख्यधारा के समाचार पत्रों सहित दृश्य और प्रिंट मीडिया द्वारा व्यापक रूप से प्रतिवेदन किया गया था।

स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने झटके महसूस किये और 'वस्तु' के गुजरने के साथ आवाजें सुनीं।

विभिन्न स्थानों पर प्रभाव के प्रमाण देखे गए हैं जो आग के संकेत छोड़ गए हैं।

प्रतिवेदनों में माना गया है कि यह उल्कापिंड या अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं हैं। वास्तविक तथ्यों को न जानते हुए,आम लोग दहशत में हैं। केरल में वैज्ञानिक समुदाय भी इस घटना से अवगत है, लेकिन एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण का अभी भी इंतजार है।

इन परिस्थितियों में, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से तथ्यों का पता लगाने और जल्द से जल्द वास्तविक निष्कर्ष निकालने का आग्रह करता हूँ।

श्री ए. अनवर राजा (रामनाथपुरम): महोदय, तमिलनाडु के हमारे भारतीय मछुआरों को हर बार मछली पकड़ने के लिये समुद्र में जाने पर मौत और अपनी आजीविका के लिये खतरे का सामना करना पड़ता है।

माननीय *मक्कल मुतालवर अम्मा* इस मुद्दे को लेकर बहुत विशेष हैं और डॉ. *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* ने हमारे मछली पकड़ने के अधिकार और कच्चातीवु दोनों को वापस पाने के लिये प्रभावी कदम उठाए हैं।

हमें उम्मीद है कि श्रीलंका में सरकार बदलने से हमारे गरीब मछुआरों को मदद मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अपनी पहली विदेश यात्रा पर, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीसेना हाल ही में भारत आए थे। हमारे माननीय से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने, एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि तमिलनाडु के मछुआरों की समस्या को बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा।

इस यात्रा की पूर्व संध्या पर श्रीलंकाई अधिकारियों की हिरासत में रखी गई 81 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को रिहा कर दिया गया। लेकिन इसके विपरीत, नावों को पकड़ना और हमारे मछुआरों को परेशान करना जारी है। इस संक्षिप्त अवधि के दौरान अब तक छह नौकाओं में, सवार 86 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया।

मंत्री जी आज सुबह भी श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वरम क्षेत्र में हमारे मछुआरों पर बेरहमी से हमला किया। मुझे पता चला कि हमारे माननीय हमारे माननीय की यात्रा से पहले विदेश मंत्री श्रीलंका जाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी।

इसलिये, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि उन्हें हमारे भारतीय तमिल मछुआरों के उत्पीड़न की इस अंतहीन समस्या का हमेशा के लिये अंत करना चाहिए। धन्यवाद, महोदय।

डॉ. अंबुमणि रामदोस: महोदय, मैं इस मामले में उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष ; ठीक है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद का नाम परिवर्तित कर संभाजीनगर करने का निवेदन मैंने महाराष्ट्र शासन के साथ कई बार किया है। औरंगाबाद नाम के जिले भारत वर्ष में दो हैं। एक हमारे यहां है और एक बिहार में है। हमारे यहां की चिट्ठी उधर चली जाती है और उधर की चिट्ठी हमारे यहां आती है। इसके लिये बहुत दिन से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे की भी अंतिम इच्छा थी कि इस शहर का नाम संभाजीनगर कर दिया जाए। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे। संभाजी महाराज ने कम से कम 126 युद्ध मुगलों और अन्य लोगों के साथ किये और इतने ही उन्होंने जीते। इसके लिये हमारे यहां की महानगर पालिका ने एक प्रस्ताव 19 जून, 1995 को और दूसरा 4 जनवरी, 2011 को पास करके औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने की मंजूरी दी थी, लेकिन उस वक्त राज्य सरकार ने इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब महाराष्ट्र और केन्द्र में बीजेपी की सरकार है। परिकर

साहब भी यहां बैठे हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार इस विषय पर स्वतः पहल करके महाराष्ट्र सरकार को दिशा-निर्देश जारी करें और काफी लम्बे समय से लम्बित इस शहर का नाम संभाजीनगर करें। पहले भी कलकत्ता का नाम कोलकाता और मद्रास का नाम चेन्नई किया गया, लेकिन इसका नहीं किया गया है।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख में बनाए जा रहे करजोक से चुमार तक सीमा सड़क के निर्माण के संबंध में बोलने जा रही हूँ।

हमारे माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान उनके अधीनस्थ सीमा प्रबन्धन विभाग द्वारा लद्दाख में बनाए जा रहे सड़क कारजोक से चुमार तक की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। यह सड़क सामरिक दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है एवं यह वही चुमार क्षेत्र है, जहां विगत वर्षों में सीमा का उल्लंघन चीन द्वारा कई बार किया जा चुका है। सामरिक दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र की सड़क का निर्माण कार्य विगत दो वर्षों से लंबित है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सड़क उस क्षेत्र के लिये एक जीवन-रेखा है, इसके बावजूद गृह मंत्रालय ने विगत दो वर्षों से इस पर ध्यान नहीं दिया है। यह सड़क ब्यूरोक्रेटिक हर्डल में फंसी हुई है। कभी इस सड़क के निर्माण से संबंधित मामला गृह मंत्रालय के अन्तर्गत गठित सब-कमेटी में रेफर किया जाता है तो कभी टेक्नीकल कमेटी में। एक एच.एल.ई.सी. भी गठित है, जो प्रोजेक्ट को अंतिम रूप से गो-अहेड देती है। पिछले दो वर्षों से यह मामला लटका पड़ा है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस सड़क के निर्माण से संबंधित मामले को निपटाया नहीं जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करती हूँ कि इस सड़क के निर्माण कार्य में जो भी बाधाएं हैं, उन्हें दूर कर अविलम्ब प्रारम्भ कराने का प्रयास करें तथा इस संबंध में लिये गए आवश्यक निर्णय से हमें अवगत कराएं।

[अनुवाद]

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा जिसे हमारे माननीय द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में रेखांकित किया गया था। जनता की मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा सम्मान के लिए। प्रधानमंत्री जी।

लियेतमिलनाडु देश का सबसे बड़ा शहरीकृत राज्य है, जिसकी 48.45 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, तमिलनाडु में शहरी मलिन बस्तियों में 14.63 लाख परिवार रहते हैं। स्लम क्षेत्रों के आवास सर्वेक्षण से और भी बड़ा आंकड़ा सामने आता है। यहां तक कि अगर इन क्षेत्रों की आवास जरूरतों का 25 प्रतिशत भी लिया जाता है, तो भी लगभग 3.65 लाख आवास इकाइयों के निर्माण की आवश्यकता होगी रु. 29,200 करोड़। यह एक बड़ी वित्तीय चुनौती है जिसके लिए भारत सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। धन्यवाद।

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): माननीय. उप सभापति, महोदय, मुझे यह मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं यह बताना चाहूँगा कि ओडिशा में आई. पी. एस. कैडर में कुल 188 पद हैं। इन 188 पदों में से, 131 पद सीधी भर्ती के लिये हैं और 57 पद पदोन्नति के आधार पर राज्य पुलिस सेवा से लिये जाने वाले पदोन्नति कोटा के तहत हैं। सीधी भर्ती के लिये, 131 पदों में से 22 अधिकारियों की कमी के साथ अब केवल 109 अधिकारी ही पद पर हैं। राज्य में योग्य अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण पदोन्नति कोटे के तहत अधिकांश पद भी खाली हैं। राज्य में माओ या नक्सल घटनाओं में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा समस्या से निपटने के लिये युवा और ऊर्जावान अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात करना अनिवार्य है।

इसलिये, मैं आपके माध्यम से, गृह मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि, अगले पांच वर्षों के लिये हर साल सात से आठ आई.पी.एस. अधिकारियों के आबंटन पर विचार करें। धन्यवाद।

कुमारी शोभा करंदलाजे (उडुपी चिकमंगलूर): महोदय, नक्सलवाद देश के विभिन्न हिस्सों में आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा है और इसने सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले ली है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों पुलिसकर्मी नक्सलवादियों द्वारा मारे गए हैं। यह एक बड़ी चिंता की बात है कि इस राष्ट्रीय समस्या के प्रति एक समान नीति का अभाव है। विभिन्न राज्य सरकारों का दृष्टिकोण और दृष्टिकोण अलग-अलग है। यह उनकी समझ और समझ पर निर्भर करता है। इसके अलावा, एकल-एकीकृत

दृष्टिकोण के अभाव ने नक्सलों को एक राज्य में काम करने और राहत और सुधार के लिये दूसरे राज्य में जाने में सक्षम बनाया है। उदाहरण के लिये, बहुत पहले 2007 में, कर्नाटक के पावागड़ा के वेंकटम्मनहल्ली गांव में 14 के. एस. आर. पी. पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी और फिर अंधेरे में पड़ोसी आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में भाग गए थे। झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही हो रहा है।

ऐसे उदाहरण हैं जहां राज्य सरकारों ने माओवादियों के खतरे को एक सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में कम करने की कोशिश की है, और इसे कानून और व्यवस्था के लिये खतरे के रूप में, देखने के बजाय मजबूत उपाय अपनाने के बजाय बाल-दस्ताने के तरीके से निपटने की कोशिश की है। सरकारों के दिमाग से भ्रम, अंतर्विरोध और जोड़-तोड़ को दूर करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी, एक समान नीति तैयार करना आवश्यक है, जिसके लिये केंद्रीय गृह मंत्रालय को सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के परामर्श से नक्सलवाद की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि 13वीं फाइनैंस रिपोर्ट और वर्ष 2014-2015 की बजट स्पीच में अरुणाचल प्रदेश के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बहुत ही बुरी है। वहां दस हज़ार की आबादी में चार डॉक्टर्स को उपलब्ध कराया जाता है और सिर्फ 20 हॉस्पीटल बेड्स दिए जाते हैं।

इनकी रिपोर्ट के मुताबिक मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में एक पासीघाट जगह हैं, जहां लोगों ने उन्हें 200 हेक्टेयर की ज़मीन देने का वायदा किया है, इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से पासीघाट में एक एम्स अस्पताल देने का अनुरोध करना चाहता हूँ।

श्री आर.के. भारती मोहन (मयिलादुतुरई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हूँइससे पहले, मैं अपने माननीय को अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। तमिलनाडु मक्कलिन मुधलवर डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा।

वर्ष 2016 में कुंभकोणम में महामाहम महोत्सव के दौरान तीर्थयात्रियों की आमद और तमिलनाडु के कुंभकोणम जिले में लगातार बढ़ती पर्यटक और तीर्थयात्रियों की आबादी से निपटने के लिये परिवहन की जरूरतों को सुविधाजनक बनाने के लिये, मैं विनम्रतापूर्वक माननीय से अनुरोध करूंगा रेल मंत्री जी कुंभकोणम में निम्नलिखित बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे।

1. रेल यात्री निवास खोला जा सकता है।
2. महामाहम महोत्सव के दौरान यात्री और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है।
3. महामाहम महोत्सव से पहले तंजावुर और कुंभकोणम के बीच दोहरीकरण का काम पूरा करने की आवश्यकता है।
4. कुंभकोणम रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए।
5. प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 पर छत पूरे प्लेटफार्म क्षेत्र को कवर करना चाहिए।
6. ट्रेनों के 24 डिब्बों को समायोजित करने के लिये तीनों प्लेटफार्मों को ठीक से बढ़ाया जाना चाहिए।

7. फुट ओवर ब्रिज को प्लेटफॉर्म नंबर 3 तक विस्तारित करने की आवश्यकता है।

8. तीर्थयात्रियों और जनता के ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को पूरा करने के लिये कुंभकोणम में एक पूर्ण सूचना काउंटर खोले जाने की आवश्यकता है।

9. पापनाशम और अदुतुराई में पी.आर.एस. काउंटर खोले जाने चाहिए।

मैं माननीय से अनुरोध करता हूँ रेल मंत्री जी इस संबंध में आवश्यक अनुमति प्रदान करेंगे और धन आबंटित करेंगे।

धन्यवाद।

श्रीमती बिजोया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने कृषि उपज के समग्र विकास के लिये बड़े पैमाने पर जोर दिया है। हम जानते हैं कि अच्छी फसलों के लिये सिंचाई आवश्यक है।

विशेष रूप से ए.आई.बी.पी., के तहत सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिये, आसाम को 90:10 के अनुपात में बड़ी मात्रा में धन दिया जाता है। सिंचाई पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किये गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

केवल एक या दो सिंचाई योजनाएं काम करने योग्य हैं, वह भी आंशिक रूप से। ऐसी ही एक योजना, जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहती हूँ, वह है चंपावती सिंचाई परियोजना। यह 30 साल पहले शुरू किया गया था और लगभग रु. 150 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। इस धनराशि का, 75 प्रतिशत केंद्र सरकार से आया है। लाखों किसान हैं, जिन्हें पानी मिलने के, बजाय वहां बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इस संबंध में, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूँगी कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को व्यय रसीदें, जो उसे वार्षिक रूप से प्रस्तुत करनी होती हैं, प्रस्तुत नहीं की हैं। यह बताया गया है कि व्यय खातों की धनराशि 2013-14 तक रु. 12,000 करोड़, असम सरकार द्वारा जमा नहीं किये जा सके। लाखों किसान परेशान हैं, लेकिन कोई सिंचाई परियोजना पूरी नहीं हुई है।

महोदय, मैं आपसे अपील करती हूँ और आपके माध्यम से, यह भी मांग करती हूँ कि, इस संबंध में धन के गबन की उचित सीबीआई जांच की जानी चाहिए।

धन्यवाद।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): मंत्री जी हूँ मंत्री जी माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं माननीय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रक्षा मंत्री। मैं इस बात से बहुत खुश हूं रक्षा मंत्री यहाँ बैठे हैं।

महोदय, 'एक रैंक एक पेंशन' नीति के संबंध में, पूर्व सैनिकों का अनुरोध है कि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख चाहे जो भी हो, उन्हें उसी रैंक में समान अवधि की सेवा के साथ सेवानिवृत्ति पर समान पेंशन सुनिश्चित की जाए।

एक के बाद एक आने वाली सरकारें और वित्त मंत्री जी हमेशा आश्वस्त करते हैं कि इसे लागू किया जाएगा, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद, प्रस्ताव अभी भी एक सपने के रूप में लंबित है। दो लाख से अधिक पूर्व सैनिक इस योजना के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

<u>सायं 08.00 बजे।</u>

माननीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली, का मानना है कि यह मुद्दा लंबित है क्योंकि पेंशन की गणना का तरीका सशस्त्र सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के बीच अटका हुआ है। 2014 के बजट भाषण में भी माननीय। वित्त मंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की थी। सरकार ने 2014, में इस मांग को स्वीकार कर लिया था और जुलाई 2014 के बजट में भारत सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिये इस योजना के लिये रु. 1,000 करोड़ आबंटित किये गए हैं।

क्या राष्ट्र को पेंशन की गणना करने के लिये एक सूत्र पर पहुंचने के लिये एक वर्ष की लंबी अवधि की आवश्यकता है? यह वह सवाल है जो पूर्व सैनिकों द्वारा पूछा जा रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, और वे इस महत्वपूर्ण मामले का जवाब दे सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: पूर्व सैनिकों ने पहले ही संसद के बाहर आंदोलन शुरू कर दिया है। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: अगला श्री वी. एलुमलाई हैं।

…*(व्यवधान)*

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: कई प्रतिनिधिमंडल पहले ही माननीय से मिल चुके हैं इस मुद्दे के संबंध में रक्षा मंत्री, और माननीय रक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, यह सब आवश्यक नहीं है।

श्री वी. एलुमलाई (अरनी): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं मुफ्त में ए.टी.एम. सुविधा प्रदान करने के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

यह याद किया जा सकता है कि पहले ए.टी.एम. का उपयोग करने के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन, हाल ही में, बैंकों ने रुपये वसूलना शुरू कर दिया है रु. 20 या रु. 25 ए.टी.एम. का उपयोग करने के लिये। माननीय की अपील पर खोले जा रहे लाखों बैंक खातों को देखते हुए प्रधानमंत्री जन धन योजना के, तहत यह स्पष्ट है कि ए.टी.एम. का उपयोग भी काफी बढ़ जाएगा। इस प्रकार, ये खाते उन गरीब लोगों के लिये खोले गए हैं जो सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता पर जीवन यापन कर रहे हैं। अब उन्हें प्रत्येक ए.टी.एम. लेनदेन के लिये पैसे खर्च करने होंगे, जो गरीब लोगों पर एक अतिरिक्त बोझ होगा।

इसलिये, मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया एक बार फिर ए.टी.एम. का उपयोग मुफ्त करने पर विचार करें। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को गंभीर समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र, दमन-दीव में वर्ष 2006 तक ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' कर्मचारियों की जब-जब जरूरत पड़ती थी, तब-तब वहां के डोमीसाइल वासियों को भर्ती में प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन कुछ समय से उन दोनों ग्रुपों में भरती करने के लिये ऑल-इंडिया स्तर पर विज्ञापन दिये जाने लगे हैं, जिसके कारण दमन और दीव के स्थानीय लोगों को बाहर से आये हुए उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है और उन्हें दमन-दीव की प्रशासन में नौकरी से वंचित रहना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि यह दमन-दीव के लोगों के साथ अन्याय है। वहां स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है।

मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि वर्ष 2006 तक जिस तरह से कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा था, उसी तरह उन्हें नियुक्त किया जाये और दमन-दीव के लोगों को प्राथमिकता दी जाये।

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): महोदय, मुझे मौका देने के लिये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं देश भर में गन्ने के बकाया के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। लगभग, विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश; राज्य में लगभग, रु. 12,300 करोड़ रुपये का बकाया है रु. 4,628 करोड़ बकाया है कर्नाटक; में रु. 2,679.40 करोड़ का बकाया है महाराष्ट्र में रु. 1,649 करोड़ रुपये का बकाया है।

गन्ना नियंत्रण आदेश के अनुसार, किसानों को मिलों को गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर गन्ने का भुगतान प्राप्त होना चाहिए। हालांकि, महीनों हो गए हैं, और किसानों को अभी तक भुगतान नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि घरेलू बाजार में चीनी, और कच्ची चीनी की कीमतों में गिरावट आई है और मिलों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा, उनमें से कुछ को बीमार घोषित कर दिया गया है और उन्होंने पुनर्निर्माण के लिये आवेदन किया है।

पिछले साल, केंद्र सरकार ने उद्योग की मदद करने और किसानों को गन्ने के बकाया का भुगतान करने के लिये 4 लाख टन तक की कच्ची चीनी के निर्यात के लिये सब्सिडी की घोषणा की थी। हालाँकि, यह योजना सितंबर के महीने में समाप्त हो गई। इसलिये, सरकार को समय पर और नियमित रूप से निर्यात सब्सिडी योजना की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से, अनुरोध करूंगा, महोदय, यह सुनिश्चित करें कि गन्ने के बकाया का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए।

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब से इस लोक सभा में आया हूँ उसके बाद और उसके पहले भी कई बार प्रकृति और पर्यावरण के सामने जिस तरह से चुनौतियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से खतरे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में अनेक बार इस सदन में चर्चायें हुयी हैं, चिन्तन हुआ है और इस बार हमने संवेद

स्वर में उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की है। हम सब लोग इस बात से चिन्तित हैं कि आने वाले पीढ़ी को हम किस तरह प्रकृति को विकृत किये बगैर उन्हें ट्रान्सफर कर सकें, आगे हस्तांतरित कर सकें।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मेरे विधान सभा क्षेत्र, लोक सभा क्षेत्र में तीन सौ साल पहले 363 लोगों ने अमृता देवी विश्नोई नाम की महिला के नेतृत्व में अपनी शहादत, अपने जीवन की बलि पेड़ों की रक्षा के लिये दी थी। पेड़ों की कटाई कागज की खपत से सीधे जुड़ा हुआ विषय है। मैं जब से लोक सभा में आया हूँ, आप सब पुराने लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय वैंकैय्या जी बैठे हुए हैं, सभापति महोदय बैठे हुए हैं और अनेक पुराने लोग बैठे हुए हैं। हमारे घर में सुबह जो भूरे रंग का लिफाफा आता है, इस सबकी आदत आप लोगों को पड़ी हुई होगी। लेकिन मैं जिस दृष्टिकोण से सोचता हूँ, जिस तरह इस लोक सभा में कागज की खपत होती है, जिस तरह सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की त्रैमासिक, छ: मासिक, बारह मासिक रिपोर्ट आती हैं, मैंने अनुमान लगाया है कि एक सांसद को, एक टेन्योर में लगभग एक टन पेपर दिया जाता है। मैं इस सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हम इक्कीसवीं सदी में इस तरह का कोई प्रबंध करें, संकल्प लें कि बढ़ते हुए कागज की खपत को कम करने के दृष्टिकोण से काम करें। हम एक नई शुरुआत करें कि अपने यहां किस तरह कम खपत कर सकते हैं। किस तरह सारी रिपोर्ट्स को आन लाइन कर सकते हैं। यदि किसी मित्र को जरूरत है और वास्तव में उसे प्रिंटेड फार्मेट में चाहिए तो वह संदर्भित विभाग से आसानी से ले सकता है। हमें इस संबंध में इस समय कोई न कोई रेज़ोल्यूशन जरूर पास करना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष : कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, श्री रामचरण बोहरा और श्री देवजी एम. पटेल को श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदय, माननीय द्वारा दिए गए इस बहुत महत्वपूर्ण सुझाव पर सदस्य, माननीय। स्पीकर पहले ही इस पर चर्चा शुरू कर चुके हैं। हम संसद में अन्य राजनीतिक नेताओं से परामर्श कर रहे हैं। हमें एक व्यापक सहमति विकसित करनी चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब हम उच्च प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें वास्तव में इसे स्वीकार करना चाहिए। मैं इसे मंत्रालयों के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और मैं सभी सदस्यों से सहयोग का अनुरोध भी करूंगा क्योंकि अध्यक्ष पहले से ही इस पर विचार करने के लिये तैयार हैं। माननीय. उप सभापति, महोदय, आप भी उस दिन वहाँ थे। हम इसे आगे बढ़ाएंगे।

माननीय उप सभापति: हम इस विषय पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इस मुद्दे पर आम सहमति है। हालांकि, साथ ही, आवास प्रदान करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। अगर हम दोनों को एक साथ ले जाए, तो ही यह आसान हो जाएगा। अन्यथा, मौजूदा प्रणाली में उस प्रक्रिया को अपनाना मुश्किल हो सकता है।

श्री एम. वेंकैया नायडू: हम इसे एक बार में नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी समस्याएं हैं क्योंकि अदालत को भी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। हालांकि, हम कागज के उपयोग को कम कर सकते हैं और ऑनलाइन उपयोग बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): उपाध्यक्ष महोदय, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी चापेकर बंधू का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। क्रांतिवीर दामोदर हरी चापेकर, बालकृष्ण हरी चापेकर और वासुदेव हरी चापेकर बंधू मेरे संसदीय क्षेत्र चिंचवड से हैं।

सन् 1897 में पूना प्लेग जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित था और इस स्थिति में अंग्रेज अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड और लेफ्टिनेंट अयार्स्ट भारतियों पर जुल्म कर रहे थे। ये दोनों अंग्रेज अधिकारी जबरन लोगों को पूना से बाहर निकालने और परेशान करने का प्रयास कर रहे थे। इसी अत्याचार और अन्याय के विरोध में चापेकर बंधू ने क्रांति का मार्ग अपनाया।

देश में एक ही परिवार के तीनों भाई देश के लिये शहीद हो गए जो एक ऐतिहासिक घटना है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि क्रांतिवीर चापेकर बंधू की शहीदी को ध्यान में रखकर चापेकर बंधू के नाम पर डाक टिकट जारी किया जाए।

[अनुवाद]

श्री जी. हरि (अराकोन्नम): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, *कावेरी नदी* में पानी का प्रवाह, जो एक बारहमासी नदी हुआ करती थी, तमिलनाडु की जीवन रेखा बनी हुई है। इसकी नहर प्रणाली के साथ-साथ विशेष रूप से कावेरी बेसिन क्षेत्र में, इसका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। लियेतमिलनाडु सरकार, हमारे गतिशील नेता और लोगों के मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित, माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने, कावेरी बेसिन में नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना तैयार की है रु. 11,421 करोड़। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश की अधिसूचना के साथ, केंद्र अपनी मंजूरी दे सकता है। केंद्र की मंजूरी और धन का आवश्यक केंद्रीय हिस्सा प्राप्त करने के लिये, हमारे प्रिय नेता, माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने, 3 जून 2014 को केंद्र से अनुरोध किया था।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह तमिलनाडु में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के हित में इस अनुरोध को स्वीकार करें और जल्द से जल्द इसकी मंजूरी दे जिससे किसानों और कृषि श्रमिकों को भी बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। हाल ही में केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने एक लिखित उत्तर में जवाब दिया कि केमिकल फर्टिलाइजर पर लाखों की सब्सिडी है। केमिकल फर्टिलाइजर से हमारी मिट्टी और स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, यह दिनों दिन खराब होती जा रही है। लेकिन नेचुरल फर्टिलाइजर पर किसी तरह की सब्सिडी नहीं है। अगर हम आगेरनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें नेचुरल फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी देनी पड़ेगी,

तभी किसान उसे यूज करेगा, इससे न हमारी मिट्टी खराब होगी और न ही स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइजर के साथ इन्सेक्टिसाइडस और पेस्टिसाइडस भी जुड़ा हुआ है, उस पर सब्सिडी है, लेकिन नेचुरल इन्सेक्टिसाइडस और पेस्टिसाइडस पर कोई सब्सिडी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से, माननीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि नेचुरल फर्टिलाइजर और नेचुरल इन्सेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पर भी सब्सिडी का प्रावधान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री देवीजी एम. पटेल और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को श्री पी.पी. द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है। चौधरी साहब।

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदय, मैं पंजाबी में बोलना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: यदि आप पंजाबी में बोलना चाहते हैं, तो व्याख्या उपलब्ध नहीं है। मैं दुभाषिए को आने के लिये कहूँगा। तब तक इंतजार करें।

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान: महोदय, पंजाब की धरती गुरूओं और पीरों की धरती है, पंजाब के लोग पूरी कायनात का भला मांगने वाले लोग हैं। गुरूवाणी में हर रोज सुमरन किया जाता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सबका भला, हम पूरी दुनिया का भला मांगने वाले लोग हैं। लेकिन पंजाब सरकार ऐसी धरती पर कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे पंजाब के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। संगरूर जहां से मैं चुन कर आता हूँ, वहां एक कस्बा है, गनौढ़ी कलां। वहां एक मीट प्लान लगाने की योजना पर पंजाब सरकार ने अनुमति दे दी है, जिससे हजारों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वहां रोज धरने और

हड़तालें हो रही हैं। जब मैं उस कंस्टीट्यूएंसी का दौरा करने गया। वहां की औरतें इतने गुस्से में हैं कि वे कहती हैं कि अगर फैक्ट्री लगी तो हम गेट के सामने खुद को जला लेंगे। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह पंजाब सरकार से कहे कि यह मीट प्लांट वहां न लगे। यह देश के किसी और हिस्से में चली जाए। बहुत बहुत, धन्यवाद।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं आपके माध्यम से मानव जीवन से जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या को उठाना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर भी सरकारी अस्पतालों की जमीन आप एक रुपये की लीज पर बड़े-बड़े अस्पतालों को देते हैं। जब वहां पेशेंट आते हैं तो पहले उनसे पैसा जमा कराने की बात की जाती है, चाहे इर्मेजेसी हो या हार्ट पेशेंट हो। 16 फरवरी को मूलचंद अस्पताल का एक उदाहरण सामने आया। एक पेशेंट जो 10 बजे आ गया था, लेकिन 12 बजे तक उसका इलाज नहीं किया गया क्योंकि वह 2 लाख रुपये जमा नहीं करा पा रहा था, जबकि उसे सरकारी अस्पताल ने रेफर किया था। उस पेशेंट की मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट होने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने पेशेंट को एडमिट क्यों नहीं किया, फर्स्ट एड क्यों नहीं दिया? तब उन्होंने कहा कि पेशेंट अभी आया है, क्योंकि तब तक पुलिस भी आ गई थी। जब उनसे सी.सी.टी.वी. कैमरे में अराइवल दिखाने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि सी.सी.टी.वी. कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली मेडिकल काऊंसिल से निवेदन करता हूँ, इन अस्पतालों को एक-एक रुपये की लीज पर जमीनें दी गई है। जब गरीब लोग वहां इलाज कराने जाते हैं तो वे फर्स्ट एड तक उपलब्ध नहीं करा पाते। उन अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इन अस्पतालों में यह सुनिश्चित किया जाए कि गरीब लोगों को भी फर्स्ट एड दिया जाए और पहले उनको एडमिट करें बाद में उनसे पैसे लें। ऐसे मैक्स अस्पताल, मूलचंद अस्पताल, मैक्सवेल अस्पताल, अपोलो अस्पताल आदि सभी की ये समस्याएं हैं। जिन पैशेंट्स की मृत्यु हो गयी है, उनके नाम भी मेरे पास हैं। निखिल गोडना की मदर एडमिट रही। उनकी डेथ हो गयी। अस्पतालों में कई-कई पैकेज दिये जाते हैं और उन पैकेज के नाम पर एडमिट कर लेते हैं। लोग बाद में पैसे जमा नहीं करा पाते, तो उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हारा पैशेंट आई.सी.यू.

में है। आप पांच लाख रुपये जमा करा दीजिए, वर्ना तुम्हारा पैशेंट मर जायेगा। मेरा निवेदन है कि इन अस्पतालों की इंक्वयारी करायी जाये।

उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस सेंसटिव इश्यू पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के किसानों की एक बहुत ही ज्वलंत, तात्कालिक लोक महत्व की कठिनाई सदन में रखना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में किसानों ने बड़ी मुश्किल से गेहूँ की थोड़ी फसल तैयार की थी, लेकिन चन्द्रप्रभा नहर का तटबंध टूट गया, जिसकी वजह से 200 बीघा जमीन डूब गयीं। फिर भी नहर विभाग नहीं चेता, जिसके कारण कल भूपौली पम्प केनाल की जनौली और कवई पहाड़पुर का तटबंध कल टूट गया। वहां आज फसलें बुरी तरह से नष्ट हो गयीं। किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और सड़कों पर धरना दे रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया जाये कि वह किसानों की क्षतिपूर्ति का आंकलन कर उन्हें क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रदान करें। ये वहां की मुख्य नहरें हैं। इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार इन तटबंधों के रोज-रोज टूटने की घटना पर मुकम्मिल रोक लगाने की व्यवस्था करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री आर. गोपालकृष्णन (मदुरै): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने तमिलनाडु के लोगों की स्वास्थ्य सेवा के लिये कई उपाय किये हैं, जिन्हें सभी ने सराहा है। मदुरै में एम्स प्रकार के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी पुरात्ची थलाइवी अम्मा के दृढ़ संकल्प और अनुसरण के कारण केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में एक एम्स की स्थापना की घोषणा की है।

पिछले लगभग 10 महीनों से मैं केंद्र सरकार से मदुरै में एम्स प्रकार के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सह शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये आग्रह कर रहा हूँ। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए हैं।

मदुरै शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रस्तावित स्थल मदुरै में के. पुथुपट्टी है। मदुरै तमिल नाडु के दक्षिणी जिलों के लोगों का एक प्रमुख शहर है। मदुरै में एम्स जैसे अस्पताल से मदुरै के आसपास के 12 जिलों के लगभग 2.3 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। मदुरै शहर की आबादी लगभग 15 लाख है। स्थानीय योजना प्राधिकरण और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को अपना पूरा सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

मदुरै शहर के समग्र विकास के लिये और मदुरै और उसके आसपास के करोड़ों लोगों के हित में, मैं केंद्र सरकार से मदुरै में एम्स प्रकार का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सह शिक्षण संस्थान स्थापित करने का आग्रह करना चाहूँगा।

[हिन्दी]

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जमशेदपुर, झारखंड में इको सेंसटिव जोन का मुद्दा सबसे चर्चित है। पिछले दिनों दलमा के आस-पास 51 मौजा के 136 गांवों को इको सेंसटिव जोन में रखने के विरोध में जमशेदपुर, पटमदा, चांडिल और नीमडी प्रखंड में हजारों आदिवासी तथा मूलनिवासियों ने डी. सी. कार्यालय का घेराव किया।

गौरतलब है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 29 मार्च, 2012 को प्रकाशित असाधारण बिल पास किया, जिसमें इको सेंसटिव जोन को लेकर 29 मार्च, 2012 को गजट अधिसूचना जारी कर दी गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, वनों एवं बेजुबान वन्य जीवों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता समझ में आती है, लेकिन इस संवेदनशीलता की कीमत पर आम आदमी और खासकर वनों पर निर्भर भोले-भाले साधन विहीन लोगों के प्रति असंवेदनशीलता की जायज नहीं ठहराया जा सकता। पर्यावरण और सुरक्षा दोनों जरूरी हैं।

लिहाजा सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जो बैलेंस रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार को जनभावना से अवगत कराकर गजट अधिसूचना में संशोधन की माँग करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री राम प्रसाद शर्मा (तेज़पुर): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं पूर्वोत्तर में रेलवे का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। जहां तक रेलवे का संबंध है, पूर्वोत्तर सबसे उपेक्षित क्षेत्र है। पिछले 60 वर्षों में, अभी तक रेलवे लाइनों की दोहरी पटरियों का निर्माण नहीं हुआ है और न ही अब तक किसी पटरियों का विद्युतीकरण हुआ है। पिछले 14 वर्षों से लटकी हुई बोगीबील पुल अभी भी अधूरा है।

केशपुर और नौगांव को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 रेलवे पुल का एक और प्रस्ताव है। लियेहूँ मंत्री जी लियेतो मुझे हॉन चाहिए। रेल मंत्री ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों पर 2,000 किलोमीटर से अधिक की रेल पटरियों के विद्युतीकरण, ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों पर रेल पटरियों को डबल ट्रैक करने और एन.एफ. रेलवे जोन को शेष बिहार और बंगाल से अलग करने और इसे विशेष रूप से केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बनाने का काम करेंगे। पूर्वोत्तर के स्थानीय युवाओं को पूर्ण रोज़गार सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवा रेलवे रोज़गार में वंचित हैं।

श्री एम. चंद्रकासी (चिदम्बरम): महोदय, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे को उजागर करने का अवसर देने के लिये धन्यवाद। होन के आशीर्वाद के साथ अम्मा, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री मैं अन्नामलाई विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। चिदम्बरम में अन्नामलाई विश्वविद्यालय की स्थापना 1929 के तमिलनाडु अधिनियम द्वारा की गई थी और यह सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। यह विश्वविद्यालय अकादमिक दुनिया के लिये अपनी सेवा के लिये पूरे भारत में जाना जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष : आपको बिंदु पर आना चाहिए। आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं।

श्री एम. चंद्रकासी: महोदय, विश्वविद्यालय का विशेष दर्जा, लंबे शैक्षणिक अनुभव, छात्र समुदाय के लिये लाभ और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय का प्रबंधन राज्य निधि से किया जाता है, केंद्र को

विश्वविद्यालय के विस्तार की सुविधा प्रदान करनी चाहिए और एक विशेष मामले के रूप में पूरे देश में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति देनी चाहिए। मैं माननीय से आग्रह करता हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्री जी पूरे भारत में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को जारी रखने के लिये अन्नामलाई विश्वविद्यालय को आवश्यक मंजूरी देंगे।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान उदयपुर से अहमदाबाद, गुजरात वाया हेमंत नगर को आमान परिवर्तन रोड गेज लाइन के लिये पर्याप्त धनराशि दिलाने की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उदयपुर सिटी राजस्थान प्रदेश का मुख्य पर्यटक स्थान है। यहां लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। यह स्थान महाराणा प्रताप एवं राणा पूंजा की पुण्य भूमि है। यह ऐतिहासिक एवं पर्यटक नगरी है। दक्षिणी राज्यों से आने जाने के लिये पर्याप्त रेल सुविधा नहीं है। आमान परिवर्तन रेल परियोजना धीमी गति चल रही है, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पर्याप्त धनराशि का आबंटन कराकर शीघ्र परियोजना को पूरा कराएं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री देवजी एम. पटेल को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए मामले में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय देने के लिये धन्यवाद। एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों से, पूछताछ करने पर यह सूचित किया जाता है कि हुबली से होसपेट खंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग-63 को चौड़ा करने के लिये भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। ई.पी.सी. मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-63 की निर्माण गतिविधियों के संबंध में, निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 4 जिलों से होकर गुजरती है। हमारे पास सड़क के किनारे बहुत बड़े उद्योग हैं और इस सड़क पर यातायात बहुत घना है। राष्ट्रीय राजमार्ग-63 पर किसी भी नए काम की अनुमति नहीं है

क्योंकि इसे एन.एच.ए.आई. द्वारा लिया जा रहा है। इसलिये, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे समस्याओं को दूर करें और जल्द से जल्द काम को आगे बढ़ाएं।

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष जी, पांच साल यू.पी.ए. सरकार थी, मैं पांच साल से मांग करता रहा हूँ। मेरे क्षेत्र के पांच से सात लाख लोग बैंगलोर, मुम्बई, हुगली, चेन्नई और देश के सभी प्रांतों में रहते हैं। हमारे यहां समदड़ी, भीलड़ी रेल लाइन आई लेकिन समस्या यह हो गई कि सरकार ने ट्रेन देने में समय लगाया और पाटन से अहमदाबाद ब्रॉड गेज ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। एक रानी की वाव गांव है, जिसे अभी वर्ल्ड हेरिटेज़ घोषित कर दिया गया है, यहाँ से आगे का जो ट्रैक है, वह मीटर गेज़ से ब्रॉड गेज़ में कन्वर्ट नहीं हो रहा है जिसके कारण हमारे यहाँ की विभिन्न ट्रेनें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। मैं हाउस के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी राजस्थान के जालौर-सिरोही के वासियों को समदढ़ी दिलढ़ी ट्रैक पर दक्षिण से और मुम्बई से दादर-बीकानेर को चलने वाली ट्रेन को नियमित किया जाए।

एक डी.एम.यू. ट्रेन चलती है, जिसे हम लोग अदुबोगो कहते हैं, इसका इंजन दोनों ओर होता है। उसे पालनपुर तक बढ़ाया जाए। यदि ये कुछ काम हो जाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपके माध्यम से मैं सरकार से यही निवदेन करना चाहूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अपने आप को श्री देवजी पटेल द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करते हैं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, झारखण्ड प्रदेश के गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो जिला के गोमिया प्रखण्ड के अंतर्गत लुगू पहाड़ एवं खखण्डा के ग्रामीणों ने लुगू पहाड़ के निकट तिरला के आस-पास आर.डी. ओ. द्वारा फायरिंग रेंज बनाने के प्रस्ताव का घोर विरोध किया है क्योंकि फायरिंग रेंज बनाने से गोमिया प्रखण्ड और महुआटांड थाना क्षेत्र के दर्जनों पंचायत के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा और उनके रोज़ी-रोज़गार के साधन भी समाप्त हो जाएंगे। अभी भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की ओर से

झारखण्ड में एक स्टील प्लांट लगाये जाने की घोषणा हुई है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि फायरिंग रेंज की जगह पर स्टील प्लांट लगाया जाए, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और लोगों के बीच शांति-व्यवस्था व्याप्त होगी। आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: सभा कल 4 मार्च, 2015 को 11 पूर्वाह्न पुनः मिलने के लिये स्थगित हुई।

रात्रि 08.27 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 4 मार्च, 2015/ 13 फाल्गुन,1936 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित